नवम माला, खंड 5, अंक 31

, 26 अप्रैल, 1990

ख, 1912 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र

(नौवीं लोक सभा)

(खंड 5 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उसका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

गुरुवार, 26 अप्रैल, 1990/6 वैशाख, 1912 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
(क)	2	नवम माला, खंड 3 के स्थान पर "नवम माला खंड 5" पढ़िये।
	3	"अंक 14" के स्थान पर "अंक 31" पढ़िये।
4	6	"श्री नाथ राम मिर्धा" के स्थान पर "श्री नाथूराम मिर्धा" पढ़िये।
27	15	"(ख)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये।
32	6	"(क)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।
37	16	"(क) और (ख)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।
48	नीचे से 5	संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र)" के पश्चात "(क)" अंतःस्थापित कीजिए।
77	22	"संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र)" के पश्चात "(क) और (ख)" पढ़िये।
78	नीचे से 7	प्रश्न संख्या "0674" के स्थान पर प्रश्न संख्या "6674" पढ़िये।
89	9	"जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री के०पी०उन्नीकृष्णन) के पश्चात "(क) और (ख)" भी पढ़िये।
152	अंतिम	पंक्ति के शुरू में "(घ)" पढ़िये।
174	17	पंक्ति के अंत में "की बातें" के स्थान पर "की बसें" पढ़िये।

176	15	"(ग)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।
179	15	"श्री सरयू प्रसाद सरोज" के स्थान पर "श्री सरजू प्रसाद सरोज" पढ़िये।
183	1	"(क) और (ख)" का लोप करिए।
188	5	प्रश्न संख्या "84" के स्थान पर "3804" पढ़िये।
215	1	एल0टी0संख्या 740/90 के स्थान पर "741/90" पढ़िये।
216	12 और 16	"प्रो0जे0पी0कुरियन" के स्थान पर प्रो0पी0जे0 कुरियन" पढ़िये।
219	नीचे से 10	"उपाध्क्ष महोदय" के स्थान पर "उपाध्यक्ष महोदय" पढ़िये।
262	नीचे से 6	"विधायकों" के स्थान पर "विधेयकों" पढ़िये।
263	21	"संसोधन" के स्थान पर "संशोधन" पढ़िये।
264	7	"पुप:स्थापित" के स्थान पर "पुर:स्थापित" पढ़िये।
268	1	"प्रो0एन0तोम्ली" के स्थान पर "प्रो0एन0टोम्बि सिंह" पढ़िये।
286	1	"श्री संतोष मोहन देवर" के स्थान पर "श्री संतो मोहन देव" पढ़िये।
306	4	"तत्पश्चात्" के स्थान पर "तत्पश्चात" पढ़िये।
306	5	"म0प0" के स्थान पर "म0पू0" पढ़िये।

विषय-सूची

नवम माला, खंड 3, दूसरा सत्र, 1990/1911 -12 (शक)

अंक 14, शुक्रवार, 26 अप्रैल, 1990/6 वैशाख, 1912 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर:	... ...	1—19
*तारांकित प्रश्न संख्या: 615 से 617 और 619		
प्रश्नों के लिखित उत्तर:	....	19—209
तारांकित प्रश्न संख्या: 618,620,622 से 624 और 626 से 635	....	19—28
अतारांकित प्रश्न संख्या: 6619 से 6622, 6624 से 6653, 6655 से 6706, 6708 से 6724, 6726 से 6740, 6743 से 6767 और 6769 से 6814	... .	28—193
सभा पटल पर रखे गए पत्र	... .	209—219
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति		219—223
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण		223—237
वर्जिनिया फ्ल्यू क्योर्ड तम्बाकू के मूल्यों में गिरावट, जिसके परिणामस्वरूप तम्बाकू उत्पादकों को हो रही कठिनाई तथा उनकी कठिनाईयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम		

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

			पृष्ठ
डा० विप्लव दास गुप्त	....	....	223—229
	....	....	224
श्री अरुण कुमार नेहरू	....	...	234—237
श्री के० एस० राव		...	229—234
नियम 377 के अधीन मामले	....		237—240
(एक) विशाखापत्तनम में उप पत्तन स्थापित किए जाने की मांग			
श्रीमती उमा गजपति राजु	...		237
(दो) केरल में पुराने मत्स्यन बन्दरगाहों को फिर से चालू किए जाने तथा कालीकट ज़िले में चोम्बाला में एक नया मत्स्यन बन्दरगाह स्थापित किए जाने की मांग			
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	...	...	237—238
(तीन) फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड, कोचीन के प्रबन्धकों और कर्मकारों के बीच हुए समझौते का अनुमोदन किए जाने की मांग			
प्रो० के० वी० थामस	...	....	238
(चार) आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं को अधिक पारिश्रमिक दिए जाने तथा उनको उचित प्रशिक्षण दिए जाने की मांग			
श्री सरजू प्रसाद सरोज			238—239
(पांच) यह सुनिश्चित किए जाने की मांग कि स्टेनलेस स्टील बर्तन निर्माताओं द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानदण्डों का पालन किया जाए			
श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता	....	....	240
(छः) देश में खादी आश्रमों के कर्मचारियों की शिकायतों पर ध्यान दिए जाने की मांग			
श्री मित्रसेन यादव		....	239—240
(सात) सोन नहर में दरारों की मरम्मत किए जाने के लिए कदम उठाए जाने की मांग			
श्री रामेश्वर प्रसाद	....	...	240

			पृष्ठ
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण			240
नियम 193 के अधीन चर्चा	....	....	240—262
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों पर अत्याचार			
श्री के० डी० सुल्तानपुरी	....	...	240—243
श्रीमती बिमल कौर खालसा	....	....	243—244
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा	....	...	244—246
श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई चावड़ा	....	....	246—249
श्री तेज नारायण सिंह	....	....	249—252
श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दनन	....	....	252—255
श्री अमर रायप्रधान	...	....	257—260
श्री लेइता अम्बरी	....	....	260—262
मंत्री द्वारा वक्तव्य		....	256—257
समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिए राज सहायता में वृद्धि			
श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा			
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति			
तीसरा प्रतिवेदन-स्वीकृत		....	262—263
विधेयक पुरःस्थापित	...	...	
(एक) रोजगार गारन्टी विधेयक			
श्री भोगेन्द्र झा	...	....	263
(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 51 में संशोधन)			
श्री यमुना प्रसाद शास्त्री	...	....	263—264
(तीन) संविधान (अनुसूचित जातियों) आदेश (संशोधन) विधेयक (पैरा 3 का लोप, आदि)			
प्रो० के० वी० थामस	....	....	264
(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 171 में संशोधन)			
श्री वाई०एस० राजशेखर रेड्डी	....	....	264—265

पृष्ठ

(पांच) संविधान (संशोधन) विधेयक
(नए अनुच्छेद 15 क, आदि का अंतःस्थापन)
श्री हरीश रावत 265
वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक .... 265—289
(धारा 2, आदि में संशोधन)
विचार करने के लिए प्रस्ताव
श्री एन० टोम्बी सिंह .... 268—269
श्री ईश्वर चौधरी ... . 269—270
श्री वाई०एस० महाजन .... 270—271
श्री सन्तोष कुमार गंगवार .... 271—272
प्रो० महादेव शिवनकर 272
श्रीमती मेनका गांधी ... . 272—287
श्री हरिभाऊ शंकर महाले ... ... 287—289
युवा विधेयक ... 289—305
विचार करने के लिए प्रस्ताव
श्री हन्नान मोल्लाह .... 289—298
श्री हरीश रावत ... . 298—302
श्री युवराज ... ... 302—304
श्री राधा मोहन सिंह ... ... 304—305
सदस्य द्वारा त्यागपत्र ... 305—306

लोक सभा

गुरुवार, 26 अप्रैल, 1990/6 वैशाख, 1912 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

मानव शरीर पर कीटनाशक औषधियों का कुप्रभाव

[अनुवाद]

*615. श्री एदुआर्डो फलीरो : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पौधों तथा फसलों पर छिड़की जाने वाली कीटनाशक औषधियां मानव शरीर पर कुप्रभाव डालती हैं क्योंकि वे रिसकर खाद्यान्नों/खाद्य पदार्थों में पहुंच जाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार चाहती है कि जहां तक संभव हो सके कृमि नियंत्रण के लिए ऐसी कीटनाशी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाए जो कम समय तक ही बने रहते हों तथा जैविक दृष्टि से सरलता से प्रभावहीन हो जाते हों, ताकि खपत की वस्तुओं और पर्यावरण में कीटनाशी के अवशेषों के कारण खतरा कम से कम किया जा सके।

सरकार पौध रक्षण की कार्यनीति में मुख्य रूप से समेकित कृषि प्रबंध पर जोर देने का समर्थन कर रही है। इस कार्यनीति में खेती संबंधी, यांत्रिक और जीव वैज्ञानिक तकनीकों द्वारा कृमि और रोगों पर काबू पाने की बात सोची गई है। कार्यनीति को अपनाने से कृमिनाशी दवाइयों का विवेकपूर्ण और आवश्यकता पर आधारित उपयोग होता है।

सरकार ने ऐसी कृमिनाशी दवाइयों के भारत में उपयोगों की समीक्षा भी की है जिन पर विश्व में अन्य स्थानों पर रोक या प्रतिबंध लगा हुआ है।

श्री एडुआर्डो फलेरो : महोदय आखिरकार यह सारा कार्य माननीय मंत्री तथा उनके विभाग ने कर लिया है। परन्तु उदाहरण के तौर पर केवल दस दिन पहले उत्तर प्रदेश राज्य के बस्तर जिले के राजपुर गांव में करीब 200 लोग एक भोज के दौरान गेहूं के आटे में कीटनाशक दवाईयों के जहर के प्रभाव के कारण मर गए। 'इन्डिया टुडे' पत्रिका में भी इस खतरे को उजागर किया गया है। पिछले दिनों एक लेख द्वारा इस सम्बन्ध में जानकारी दी गई। इस लेख में प्रत्येक वर्ग प्रत्येक नागरिक और इस क्षेत्र के विशेषज्ञों की राय भी प्रकट की गई है। मैं "प्वाजिन इन योअर फूड" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित इस लेख में से जो कि 'इन्डिया टुडे' में प्रकाशित हुआ था; कुछ पंक्तियां उद्धृत कर रहा हूं :—

> "बार-बार करवाये गए सर्वेक्षणों से यह पता चलता है कि भारतीय प्रतिदिन विषैले कीटनाशकों से युक्त भोजन खाते हैं। इसके कारण उनको दिल की बीमारी, दिमाग, गुर्दे और फेफड़ों की बीमारी तथा कैंसर से ग्रसित होने का खतरा बढ़ जाता है।
>
> अध्ययनों से यह भी आश्चर्य जनक तथ्य सामने आया है कि जिस दिन से बच्चा स्तनपान आरम्भ करता है, उसी दिन से वह अपनी मां के स्तनों में जमा हुए कीटनाशकों को पीना शुरू कर देता है। बच्चों के लिए कुछ तैयार खाने भी विषाक्त होते हैं। हम धीरे-धीरे केवल अपने आपको ही जहर नहीं दे रहे बल्कि भावी पीढ़ियों को भी नष्ट कर रहे हैं....."

क्या सरकार को राष्ट्रीय कृमि नियन्त्रण नीति के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है? अगर हां, तो किस व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा यह प्रतिवेदन दिया गया है? कब तक राष्ट्रीय कृमि नियन्त्रण सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति तैयार हो जायेगी और माननीय मंत्री द्वारा सभा पटल पर रख दी जायेगी?

[हिन्दी]

श्री नाथू राम मिर्धा : अध्यक्ष जी, पेस्ट कंट्रोल कहां पर क्या असर छोड़ता है इसके बारे में कई तरह की स्टडीज हमारे देश में भी हुई हैं और होती रहती हैं। इसका असर शरीर में सबसे पहले पेट में होता है, उसके बाद खून में होता है और उसके बाद मां जो दूध पिलाती है उसके अन्दर भी होता है। यह तीन तरह के असर हैं और दुनिया में पैसटीसाईडस का ज्यादा यूज होने से कितनी मात्रा में इन चीजों का असर होता है, उसके भी कुछ आंकड़े हैं। हमारे देश में जो कुछ इन चीजों का असर हो रहा है, जो अध्ययन में आया है और अलग-अलग तरह की संस्थाओं ने समय-समय पर जो

अध्ययन किए हैं, अध्ययन करने से जो असर पता चला है वह अभी इतनी मात्रा में नहीं आया है जिससे कोई खतरे की बात हो। परन्तु इसके बारे में जागरूकता रखना, समय-समय पर टैस्ट करवाना और इन बातों का अध्ययन करना, यह विभाग का काम है, विभाग लगातार सतर्क है कि इन पैसटी-साईडस का यूज बिल्कुल नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मिर्धा जी, ये पूछ रहे थे कि गांव में भी लोग मर गए हैं। मैं आपका काम कर रहा हूं।

श्री नाथू राम मिर्धा : बस्ती के बारे में किस पैसटीसाईडस का किस स्टेट पर क्या असर हुआ, उसका ज्ञान इस विभाग को, जो कुछ भी रिपोर्ट है, उसमें अब तक नहीं है।

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फलीरो : मेरा प्रश्न बड़ा स्पष्ट था कि क्या सरकार को राष्ट्रीय कृमि नियन्त्रण नीति के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। अगर हो, तो किस के द्वारा यह अभ्यावेदन दिया गया है और कब तक यह नीति तैयार हो जाने की संभावना है?

अध्यक्ष महोदय : उसे ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री एडुआर्डो फलीरो : तब मुझे विशेषाधिकार का नोटिस देना पड़ेगा क्योंकि मुझे इस अभ्यावेदन की प्रति प्राप्त हुई है।

अब मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं। अपने उत्तर के अन्तिम भाग में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि कुछ कीटनाशक दवाईयों पर शक या प्रतिबन्ध लगा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत में उनके उपयोग की समीक्षा की जा रही है। अब ऐसी समीक्षा की आवश्यकता नहीं क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन ने ऐसी कीटनाशक दवाईयों की पहचान कर ली है जो कि विकसित देशों में प्रतिबन्धित हैं और नवउपनिवेशवाद के रूप में विकासशील देशों को निर्यात की जा रही हैं ऐसे कीटनाशकों जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन ने हानिकारक ठहराया है और विकसित देशों में प्रतिबन्धित है जैसे कि डी० डी० टी० तथा बी० एच० सी० इत्यादि, उनके आयात पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

[हिन्दी]

श्री नाथू राम मिर्धा : दुनिया में जो पैसटीसाईडस जहां पर बैन कर रखे हैं उन पैसटीसाईडस को काम में नहीं लेते हैं। हमने स्वयं अपनी पालिसी बनाई है जिसमें कुछ पैसटीसाईडस जो दुनिया में रिस्ट्रिकटेड हैं, हमारे यहां पर भी रिस्ट्रिक्टेड हैं। उन पैसटीसाईडस को ही काम में लेते हैं जिनको लिया जा सकता है।

उनको भी काम में लेने के लिये जैसा मैंने कहा कि एक पालिसी के हिसाब से मकैनिकली और बायोलोजिकली सब चीजों का मिश्रण करके ठीक ढंग से उनका उपयोग हो और ठीक ढंग से किसान उसका उपयोग करें, इन बातों की पूरे तौर से ज्ञान और जानकारी हमारे विभाग की तरफ से एक्सटेंशन सर्विस करवाने की कोशिश होती है।

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं आपसे अपने अधिकारों की सुरक्षा की मांग करता हूं। मेरा प्रश्न यह है कि डी० डी० टी० और बी० एच० सी० पर प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगाया गया है जबकि दुनिया में सभी विकसित तथा समाजवादी देशों में उन पर प्रतिबन्ध है?

[हिन्दी]

श्री नाथू राम मिर्धा : डी० डी० टी० और बी० एच० सी० के यूज के बारे में बहुत सावधानी बरती जाती है और उनका यूज बिल्कुल बंद करना अभी सम्भव नहीं है। यह बहुत सी चीजों में काम आती है, लेकिन सतर्कता से उसका उपयोग किया जाता है।

श्री वृज भूषण तिवारी : अध्यक्ष महोदय, इधर पैस्टीसाइड्स और इनसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल खाने की चीजों मे करने से कई भयंकर घटनाओं की जानकारी हमें प्राप्त हुई हैं। सबसे पहले बस्ती में इससे संबंधित घटना हमें सुनने को मिली। जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा कि 300 लोग इससे मर गये। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि 64 लोग मरे और 74 लोग अस्पताल में भर्ती हुए। अभी कल हरदोई में 300 लोग जो शादी में गये थे उसमें से 100 लोग विषाक्त भोजन खाने से प्रभावित हुए और वे अब अस्पताल मे भर्ती हैं। इधर लगातार ये घटनायें गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान में हो रही हैं। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि वह इसकी समीक्षा कर रहे हैं कि कौन सी जहरीली चीज से ज्यादा जहर का प्रभाव पड़ा है और तभी कोई कार्यवाही इस दिशा में हो सकती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1988 में जो बनर्जी कमेटी बनी थी और उस बनर्जी कमेटी ने कुछ सिफारिशें दी थीं, सरकार ने उनकी कितनी सिफारिशें लागू कीं और उसका क्या प्रभाव हुआ? यदि वे लागू ही नहीं की गई तो उसके क्या कारण हैं?

श्री नाथू राम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, पैस्टीसाइड्स का प्रयोग जब फसलें खेतों में खड़ी होती है तो उनको कीड़ों से बचाने के लिये उपयोग किया जाता है। दूसरा इनसेक्टिसाइड्स वगैरह कुछ ऐसी दवायें हैं जिन का उपयोग जब फसल घर में आ जाये तब उस पर छिड़काव करने के लिये या उन्हें कीड़ों आदि से बचाने के लिये किया जाता है। एफ० सी० आई० के गोडाउन्स में भी इनका उपयोग किया जाता है। बस्ती की घटना का जहां तक सम्बन्ध है खेत में खड़ी फसलों को कीड़ों से बचाने के समय इनका उपयोग करते समय उनकी मौत हुई, यह बात कतई सही नहीं है। इस कारण पेस्टीसाइड्स का दायरा इससे हट जाता है। अलग-अलग जगहों पर, कहां पर और कि . तरह की मौत से किस वजह क्या घटना हुई उसका जब तक विस्तार से परीक्षण न होकर ज्ञान और जानकारी न मिल जाये तब तक मैं यह कह दूं कि इसमें क्या मिला और किस वजह से कौन बीमार होकर मर गया तो मेरे लिये कहना सम्भव नहीं है। पेस्टीसाइड में ऐसा नहीं हो सकता है और जो खाना बनता है, उस खाने में इतना जहर आये कि वह मर जाये, ऐसा मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री वृज भूषण तिवारी : बनर्जी कमेटी के बारे में मंत्री जी ने कुछ नहीं बताया है।

श्री नाथू राम मिर्धा : बनर्जी कमेटी ने अच्छा काम किया है। सरकार ने उनकी बहुत सी बातों की जानकारी लेकर उसका उपयोग किया। यह कमेटी अभी भी काम कर रही है। इसलिये उनकी सिफारिशों पर गौर करके हम विचार करेंगे।

श्री वृज भूषण तिवारी : क्या उसे अभी अंतिम रूप नहीं मिला ?

श्री नाथू राम मिर्धा : अभी हमने एक और कमेटी बनायी है जो कि कॉनसीक्वेंटली इन सारी चीजों को देखती रहेगी। इसलिये वह सारी कार्यवाही उसी हिसाब से होगी। उनकी जानकारी का उपयोग सरकार करती है।

[अनुवाद]

श्री पी०आर० कुमारमंगलम : अध्यक्ष महोदय, सामान्यतः हमने देखा है कि एक मंत्रालय का मंत्री अथवा विभाग का प्रभारी मंत्री किसी दूसरे विभाग के मंत्री के स्थान पर प्रश्नों का उत्तर दे देता है और यह समझ में भी आता है। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ऐसा कर लिया जाता है। परन्तु, दुर्भाग्यवश, यहां ऐसा 'उनकी ओर से नहीं' हो रहा है। अगर हमें दिए गए प्रश्नों के उत्तरों को आप देखें तो इसमें लिखा है कि 'खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री'··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह देख लिया है और मैं इसकी जांच करवाऊंगा।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : महोदय, ऐसा नहीं है कि मिर्धा जी के प्रति मेरे मन में कोई दुर्भावना है, महोदय,···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आपने एक मुद्दा उठाया है और मैं इसकी जांच करवाऊंगा।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : महोदय, मैं मिर्धा जी से एक विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं। 'सैलफोस' नाम का एक बहुत ही घातक कीटनाशक है। यह एक प्रकार की गोली है जो कि उन गोदामों में प्रयोग की जाती है जहां कि गेहूं जमा किया जाता है। और इन गोलियों को उसी रूप में किसानों को बेच दिया जाता है और बहुत-बार इनका प्रयोग आत्म-हत्या के लिए किया जाता है। एक सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि भारत में लगभग आठ हजार लोगों ने 'सैलफोस' कीटनाशक गोली खा कर आत्महत्या की है। मुझे आश्चर्य है कि सरकार इस पर प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगा रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि बस्ती में जो जहरीला खाना खाने से जो मौतें हुई हैं, क्या उसकी अदालती रिपोर्ट आ गई है। हमें ऐसा लगता है कि यह एक प्रकार का कार्बनिक फासफोरस जैसा पदार्थ है परन्तु मैं इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा क्योंकि यह तो स्पष्ट है कि खाना कीटनाशक दवाईयों के प्रभाव के कारण ही विषाक्त हुआ था। हम यह जानना चाहेंगे कि वह कौन सा कीटनाशक था तथा क्या सरकार उस कीटनाशक पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार करेगी।

[हिन्दी]

श्री नाथू राम मिर्धा : अध्यक्ष जी, आपने एक पेस्टीसाइड का नाम लिया जो कि गोदामों इत्यादि में कीटाणुओं से बचाने के लिए अनाज पर छिड़की जाती है और प्राइवेट भी किसान इसको ले जाते हैं, चूहों से बचाने के लिए भी एक दवाई है, जिंक आक्साइड तो जो दवाइयां गोदामों में

अनाजों के संरक्षण के लिए काम में ली जाती हैं, एफ०सी०आई० के गोदामों में तो टैक्नीकल आदमी उसको काम में लेते हैं कि उसका किसी तरह असर हार्मफुल न हो, वहां टैक्नीकल आदमी ही इस काम को करते हैं। जहां तक प्राइवेट लोगों के यूज करने की बात है वह विधि सीखते हैं और अपनी बुद्धि के अनुसार वहां से विधि सीखकर आते हैं, उस तरह से उस दवाई को काम में लेते हैं। (व्यवधान);

[अनुवाद]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : आत्महत्या के लिए वे इस गोली का प्रयोग करते हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आत्महत्या करने के लिए टैबलेट खा लेते हैं।

श्री नाथू राम मिर्धा : देखिये, जहर कोई भी आदमी किसी भी तरह का खा ले तो जो मामूली जहर नहीं है, वह भी उसको खराब कर देगा क्योंकि अनाजों को बचाने के लिए आम तौर से जिस दवाई का आपने नाम लिया, वह दवाई टैक्नीकल आदमी अनाज को संरक्षण देने के लिए और कीड़ों से बचाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। प्राइवेट किसान भी उसका उपयोग करते हैं जो काम की बड़ी तादात में सोर करते है और टैक्नीकल लोगों से सीखकर उसको प्रयोग में लेते हैं लेकिन कोई गलती से न सीखे और सुनी सुनाई दवाई ले जाकर जैसे प्रयोग होनी चाहिए, वैसे न करे और गलत कर ले तो उसका असर तो होगा।.... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : आप इसे केवल लिखित निर्देशन पर ही क्यों नहीं देते ?

[हिन्दी]

श्री नाथू राम मिर्धा : मैंने आपसे कहा कि प्रेस्क्रिप्शन एक-एक आदमी कहां से ले, जहां से वह खरीद रहा है वहां कौन उसको प्रेस्क्रिप्शन देगा। जो दुकान होती है वह दवाई बेचता है और वह सीखना चाहे तो उसको दुकानदार बताकर देता है कि इसको इस तरह से काम में लेना है।

श्री राघवजी : माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह बताया है कि ऐसी बहुत सी प्रेस्टीसाइड्स और इन्सेक्टीसाइड्स हैं जो विदेशों में या तो प्रतिबन्धित हैं या रिस्ट्रिक्टेड हैं और यहां पर विचार किया जा रहा है कि यहां पर क्या करें। विदेशों में पिछले कई वर्षों से बहुत-सी पेस्टीसाइड्स और इन्सेक्टीसाइड्स प्रतिबन्धित हैं और हमारे देश में आ रही हैं और हमारी फोरेन एक्सचेंज उस पर खर्च हो रही है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे कौन-कौन से पेस्टीसाइड्स और इन्सेक्टीसाइड्स हैं जो विदेशों से भारत में आयात किये जाते हैं और उन पर आप प्रतिबन्ध लगाने पर कब विचार करेंगे ?

[हिन्दी]

श्री नाथू राम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां कौन सी दवाइयां कानून के नीचे परमिटेड हैं, उसका विवरण है और वही दवाइयां हम काम में लेते हैं। विदेशो में या किसी जगह या हम को जो सूट करने वाली दवाइयां नहीं है, उनका रिस्ट्रिक्शन इस देश में भी है। इसलिए हम उनका प्रयोग नहीं करते हैं। ये दवाइयां कानून के सैक्शन-93 के तहत परमिटेड हैं। वही पैस्टिसाइड्स काम में लेंगे और जो रिस्ट्रिक्टेड हैं, वे काम में नहीं लेंगे। दुनिया में अगर कहीं रिस्ट्रिक्टेड हैं, तो हमारे देश में हमारी जानकारी के अनुसार दो सूचियां हैं। सूची बहुत लम्बी है, आप चाहें तो पढ़ देता हूं, नहीं तो मैं रख दूंगा।

[अनुवाद]

श्रीमती उमा गजपति राजू : महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी कि यह सरकार केवल समितियों की सरकार है। उन्होंने कुछ दवाईयों पर प्रतिबन्ध लगाया है जिसे वास्तव में लागू नहीं किया जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन ने कुछ दवाईयों और कीटनाशकों पर प्रतिबन्ध लगाया है। परन्तु भारत सरकार यह कहती है कि प्रतिबन्ध लगाने पर विचार चल रहा है। जब अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन यह कहता है कि अमुक दवाई प्रतिबन्धित है तो भारत सरकार इन दवाईयों पर प्रतिबन्ध लगाने में देरी क्यों कर रही है? महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगी कि बी० बी० ओ० रसायन जिसका प्रयोग देय पदार्थों में होता है, उसे हमारी सरकार ने एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि दे कर प्रतिबन्धित कर दिया था। परन्तु इन प्रतिबन्धों को प्रभावशाली तरीके से लागू क्यों नहीं किया जा रहा है, चाहे ये प्रतिबन्ध देय पदार्थों के मामले में हो या कीटनाशकों के मामले में। अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन यह कहता है कि इन पदार्थों का उपयोग नहीं होना चाहिए, तो भारत सरकार इन पदार्थों का उपयोग क्यों करती है। यह हमारे स्वास्थ्य और हितों के प्रति उदासीनता का परिचायक है विकासशील देशों का शोषण है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री नाथू राम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने इस सवाल को पूछने में शुरूआत राजनीति से की और कहा कि यह सरकार कमेटीज की सरकार है। जब तक इस तरह का भाषण ये न दें, तब तक इनको कुछ होना रहता है। बाद में उन्होंने कहा है कि एक इजाजत को रोका हुआ था, उस की इजाजत यह सरकार दे रही है। मैं कहना चाहता हूं कि यह बिल्कुल असत्य है।

श्रीमती सुभाषिनी अली : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि अभी कुछ दिनों पहले बस्ती जिले में करीब दो सौ आदमी मर गए ···· **(व्यवधान)** ···· अभी कुछ दिनों पहले बस्ती जिले में कुछ लोग मर गए। उनकी मौत का कारण बताया गया है कि जिस गेहूं को उन्होंने खाया था, उसमें पेंस्टिसाइड्स के अवशेष रह गए थे। इस वजह से जहर उनके सिस्टम में आ गया और वे मर गए।

इसका मतलब यह है कि हमारे देश में जो पैस्टिसाइड्स आयात हो रहे हैं, वे हमारे देश की जनता के लिए खतरा बन रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि क्या यह सरकार कोई पैस्टिसाइड्स पॉलिसी फार्मूलेट करने के बारे में सोच रही है या नहीं? जिसमें तमाम तरह के विशेषज्ञों से सलाह ली जाए, मैडिकल एक्सपर्ट्स, साइंटिफिक एक्सपर्ट्स और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स—ऐसे लोगों को शामिल करके एक पैस्टिसाइड्स नीति बनाई जाए और मल्टीनेशनल कारपोरेशन को इजाजत न दी जाए कि वे हमारे देश की जनता को गिनी-पिगस बनाकर के न मारें।

श्री नाथू राम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने अच्छा भाषण दिया है। मैं उनके उत्तर में एक छोटा सा भाषण दूंगा···(व्यवधान)····

अध्यक्ष महोदय : आप जवाब दीजिए।

श्री नाथू राम मिर्धा : जवाब, मैं उस भाषण का दे रहा हू।

अध्यक्ष महोदय : भाषण को छोड़ दीजिए।

श्री नाथू राम मिर्धा : इसमें सवाल तो है नहीं। बस्ती जिले वाली बात है। जब गेहूं पैदा हो रहा था, ऐसी दवाई छिड़की गई, कृषि मंत्रालय के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। यहां तक उन्होंने पैस्टिसाइड्स के बारे में कहा है····(व्यवधान)····

अध्यक्ष महोदय : वे जानकारी हासिल करके बता देंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फैलीरो : यह तो अपमानजनक उत्तर है। हर व्यक्ति, हर समाचार पत्र कह रहा है कि वे मर चुके हैं लेकिन आप कहते हैं कि वे नहीं मरे। यह अत्याधिक दुर्भाग्यपूर्ण है।

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत : महोदय, यह एक गंभीर मामला है। इस पर आधे घंटे की चर्चा होनी चाहिए। मंत्री महोदय के उत्तर से अनेक नए प्रश्न उत्पन्न हो गए हैं। इसलिए आधे घंटे की चर्चा होनी चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : वह इसका उत्तर आज न दें। वह इसकी जांच करें और पता लगाएं, उसके बाद उत्तर दें। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री बसंत साठे : क्या आपने सवाल को समझा है? ये जो कीटनाशक दवाइयां आम बेची जा रही हैं, चाहे कोई भी उनको खरीद ले, इनके बारे में कोई पालिसी बनायेंगे? **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री शरद चन्द्र सोलंकर : जैसा कि श्री चटर्जी ने सुझाव दिया है, मंत्री महोदय को जांच

करनी चाहिए । ((व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नाथू राम मिर्धा : जहां तक दुर्घटनाओं का प्रश्न है वे आवान्न में पेस्टीसाईड की वजह से नहीं हुई । इस बात की जानकारी हमें मिली है । अगर इसके बारे में कोई हमारी गलती होगी तो हम उसका ठीक करेंगे । लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है । (व्यवधान)

श्रीमती सुभाषिनी अली : मेरा मुख्य सवाल यह था कि क्या सरकार राष्ट्रीय पेस्टीसाईड पालिसी फारमूलेट करने पर विचार करेगी ?

श्री नाथू राम मिर्धा : सरकार बराबर पालिसी को बनाती रही है और लगातार रिव्यू करती रही है और आगे भी करती रहेगी । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री पाण्डेय ।

राष्ट्रीय तिलहन विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन

+
*616 **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय**
श्री खुबिराम आर्गल } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारें राष्ट्रीय तिलहन विकास कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार की सहायता से कार्यान्वित कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों को वांछित किस्म के बीजों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए हैं; और

(ग) क्या सरकार का कोई ऐसा कानून बनाने का विचार है जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह सभी राज्य सरकारों को उनकी मांग के अनुसार बीजों की समय पर सप्लाई करे ?

[अनुवाद]

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) जी हां ।

(ख) बढ़िया बीजों का उत्पादन और उनकी समय पर पूर्ति करना राज्य सरकारों का प्राथमिक उत्तरदायित्व है । तथापि, आंचलिक बीज सम्मेलनों के माध्यम से बीजों की आपूर्ति करने वाली अनेक एजेन्सियों; जैसे राष्ट्रीय बीज निगम, भारतीय राज्य फार्म निगम, राज्य बीज निगम और भारतीय राज्य निगम, राज्य बीज निगम और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से केन्द्रीय स्तर पर बीजों की जरूरतें पूरा करने की व्यवस्था की जाती है ।

(ग) जी, नहीं । ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : मध्यप्रदेश एक बहुत बड़ा तिलहन उत्पादक प्रदेश है। उसने दूसरे राज्यों से कहीं अधिक उत्पादन किया है। इसमें मन्दसौर रतलाम जिले मुख्य: आते हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार बीज अधिनियम में यह बात शामिल करेगी कि केन्द्रीय बीज निगम राज्य सरकारों को वांछित मात्रा में बीज दे और राज्य सरकारें वह बीज लें ?

श्री नाथू राम मिर्धा मैंने कहा है कि चार आरगेनाइजेशंस—नेशनल सीड्स कारपोरेशन, स्टेट फार्म्स कारपोरेशन आफ इंडिया, स्टेट सीड्स कारपोरेशंज और आई०सी०ए०आर० काम कोआर-डिनेशन करना और बीज पैदा करना एवं वितरण करना है। ये सब मिल-बैठ कर तिलहन बीजों की आवश्यकता पर विचार करते हैं और उस हिसाब से अपने फार्म्स पर बीजों का उत्पादन करते हैं, बेसिक सीड, उसके बाद उनका मल्टीप्लीकेशन करके, राज्य सरकारों की मांग के अनुसार उनको सप्लाई करते हैं। ये चारों सस्थाए मिलकर बीज सप्लाई करने का काम करती हैं।

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय बीज अधिनियम केन्द्रीय अधिनियम है, क्या इसके बारे में सरकार विचार करेगी कि उनके प्रावधानों का पालन हो। इस हेतु मंत्री महोदय ने इन्कार किया है, मैं जानना चाहता हूं कि इस अधिनियम में इस प्रकार का प्रावधान करेंगे, ताकि बीज की सप्लाई को सुधारा जा सके। हमारे यहां सोयाबीन और सूरजमुखी का कार्यक्रम लिया गया, उसका उत्पादन भी अच्छा हुआ, लेकिन वहां पर बीज सप्लाई पूरी नहीं हो रही है। क्या इन संस्थाओं के लिए बीज सप्लाई करना अनिवार्य किया जाएगा, यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : जो कानून बना हुआ है, अभी उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, क्योंकि बीज सप्लाई का काम अच्छी तरह से हो रहा है। ये सब संस्थाएं मिल-जुल कर आइल सीड्स की मांग को देखते हुए पूर्ति करती हैं। इनकी सहायता से आइल सीड्स का उत्पादन बहुत बढ़ा है। मध्यप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा आदि कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें तिलहन उत्पादन काफी बढ़ा है और अभी तक बीज की कोई शिकायत नहीं मिली है। पहले बैठकर कार्य-क्रम बनाया जाता है कि कितनी बीज की मांग है, राज्यों की मांग के अनुसार बीज का उत्पादन करके सप्लाई किया जाता है। कौन-सा सीड कितना देना है, यह देखना केन्द्र सरकार का काम है।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : मेरा स्पेसिफिक प्रश्न यह था कि मध्यप्रदेश में वांछित मात्रा में बीज की सप्लाई नहीं की गई है, जिससे तिलहन उत्पादन कार्यक्रम पर बुरा असर पड़ा है।

श्री नाथू राम मिर्धा : मेरे पास इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई है। यदि कोई शिकायत आएगी या आप जानकारी देंगे तो उसको ठीक किया जाएगा।

श्री छविराम अर्गल : अध्यक्ष महोदय, भिण्ड, मुरैना, चम्बल क्षेत्र मध्यप्रदेश में सर्वाधिक

तिलहन उत्पादन क्षेत्र है और देश में भी इसका अधिक उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में नाम है। यहां बड़ी मात्रा में तिलहन संग्रह भी होता है और दूसरी जगहों को तिलहन की सप्लाई भी होती है। क्या सरकार चंबल क्षेत्र में राष्ट्रीय बीज निगम या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् आदि की कोई संस्था वहां पर खोलेगी, ताकि तिलहन उत्पादक क्षेत्रों को सुलभता से तिलहन बीज उपलब्ध हो सके, क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सदस्य ने मध्यप्रदेश में तिलहन के अच्छे उत्पादन की जानकारी दी, वहां पर ज्यादा बीज उपलब्ध कराने के लिए कहा, मैं समझता हूं कि राज्य सरकार आदि उचित समझती है तो वहां पर बीज भण्डार खोलने के लिए राष्ट्रीय बीज निगम से आग्रह करना चाहिए। यदि कोई कठिनाई आती है तो राज्य सरकार केन्द्र सरकार को कहे, हम इसमें अवश्य उनकी मदद करेंगे। (व्यवधान)

श्री छविराम अर्गल : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ प्राइवेट एजेंसीज घटिया बीज सप्लाई करती हैं, जिसका उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और भारी क्षति उठानी पड़ती है। किसानों को अच्छे बीज मिल सकें, क्या सरकार इस तरह का प्रबन्ध करेगी।

श्री नाथू राम मिर्धा : बीज बेचने का अधिकार प्राइवेट दुकानों को भी है, उनको बीज के पैकिंग पर मार्का दिखाना होता है, तभी बीज बेचा जा सकता है। अगर कोई बीज घटिया हो तो इसके लिए कानून बना हुआ है, उसके तहत कार्यवाही की जाती है।

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव : महोदय, इस देश में किसानों के पास पर्याप्त जानकारी, क्षमता तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की क्षमता होने तथा तिलहन का उत्पादन करने की क्षमता होने के बावजूद, देश खाद्य तेल आयात करके हजारों करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा गवां रहा है।

प्रौद्योगिकी मिशन पहले ही आन्ध्र प्रदेश में इस क्षमता का पता लगा चुका है। राज्य बीज निगम अथवा अन्य सरकारी संगठन द्वारा सप्लाई किए गए बीजों की गुणवत्ता के बारे में लगे आरोपों से हम सभी अवगत हैं। देश में सर्वश्रेष्ठ किसानों का पता लगाने और उन्हें पुरस्कार देने का तरीका पहले से ही है, इसे देखते हुए क्या मंत्रालय और सरकार इस बारे में विचार करेंगे कि इन किसानों द्वारा अपने ही क्षेत्रों में तिलहन के उत्पादन के लिए उन्हें प्रोत्साहन और पुरस्कार दिया जाए ताकि उनमें इस बात के लिए निष्ठा रहे गर्व तथा संतोष हो कि वे अच्छी गुणवत्ता वाले तिलहन का उत्पादन कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री नाथू राम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने विदेशी मुद्रा से शुरू किया है। देश की विदेशी मुद्रा अभी तक तेल का आयात करने पर खर्च की जाती है। इस सरकार को चिन्ता है।

आपके वक्त में 18 लाख टन तक तेल मंगवाया गया। तेल उत्पादन में 8 से 10 लाख टन की कमी है। इस देश में अभी तक जो 14 लाख टन तेल है उसको ऐडीबल ऑयल बनाने की आवश्यकता है। इसका प्रोग्राम बनाकर कार्यवाही चल रही है। चाहे पाम लगाने की बात हो, केकस को डी—ऑयल करने की बात हो या चावलों के भूसे से तेल निकालने की बात हो। तेल का 14 लाख टन का जो पोटेंशियल है, जो अभी 7-8 लाख टन है, को मीट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए प्रोग्राम है। उसके बाद आपने जो जोर दिया कि जिन किसानों ने उन्नत बीज काम में लाकर ज्यादा तिलहन बढ़ाया है, ऐसे काश्तकारों को ईनाम देकर या उनको सहूलियतें देकर क्या सरकार उनकी मदद करना चाहती है, मैं आपकी राय से सहमत हूं। तिलहन का बंटवारा हम छोटे किसानों को भी करते हैं। उनको मिनी किट्स देते हैं, खाद देते हैं बीज देते है। हम छोटे को भी देखते हैं और मोटे को भी देखते हैं। जो किसान तेल बढ़ाने की मदद करता है उसकी सरकार इज्जत करती है और ऐसे काश्तकारों को राष्ट्रीय पुरस्कार देती है।

श्री मित्रसेन यादव : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि तेल, तिलहन की जो कमी है उसकी पूर्ति के लिए जो केन्द्रीय सरकार प्रांतीय सरकारों की तिलहन उत्पादन में मदद कर रही है और इस मदद से उत्तर प्रदेश के अन्दर जो योजनाएं तिलहन उत्पादन के लिए लागू करवायी हैं उससे कितने प्रतिशत उत्पादन बढ़ा है और तेल आपूर्ति के काम को पूरा किया है ?

श्री नाथू राम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, इन योजनाओं को लागू करने पर कितना तेल और तिलहन बढ़ा है इसका उत्तर उत्तरप्रदेश के लिए अलग से तैयार नहीं है। परन्तु देश में तिलहन का उत्पादन बढ़ा है, तेल का उत्पादन बढ़ा है, यह कितना बढ़ा है, इसकी सूचना मेरे पास है। साथ हां, सीड की जो जरूरत है और जितना दे पाए हैं उसका विवरण भी मेरे पास है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं मिल रही है तो बाद में बता देना।

श्री मित्रसेन यादव : क्या मंत्री महोदय को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में इस तिलहन के तेल में विषाक्त पदार्थ होने से बस्ती में 150 लोग मारे गये हैं....

अध्यक्ष महोदय : वह बार-बार आ चुका है। आप बैठ जायें मि० कालवी।

श्री कल्याण सिंह कालवी : मैं इतनी जानकारी चाहता हूं कि सरसों के अन्दर इस तरह की विकसित किस्म आई है जिसके अन्तर्गत प्रति एकड़ पैदावार भी बढ़े और उत्पादित माल से तेल भी ज्यादा निकले और सरसों के तेल में जो कड़वाहट है वह सीड के अन्दर समाप्त हो, क्या इस तरह की किस्म विकसित की जा रही है ? यदि नहीं की जा रही है तो दूसरे देशों से क्या ऐसी किस्म के बीज का आयात करने की कोई योजना है ?

श्री नाथू राम मिर्धा : मस्टर्ड सीड के बारे में दुनिया में बहुत वैराइटीज हैं। जिसके अन्दर यूरिक एसिड का दो प्रतिशत कटेंट है, वह हटाया जा सकता है या नहीं इस पर विचार हो रहा है। अपने यहां पर मस्टर्ड आयल सीड में आयल कटेंट करीब 37-38 प्रतिशत है, दुनिया के दूसरे देशों

के सीड में आयल कटेन्ट 42-43 प्रतिशत है, इसके बारे में भारत सरकार जागरूक है। जो तिलहन बाहर से लाये हैं उसके बारे में आई सी ए आर या दूसरी संस्थायें बीज को सुधारने पर ध्यान दे रही है और उसका कैसे वितरण किया जा सकता है, उसके लिए निश्चित कार्यक्रम बन रहा है।

[अनुवाद]

श्री बालगोपाल मिश्र : यह एक विशाल देश है जिसमें विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्र हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा :

(क) क्या सरकार तिलहन के विकास के लिए विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में छोटे अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लेगी।

(ख) माननीय मंत्री ने कहा कि "हम छोटे और सीमान्त किसानों को बीज भेज रहे हैं।" लेकिन व्यावहारिक रूप में यह पाया गया है कि छोटे और सीमान्त किसानों के लिये रखे गये बीज और उर्वरक इत्यादि मौसम की समाप्ति के बाद किसानो को मिलते हैं। आमतौर पर इन्हें बाजार में बेच दिया जाता है। अथवा किसान इनका उपभोग कर लेता है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि सरकार द्वारा प्राप्त आंकड़े मनघड़न्त हैं।

[हिन्दी]

श्री नाथू राम मिर्धा : यों तो सरकारी आंकड़ों को गलत कहेंगे तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि देश में तिलहन की योजनाओं को लागू करने के बाद तिलहन का बहुत उत्पादन बढ़ा है। सब चीजों का कितना उत्पादन बढ़ा है। सब चीजों का कितना उत्पादन बढ़ा है और तेल का कितना बढ़ा है यह मैं आपको बताता हूं। 1985-86 में 190 लाख हेक्टेयर जमीन तिलहन के लिये थी, पैदावार थी। 108.3 लाख टन और प्रोडक्टिविटी एक हेक्टेयर में 570 के. जी. थी। 1986-87 में 186।

[अनुवाद]

श्री बालगोपाल मिश्र : मेरा प्रश्न इससे भिन्न है।

[हिन्दी]

श्री नाथू राम मिर्धा : आप एग्रो क्लाइमेटिव सेंटर्स की बात कर रहे हैं वह या आई. सी. ए. आर. आदि दूसरे रिसर्च सेंटर्स हैं या बीज जहां बांटा जाता है एरिया के हिसाब से, ये रिसर्च सेंटर बने हुए हैं। उनमें जो बीज जिस इलाके में काम आता है उसके बारे में सब बातों पर रिसर्च होती है और फन्डामेंटल बीज तैयार किये जाते हैं यह कोई नई बात नहीं है कि एग्रो क्लाइमेटिव सेंटर्स में इसी तरह का काम किया जाये।

भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान, इज्जतनगर में दुग्धशाला

*617. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर किसी कम्पनी के सहयोग से बूचड़खाना खोलने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह बूचड़खाना खोले जाने क्या कारण है ?

[अनुवाद]

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : माननीय अध्यक्ष जी, जो उत्तर मुझे मिला है, वह बढ़िया है। अब मैं क्या कह सकता हूं। आई. वी. आर. आई. हिन्दुस्तान का ही नहीं, विश्व का एक प्रमुख स्थान है और पिछले पांच वर्षों से जो कुछ वहां हो रहा है, उसके बारे में कम से कम दो दर्जन ज्ञापन सम्बंधित मंत्री को दिये गये हैं। आरोप एक नहीं, 20-25 लगाये गये हैं। इसके पहले भी मैंने प्रश्न किया और हर बार यही उत्तर मिला है कि स्लाटर हाउस के बारे में प्रश्न नहीं उठता है। मेरे पास वहां के मिनिट्स की रिपोर्ट है जिसके अन्दर मिस्टर अलाना के साथ पूरी कार्रवाई हुई दस्तखत हुए तब पूरा प्रासेस हुआ और अब केवल एक लाईन में उत्तर मिलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हू कि या तो मेरे कागज गलत हैं या मझे जवाब ठीक से नही दिया जा रहा है। मैं मंत्री जी से फिर पूछना चाहता हूं कि इन्होंने जो उत्तर "नो सर" दिया है तो क्या इस संबंध में कोई चर्चा या प्रगति पिछले दो वर्षों में हुई है या नहीं ?

श्री नाथू राम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने पहले कहा कि कार्रवाई हुई या नहीं ? कोशिश की गयी है कि इज्जतनगर में एक बूचड़खाना खोला जाये जो मांस वगैरः को अच्छी तरह से प्रासेस करे जिसमें भैंस के मांस को साईन्टिफिकली पैक करने के संबध में भी बातें उठाई गई हैं। जैसा कि इन्होंने आई. वी. आर. आई. का जिक्र किया कि वहां एक कम्पनी आयी, उसने यूनिवर्सिटी के लोगों से बातें की कि हमको यहां एक मांस का कारखाना लगाना चाहिये, हम आपके कालेबोरेशन में रहेंगे, धन भी देंगे और इस काम को करेंगे और जैसा कहा गया कि इकनामिकली दृष्टि से इज्जतनगर दुनिया का एक माना हुआ जानवरों की रिचर्स करने का सेन्टर है। इन एक्टीविटीज को कुछ समय से वहां के अधिकारीगण कम्पनी से मिलकर भैंस के बूचड़खाने को लगा रहे थे, इसमें कमेटियां हुई, मीटिंग भी हुई, इसके पश्चात् अल्टीमेटली जो निर्णय हुआ, उस सवाल का मैंने उत्तर दे दिया है। इसलिये पुरानी बातों को उठाने से कोई लाभ नहीं है।

श्री संतोष कुमार गंगवार : मेरा दूसरा सवाल यह है कि आई. वी. आर. आई. के संदर्भ में बहुत-सी चर्चा चल रही है। स्वयं यू. आई. डी. के चेयरमैन डा. राव ने कहा था कि वहां भट्टाचार्जी

ने अपनी जागीर बना ली है और यह बात वास्तव में सही है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि मि० अलाना ने दो लाख रुपये श्री भट्टजी को इस काम के लिए भेंट किये थे तो मेरा सवाल यह है कि क्या पिछली रिपोर्ट के आधार पर आई० वी० आर० वी० के सम्बन्ध में कोई जांच सी० बी० आई० के द्वारा हुई है क्योंकि भट्टजी का ट्रांसफर हो गया है और अदालत से स्टे ले लिया है। वे अपने को छिपाना चाहते हैं। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसी कोई जांच हो जिससे सही तथ्य जनता के सामने आ सकें और उनका विश्वास पैदा हो सके।

श्री नाथू राम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने जो शिकायतें या आरोप बताये हैं, इसका ज्ञान मुझे नहीं है क्योंकि अगर यह प्रश्न अलग से पूछते तो मैं उसके आधार पर जवाब देता।

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आई० वी० आर० आई० में पिछले कई वर्षों से घोटाले और झगड़े चल रहे हैं। मैंने पिछली बार भी यहां पर मांग की थी कि सैण्ट्रल ऑडिट से भी वहां की शिकायतें आयी हैं और मैंने शून्यकाल में भी मंत्री महोदय से इसके बारे में पूछा था। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इन सारे घोटालों की एक बार जांच हो जाये जिसके संबंध में मैंने पहले भी सी० बी० आई० से जांच कराने की बात कही थी तो क्या सी० बी० आई० से जांच कराकर दूध का दूध और पानी का पानी कराएंगे ताकि ये सारे झगड़े ही खत्म हो जायें।

श्री नाथू राम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, यदि सीधा यह सवाल पूछ लेते तो उसी हिसाब से मैं तैयारी करके आता उसी हिसाब से जवाब भी देता। अब सवाल पूछा कि बूचड़खाना लगाया जा रहा है या नहीं और अब इसमें आ गया भट्ट जी को रुपया मिला। तो मेरा यह कहना है कि यह सारी बात इससे संबंधित नहीं है।

श्री राजवीर सिंह : मैं पूछ रहा हूं कि सी० बी० आई० की जांच करायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी इस समय तैयार नहीं हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कैसे कह दें कि सी० बी० आई० की जांच होगी ? जब पूरे तथ्य मालूम नहीं हैं।

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मैंने आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछा था कि इस प्रश्न को कई बार यहां उठाया जा चुका है। क्या मंत्री जी, दूध का दूध और पानी का पानी, करने के लिये इस प्रकरण की जांच करायेंगे, क्या वे जांच के लिये तैयार हैं ? जांच कराने के लिये कौन-सी तैयारी करके आने की जरूरत है, कौन-सी तैयारी करके आना पड़ेगा।

श्री नाथू राम मिर्धा : मुझे किसी जांच करवाने में कोई डर नहीं है परन्तु जब तक मेरे सामने तथ्य न हों तो क्या मैं हवा में कह दूं कि जांच कराऊंगा।

श्री राजवीर सिंह : माननीय मंत्री जी को इतनी जानकारी तो होनी चाहिये क्योंकि आप कृषि मंत्री जी के बिहाफ पर जवाब दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये, मैंने आपको इजाजत नहीं दी है।

श्री वसंत साठे : अध्यक्ष जी, इण्डियन वेटेरिनरी रिसर्च इंसटीट्यूट है, वहीं कई स्लॉटर हाउस इस देश में हैं, देश की भिन्न-भिन्न जगहों पर हैं, जैसे बम्बई का बड़ा प्रसिद्ध है, कलकत्ता में भी है, दूसरी कई जगहों पर हैं, उनमें जिस बेरहमी से पशुओं का कत्ल होता है उन्हें स्लॉटर किया जाता है, आम लोग जानते हैं कि वहां अच्छे जानवरों को लाकर काटा जाता है, जो अनेक प्रकार से कृषि के लिये उपयुक्त होते हैं। सर, देश में अच्छे बैलों को वहां तक ले जाकर, स्लॉटर हाउस के नजदीक पहुंच कर उनके पहले पैर काटे जाते हैं, टांगें तोड़ने के बाद उन्हें जख्मी बनाया जाता है, बेकाम घोषित किया जाता है और बेकाम करने के बाद, नियमों के अन्तर्गत उन्हें स्लॉटर हाउस को बेचा जाता है और इस तरह विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिये इस देश में पशुओं का बुरी तरह स्लॉटर हो रहा है। सब लोग जानते हैं कि वहां ऐसे ऐसे जानवरों को स्लॉटर किया जाता है जो कृषि के लिये सर्वथा उपयुक्त होते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इज्जतनगर स्थित आपके इन्सटीट्यूशन ने इस मामले में क्या रिसर्च की है कि अच्छे बैलों को कटने से बचाया जा सके। यदि कोई रिसर्च की है तो वे किस नतीजे पर पहुंचे हैं और किस तरह से अच्छी नस्ल के पशुओं को कत्ल होने से रोकने का प्रयत्न किया जा रहा है, यही मैं जानना चाहता हूं।

श्री नाथू राम मिर्धा अध्यक्ष महोदय, मैं साठे साहब की जानवरों के प्रति दया और अच्छे भाव से प्रभावित हूं। मैं उनसे सहमत हूं कि अच्छी किस्म के जानवरों को बूचड़खाना में जाने से रोका जाना चाहिये। वैसे तो इस काम के लिये देश में अनेक संस्थाएं कार्यरत हैं, जो जानवरों को बचाने में लगी हैं, साथ-साथ लोगों में ऐसी भावना पैदा की जा रही है ताकि अच्छी नस्ल के जानवरों को बचाया जा सके ...(व्यवधान)....अब प्रश्न यह है कि इज्जतनगर का इन्सटीट्यूट इस कार्य में लगा है कि जानवरों की नस्ल कैसे सुधारी जाये, जानवरों में कौन-कौन-सी बीमारियां होती हैं, उन्हें बीमारियों से कैसे बचाया जाये। जानवरों को क्या पौष्टिक आहार दिये जायें, क्या दूसरी चीजें दी जायें ताकि उनकी जीन्स को सुधारा जा सके, उनकी नस्ल सुधारी जा सके। उस इन्सटीट्यूट का बुनियादी रूप से यही काम है। सरकार की भी नीति है कि अच्छी नस्ल के जानवर बूचड़खाने में न जाने पायें परन्तु कुछ दुष्ट प्रवृत्ति या दुश्चरित्र के लोग, कानून का उल्लंघन करके, अच्छे जानवरों के पैर तोड़कर उन्हें बूचड़ करने के लिये प्रेरित करते हैं तो राम के घर जाकर उन्हें अवश्य लेखा देना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि देश में यह काम जोरों से हो रहा है।

[अनुवाद]

डा० असीम बाला : महोदय, मांस के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। इससे 100 करोड़ रुपये से भी अधिक की विदेशी मुद्रा अर्जित हो रही है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या बूचड़खाने अन्य राज्यों में भी खोले जाएंगे क्योंकि लोगों को स्वास्थ्यवर्धक तथा स्वच्छ मांस की जरूरत है।

[हिन्दी]

श्री नाथू राम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष जी, कहीं बूचड़खाने को खोलने का प्रश्न अलग है।

इसमें कई बातें ध्यान में रखी जाती हैं, जैसे बूचड़खाना वैज्ञानिक हो. उसमें पशुओं का कत्ल बिना दर्द के किया जाये; और उनके अवयवों को इस तरीके से अलग-अलग किया जाये ताकि विदेशी मुद्रा भी कमायी जा सके, यही हमारी पौलिसी है। कई जगह ऐसे जानवर भी कटते हैं, जिसे लेकर लोगों में ऐतराज है कि वे नहीं कटने चाहिये। सब तरह की परिस्थितियों में बूचड़खाने वैज्ञानिक हों और वैज्ञानिक तरीके से चाहे बकरी हो, भेड़ हो, भैंसा हो और चाहे भैंस हो, उनको बिना दर्द के काटा जाए, सही तरह से मांस की पैकिंग हो, बाहर जाता है, तो बाहर भेजा जाए, यहां खाने वाले हों, तो उनको बेचा जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या : 618, श्री समरेन्द्र कुण्डू। अनुपस्थित।

श्री हरीश रावत : साहब, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा लगता है कि कुण्डू साहब, जान-बूझकर, चूंकि गृहमंत्री जी नहीं हैं, इसलिए एबसेण्ट हो गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं यह कोई बात नहीं।

भागलपुर दंगों से प्रभावित व्यक्तियों को राहत एवं उनका पुनर्वास

*619. **श्री रामेश्वर प्रसाद** : क्या गृह मंत्री भागलपुर दंगों से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता के बारे में 29 मार्च, 1990 के तारांकित प्रश्न संख्या 266 के उत्तर के सम्बन्ध यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भागलपुर दंगों से प्रभावित व्यक्तियों को राहत एवं अनुग्रह राशि के रूप में जो धनराशि दी गई है, वह पर्याप्त और संतोषजनक है; और

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को राहत दी गई है अथवा कितने व्यक्तियों का पुनर्वास किया गया है तथा कितने क्षतिग्रस्त मकानों का पुनर्निर्माण किया जाना है अथवा मरम्मत की जानी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

भागलपुर दंगों के शिकार हुए लोगों की सहायता तथा उनके पुनर्वास के बारे में 26 अप्रैल, 1990 के लिए श्री रामेश्वर प्रसाद द्वारा पूछा गया लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 619 के सबंध में विवरण।

(क) और (ख) बिहार सरकार द्वारा 111 मामलों में प्रत्येक मृतक के निकट सम्बन्धी को 1.00 लाख रुपए की दर से अनुग्रह राशि दी गई है। कुल 12885 मकानों का सर्वेक्षण किया गया

है और 10245 प्रभावित व्यक्तियों को 2.56 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने 1000 हथकरघा बुनकरों को, 3000/रु० प्रति बुनकर के हिसाब से और 250 पावरलूम बुनकरों को 8000/रु० प्रति बुनकर के हिसाब से बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने का भी निर्णय किया है।

इसी प्रकार, भागलपुर दंगों के शिकार हुए लोगों के लिए प्रधान मन्त्री राहत कोष से स्वीकृत की गई एक करोड़ रुपये की राशि में से, दंगों में मारे गये व्यक्तियों के परिवारों को 10,000/रुपये प्रति परिवार की दर से देने के लिए 50.00 लाख रु० निर्धारित किए गए हैं। यह राशि, राज्य सरकार द्वारा एक लाख रुपये प्रति व्यक्ति की दर से दी जा रही अनुग्रह राशि की राहत राशि के अतिरिक्त है। प्रभावित बुनकरों को कच्चा-माल खरीदने हेतु 1500 रुपये प्रति हथकरघा बुनकर तथा 5,000/रु० प्रति पावरलूम बुनकर के हिसाब से अनुदान राशि दी जा रही है। इस प्रयोजन हेतु 27.50 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है। शेष 22.50 लाख रुपए की राशि भागलपुर के छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधाएं बढ़ाने के लिए निर्धारित की गई हैं।

जहां तक दंगा पीड़ितों को दी गई अनुग्रह सहायता की पर्याप्तता या इस बारे में उनकी सन्तुष्टि का प्रश्न है, इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि मानव जीवन की क्षति और उसके दुखों को धन के पहलू को ध्यान में रखकर नहीं नापा जा सकता है। सरकार दंगा पीड़ितों को हर संभव सहायता प्रदान करने तथा उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है।

श्री रामेश्वर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें उन्होंने प्रभावित लोगों को, जिनके मकान या हैंडलूम के हथकरघे दंगों में बर्बाद हुए हैं, उनको मुआवजा देने की बात कही है लेकिन हम वहां क्षेत्र में जाकर घूमे हैं, वहां दुकानें भी जली हैं और वे दुकानें खासकर के गरीब लोगों द्वारा खोली गई थीं, ऐसी 157 दुकानें जली हैं, जिनके बारे में उन्होंने अपने बयान में कोई चर्चा नहीं की है। हम वहां डी० एम० से मिले, तो उन्होंने कहा कि जिन दुकानदारों के पास दुकानों का लाइसेंस होगा या जिन्होंने अपनी जमीन में दुकानें खोली हुई थीं उनको हम अनुदान देंगे। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वहां पर ऐसे बहुत से दुकानदार थे जो रेलवे की भूमि पर, पी० डब्ल्यू० डी० की भूमि पर और गैर-मजरुआ जमीन पर, बिना लाइसेंस के अपनी दुकानें खोले हुए थे और उनकी दुकानें उस दंगे में आग लगने से जलीं, तो क्या ऐसे लोगों को भी अनुदान देने जा रहे हैं ?

श्री सुबोध कान्त सहाय : मान्यवर, जहां तक दुकानों के जलने का सवाल है, जितने लोगों के केस रजिस्टर हुए हैं, उनको देखते हुए, शुरू-शुरू में यह काम रुका रहा क्योंकि बहुत से लोग दंगे के कारण उस इलाके को छोड़कर भाग गए थे। जो क्लेम करने वाले लोग आ रहे हैं, उनको रीहैबिलिटेट किया जा रहा है। इस काम के लिए 10 एडीशनल कलेक्टर रैंक के पदाधिकारियों को पदस्थापित किया गया है और वे युद्धस्तर पर उसको मानिटर करने का काम कर रहे हैं। जो दुकानें लिस्ट में हैं, जो दंगों में प्रभावित हुए हैं, उनको वहां जरूर रीहैबिलिटेट किया जाएगा।

श्री रामेश्वर प्रसाद : जो लोग दंगे में मारे गए हैं, मैंने डी० एम० से पूछा था कि दंगे में मरने वाले लोगों की सूची आप कैसे तैयार कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों की एफ०आई०आर०

नहीं हुई है, पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि अंचलाधिकारी मुखिया से पूछकर रिपोर्ट तैयार करेंगे। लेकिन बहुत सारे मुखिया ऐसे हैं जिन्होंने बच्चों को मारकर भाले की नोक पर टांगा है, वे मुखिया क्या रिपोर्ट देंगे ? हम भारत सरकार से जानना चाहेंगे कि थाने में जो जन्म तिथि और मरण तिथि है उसको देखकर क्या मरने वालों को अनुदान राशि देंगे ?

श्री सुबोध कान्त सहाय : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने सही राय दी है। मुखिया या उस इलाके के और लोग या जो सरकारी नौकरी में लिम्टेड हैं, उनके नाम होंगे तो उनको भी कन-सीडर करके राशि दी जाएगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सीमा सुरक्षा बल द्वारा रोहतक में पुलिस लाइन्स की घेराबन्दी

]अनुवाद]

*618. **श्री समरेन्द्र कुण्डू** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सुरक्षा बल ने रोहतक में पुलिस लाइन्स की घेराबन्दी की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या हरियाणा पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के बीच संघर्ष हुआ था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दूरसंचार सुविधाओं का विकास करने के लिए विदेशों के साथ सहयोग

[अनुवाद]

*620. **श्री इरा अम्बारासु** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार सुविधाओं का विकास करने के लिए पिछले दो वर्षों में किसी अन्य देश के साथ सहयोग के कोई समझौते किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) जी हां। दूरसंचार विभाग ने 1.4.88 से 31.3.90 तक की अवधि के दौरान सहयोग के लिए निम्नलिखित समझौते किए हैं :—

(1) प० जर्मनी की कंपनी "क्रोन" के साथ केबिल टर्मिनल बाक्स के लिए।

(2) जापान की कम्पनी "तमूरा" के साथ कायन/टोकन एस० टी० डी० पे-फोन के लिए।

(3) जापान की एन० ई० सी० कम्पनी के साथ 6 जी० एच० बैंड और० 13 जी० एच० जेड० माइक्रोवेव उपस्कर के लिए।

(4) डेनमार्क की कम्पनी "एन० के० टी०" के साथ आप्टिकल फाइबर के बिल एवं लाइन उपस्कर के लिए।

सी-डाट के बारे में नाम्बियार समिति की रिपोर्ट

*622. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन
श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति } : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र (सी-डाट) के सम्बन्ध में नाम्बियार समिति के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं तथा सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या सरकार ने सी-डॉट परियोजनाओं को कार्यान्वित न करने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे किस सीमा तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) सरकार को सण्टर फार डिवलपमेंट आफ टेलीमेटिक्स पर गठित नाम्बियार समिति की रिपोर्ट तथा साथ ही समिति के चार सदस्यों की असहमति टिप्पणी प्राप्त हुई है। इन रिपोर्टो की जांच की जा रही है। समिति की सिफारिशों और सरकार के निर्णय को, जांच प्रक्रिया पूरी हो जाने तथा सरकार द्वारा निर्णयों को अंतिम रूप दे दिए जाने पर संसद में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

उड़ीसा में नए टेलीफोन एक्सचेंज

*623. श्री अनादि चरण दास : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990-91 के दौरान उड़ीसा में कुछ नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) नए एक्सचेंज स्थापित करने के लिए किन स्थानों का चयन किया गया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान, उड़ीसा में 30 नए स्थानों में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है।

(ख) ये प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंज जिन विभिन्न डिवीजनों में खोले जाने हैं वे इस प्रकार हैं :—

1	2	3
1. कटक	—	5
2. भुवनेश्वर	—	5
3. सम्बलपुर	—	3
4. राउरकेला	—	2
5. ढेनकैनाल	—	3
6. बालसोड़	—	4
7. बोलंगीर	—	2
8. कोरापुर	—	3
9. बहरामपुर	—	3
	योग	30

(ग) नए एक्सचेंज खोलने के लिए स्थानों का चुनाव अभी नहीं किया गया है। वर्तमान मानकों के अनुसार, नए एक्सचेंज खोलने के लिए कम से कम दस टेलीफोन मांगों का दर्ज होना आवश्यक है।

उत्तर प्रदेश के बस्ती, देवरिया, गाजीपुर, आजमगढ़ और मऊ जिलों में नए डाकघर

[हिन्दी]

*624. **श्री कल्पनाथ सोनकर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के बस्ती, देवरिया, आजमगढ़ और मउ जिलों में वर्ष 1990-91 के दौरान कितने नए डाक घर खोलने का विचार है;

(ख) क्या उनके लिए स्थानों का चयन कर लिया गया है,

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन जिलों मे और नए डाकघर खोलने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) निम्नलिखित गांवों के लिए डाकघर मंजूर किए गए हैं :

ज़िला	गांव
बस्ती	(1) तिघारा
	(2) पकुआपर
	(3) पोपाया
	(4) उमारी कलां
	(5) एकमा
	(6) धमेंधा
	(7) महाराजगंज गिरमट
	(8) मैंसाखूंट
	(9) पकारी अराजी
गाजीपुर	(1) धरियाकला
आजमगढ़	(1) लोहरा

जहां तक देवरिया और मऊ जिलों का सम्बन्ध है, इस समय ऐसे कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

(घ) नए डाकघर खोलने के मानदंडों की पुनरीक्षा की जा रही है। पुनरीक्षा पूरी होने के बाद ही अगले प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे।

चकमा शरणार्थियों का प्रत्यावर्तन

[अनुवाद]

*626. श्री सनत कुमार मण्डल
श्री लेहता अम्बरी } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलादेश के चटगांव पर्वतीय क्षेत्र के चकमा आदिवासी शरणार्थियों के प्रत्यावर्तन में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या इन शरणार्थियों का प्रत्यावर्तन आरम्भ करने के लिए बंगलादेश का एक उच्च स्तरीय दल हाल ही में त्रिपुरा आया था; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) बंगलादेश के 58,499 चकमा शरणार्थी, मई 1986 से त्रिपुरा के शिविरों में रह रहे हैं। भारत और बंगलादेश के जिला अधिकारियों के बीच अब तक चौदह बैठकें हो चुकी हैं और पिछली बैठक 29 मई, 1989 को हुई थी। इस मामले को फरवरी, 1990 में विदेश मंत्री की बंगलादेश की यात्रा के दौरान भी उठाया गया था। हमने निरन्तर इस बात पर बल दिया है कि बंगलादेश को चटगांव पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए जिनसे चकमा शरणार्थियों में स्वेच्छा से अपने घरों को लौटने का विश्वास पैदा हो।

(ख) उम्मीद है कि बंगलादेश का एक ऐसा दल निकट भविष्य में त्रिपुरा के शिविरों का दौरा करेगा जो इन शरणार्थियों को बंगलादेश लौटने के लिए राजी करने का प्रयास करेगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उत्थान हेतु विदेशों से सहायता प्राप्त करने वाले स्वैच्छिक संगठन

[हिन्दी]

*627. **श्री दसई चौधरी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्वैच्छिक संगठनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें हरिजनों आदिवासियों और कमजोर वर्गों के लोगों के उत्थान के लिए विदेशों से धनराशि प्राप्त होती है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन संगठनों को प्राप्त विदेशी सहायता का संगठन-वार और वर्ष वार ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री मोहम्मद सईद) : (क) हरिजनों, आदिवासियों तथा कमजोर वर्ग के लोगों के विकास के लिए संगठनों द्वारा प्राप्त की जाने वाली विदेशी अभिदायों के बारे में ऐसी कोई सूचना नहीं रखी जाती है। ऐसा करना इसलिए भी संभव नहीं है क्योंकि ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य देख-भाल समाज सेवाओं के लिए पंजीकृत सभी संगठनों का जात-पात के भेदभाव के बिना समाज के सभी वर्गों के लिए बेहतर कार्यक्रम है।

(ख) सूचना के विशाल स्वरूप को देखते हुए पिछले तीन वर्षों के लिए संगठनवार/वर्षवार ब्यौरा देना व्यावहारिक नहीं है।

बटाला बम-विस्फोट से प्रभावित लोगों को मुआवजा

[अनुवाद]

*628. **श्री डी. एम. पुत्ते गौडा**
श्री बनवारी लाल पुरोहित } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

3 अप्रैल, 1990 को बटाला में हुए विस्फोट में मृत व्यक्तियों के परिवारों तथा घायल व्यक्तियों को क्या मुआवजा दिया गया ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : पंजाब सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार मारे गए 27 सिविलियनों के परिवारों को 50,000 रु० की दर से (20.000 रु० नकद और 30,000 रु० राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमाणपत्रों के रूप में, मुआवजे का भुगतान किया गया है। मारे गए अन्य आठ व्यक्ति सरकारी कर्मचारी थे और उनके परिवारों को मुआवजा संबंधित विभागों द्वारा दिया जाएगा। घायल व्यक्तियों को उनकी घायल स्थिति के अनुसार 5,000/ रु० तक के मुआवजे का भुगतान

किया गया है। शरीर के किसी भाग अथवा अवयव के नष्ट होने जैसी 100% अक्षमता वाले में 20,000 रु० की दर से मुआवजा दिया गया है।

महाराष्ट्र में ग्रामीण जल सप्लाई तथा सफाई परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता

*629. श्री वसन्त साठे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार ने विभिन्न गांवों और कस्बों में समन्वित ग्रामीण जल सप्लाई तथा पर्यावरणीय सफाई परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) महाराष्ट्र के 10 जिलों के 500 गांवों, 12 बसावटों तथा दो कस्बों के लिए 75 क्षेत्रीय पाइप जल सप्लाई योजनाओं को कवर करते हुए एक समन्वित परियोजना तैयार की गई है। परियोजना में 174 गांवों के लिए कम लागत वाली 174 पाइप जल सप्लाई योजनाएं तथा 178 गांवों और 834 बसावटों आदि में बोर वेल्स कार्यक्रम भी शामिल हैं। स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम तथा मांग पर आधारित स्वच्छता कार्यक्रम भी परियोजना में शामिल किए गए हैं। परियोजना की अनुमानित कुल लागत 169.97 करोड़ रुपये है जिसे पांच वर्षों में कार्यान्वित किया जाना है।

(ग) विश्व बैंक के एक पूर्व—मूल्यांकन मिशन ने विस्तृत विचार-विमर्श करने तथा परियोजना को अन्तिम रूप देने के लिए मार्च, 1990 के अन्त में राज्य का दौरा किया था। विश्व बैंक मिशन द्वारा मूल्यांकन किये जाने के बाद परियोजना को संभवतः सितम्बर-अक्तूबर, 1990 में ही अन्तिम रूप दिया जायेगा। परियोजना का वास्तविक कार्यान्वयन विश्व बैंक के साथ समझौते पर अन्तिम निर्णय हो जाने के बाद शुरू किया जायेगा।

सी-डाट द्वारा खरीद

*630. श्री एम० वी० शेखर
श्री आर० गुंडूराव } : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी-डाट कुछ वस्तुएं अमरीका, सिंगापुर और अन्य देशों में आधारित उन कम्पनियों से खरीदता है और इलैक्ट्रानिक परीक्षण उपकरण, कम्प्यूटर, पुर्जों आदि की बिक्री करती है।

(ख) यदि हां, तो कम्पनियों के नाम सहित की गई खरीद का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी भारतीय व्यक्तियों का उन कम्पनियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित है जिनसे सी-डाट ने खरीद की है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा एकत्रित होने पर इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

धौलपुर और भरतपुर स्थित टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों में बदलना

[हिन्दी]

*631. **श्री वाम सिंह जाटव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का धौलपुर और भरतपुर स्थित टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों कब में बदलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो वहां पर इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज कब तक स्थापित किये जाएंगे;

(ग) क्या धौलपुर में टेलीफोन प्रयोक्ताओं को मार्च, 1990 में अधिक राशा के बिल भेजे गये थे, यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(घ) टेलीफोन प्रयोक्ताओं की बड़ी संख्या तथा उनके समक्ष उत्पन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विभाग में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाऐ गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) उपस्कर उपलब्ध होने पर वर्ष 1991-92 के दौरान।

(ग) मार्च, 1990 के दौरान 547 उपभोक्ताओं में से अधिक राशि के बिल आने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। प्रारम्भिक जांच-पड़ताल करने पर इनमें से 19 मामले सही पाए गए। शेष 38 मामलों में पिछली प्रवृत्ति के अधिकार पर अनतिम बिल जारी कर दिये गए हैं।

(घ) भरतपुर डिविजन के अधिकारियों को ये अनुदेश दिये गए हैं कि वे धौलपुर का नियमित रूप से दौरा करें।

संगठनात्मक संस्थापना को मजबूत बनाने के लिए औचित्य पाए जाने पर सब-डिविजन बनाया जाएगा।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद भरना

[अनुवाद]

*632. **डा० बंगाली सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में इस समय प्रत्येक ग्रुप में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित उन पदों की संख्या कितनी-कितनी है जो रिक्त पड़े हुए हैं और ये कब से रिक्त पड़े हैं;

(ख) इन रिक्त स्थानों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) विदेश मंत्रालय में इस समय प्रत्येक समूह में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों की संख्या इस प्रकार है :

समूह	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कब से रिक्त हैं
1	2	3	4
क	—	—	—
ख	1	6	तीन, 1986 से, दो 1987 से और दो 1988 से।
ग	5	3	1988 से।
घ	1	4	अनुसूचित जनजाति के दो पद 1988 से अनुसूचित जनजाति के दो पद 1989 से और अनुसूचित जाति का एक पद 1990 से।

(ख) समूह ख और ग के लिए रिक्तयां इस वर्ष विशेष भरती अभियान के अन्तर्गत भरने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेज दी गई हैं। समूह "घ" के पदों के लिए इस मंत्रालय में कार्यरत पात्र नैमित्तिक श्रमिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। यदि इन नैमित्तिक श्रमिकों में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनसूचित के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे तो रोजगार कार्यालय से कहा जाएगा कि वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार भेजें।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गोवा में पुर्तगाली सांस्कृतिक केन्द्र

*633. **श्री यशवन्त राव पाटिल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुर्तगाल सरकार ने पुर्तगाली दूतावास के तत्वावधान में गोवा में एक सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री श्री इन्द्र कुमार गुजराल : (क) से (ग) पुर्तगाल की सरकार ने सांस्कृतिक केन्द्रों के संचालन से संबद्ध भारत सरकार के नीतिगत मार्गदर्शी सिद्धान्तों के भीतर गोवा में एक सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना के लिए अनुरोध किया है। इस मामले पर दोनों सरकारों के बीच विचार-विमर्श किया जा रहा है।

पुर्नगठित राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक

*634. **श्री कल्पनाथ राय** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुर्नगठित राष्ट्रीय एकता परिषद् की पहली बैठक हो गई है :

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में किन विषयों पर चर्चा की गई :

(ग) क्या देश में बार-बार होने वाले साम्प्रदायिक तनाव की समस्या से निपटने के लिए परिषद के सामने कोई प्रस्ताव रखे गये थे : और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्री श्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्। इसकी पहली 11 अप्रैल, 1990 को हुई।

(ख) भारत में साम्प्रदायिक स्थिति, राजनीतिज्ञों/अलगाववादी तत्वों द्वारा हिंसा का अधिक प्रयोग करना, पंजाब की स्थिति, कश्मीर की स्थिति, और राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद।

(ग) और (घ) कार्यसूची के सभी विषयों पर सामान्य चर्चा हुई और देश में साम्प्रदायिक स्थिति की समीक्षा करने के बाद राष्ट्रीय एकता परिषद ने बढ़ते हुए इस खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए योजना की सिफारिश करने के लिए एक समिति के गठन का प्रस्ताव पारित किया है।

मड़ौच में टेलीफोन कनेक्शन

[हिन्दी]

*635. **श्री चन्दूभाई देशमुख** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1990 को भड़ौच में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा-सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या क्या थी,

(ख) इन्हें कब तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिये जाने की सम्भावना है; और

(ग) प्रतीक्षा-सूची में दर्ज सभी आवेदकों को शीघ्र टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) 31 जनवरी, 1090 की स्थिति के अनुसार 2143 ।

(ख) और (ग) भड़ौच के 2400 लाइनों वाले मैनुअल एक्सचेंज को 5000 लाइनों के ऑटोमैटिक एक्सचेन्ज में बदलकर वहां की सज्जित स्विचिंग क्षमता का 16.2.90 को हाल ही में विस्तार किया गया है। 31.2.90 तक 850 नए टेलीफोन कनेक्शन दिए गए हैं। वर्ष 1900-91 में 1300 और नए टेलीफोन कनेक्शन देने का प्रस्ताव है, और इससे 31 जनवरी, 90 तक की प्रतीक्षा सूची को निपटा दिया जाएगा। इस एक्सचेन्ज का 1092-93 में आगे और 2000 लाइनों में विस्तार करने का प्रस्ताव है जिससे भड़ौच में आगे और मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी।

दिल्ली में एस० टी० डी० कनेक्शन काटे जाना

[अनुवाद]

6619. **श्री कैलाश मेघवाल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने प्रतिशत टेलीफोन प्रयोगकर्ताओं ने अपने टेलीफोन पर एस० टी० डी० सुविधा कटवा दी है और इनमें से कितने प्रयोक्ताओं ने टेलीफोन विभाग द्वारा गलत बिल के विरोध के रूप में यह सुविधा कटवाई है;

(ख) क्या इस प्रकार एस० टी० डी० सुविधा कटवाने के कारण राजस्व की कोई हानी हुई है; और

(ग) दिल्ली में एस. टी. डी. सुविधा के संस्थागत प्रयोक्ताओं और निजी प्रयोक्ताओं की कुल संख्या कितनी है और पिछले दो वर्षों के दौरान उनके बिलों की कुल राशि अलग-अलग कितनी थी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) इस तारीख तक 56 प्रतिशत टेलीफोन उपभोक्ताओं के टेलीफोन बिना एस. टी. डी. के हैं। अधिकांश उपभोक्ताओं को टेलीफोन संस्थापना के समय टेलीफोन बिना एस. टी. डी. के प्रदान किए जाते हैं अथवा बाद में उपभोक्ता टेलीफोन के दुरुपयोग/बिमतलब के फालतू प्रयोग से बचने के लिए एस. टी. डी. कटवा देते हैं। सरकार के अनुदेशों के अनुसार मितव्ययिता की दृष्टि से सरकारी कर्मचारियों के अधिकांश आवासीय और कार्यालय टेलीफोन एस. टी. डी. के बिना होते हैं। गलत बिल बनाए जाने के कारण उपभोक्ता एस. टी. डी. कटवा देते हों, ऐसी बात नहीं है क्योंकि इस प्रकार के बिलों में सुधार कर दिया जाता है। तथापि, ऐसे टेलीफोनों की अलग से सूची नहीं बनाई जाती, जिनसे एस. टी. डी. कटवाई जाती है।

(ख) जी नहीं ! एस. टी. डी. के स्थान पर उपभोक्ता प्रचालक की सहायता से ट्रंक कालों का उपयोग करते हैं ।

(ग) एस. टी. डी. का उपयोग करने वाली संस्थाओं का रिकार्ड नहीं रखा जाता 1-4-90 की स्थिति के अनुसार एस. टी. डी. सुविधा वाले प्राइवेट उपभोक्ताओं की संख्या 1, 82, 540 है। उनके बिलों के बारे में अलग से कोई जानकारी नहीं रखी जा रही है ।

मदर डेरी द्वारा दूध की सप्लाई

6620. **श्री पी० पेंचालैया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदर डेयरी द्वारा दिल्ली में केवल टोन्ड दूध की सप्लाई की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा मदर डेयरी द्वारा पूर्ण चिकनाई सहित दूध की सप्लाई करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां ।

(ख) मदर डेरी का उद्देश्य बल्क वेंडिंग पद्धति के माध्यम से ही दुग्ध की सम्भाल करना है। इसके पास सम्पूर्ण मलाई युक्त दूध पैक करने के लिये अपेक्षित सुविधाएं नहीं हैं ।

सवाई माधोपुर जिले को एस० टी० डी० से जोड़ना

6621. **डा० किरोड़ी लाल मीणा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सवाई माधोपुर जिले (राजस्थान में) को एस० टी० डी० से जोड़ा गया है; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) इस वर्ष के दौरान सवाई माधोपुर जिले में स्थापित किये गये और स्थापित किये जाने वाले स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या गंगापुर में स्वचालित एक्सचेंज और महावा में एस० टी० डी० एक्सचेंज स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हाँ ।

सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय को एस० टी० डी० के साथ जोड़ दिया गया है ।

(ख) एक विवरण सलग्न है ।

(ग) गंगापुर स्थित मैनुअल एक्सचेंज के स्थान पर 1990-91 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज लगाए जाने का प्रस्ताव है ।

महावा में फिलहाल एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

विवरण

सवाई माधोपुर जिले में 1990-91 के दौरान संस्थापित आटोमेटिक एक्सचेंजों की सूची :—

(1) कुदगांव 25 लाइनों का एस० ए० एक्स०

(2) कोलादेवी 25 लाइनों का एस० ए० एक्स०

उपस्कर उपलब्ध होने पर सवाई माधोपुर जिले में 1990-91 के दौरान संस्थापित किए जाने वाले आटोमेटिक एक्सचेंजों की सूची।

(1)	टोडा भीम	एस० ए० एक्स० को बदलने के लिए 128 पोर्ट सी-डाट
(2)	हाटरोई	25 लाइन का एस० ए० एक्स०
(3)	मलकपुरा	25 लाइनों का एस० ए० एक्स०
(4)	गंगापुर	मैनुअल एक्सचेंज को बदलने के लिए 512 पोर्ट (2 यूनिट)
(5)	हिण्डौन	मैनुअल एक्सचेंज को बदलने के लिए 512 पोर्ट (2 यूनिटें)
(6)	करौली	मैनुअल एक्सचेंज को बदलने के लिए 512 पोर्ट।
(7)	श्रीमहावीरजी	एस० ए० एक्स० को बदलने के लिए 64 मिनी आई०एल०टी०
(8)	शिवार	एस० ए० एक्स० को बदलने के लिए 64 मिनी आई०एल०टी०

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना

6622. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत पिछले तीन महीनों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के कितने अवसर पैदा किए गए;

(ख) क्या सरकार के काम के अधिकार के कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार देने के लिए कोई नई योजनाएं शुरू की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन हेतु दो कार्यक्रमों अर्थात् समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) तथा जवाहर रोजगार योजना (जे० आर० वाई०) को कार्यान्वित कर रहा है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 4800/—रुपये से कम की वार्षिक आय वाले परिवारों को स्व-रोजगार के लिए सहायता दी जाती है। जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत सरकारी लागत पर निर्माण कार्यों के जरिए मजदूरी रोजगार सृजित किया जाता है। तदनुसार समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की निगरानी सहायता प्राप्त परिवारों के रूप में की जाती है तथा जवाहर रोजगार योजना की निगरानी सृजित किये गये रोजगार के श्रमदिवसों के रूप में की

जाती है। राज्यों/संघशासित क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, दिसम्बर, 1989 से लेकर फरवरी, 1990 तक 983673 परिवारों को सहायता दी गई थी। इसी अवधि के दौरान, जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत लगभग 2429 लाख श्रम दिवसों का सृजन किया गया।

(ख) और (ग) अभी तक कोई नई योजना शुरू नहीं की गई है। केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 1990-91 के बजट भाषण में घोषित सूखाग्रस्त क्षेत्रों तथा ग्रामीण बेरोजगारी की विकट समस्या वाले क्षेत्रों के लिए रोजगार गारण्टी योजना के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

उड़ीसा में मत्स्यन बन्दरगाह

6624. **श्री डी० अमात** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में आरम्भ की गई मत्स्यन बन्दरगाह परियोजनाओं के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) आठवीं योजना-अवधि के दौरान उड़ीसा में कितने मत्स्यन बन्दरगाहों का निर्माण करने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा के लिए स्वीकृत मात्स्यिकी बन्दरगाह परियोजनाओं के निर्माण से संबंधित फरवरी, 1990 तक की प्रगति निम्न प्रकार है :—

मात्स्यिकी बंदरगाह परियोजना का नाम	प्रगति
(1) नुआगढ़	उप-मृदा जांच आंशिक रूप से पूरी हो गई है। 5 एकड़ भूमि का सुधार किया गया है। 12 शेडों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। मुख्य मद अर्थात् घाट दीवाल के निर्माण के सम्बन्ध में ठेकेदार को कार्य आदेश जारी कर दिये हैं।
(2) गोपालपुर	परियोजना से सम्बन्धित परामर्शदाता की नियुक्ति कर ली गई है, प्रशासनिक और सुरक्षा कार्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण होने के स्तर तक पहुंच गया है, कार्य की मुख्य मदों अर्थात् घाट दीवाल के लिए निविदा प्राप्त हो चुकी है।
(3) पारादीप	परियोजना को फरवरी, 1990 में स्वीकृत किया गया था।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा के लिए इस समय कोई मात्स्यिकी बंदरगाह स्वीकृत करने का प्रस्ताव नहीं है।

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित आदिवासी किसानों की सहायता के लिए योजना

6625. श्री वासवपुन्नय्या सिंघम : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित आदिवासी किसानों को किसी योजना के अन्तर्गत कोई सहायता प्रदान करती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन योजनाओं में रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत न्यूनतम मजूरी के भुगतान के लिए सहायता, कृषि आदान राज-सहायता और मवेशी संरक्षण के लिए सहायता को शामिल किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) प्राकृतिक आपदाओं के आने पर प्रभावित किसानों को, जनजातीय और गैर-जनजातीय किसानों के बीच कोई भेद-भाव किए बगैर केन्द्रीय मानदण्डों के अनुसार केन्द्रीय सहायता दी जाती है जिसमें रोजगार सृजन कार्यक्रमों के अंतर्गत न्यूनतम पारिश्रमिक का भुगतान, कृषि आदान राज-सहायता और मवेशी संरक्षण के लिए सहायता देना भी शामिल है।

केरल में "आपरेशन फ्लड" परियोजनाओं का कार्यान्वयन

6626. श्री टी० बशीर : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान केरल में "आपरेशन फ्लड" परियोजनाओं के कार्यान्वयन से क्या परिणाम और उपलब्धियां प्राप्त हुई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने केरल को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की; और

(ग) केरल में "आपरेशन फ्लड" कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा क्या कार्य योजना तैयार करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) गत 2 वर्षों के दौरान मुख्य घटकों के अंतर्गत केरल में आपरेशन फ्लड के कार्यान्वयन की उपलब्धियां नीचे की तालिका में दी गई हैं :—

मुख्य घटकों	निम्न के अनुसार संचित उपलब्धियां	
	दिसम्बर, 1987	दिसम्बर, 1989
1	2	3
(1) डेरी सहकारी समितियां संगठित	773	887
(2) कृषक सदस्य (हजार में)	132.15	183.52

(3)	दुग्ध अधिप्राप्ति (प्रतिदिन लाख कि.ग्रा.)	1.73	2.18
(4)	दुग्ध परिसंस्करण क्षमता (लाख लिटर प्रतिदिन)	2.20	3.76
(5)	दुग्ध विपणन (लाख लिटर प्रतिदिन)	1.64	1.85

(ख) गत 2 वर्षों के दौरान (1988 89 और 1989-90) केरल सहकारी दुग्ध विपणन संघ को 396.8 लाख रुपये (अस्थाई) को वित्तीय सहायता दी गई है।

(ग) केरल सहकारी दुग्ध विपणन संघ ने राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को 1990 के बाद की अपनी वार्षिक कार्य योजना अभी तक नहीं भेजी है।

टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराया जाना

6627. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में, राज्यवार अब तक कितने टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराये गये हैं;

(ख) दक्षिण दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए जिन व्यक्तियों का नाम वर्ष 1989 में दर्ज किया गया था, उन्हें कब तक टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराये जायेंगे;

(ग) देश में टेलीफोन उपकरणों और फालतू पुर्जों की कुल मांग की तुलना में इनकी उपलब्धता कितनी है; और

(घ) देश में टेलीफोन उपकरणों का निर्माण कौन-कौन सी कम्पनियां कर रही हैं ?

सचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जानकारी संलग्न विवरण-1 में दी गई हैं।

(ख) 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपस्कर उपलब्ध होने पर 31.12.1989 तक की प्रतीक्षा सूची निपटाए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) मांग पूरी करने के लिए टेलीफोन उपकरण तथा अतिरिक्त पुर्जे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

(घ) जानकारी संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

विवरण-1

राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	31.3.90 तक प्रदान किए गए टेलीफोन कनैक्शन
1	2
1. आन्ध्र प्रदेश	313150
2. असम	37707
3. बिहार	97141
4. गुजरात	422543
5. हरियाणा	91351
6. हिमाचल प्रदेश	29392
7. जम्मू व कश्मीर	×27399
8. केरल	229892
9. कर्नाटक	299317
10. महाराष्ट्र	9606885
11. मध्य प्रदेश	171023
12. अरूणाचल प्रदेश	2794
13. मिजोरम	1996
14. मेघालय	6614
15. नागालैण्ड	3825
16. मणिपुर	4215
17. त्रिपुरा	4232
18. उड़ीसा	60121
19. पंजाब	169375
20. राजस्थान	138080
21. तमिलनाडु	419744
22. उत्तर प्रदेश	291024
23. पश्चिम बंगाल	305036
24. सिक्किम	1777

1	2
25. गोआ	12999
26. पाण्डिचेरी	7672
संघ क्षेत्र	
27. दिल्ली	458553
28. चण्डीगढ़	20229
29. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1606
30. लक्षद्वीप	1056
31. दमन और द्वीप	978
32. दादरा नगर हवेली	679

31.1.90 की स्थिति के अनुसार

विवरण-2

उन फर्मों के नाम जिन्हें टेलीफोन उपकरणों का निर्माण करने के लिए मांग पत्र जारी किए गए हैं

1. भारत टेलीकाम लि०
2. बी० पी० एल० प्रणाली एवं परियोजना लि० ।
3. क्रम्प्टन ग्रेवस लि० ।
4. गुजरात कम्यूनिकेशन इलेक्ट्रानिक लि० ।
5. इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि० (बेंगलूर)
6. इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि० (श्रीनगर)
7. इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि० (नैनी)
8. केल्ट्रान टेलीफोन उपस्कर लि०
9. लवेनियर बेजिनेस प्रणालियां
10. प्रदेशीय औद्योगिक एंड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लि०
11. पुलसार इलेक्ट्रानिक्स लि०
12. पंजाब वायरलेस प्रणाली लि०
13. राजस्थान टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि०
14. रेमिंगटन रैंड आफ इंडिया लि०
15. सेट टेलीकम्यूनिकेशन

16. सुनील कम्यूनिकेशन
17. स्वेड इंडिया केलिक्ट्रानिक लि०
18. टेलीमैटिक्स प्रणाली लि०
19. टेक्सटान टेलीकाम प्रा० लि०
20. दि प्रियराजा इंटरप्राइज
21. यूनाइटेड टेलीकाम लि०
22. यूनिटेम कम्यूनिकेशन लि०
23. वेबेल कम्यूनिकेशन इडस्ट्रीज लि०

पारादीप पत्तन में श्रमिकों की हड़ताल

6628. **श्री के० प्रधानी** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान पारादीप पत्तन के श्रमिकों ने कितनी बार हड़ताल की और उसके क्या-क्या कारण हैं, और

(ख) इन श्रमिकों की मांगों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

जलभूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) पारादीप पत्तन न्यास के कर्मचारियों और कामगारों ने वेतन संशोधन की मांग को लेकर 17.4.1989 से 22.4.1989 तक सभी पत्तनो में हुई हड़ताल में भाग लिया था । इसे 21.4.1989 को हुए समझौता ज्ञापन द्वारा निबटाया गया था । इसके अलावा, उर्वरकों की जहाज से सीधे डिलीवरी के विरोध में कार्गो हैंडलिंग श्रमिक 7.6.1989 से 9.6.1989 तक हड़ताल पर रहे थे । 19.8.1989 की पहली शिफ्ट में एक दुर्घटना में एक विचमैन की मृत्यु हो जाने के कारण जहाजों पर काम प्रभावित हुआ था । पुन: 27.8.89 की पहली शिफ्ट में विचमैनों और सिगनलमैनों ने एक स्थानीय मांग को लेकर काम रोक दिया था । स्थानीय स्वरूप की मांगों को द्विपक्षीय विचार विमर्श/समझौते द्वारा चर्चा करके निबटा दिया जाता है ।

सिन्दरी में नेफथा पर आधारित अमोनिया संयंत्र

6629. **श्री ए० के० राय** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्दरी में नेफथा पर आधारित 900 टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता वाला अमोनिया संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु भेजा गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई है ।

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) और (ख) जी हां। सिन्दरी में एक नयी 900 टन प्रतिदिन क्षमता की अमोनिया तथा 1500 टन प्रतिदिन क्षमता की यूरिया परियोजना स्थापित करने के लिये फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। आठवीं योजना को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

मध्य प्रदेश में डाक तथा तारघर खोलना

6630. **श्री दिलीप सिंह जू देव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में चालू वर्ष के दौरान किन-किन स्थानों पर नए डाक तथा तारघर खोलने का विचार है और किन-किन डाक तथा तारघरों का दर्जा बढ़ाया जा रहा है; और

(ख) मध्य प्रदेश में चालू वर्ष के दौरान किन-किन स्थानों पर नए टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना करने का विचार है; कौन-कौन से विद्यमान टेलीफोन एक्सचेंजों का दर्जा बढ़ाने तथा किन-किन स्थानों को एस० टी० डी० से जोड़ने का विचार है?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : **डाकघर** (क) प्रस्तावित डाकघरों के नाम संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं। जहां तक दर्जा बढ़ाने का सम्बन्ध है, जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दूरसंचार

(क) और (ख) तारघरों और टेलीफोन एक्सचेंजों को खोलने का दर्जा बढ़ाने के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र की जा रही है, तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

मध्य प्रदेश सर्किल

क्र०सं० प्रस्तावित डाकघरों के नाम	जिला
1	2
1. परसाडा	दुर्ग
2. नन्दाल	दुर्ग
3. भारदा	दुर्ग
4. सलहेटोला	राजनन्दगांव
5. कोर्साटोला	बिलासपुर

1	2
6. पिपरखुट्टी	—वही—
7. जींगतपुर	—वही—
8. सेमरिया	—वही—
9. बर्रे	—वही—
10. तेहाखुरा	—वही—
11. डोबा	—वही—
12. देवरीखुर्द	—वही—
13. रसोला	—वही—
14. उमरिया दादर	—वही—
15. गडाडे	—वही—
16. बाघा	सिद्धी
17. कोहका	शहडोल
18. घामोखाड	शहडोल
19. बदबार	—वही—
20. मेदरा	सिद्धी
21. चिलियामार	शहडोल
22. छेछरिया	—वही—
23. झाल	—वही—
24. बिलासपुर	—वही—
25. चांदा	मण्डला
26. चामनी	—वही—
27. भिमडोंगरी	—वही—
28. पोंडी	—वही—
29. ब्रह्मपुरी	रायपुर
30. कोलिहा	—वही—
31. कोटिया	अम्बिकापुर
32. लुरगीकाला	रायगढ़
33. चिराना	—वही—
34. गरवाकला	रेवा
35. झापल	बेतुल

1	2
36. मीड़ा	छिन्दवाड़ा
37. मलवासी	रतलाम
38. खारकटकार	गुना
39. गनहेरी	गुना
40. तराई	गुना
41. विक्रमपुर	गुना
42. बडेरा	गुना
43. दमदमा	गुना
44. कुक्करेता	गुना
45. बिलाखेडी	गुना
46. धासड	देवास
47. सराय	धार
48. बलेडी	धार
49. मीडोटाकोट	धार
50. बोला	धार
51. दोराय	निमच
52. लोहारिया	निमच
53. कोजया	मन्दसौर
54. मसिरा	शहडोल

विभागीय उप डाकघर

क्रम सं॰ प्रस्तावित डाकघर का नाम	जिला
1.	2
1. एस॰ जी॰ आई॰ पी॰ एस॰ बिरसिंहपुर पाली	शहडोल
2. उज्जैन चिमनगंज मंडी	उज्जैन
3. श्री सिंथेटिक्स उज्जैन	उज्जैन

अगरतला में बंगला देश के श्रमिक

6631. श्री के. बी. के. देव बर्मन : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलदेश से प्रतिदिन औसतन कितने श्रमिक अगरतला शहर आ रहे हैं; और

(ख) बंगला देश से सीमा पार करके बिना रोक-टोक आने वाले श्रमिकों को रोकने के संबंध में सरकार की क्या नीति है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) भारत में मजदूरी करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किसी बंगलादेशी श्रमिक को सीमा पार करने की इजाजत नहीं दी है। बंगला देश के चिटगांव पहाड़ी दरों के आदिवासियों को छोड़कर, जो इस देश में अस्थाई शरण लेने के मकसद से आ रहे हैं और जिन्हें त्रिपुरा में शिविरों में रखा जा रहा है के अलावा जिन अवैध घुसपैठियों का सीमा पर पता लगता है उन्हें वापिस खदेड़ दिया जाता है।

मोबाइल सिविल इमरजेन्सी फोर्स दिल्ली के कर्मचारियों से विकल्प मांगना

6632. श्री गंगाचरण लोधी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोबाइल सिविल इमरजेंसी फोर्स दिल्ली को सितम्बर, 1989 से समाप्त कर दिया गया है।

(ख) क्या मोबाइल सिविल इमरजेंसी फोर्स को समाप्त करते समय इस संगठन के कर्मचारियों को सैन्ट्रल सरप्लस सैल में भेजा गया था; और

(ग) क्या सरकार का विचार कर्मचारियों को कुल अन्य संगठनों में खपाने के लिए उनसे विकल्प मंगाने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) मोबाइल सिविल इमरजेंसी फोर्स के औपचारिक रूप से समाप्त किए जाने के समय ऐसे कर्मचारियों को जिन्होंने केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में जाने की पसन्द नहीं दी थी, उन्हें उच्चतम न्यायालय के 15.5.1989 के अन्तिरिम आदेश के अनुसरण में पुनः तैनाती के लिए सैन्ट्रल सरप्लस सैल में भेजा गया था।

(ग) कर्मचारियों द्वारा विकल्प, पहले ही दिया जा चुका है तथा उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार उस पर कार्रवाई की गई है।

कलकत्ता स्थित दूरसंचार कारखाने का स्थानान्तरण

6633. श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कलकत्ता स्थित दूरसंचार कारखाने को बलंमरम स्थान से स्थानान्तरित करने का विचार है;

(ख) क्या नए स्थल का चयन कर लिया गया है और यदि हां, तो इसके निर्माण आदि पर कितनी लागत आने का अनुमान है;

(ग) क्या वर्तमान कारखाने से किसी प्रकार के प्रदूषण होने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) क्या कलकत्ता स्थित दूरसंचार कारखाने के वर्तमान ढांचे से यदि किसी प्रकार का वायु-प्रदूषण होता तो उसे रोकने के लिए कोई प्रयास किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(च) स्थानान्तरण पर होने वाले नए खर्च से बचने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां। फैक्टरी के केवल एक हिस्से को ही शिफ्ट किये जाने का प्रस्ताव है।

(ख) जी, हां। नया स्थान गोपालपुर, कलकत्ता में चुना गया है। निर्माण आदि कार्यों की अनुमानित लागत 6,09,80,000/- रुपए है।

(ग) जी, हां। पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक नोटिस जुलाई 1985 में प्राप्त हुआ था जिसमें "डीजल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974" के अनुसार मौजूदा फैक्टरी से बहाये जाने वाले पानी के बारे में उनकी अनुमति लेने के लिए कहा गया था।

(घ) जी, हां।

(ङ) पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा दी गई सलाह के आधार पर कुछ प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर खरीद लिए गये हैं और उनकी अभी संस्थापना की जा रही है।

(च) कलकत्ता स्थित मौजूदा दूरसंचार फैक्टरी की स्थापना 1855 में की गई थी। उस समय फैक्टरी का क्षेत्र आवासीय सीमा से बाहर था। समय के साथ-साथ नगर का विस्तार होने के कारण फैक्टरी का क्षेत्र आंतरिक नगर के क्षेत्र में आ गया। अत: यह अनिवार्य है कि प्रदूषण पैदा करने वाली विनिर्माण सम्बन्धी प्रक्रियाओं को किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाए और इसलिए फैक्टरी के केवल एक भाग को ही कलकत्ता के उपनगर, गोपालपुर में शिफ्ट किया जा रहा है। अत: शिफ्ट करने में होने वाला नया खर्चा अपरिहार्य है।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड: विशाखापत्तनम द्वारा पोत निर्माण के लिए संघटक और फालतू पूर्जों का आयात

6634. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम द्वारा विभिन्न पोतों के निर्माण के लिए संघटकों और फालतू पुर्जों के आयात में वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान इसके पूर्ववर्ती दो वर्षों की तुलना में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1989-90 के दौरान हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा प्रत्येक देश से किन-किन मदों का आयात किया गया तथा ऐसी प्रत्येक मद की खरीद पर कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ग) वर्ष 1990 के लिए आग से सुरक्षा प्रदान करने वाले दरवाजों सहित ऐसी प्रस्तावित मदों के आयात का ब्योरा क्या है?

जलभूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) जी, नहीं। स्थिति नीचे दी गई है :—

वर्ष	आयात की गई मदों की संख्या		लागत (करोड़ रु०)	कुल
1	2	3	4	5
1986-87	कार्गो जहाजों के लिए	113	3.13	
	ड्रिल जहाजों के लिए	5	54.19	
	ओ पी एस एस वी के लिए	3	1.32	58.64
1987-88	कार्गो जहाजों के लिए	121	14.05	
	ड्रिल जहाजों के लिए	5	0.56	
	ओ पी एस एस वी के लिए	2	0.06	14.67
1988-89	कार्गो जहाजों के लिए	56		13.69
1989-90	कार्गो जहाजों के लिए	37		5.1

(ख) मूल देशों सहित आयात के ब्योरे सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

(ग) 1990-91 के दौरान हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का 1.83 करोड़ रु० की लागत से कार्गो जहाजों के लिए 25 मदों के आयात का प्रस्ताव है। तथापि, 1990-91 के दौरान शिपयार्ड द्वारा अग्नि सुरक्षा दरवाजों को आयात करने का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

राजस्थान में ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधा

[हिन्दी]

6635. **श्री नन्द लाल मीणा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कितने यातायात मुख्यालयों में टेलीफोन सुविधा प्राप्त है;

(ख) राजस्थान के उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा जिलों में सभी पंचायत मुख्यालयों को टेलीफोन सुविधा से कब तक जोड़ दिया जाएगा; और

(ग) क्या प्रतापगढ़ तथा चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालयों के बीच सीधी टेलीफोन सुविधा की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) 31-3-1990 की स्थिति के अनुसार 2245 ग्राम पंचायत मुख्यालयों में दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ख) 8 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान के उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, और बांसवाड़ा के सभी ग्राम पंचायतों को दूरसंचार सुविधा से जोड़े जाने की संभावना है।

(ग) प्रतापगढ़ एक ओपन-वायर लाइन के जरिए चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय से पहले ही जुड़ा हुआ है।

संयोजकता और विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए 8 वीं योजना के दौरान प्रतापगढ़ को एक 120 चैनल डिजिटल यू. एच. एफ. प्रणाली के जरिए चित्तौड़गढ़ से जोड़े जाने का प्रस्ताव है।

बिहार में पसराहा और नारायणपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माण कार्य

6636. **श्री राम शरण यादव** : **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के खगड़िया जिले में पसराहा और नारायणपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माण कार्य पिछले अनेक वर्षों से किया जा रहा है और यह अब तक पूरा नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने हेतु क्या कदम उठाने पर विचार किया गया है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) से (ग) जी, नहीं। नियमित विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इस खण्ड के सुधार के लिए पहले संस्वीकृत सभी कार्य पूरे हो चुके हैं। तथापि, बाढ़ से हुई क्षति संबंधी मरम्मत कार्य अभी चल रहे हैं, जिन्हें पिछले वित्त वर्ष में संस्वीकृत किया गया था। ये कार्य जून, 1990 तक पूरे हो जाने की संभावना है।

केरल में अरप्पुजा पुल

[अनुवाद]

6637. **प्रो० सावित्री लक्ष्मणन** : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोजिकोडा बाई पास के प्रथम छोर पर केरल में अरप्पुजा पुल के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्माण कार्य के लिए कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री के पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) 1990-91 की वार्षिक योजना म 500.00 लाख रु० की अनुमानित लागत से अरप्पुजा पुल का निर्माण कार्य की व्यवस्था की गई है और राज्य सरकार से प्राप्त तकनीकी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है ।

हिंगलाज माता के मन्दिर की तीर्थ यात्रा

[हिन्दी]

6638. **कुमारी उमा भारती** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान में हिंगलाज माता का मंदिर किस स्थान पर स्थित है;

(ख) क्या हिन्दू तीर्थ यात्रियों को वहां जाने की अनुमति है;

(ग) यदि हां, तो स्वतंत्रता के बाद कितने हिन्दू तीर्थयात्रियों ने इस मंदिर की तीर्थ यात्रा की; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने हिन्दू तीर्थ यात्रियों के लिए यह मंदिर खुलवाने के लिए क्या उपाय किये हैं ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) हिंगलाज माता मन्दिर पाकिस्तान के जिला लसबेला (बलूचिस्तान) में है ।

(ख) से (घ) सरकार ने पाकिस्तान की सरकार से अनुरोध किया है कि वह भारतीय तीर्थ यात्रियों के लिए और अधिक पूजास्थल दर्शनार्थ खोले, जिनमें हिंगलाज माता मन्दिर भी शामिल है और यह मामला पाकिस्तान की सरकार के विचाराधीन है ।

पंजाब में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और सुधार

[अनुवाद]

6639. **श्री कमल चौधरी** : क्या **जलभूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान पंजाब में कुल कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण, सुधार और मरम्मत की गयी; और

(ख) इस पर कितना खर्च हुआ ?

जलभूतल परिवहन मन्त्री श्री के० पी० (उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) वर्ष 1989-90 के दौरान किसी नए राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण नहीं किया गया था। तथापि, वर्ष के दौरान 85 कि. मी. में कैरिजवे को मजबूत करके 32.88 कि० मी० में वेष्ड शोल्डर्स की व्यवस्था करने तथा 1.5 कि० मी० में सड़क स्तर को ऊंचा करने जैसे सुधार-कार्यों को पूरा किया गया था। ट्रैफिक के दबाव तथा धन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों की 973 कि० मी० की समस्त लम्बाई का अपेक्षित स्तर तक रख-रखाव एव उसकी मरम्मत का कार्य किया गया। वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास तथा रख-रखाव के लिए पंजाब लोक निर्माण विभाग द्वारा क्रमश: 26.16 करोड़ रु. तथा 4.· करोड़ रु० की राशि के खर्च की सूचना दी गई है।

कीटनाशी अधिनियम, 1968 की अनुसूची में कीटनाशकों को शामिल करना

6640. **श्री रामदास सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कीटनाशकों, फंफूदनाशकों और हर्बिसाइडिस दवाओं के नाम क्या हैं जो कीटनाशी अधिनियम, 1968 की अधिनियमिति के समय से इसकी सूची में शामिल हैं और जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड की पंजीयन समिति द्वारा पंजीयन प्रमाण-पत्र दिया गया है; और

(ख) पार्टी-वार और उत्पाद-वार उन कीटनाशकों, फंफूदनाशक और हार्बीसाइड्स के नाम क्या है, जिनके मामले अधिनिय की अनुसूची में शामिल किये जाने के लिए केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड की पंजीयन समिति के पास लम्बित पड़े हैं तथा जिनके मामले कीटनाशी अधिनियम की धारा 9(3) और 9 (3बी) के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र लेने हेतु पंजीयन समिति के पास लम्बित पड़े हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) फफूंदीनाशी और शाकनाशियों सहित कीटनाशियों, जो कीटनाशी अधिनियम 1968 (संशोधित) की अनुसूची में हैं, के नाम अनुबंध-1 में दिये गये हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1002/90]

कीटनाशियों फफून्दीनाशियों और शाकनाशियों के नाम जो नियम पारित होने के समय से ही अधिनियम की अनुसूची में हैं और जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजीकरण समिति द्वारा पंजीकरण प्रमाण-पत्र दिये गए है, अनुबन्ध-2 में दिये गए हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सख्या एल० टी० 1002/90]

(ख) फफून्दीनाशी और शाकनाशियों सहित कीटनाशी से संबन्धित कोई आवेदन पत्र कीटनाशी अधिनियम 1968 की अनुसूची में शामिल किए जाने के लिए केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

फफून्दीनाशी और शाकनाशियों सहित कीटनाशियों की सूची जिनके सम्बन्ध में धारा 9(3) और 9(3बी) के अन्तर्गत पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र पंजीकरण समिति के समक्ष विचाराधीन हैं, क्रमश: अनुबन्ध-3 क और अनुबन्ध-3 ख में दिये गये हैं।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 1002/90]

इसमें आवेदकों के उत्पाद-वार नाम दिये गये हैं।

गाजियाबाद टेलीफोन एक्सचेंज में टेलीफोन कनेक्शन

6641. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1990 को गाजियाबाद में प्रत्येक श्रेणी में टेलीफोन कनेक्शन देने के कितने मामले बकाया पड़े हैं; और

(ख) चालू वर्ष के अन्त तक प्रत्येक श्रेणी में टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए क्या अस्थायी कार्यक्रम बनाया गया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) गाजियाबाद के विभिन्न एक्सचेंजों में 31-3-90 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों के नाम श्रेणी-वार नीचे दिए गए हैं।

श्रेणी	प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या		
	राजनगर टेलीफोन एक्सचेंज	पटेल नगर टेलीफोन एक्सचेंज	पूर्वी शाहदरा टेलीफोन एक्सचेंज
1	2	3	4
ओ वाई टी सामान्य	9	3	6
ओ वाई टी विशेष	—	—	—
गैर ओ वाई टी विशेष	14	3	6
गैर ओ वाई टी एस एस	—	1	—
गैर ओ वाई टी सामान्य	3584	378	463
योग	3607	387	477

(ख) चालू वर्ष के दौरान राजनगर टेलीफोन एक्सचेंज का 7000 लाइनों तक विस्तार किए जाने की योजना है जिससे उस एक्सचेंज में गैर ओ वाई टी सामान्य श्रेणी के अतिरिक्त प्रतीक्षा सूची को निपटा दिए जाने की संभावना है। चालू वर्ष के दौरान अन्य किसी एक्सचेंज का विस्तार करने की संभावना नहीं है।

स्वतंत्रता सेनानियों के आवेदन

6642. **प्रो० गोपालराव मायकर : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा के स्वतंत्रता सेनानियों के कितने आवेदन केन्द्रीय सरकार पास उनकी पेंशन की स्वीकृति हेतु लंबित हैं :

(ख) इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन मामलों को शीघ्रता से निपटाने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) निर्धारित तारीख (31-3-1982) तक गोवा से प्राप्त सभी आवेदनों पर विचार किया और आवेदकों का निर्णय की सूचना दे दी गई है। तथापि; जिन आवेदकों के दावे स्वीकार नहीं किए जाने के कारण वे अतिरिक्त साक्ष्य के साथ दुबारा आवेदन प्रस्तुत हैं, उनके मामलों की पुनरीक्षा की जाती है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत राजस्थान की स्वीकृत की गई सड़क परियोजनायें

6643. **श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा : जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भीलवाड़ा में एक बाई-पास सड़क तथा भीलवाड़ा से देवली तक वाया बनेरा एक सड़क बनाने के प्रस्ताव हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का इन परियोजनाओं के निर्माण के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से सहायता प्रदान करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

जलभूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) राजस्थान सरकार ने राज्य की एक सड़क पर स्थित भीलवाड़ा बाई-पास के निर्माण के लिए कोई केन्द्रीय सहायता नहीं मांगी है। जहां तक भीलवाड़ा-शाहपुरा (वाया बनेरा) और शाहपुरा-जहाजपुर-देवली राज्य सड़कों के निर्माण का संबंध है, केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत सहायता के लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) से (घ) चूंकि केन्द्रीय सड़क निधि में अभी वास्तव में वृद्धि नहीं हुई है जिसके प्रति ये प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे, अतः इन प्रस्तावों पर अनुमोदन के लिए आगे कार्रवाई नहीं की गई है।

रायगढ़ जिले में जसपुर में माइक्रोवेव केन्द्र

[हिन्दी]

6644. **श्री नन्द कुमार साय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रायगढ़ जिले में जसपुर में एक माइक्रोवेव केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जसपुर को 8वीं योजना अवधि में 8एम बी/एस (120 चैनल) हाई ग्रेड आप्टिकल फाइबर प्रणाली के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। अतः इस रूट पर माइक्रोवेव प्रणाली की योजना नहीं बनाई जा रही है।

विभागेत्तर कर्मचारियों को वेतन

6645. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक विभाग में विभागेत्तर कर्मचारी सेवा कब से चल रही है और इन कर्मचारियों को दिये जा रहे वेतन और सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) देश में इस समय राज्य-वार कितने विभागेत्तर कर्मचारी हैं और गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने कर्मचारियों को विभागीय सेवाओं में नियमित किया गया है और भविष्य में उन्हें नियमित करने की योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : एक नियमित उपाय के रूप में, अतिरिक्त विभागीय प्रणाली वर्ष 1966,67 में चालू की गई थी। अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जाता बल्कि कार्यभार के आधार पर उन्हें कुछ न्यूनतम और अधिकतम मासिक भत्ता अदा किया जाता है। सभी श्रेणियों के अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों का भत्ता 1.1 1986 से संशोधित किया गया है जो इस प्रकार है :—

श्रेणी	न्यूनतम	अधिकतम
1	2	3
अतिरिक्त विभागीय उप पोस्टमास्टर और अतिरिक्त विभागीय सार्टर	385	620
अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर	275	440
सभी अतिरिक्त विभागीय डाक टिकट विक्रेता	270	420
सभी अन्य अतिरिक्त विभागीय एजेंट		
(I) 2 घंटे से कम कार्यभार के लिए	240 रु० (नियत)	
(II) 2 घंटे और उससे अधिक कार्यभार के लिए	270	420

उपर्युक्त भत्तों के अलावा अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर अधिकतम 50/–रु० तक वितरण और यात्रा भत्ता तथा अधिकतम 25/—रु० प्रतिमाह तक कार्यालय के रख रखाव भत्ता पाने के पात्र हैं। अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंट/अतिरिक्त विभागीय मेल कैरियर प्रतिमाह 20/—रु० साईकिल भत्ता पाने के लिए पात्र हैं इसके अलावा प्रति अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टरों/अतिरिक्त विभागीय उप पोस्टमास्टरों को 3/ रु० नियत स्टेशनरी भत्ता देने की व्यवस्था है। अन्य श्रेणियों के अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को 1/–रु० नियत स्टेशनरी भत्ता देने की व्यवस्था है। 1.1.90 से अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी अपने मूल भत्ते पर 38% की दर से महंगाई भत्ता पाने के हकदार हो गए हैं। वे 1 वर्ष की न्यूनतम सेवा के लिए अनुग्रह राशि उपदान पाने के भी पात्र हैं। जिसकी अधिकतम राशि 3000/—रु० है। अतिरिक्त विभागीय एजेंट भत्तों के बिना अधिकतम 180 दिन तक का अवकाश ले सकते हैं। इसके अलावा, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में नियमित सरकारी कर्मचारियों को जब कभी बाढ़ भत्ता मंजूर किया जाता है तो अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को रु० 100/—की अग्रिम राशि मंजूर की जाती है जिसे 10 किस्तों में वसूल किया जाता है। अतिरिक्त विभागीय एजेंट अपनी वास्तविक परिलब्धियों के आधार पर उत्पादकता से जुड़ा बोनस पाने के भी पात्र हैं।

(ख) जानकारी डाक सर्किलों से मंगाई जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में एस० टी० डी० सुविधाएं

[अनुवाद]

6646. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्ष 1990-91 के दौरान उड़ीसा में कुछ और शहरों में एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए किन-किन शहरों का चयन किया गया है;

(ग) क्या उड़ीसा में पेरालाखेमुंडी और गंजम जिले में कुछ अन्य शहरों में एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इन शहरों में वर्ष 1990-91 में एस० टी० डी० सुविधाएं उपलब्ध करा दी जायेंगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) 1990-91 के दौरान निम्नलिखित 11 स्थानों पर एस० टी० डी० सुविधा प्रदान किए जाने की योजना है :—इसका बारगढ़, चांदीपुर, गुनूपुर, जोड़ा, जटनी, बारबिल, कंटबनजी, नवरंगपुर, पारलखेमन्दी, राजगंपुर।

(ग) जी, हां।

(घ) पारलखेमन्दी और असका।

(ङ) जी, हां। बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हो।

लद्दाखी बौद्ध संघ द्वारा आन्दोलन

6647. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान लद्दाखी बौद्ध संघ द्वारा स्वायत्त जिला परिषद के लिए आन्दोलन करने की धमकी की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

गृह मन्त्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) से (ग) लद्दाखी बौद्ध एसोसिएशन ने संघ शासित क्षेत्र का दर्जा दिए जाने की अपनी मांग अब छोड़ दी है और इसके बदले में लेह के लिए स्वायत्तशासी जिला परिषद की मांग की है। जम्मू और कश्मीर के संविधान के ढांचे और अन्य राज्य कानूनों के अंतर्गत एसोसिएशन की मांग पर विचार करने का कार्य राज्य सरकार का है।

दिल्ली पुलिस अधिकारियों की ज्यादतियों की जांच हेतु समिति

6648. **श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में नवम्बर, 1984 के दंगों के दौरान दिल्ली पुलिस अधिकारियों की ज्यादतियों की जांच हेतु गठित की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के निष्कर्ष क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) कपूर मित्तल समिति ने, जिसे दिल्ली पुलिस अधिकारियों द्वारा की गयी लापरवाहियों के बारे में जांच करने के लिए गठित किया गया था, अपनी रिपोर्ट 1 मार्च, 1990 को दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत कर दी है और दिल्ली प्रशासन इसकी जांच कर रहा है ।

कपूर मित्तल समिति की सिफारिशें

6649. **श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल**
श्रीमती गीता मुखर्जी
श्री कैलाश मेघवाल
श्री कृपाल सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में नवम्बर, 1984 के दंगों के दौरान दिल्ली पुलिस के अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्य का पालन न करने के बारे में जांच करने के लिए गठित कपूर-मित्तल समिति के सह-सदस्य न्यायाधीश कपूर ने पुलिस कर्मिकों के व्यवहार पर एक पूर्ण उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) एक मार्च, 1990 को दिल्ली के उप-राज्यपाल को प्रस्तुत की गई कपूर-मित्तल समिति की रिपोर्ट पर दिल्ली प्रशासन जांच कर रहा है ।

दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम के अन्तर्गत भू-क्षेत्र

[हिन्दी]

6650. **श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत एक परिवार अधिकतम कितना सिंचित भू-क्षेत्र रख सकता है;

(ख) क्या वर्ष 1985 के दौरान कुछ व्यक्तियों को महरौली तहसील के अन्तर्गत गांवों में भूमि की खरीद करने और उसे पंजीकृत कराने की स्वीकृति प्रदान की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत एक परिवार द्वारा रखी जा सकने वाली

सिंचित अथवा अन्य भूमि को कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। भूमि धारों द्वारा रखी जाने वाली जोत की सीमा दिल्ली अधिकतम भूमि जोत अधिनियम 1960 में निर्धारित की गई है जिसके ब्यौरे निम्नोक्त अनुसार हैं :—

(क) 1. ऐसी भूमि के मामले में 7.25 हैक्टेयर जिसके लिए सिंचाई के किसी निजी साधन से सिंचाई सुनिश्चित है और एक वर्ष में कम से कम दो फसल देने योग्य है; अथवा

2. ऐसी भूमि के मामले में 5.8 हैक्टेयर जिसकी सिंचाई एक सरकारी साधन से सुनिश्चित है और वह वर्ष में कम से कम दो फसल देने के योग्य है; अथवा

(ख) 1. ऐसी भूमि के मामले में 10.9 हैक्टेयर जिसके लिए सिंचाई के किसी निजी साधन से सिंचाई सुनिश्चित है और एक वर्ष में कम से कम सफल देने के योग्य है; अथवा

2. ऐसी भूमि के मामले में 8.7 हैक्टेयर, जिसकी सिंचाई एक सरकारी साधन से सुनिश्चित है और वह वर्ष में कम से कम एक फसल देने के योग्य हैं; अथवा

(ग) एक फल वाटिका सहित किसी अन्य प्रकार की भूमि के मामले में 21.8 हैक्टेयर।

उपरोक्त भूमि के अतिरिक्त एक परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति अपने प्रत्येक बालिग पुत्र के लिए अधिकतम सीमा से अनधिक भूमि भी रखने का पात्र होगा।

(ख) और (ग) दिल्ली में भूमि के हस्तांतरण का पंजीकरण भारतीय पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत केवल तब ही किया जाता है जब दिल्ली भूमि हस्तांतरण पर पाबन्दी) अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत उपायुक्त, दिल्ली से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाता है। यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र केवल ऐसी भूमियों के सम्बन्ध में जारी किया जाता है जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत जारी की गई अधिग्रहण अधिसूचना से मुक्त हो। 27.3.85, 25.7.85 और 8.8.85 को जारी किए गए ऐसे अनापत्ति प्रामण-पत्रों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

विवरण

तहसील महरौली नई दिल्ली के गांवों के सम्बन्ध में 27.3.1985, 25.7.85 और 8.8.85 को जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्रों की सूची

क्रमांक	विक्रेता का नाम	क्रेता का नाम	अनापत्ति प्रमाण पत्र संख्या	तारीख प्राप्त	तारीख जारी
1	2	3	4	5	6
1.	श्री सती राम	श्री अमिताभ बच्चन	6060	26.3.85	27.3.85
2.	श्री विनोद कुमार	—वही—	6061	26.3.85	27.3.85
3.	श्री छत्तर सिंह	—वही—	6062	26.3.85	27.3 85
4.	श्री पत राम	—वही—	6063	26.3.85	27.3.85
5.	—वही—	—वही—	6064	26.3.85	27.3.85
6.	—वही—	—वही—	6065	26.3.85	27.3.85
7.	—वही—	—वही—	6066	26.3.85	27 3.85
8.	श्री चैन सुख	श्री मोहर सिंह	6073	26.3 85	27.3.85
9.	श्री धीर सिंह	मोहम्मद अमीम	6074	26.3.85	27.3.85
10.	—वही—	श्री रफीक अहमद	6075	26.3.85	27.3.85
11.	—वही—	नियाज अहमद	6076	26.3.85	27.3.85
12.	—वही—	मो० उमर	6077	26.3.85	27.3.85

1	2	3	4	5	6
13.	श्री मान सिंह	मो० रजीउद्दीन	6078	26.3.85	27.3 85
14.	श्री धीर सिंह	श्री बसराह मुल्तान	6079	26.3.85	27.3.85
15.	—वही—	श्री सैयद मंजूर	6080	26.3 85	27.3.85
16.	श्री धीर सिंह	मो० अहमद	6081	26.3.85	27.3.85
17.	—वही—	मो० जावेद	6082	26.3.85	27.3.85
18.	—वही—	होशियार सिंह	6083	26.3 85	27.3.85
19.	—वही—	अफसर जहान बेगम	6084	26 3.85	27.3.85
20.	श्री सुन्दर सिंह	शकुनाला	6085	26.3.85	27.3.85
21.	श्रीमती कमलेश	कान्ता कुमारी	11876	24.7.85	25.7.85
22.	—वही—	अनित लाल	11877	24.7.85	25.7.85
23.	—वही—	महेन्द्र सिंह	11878	24.7.85	25.7 85
24.	श्री राम स्वरूप	अजिताभ बच्चन	11881	24.7.85	25.7.85
25.	—वही—	—वही—	11882	24.7.85	25.7.85
26.	—वही—	—वही—	11883	24.7.85	25.7.85
27.	—वही—	शीला	11884	24.7.85	25.7.85
28.	—वही—	रमोला बच्चन	11885	24.7.85	25.7.85
29.	—वही—	—वही—	11886	24.7 85	25.7.85
30.	—वही—	धीर कुमार बच्चन	11887	24.7.85	25.7.85

1	2	3	4	5	6
31.	—वही—	—वही—	—	24.7.85	25.7.85
32.	—वही—	रमोल्त बच्चन	11888	24.7.85	25.7.85
33.	—वही—	भीम कुमार बच्चन	11889	24.7.85	25.7.85
34.	श्री महेन्द्र सिंह	विजयफिर दौस	11890	24.7.85	25.7.85
35.	श्री रामस्वरूप	अमिताभ बच्चन	11891	24.7.85	25.7.85
36.	श्री कौशल गुप्ता	आर० के० गुप्ता	11892	24.7.85	25.7.85
37.	श्री नाथू	राम किशन	11893	24.7.85	25.7.85
38.	श्री भोला	सजय शर्मा	11894	24.7.85	25.7.85
39.	श्री भोला	प्रदीप कुमार	11895	24.7.85	25.7.85
40.	श्री भोलाराम	राम किशन	11896	24.7.85	25.7.85
41.	श्री भोलाराम	नरेश	11897	24.7.85	25.7.85
42.	श्री घनश्याम	रेवती शर्मा	12283	6.8.85	8.8.85
43	श्री परसा आदि	शांति आदि	12284	6.8.85	8.8.85
44.	श्री मुंशी आदि	पंचशील सर्विस	12285	6.8.85	8.8.85
45.	श्री मुंशी आदि	—वही—	12286	6.8.85	8.8.85
46.	—वही—	वागेश्वर बहल	12287	6.8.85	8.8.85
47.	श्री मामचन्द	उर्वशी वालिया	12288	6.8.85	8.8.85
48.	—वही—	—वही—	12289	6.8.85	8.8.85

1	2	3	4	5	6
49.	मुंशी आदि	—वही—	12290	6.8 85	8.8.85
50.	माम चन्द	पंचशील सविस	12291	6.8.85	8 8.85
51.	लाखी आदि	किशनचन्द गुप्ता	12292	6.8.85	8.8.85

क्रमांक	विक्रेता का नाम	क्रेता का नाम	खसरा नं०	क्षेत्र		गांव
				बीघा	बिसवा	
1	2	3	7	8	9	10
1.	श्री सती राम	श्री अमिताभ बच्चन	7/18—19	4	19	जोनापुर
2.	श्री विनोद कुमार	—वही—	7/12	1	17	,,
3.	श्री छत्तर सिंह	—वही—	7/13	3	10	,,
4.	श्री पत राम	—वही—	7/8	4	9	,,
5.	—वही—	—वही—	24/12/2, 13/2, 18/1			,, ,,
6.	—वही—	—वही—	7/2/2	3	1	,,
7.	—वही—	—वही—	4/23	4	12	,,
8.	श्री चैन सुख	श्री मेहर सिंह	45/4	4	16	समालका
9.	श्री धीर सिंह	मोहम्मद अमीप	759/531 359	0	4	असोला

1	2	3	7	8	9	10
10.	—वही—	श्री रफीक अहमद	—वही—	—वही—		—वही—
11.	—वही—	नियाज अहमद	—वही—	—वही—		—वही—
12.	—वही—	मो० उमर	—वही—	—वही—		—वही—
13.	श्री मान सिंह	मो० रजीउद्दीन	—वही—	—वही—		—वही—
14.	श्री धीर सिंह	श्री बसराह सुल्तान	—वही—	—वही—		—वही—
15.	—वही—	श्री सैयद मंजूर	—वही—	—वही—		—वही—
16.	श्री धीर सिंह	मो० अहमद	358	0	4	असोला
17.	—वही—	मो० जावेद	358	0	2½	असोला
18.	—वही—	होशियार सिंह	759/531/359	0—	4	असोला
19.	—वही—	अफसर जहान बेगम	—वही—	0	4	असोला
20.	श्री सुन्दर सिंह	शकुन्तला	1151/3	225	कवायर यार्ड	महरोली
21.	श्रीमती कमलेश	कान्ता कुमारी	1104/1	1	0	रंगपुरी
22.	—वही—	अनित लाल	1104/1	1	0	रंगपुरी
23.	—वही—	महेन्द्र सिंह	—वही—	1	0	रंगपुरी
24.	श्री राम स्वरूप	अमिताभ बच्चन	18/7, 26 आदि	12—	2	जोनापुर
25.	—वही—	—वही—	18/5, 6	12	2	जोनापुर
26.	—वही—	—वही—	—वही—	12	2	जोनापुर

1	2	3	7	8	9	10
27.	—वही—	शीला	58/16, 20/2	5–17		जोनापुर
28.	—वही—	रमोला बच्चन	—वही—	—वही—		जोनापुर
29.	—वही—	—वही—	16/17, 18	5	17	जोनापुर
30.	—वही—	धीर कुमार बच्चन	16/19 आदि	33½	0	जोनापुर
31.	—वही—	—वही—	56/14/2	10	2	जोनापुर
32.	—वही—	रमोला बच्चन	14/2/17	10	2	जोनापुर
33.	—वही—	मीम कुमार बच्चन	18/7 आदि	12	2	जोनापुर
34.	श्री महेन्द्र सिंह	विजयकिर दौस	731.730	5	8	गडायीपुर
35.	श्री रामस्वरूप	अमिताभ बच्चन	18/7, 26 आदि	12	2	जोनापुर
36.	श्री कौशल गुप्ता	आर० के० गुप्ता	1104, 1430	1	8	रंगपुरी
37.	श्री नाथू	राम किशन	374	1	14	फतेहपुर बेरी
38.	श्री मोला	संजय शर्मा	364 आदि	5	13	फतेहपुर बेरी
39.	श्री मोला	प्रदीप कुमार,	340, 374	2	7	—वही—
40.	श्री मोलाराम	राम किशन	371	4	9	—वही—
41.	श्री घनश्याम	रेवती शर्मा	335 आदि	2	7	—वही—
42.	श्री मोलाराम	नरेश	1531, 1532	4	19	असोला
43.	श्री परसा आदि	शांति आदि	940	7	11	असोला
44.	श्री मुंशी आदि	पंचशील सर्विस	56/14/2	10	2	जोनापुर

1	2	3	7	8	9	10
45.	श्री मुंशी आदि	—वही—	—वही—	10	2	जोनापुर
46.	—वही—	बालेश्वर बहल	56/23/1,24/1	1	16	जोनापुर
47.	श्री मामचन्द	उर्वशी वालिया	56/5	12	14	जोनापुर
48.	—वही—	—वही—	56/5, 6	12	14	जोनापुर
49.	मुंशी आदि	—वही—	56/14	1	6	जोनापुर
50.	माम चन्द	पंचशील सर्विस	56/15 आदि	10	2	जोनापुर
51.	साक्षी आदि	किशनचन्द गुप्ता	1703/947	15	11	फतेहपुर बेरी

जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किये गए व्यक्ति

[अनुवाद]

6651. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जासूसी के आरोपों में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं।

(ख) इस सम्बन्ध में कितने मामलों में फैसला हो गया है और कितने मामले अभी तक लम्बित पड़े हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कितने व्यक्तियों को दोष-मुक्त किया गया है और इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान जासूसी के आरोपों के कारण 247 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इस अवधि के दौरान 61 मामले दोष सिद्ध में समाप्त हुए और 73 मामले या तो विचारणाधीन हैं या उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। इस अवधि के दौरान तीन व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया।

रासायनिक हथियारों में कमी

6652. **प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट**
श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका और सोवियत संघ विश्व में शांति स्थापित करने के प्रयास के रूप में रासायनिक हथियारों में कमी करने पर सहमत हुए हैं।

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी करने पर सहमत हुए हैं;

(ग) क्या इस प्रस्ताव का भारत तथा अन्य देशों ने स्वागत किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्रकुमार गुजराल) : (क) और (ख) रासायनिक अस्त्रों पर अपनी द्विपक्षीय बातचीत में संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ इस बात पर सहमत हुए हैं कि जेनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन में इस समय रासायनिक अस्त्र अभिसमय के सम्बन्ध में जो चर्चा चल रही है, उसके प्रवृत्त होने से पहले ही वे अपने-अपने रासायनिक भण्डारों को कम करना शुरू कर देंगे। इन कटौतियों का सही-सही ब्योरा अभी तैयार किया जाना है।

(ग) और (घ) भारत और अधिकांश अन्य तटस्थ और गुट-निरपेक्ष देशों ने अमरीका और सोवियत संघ के रासायनिक अस्त्र भण्डारों में कटौती के बारे में उनके बीच हाल ही में हुए समझौते का स्वागत किया है। उन्हें आशा है कि ये कटौतियां रासायनिक अस्त्र अभिसमय, जिस

पर बातचीत चल रही है, के इस बुनियादी लक्ष्य के एक भाग के रूप में की जाएंगी कि इस अभिसमय के लागू होने के बाद दस वर्ष की अवधि के अन्दर सभी रासायनिक अस्त्रों और उनके उत्पादन की सुविधाओं को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा।

भारतीय लेखकों के शिष्टमंडल की विदेश यात्राएं

[हिन्दी]

6653. प्रो० शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 और 1889-90 के दौरान भारतीय लेखकों के कितने शिष्टमण्डलों ने किन-किन देशों की यात्राएं की हैं; और

(ख) उक्त शिष्टमण्डलों में कुल कितने लेखक थे और इनमें से हिन्दी लेखक कितने थे ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्रकुमार गुजराल) : (क) 1988-89 के दौरान चेकोस्लोवाकिया में भारतीय लेखकों का एक शिष्टमण्डल गया था और 1989-90 के दौरान चीन और बंगलादेश में भारतीय लेखकों का एक-एक शिष्टमण्डल गया था जिन्हें भारतीय सांस्कृतिक संबन्ध परिषद ने भेजा था।

(ख) जानकारी नीचे लिखे अनुसार है :

1. चेकोस्लोवाकिया गए शिष्टमंडल में 5 लेखक थे जिसमें हिन्दी के दो लेखक थे।

2. चीन गए शिष्टमण्डल में कुल सात लेखक थे। (इस शिष्टमंडल में को दो हिस्सों में भेजा गया था—जून, 1989 में और दिसम्बर, 1989 में) जिसमें हिन्दी के दो लेखक थे।

3. बंगलादेश गए शिष्टमण्डल में दो लेखक थे जिसमें हिन्दी का कोई लेखक नहीं था।

वाटरशेड परियोजना के लिए विदेशी ऋण

[अनुवाद]

6655. श्री गुमान मल लोढ़ा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जल विभाजक परियोजनाओं (वाटरशेड प्रोजेक्टस) के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ तथा विश्व बैंक ने ऋण मंजूर कर दिया है;

(ख) उक्त प्रत्येक संगठन से कितनी-कितनी धनराशि के ऋण के लिये आवेदन किया गया था, उन्होंने किन-किन शर्तों पर कितनी-कितनी राशि के ऋण मंजूर किए हैं; और

(ग) राज्य-वार ये परियोजनाएं कब तक शुरू किये जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां। अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक ने समेकित पनधारा विकास परियोजना

(हिल्स) के लिए हाल में साख और ऋण की स्वीकृति दी है।

(ख) 56.8 मिलियन अमरीकी डालर की साख और 13.0 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण के सम्बन्ध में समझौता करके स्वीकृति दी गई। साख और ऋण की शर्तें निम्नलिखित हैं—

(1) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋण की शर्तें

ऋण 35 वर्षों की अवधि में 10 वर्षों की छूट के साथ अर्द्धवार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य है।

प्रत्येक वर्ष 30 जून की स्थिति के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा निश्चित दर पर समय-समय पर न निकाले जाने वाले ऋण की मूल राशि पर प्रतिबद्धता भार, जो एक प्रतिशत प्रति वर्ष के आधे की दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। समय-समय पर निकाले गए और प्रमुख ऋणों की मूल राशि पर एक प्रतिशत प्रति वर्ष का तीन-चौथाई सेवा प्रभार भी देय है।

(2) अंतर्राष्ट्रीय पुर्ननिर्माण और विकास बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण की शर्तें

ऋण 5 वर्षों की छूट के साथ 20 वर्षों की अवधि में अर्द्धवार्षिक किस्तों में पुनः देय है।

समय-समय पर न निकाले गये ऋण की मूल राशि पर एक प्रतिशत प्रतिवर्ष के तीन-चौथाई की दर से प्रतिबद्धता प्रभार; और

बैंकों के क्वालीफाइड बौरोअिंग्स पर प्रति वर्ष डेढ़ प्रतिशत की दर से ब्याज की देय है।

(ग) परियोजना हरियाणा, हिमालय प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब राज्यों में जल्द ही शुरू किये जाने की संभावना है।

भूकम्प पीड़ितों के लिए दी गई धनराशि का अन्य कार्यों के लिए उपयोग

6656. **श्री नरसिंहराव सूर्यवंशी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार को अप्रैल, 1986 में कांगड़ा में आये भूकम्प पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए मंजूर की गई धनराशि का राज्य-सरकार ने अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

सोवियत संघ से पोटाश की सप्लाई

6657. श्रीमति बासव राजेश्वरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ इस वर्ष की व्यापार योजना के अन्तर्गत पांच लाख टन पोटाश का म्यूरिएट सप्लाई करने पर सहमत हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इससे उर्वरकों की मांग किस हद तक पूरी होगी;

(ग) क्या कुछ अन्य देश भी इसकी सप्लाई करने पर सहमत हुए हैं, और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक देश कितनी मात्रा में सप्लाई करेगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) से (घ) पूछी गई जानकारी को प्रकट करना जनहित में नहीं होगा।

महाराष्ट्र में मत्स्यन बन्दरगाह

[हिन्दी]

6658. प्रो० महादेव शिवनकर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या महाराष्ट्र में मत्स्य बन्दरगाह के निर्माण सम्बन्धी कितने प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़े हैं;

(ख) इनके लम्बित रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) महाराष्ट्र में मात्स्यिकी बन्दरगाह के निर्माण का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के पास लम्बित नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

विदेशी सहयोग-प्रस्तावों के सम्बन्ध में जांच

[अनुवाद]

6659. श्री सुदर्शन राय चौधरी
श्री के० प्रधानी
श्री टी० बाल गौड़
चौ० राम प्रकाश
श्री प्रकाश बी० पाटिल
: क्या गृह मन्त्री यह बतानेकी कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सहयोगकर्ता कम्पनियों के सहयोग-प्रस्तावों को मंजूरी देने से पहले उनकी

विश्वसनीयता की विशेषकर देश की सुरक्षा और अखंडता को ध्यान में रखकर जांच की जाती है;

(ख) यदि हां, तो यह जांच कैसे की जाती है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन बड़े विदेशी सहयोग- प्रस्तावों की मंजूरी दी गई थी उनके मामले में भी ऐसी जांच की थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) विदेशी सहयोग-कर्ताओं की जांच, जांच रिकार्ड के माध्यम से की जाती है।

(ग) और (घ) यह सुरक्षा से सम्बन्धित मामला है और इसे सदन में नहीं बताया जा सकता है।

सी डाट में विदेशी सलाहकार

6660. **श्री आर. गुंडूराव**
श्री वाई. रामकृष्ण : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सी-डाट में तकनीकी सलाहकारों के रूप में नियुक्त किये गए विदेशी सलाहकारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ये नियुक्तियां किन-किन कार्यों के लिए की गई थीं;

(ग) क्या इनकी अर्हताओं, अनुभव आदि के बारे में कोई शर्तें निर्धारित की गई थीं;

(घ) क्या इसके लिए कोई चयन बोर्ड स्थापित किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो परामर्श सेवा प्राप्त करने के लिए किये गए अनुबंध की शर्तें, उनकी पिछली पृष्ठभूमि सहित इन नियुक्तियों का ब्यौरा क्या है, और इसके लिए कितनी विदेशी मुद्रा का भुगतान किया गया ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और तैयार होते ही इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

जयपुर के जिला मुख्यालयों के लिए एस. टी. डी. सम्पर्क

[हिन्दी]

6661. **श्री कालू सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान में जयपुर को प्रत्येक जिला मुख्यालय से एस. टी. डी. से जोड़ने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा वर्ष 1990-91 में किन-किन जिलों को एस०टी०डी० से जोड़ा जाएगा, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

राजस्थान के सभी 27 जिला मुख्यालयों को जयपुर के साथ एस. टी. डी. द्वारा जोड़ा जा चुका है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम: 1986 के अन्तर्गत दूर संचार विभाग के न्यायाधिकरण अथवा शिकायत समाधान न्यायालय

[अनुवाद]

6662. **श्री पी. सी. थामस** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत न्यायाधिकरणों अथवा शिकायत समाधान न्यायालयों में विभाग के विरुद्ध अधिक राशि के बिल भेजने के कितने मामले लम्बित पड़े थे और कितने मामलों में निर्णय विभाग के विरुद्ध किया गया, और

(ख) क्या दूरसंचार विभाग की ग्राहक सेवाओं के प्रभारी महा-प्रबन्धक ने भी विभाग के सभी प्रमुखों को अनुदेश जारी किए है, कि वे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अथवा उपभोक्ता शिकायत समाधान न्यायालय के अन्तर्गत स्थापित न्यायाधिकरण को विभाग के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के रूप में गठित समझे यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे यथासमव शीघ्र सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

नया थेवेरा पुल

6663. **प्रो० के० वो० थामस** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन पत्तन को कोचीन से जोड़ने वाले थेवेरा पुल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) इस निर्माण-कार्य पर कितनी धनराशि खर्च हुई है;

(ग) क्या इस पुल को कोचीन नगर तथा कोचीन पत्तन से जोड़ने वाली सम्पर्क सड़कें अभी तक बनकर तैयार नहीं हुई हैं;

(घ) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है;

(ङ) इन दो सम्पर्क सड़कों के निर्माण-कार्य से कौन-सी एजेंसी सम्बद्ध है;

(च) क्या सम्पर्क सड़कों के निर्माण में देरी के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है;

(छ) इन सम्पर्क सड़कों के शीघ्र निर्माण के लिए क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ज) सामान्य यातायात के लिए इस सम्पर्क सड़क और पुल को कब खोले जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के. पी. उन्नीकृष्णन) : (क) और **(ख)** जी, हां। मार्च, 1990 तक पुल के निर्माण पर 639 लाख रु० व्यय किये जा चुके हैं।

(ग) से (ङ) जी, हां। इस परियोजना हेतु वर्ष 1990-91 के लिए 359.39 लाख रु० की राशि उपलब्ध कराई गई है तथा कोचीन पत्तन न्यास इसे कार्यान्वित करने वाली एजेंसी है।

(च, से (ज) सुधार कार्य देर से शुरू होने तथा कम संख्या में ड्रेजर लगाने के कारण प्रगति धीमी है। कार्य की प्रगति की नियमित समीक्षा की जा रही है और इसे इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक यातायात के लिए खोल दिये जाने की आशा है।

राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ा किया जाना

6664. क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बढ़ते हुए यातायात को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करके इसे चार लेन का बनाने के लिये कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार किन-किन क्षेत्रों का पता लगाया गया है तथा उन क्षेत्रों के राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने के प्रस्तावों का विस्तृत ब्यौरा क्या है; और उनके लिए यदि कोई धनराशि आवंटित की गई है तो ब्यौरा क्या है ?

जल भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के पी उन्नीकृष्णन) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ;

विवरण

क्र०सं० राज्य	रा० रा० संख्या	कार्य का नाम	लम्बाई कि०मी०	अनुमानित लागत (करोड़ रु०)	वर्ष 1990-91 में आबंटन (लाख रु०)
1 2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश	5	कि० मी० 355.0—434.2, चिलाकालुरीपेंत—विजयवाड़ा	79.8 कि०मी०	122 00	10.00
यथोक्त	9	कि० मी० 515.0—520.0 पुणे-हैदराबाद	5	3.50	10.00
2. दिल्ली	1	कि० मी० 8.5—15.0 दिल्ली मुरथल खण्ड	6.5	3.00	30 00
यथोक्त	1	कि० मी० 15.0 21 0 दिल्ली—मुरथल खण्ड	6.0	3.00	15.00
3. गुजरात	8	कि० मी० 108 4 – 125.6, 129.5—131.0, 192.0—204 0, 208.0—218.0 और 259.4 – 263 0 अहमदाबाद–वदोदरा–महा० बार्डर खण्ड	44 3	20.35	12.00
यथोक्त	8 क	कि० मी० 12.0—13.20, 362.0—368.0 (कांडला के पास) अहमदाबाद—लिम्बड़ी— कांडला रोड़	7.2	3.60	4.00

1	2	3	4	5	6	7
	यथोक्त	8 ख	पोरबंदर के पास	6	3.00	2.00
	यथोक्त	8 ग	कि॰ मी॰ 17.0—24 0, 25.150—33 500, 35 0—36.0, 39.0—42.42 चिलोदा—सरखेज खण्ड	19.77	10.10	18.00
4.	हरियाणा	1	कि॰ मी॰ 132.675—212.61 करनाल—अम्बाला—पंजाब बार्डर	79.935	98 00	40.00
		8	कि॰ मी॰ 36–74, दिल्ली-जयपुर रोड	38 कि॰मी॰	31.30	5.00
		10	कि॰ मी॰ 35—70, दिल्ली—रोहतक रोड	38 कि॰मी॰	20.00	5.00
5.	कर्नाटक	7	कि॰मी॰ 8–33, बंगलौर—हसूर खंड	25	30.00	5.00
6.	केरल	47	कि॰मी॰ 332.15–348 5 अलवाय—वैटिल्ला खण्ड	16	29.60	1.00
		47	कि॰मी 366.50—387.5, आरूर—चेरटल्लाई	21	16.40	1 00
7.	मध्य प्रदेश	3	कि॰मी॰ 574.0—591.6 ग्वालियर—शिवपुरी—महा॰ बार्डर खण्ड	27	20.00	10.00
		3	इन्दौर बाईपास-यथोक्त	32	39.70	10.00
		6	कि॰मी॰ 282—308, जयपुर—दुर्ग खण्ड	26	10.00	5.00

1	2	3	4	5	6	7
8.	महाराष्ट्र	3	कि०मी० 414.0—418.0, नासिक—धुले—मध्य प्रदेश बार्डर	4	1.60	1.00
		4	कि०मी० 43.0—61.60 बम्बई—पुणे रोड़	18.6	11.20	2.00
		4	कि०मी० 79.3—94.5, बम्बई—पुणे रोड़	15 22	9.10	2.00
		8	कि०मी० 439—497, बम्बई—अहमदाबाद खण्ड	58	72.00	10.00
			कि०मी० 497—499 यथोक्त	3	1.00	1.00
9.	उड़ीसा	5	कि०मी० 0.0—23.0, भुवनेश्वर—कटक—बिहार/उड़ीसा बार्डर, महानदी पुल एवं पहुंच मार्ग	26.70	113.20	30.00
10.	पंजाब	1	कि०मी० 212.80—252.80, अम्बाला—सिरहन्द खण्ड	40	60.00	30.00
11.	राजस्थान	8	कि०मी० 162.5—231 दिल्ली—जयपुर रोड़	68.5	56.00	10.00
12.	उत्तर प्रदेश	2	कि०मी० 148.33—199.60 दिल्ली—आगरा रोड़	51.4	51.00	25.00

1	2	3	4	5	6	7
[illegible]	[illegible]	24	कि०मी० 28—48.6 दिल्ली—हापुड़ रोड़	21.6	14.00	10.00
13.	पश्चिम बंगाल	2	कि०मी० 438 6—474.0, पश्चिम बंगाल/बिहार—रानीगंज खंड	35.4	67.60	0.50

महानगरों में डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज

6665. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियार :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक विभिन्न महानगरों में कितने डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज चालू किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसे और डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना अवधि के दौरान विभिन्न नगरों में राज्य-वार कितने डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज चालू करने का विचार किया गया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) 31.3.90 को इक्कासी (81) स्थानीय डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज विभिन्न महानगरों अर्थात् दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में चालू किए जा चुके हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

विभिन्न शहरों और कस्बों में आठवीं योजना अवधि के दौरान डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों के ब्यौरे

क्र०सं०	राज्य	डिजिटल एक्सचेंजों की संख्या	
		शहरों	कस्बों
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	16	567
2.	असम	3	176
3.	बिहार	5	257
4.	कर्नाटक	10	483
5.	केरल	17	303

1	2	3	4
6.	मणिपुर	1	161
7.	मेघालय	1	
8.	त्रिपुरा	1	
9:	उड़ीसा	3	212
10.	तमिलनाडु	13	358
11.	पांडीचेरी (संघ क्षेत्र)	1	
12.	पश्चिम बंगाल	11	236
13.	हिमाचल प्रदेश	1	185
14.	जम्मू व कश्मीर	2	62
15.	गोआ	1	—
16.	मध्य प्रदेश	4	406
17.	दिल्ली (संघ क्षेत्र)	28	—
18.	गुजरात	23	370
19.	उत्तर प्रदेश	12	394
20.	राजस्थान	9	345
21.	हरियाणा	8	187
22.	पंजाब	10	291
23.	महाराष्ट्र	24	595
24.	बम्बई	94	
	योग	298	5588

बिहार में झंझारपुर में टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

[हिन्दी]

6666. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बिहार में झंझारपुर में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) बिहार में झझारपुर में इस समय एक टेलीफोन एक्सचेंज काम कर रहा है।

(ख) यह 100 लाइनों वाला एक मैनुअल एक्सचेंज है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को मद्देनजर रखते हुए लागू नहीं होता।

टेलीफोन एक्सचेंजों को स्वचालित बनाना

[अनुवाद]

6667. **श्री मोरेश्वर सावे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में केरल में कासरगोड ऐसा पहला सर्किल है जहां सभी टेलीफोन एक्सचेंजों को स्वचालित बनाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य कोई ऐसे जिले हैं जहां निकट भविष्य में यह स्वचालन सुविधा प्रदान करने की योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं। केरल सर्किल में कासरगोड आखिरी जिला है जहां के टेलीफोन एक्सचेंज को आटोमेटिक बनाया गया।

(ख) और (ग) उत्तर के भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली में टैक्सी तथा आटोरिक्शा ड्राइवरों द्वारा यात्रियों से अधिक किराया लिया जाना

[हिन्दी]

6668. **श्री राजवीर सिंह** : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान दिल्ली में ऑटोरिक्शा तथा टैक्सी ड्राइवरों द्वारा यात्रियों को ले जाने से मना करने, अधिक किराया लेने तथा यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार करने के विरुद्ध कितनी शिकायतें मिली हैं, और

(ख) इन वाहनों के ड्राइवरों/मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) परिवहन निदेशालय, दिल्ली प्रशासन और दिल्ली पुलिस को, पिछले छ: महीनों के दौरान ऐसी 3250 शिकायतें प्राप्त हुई। दिल्ली पुलिस द्वारा मौके पर की गई जांच के फलस्वरूप पिछले छ: माह के दौरान 8480 आटो-रिक्शा ड्राईवरों तथा 130 टैक्सी ड्राईवरों का भी चालान किया गया।

(ख) यात्रियों को ले जाने से मना करना, अधिक भाड़ा लेना और यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार करना, परमिट करना, परमिट की शर्तों का उल्लंघन हैं। परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाती है। अदालत द्वारा दोष सिद्ध होने पर, परमिट 30 दिन तक के लिए निलंम्बित कर दिया जाता है और वाहन को जब्त कर लिया जाता है।

दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत चलने-वाली प्राइवेट बसों द्वारा दुर्घटनाए

[अनुवाद]

6669. **श्री राम सागर (सैदपुर)** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छ: महीनों के दौरान, माह-वार, हुई दुर्घटनाओं में शामिल डी० टी० सी० के अन्तर्गत चालित प्राइवेट बसों की संख्या कितनी है तथा गत तीन वर्षों में इसी अवधि के दौरान हुई दुर्घटनाओं की तुलना में इसकी स्थिति क्या है;

(ख) क्या इन दुर्घटनाओं का कारण यह था कि ये बसें सड़कों पर चलाने योग्य नहीं थीं; और

(ग) बस आपरेटरों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) अक्तूबर, 1989 से मार्च, 1990 तक तथा गत तीन वर्षों की इसी अवधि में दिल्ली परिवहन निगम के प्रचालनाधीन प्राइवेट-बसों के साथ हुई दुर्घटनाओं की संख्या के आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) दिल्ली परिवहन निगम तथा बस मालिक के बीच समझौते की शर्तों में एक शर्त यह है कि बस मालिक को दिल्ली मोटर वाहन नियमों के अनुसार बस को सड़क पर चलने योग्य रखना चाहिए तथा सभी आवश्यक मरम्मत करवानी चाहिए।

(ग) अक्तूबर, 1989 से मार्च, 1990 के दौरान घातक दुर्घटनाओं में ग्रस्त दिल्ली परिवहन निगम के प्रचालनाधीन 22 बसों में से 17 के करार समाप्त कर दिए गए, एक बस के प्रचालक पर जुर्माना किया गया तथा शेष चार मामलों के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

विवरण

अक्तूबर, 1989 से मार्च, 19990 तथा गत तीन वर्षों की इसी अवधि में दिल्ली परिवहन निगम के प्रचालन के प्रचालनाधीन प्राइवेट बसों के साथ हुई दुर्घटनाओं की संख्या

अवधि		संख्या
1		2
अक्तूबर, 1989		18
नवम्बर, 1989		12
दिसम्बर, 1989		9
जनवरी, 1990		11
फरवरी, 1990		8
मार्च, 1990		15
	योग	73
अक्तूबर, 1988		8
नवम्बर, 1988		11
दिसम्बर, 1988		15
जनवरी, 1989		23
फरवरी, 1989		10
मार्च, 1989		8
	योग	75
अक्तूबर, 1987		147
नवम्बर, 1987		167
दिसम्बर, 1987		141
जनवरी, 1988		131

1		2
फरवरी, 1988		126
मार्च, 1988		59
	योग	771
अक्तूबर, 1986		168
नवम्बर, 1986		147
दिसम्बर, 1986		128
जनवरी, 1987		134
फरवरी, 1987		120
मार्च, 1987		135
	योग	832

नोट : अक्तूबर, 1986 से मार्च 1987 तथा अक्तूबर, 1987 से मार्च, 1988 तक की अवधि की सूचना दिल्ली परिवहन निगम के, जिसने दिल्ली परिवहन निगम के प्रचालन के तहत प्रचालित बसों को संवाहक उपलब्ध कराए थे, रिकार्ड से दी गई है। अक्तूबर, 1988 से मार्च, 1989 और अक्तूबर, 1989 से मार्च, 1990 की अवधि की सूचना दिल्ली परिवहन निगम ने पुलिस रिकार्ड से प्राप्त की है।

झबुआ में माइक्रो वेव दूरसंचार केन्द्र की स्थापना

[हिन्दी]

6670. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में झाबुआ में स्थापित माइक्रोवेव दूरसंचार केन्द्र के कब तक चालू हो जाने की संभावना है;

(ख) क्या यह केन्द्र काफी समय से तैयार है और वहां आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध हैं; और

(ग) यदि हां, तो उक्त केन्द्र को अब तक चालू न करने के क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) झबुआ में 26.3.90 को एक यू० एच० एफ० केन्द्र चालू कर दिया गया है।

(ख) जी, नहीं। संपूर्ण उपस्कर फरवरी, 90 में ही प्राप्त हो पाया था और संस्थापना कार्य 26.3.90 को ही पूरा हो पाया था।

(ग) लागू नहीं होता।

भारतीय काली मिर्च निगम की स्थापना

[अनुवाद]

6671. **श्री पलाई के० एम० मैथ्यू** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पटसन निगम, तिलहन निगम, नारियल निगम आदि की तरह भारतीय काली मिर्च निगम गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) कृषि मंत्रालय काली मिर्च के उत्पादन और अनुसंधान सम्बन्धी पहलुओं को भली-भांति देख-रेख करता है। वाणिज्य मंत्रालय के अन्तर्गत गठित मसाला बोर्ड को मसालों, जिनमें काली मिर्च भी शामिल है, के विकास, निर्यात, संवर्धन और विनियमन का दायित्व सौंपा गया है। इसलिए, यह महसूस किया गया है कि काली मिर्च के लिए एक पृथक निगम गठित करने की कोई जरूरत नहीं है।

दिल्ली में डिजीटल इलेक्ट्रानिकी एक्सचेंज

6672. **श्री बो० एस० बासवराज** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में इस वर्ष नये डिजीटल इलेक्ट्रानिकी एक्सचेंज खोले गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन पर, एक्सचेंज-वार कितनी लागत आई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

एक्सचेंज का नाम और कोड	अनुमानित परियोजना लागत (लाख रुपयों में)
1	2
जनपथ "371"	1900
छतरपुर "727"	320

1	2
दिल्ली गेट "326/327"	1000
बसन्त कुन्ज "689"	540
पालम "3295"	175
शादीपुर "570"	892
ईदगाह "753"	530
जनकपुरी "550/559"	2040
जोरबाग "462"	175
दिल्ली कैन्ट "329"	300
पश्चिम विहार "558"	892

आंध्र प्रदेश के सड़क निर्माण का प्रस्ताव

6673. **श्री एम० बागा रेड्डी** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने जुलाई, 1989 में केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय सड़क कोष के अन्तर्गत राज्य में सड़क निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए भेजा था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० (उन्नीकृष्णन) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि केन्द्रीय सड़क निधि में वास्तव में अभी वृद्धि नहीं हुई है जिसके प्रति ये प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे, अतः प्रस्तावों पर संस्वीकृति के लिए आगे कार्रवाई नहीं की गई है।

राजस्थान में दूरसंचार नेटवर्क का विस्तार तथा आधुनिकीकरण

0674. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना अवधि के दौरान राजस्थान में दूरसंचार नेटवर्क का विस्तार तथा आधुनिकीकरण करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) सेवा में सुधार करने तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विचाराधीन आवेदनों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया गया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) सातवीं योजना के दौरान राजस्थान राज्य में दूरसंचार नेटवर्क का निम्नलिखित अतिरिक्त व्यवस्था करके विस्तार किया गया है :—

(I) इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग उपस्कर की लगभग 39, 110 लाइनों सहित लगभग 64000 लाइनों तक स्थानीय स्विचन क्षमता ।

(II) कुल लगभग 43760 नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करके ।

(III) 800 लाइनों की टेलेक्स क्षमता ।

(IV) ग्रामीण क्षेत्रों में कुल लगभग 1109 नई लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करके ।

इसी अवधि के दौरान, प्रणाली को आधुनिक बनाए जाने के कार्यक्रम में मैनुअल एक्सचेंजों को ऑटोमेटिक बनाना, लगभग 40 पुराने एक्सचेंजों को बदलना, भूमिगत केबिलों को डक्ट में बिछाना और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेन्जों को भी शामिल किया गया ।

(ख) आठवीं योजना प्रस्तावों में निम्नलिखित की व्यवस्था करना शामिल है :

(I) सभी स्थानीय मैनुअल एक्सचेन्जों को ऑटोमेटिक बनाना ।

(II) सभी पुराने और जीर्ण-शीर्ण मरम्मत की दृष्टि से खराब उपस्करों को बदलना ।

(III) इलेक्ट्रॉनिक उपस्करों को शामिल करना ।

(IV) भूमिगत केबिल प्रणाली को डक्ट में बिछाना ।

(V) 5000 लाइनों तक क्षमता वाले सभी स्थानीय एक्सचेन्ज प्रणालियों का विस्तार करना ताकि आठवीं योजना अवधि के अन्त तक व्यावहारिक रूप से मांग होने पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जा सकें और टेलीफोन कनेक्शनों के लिए औसत प्रतीक्षा सूची की अवधि को घटाकर 5000 लाइनों से अधिक क्षमता वाली स्थानीय एक्सचेन्ज प्रणाली में एक वर्ष किया जा सके ।

अमरीका द्वारा प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण

6675. **श्री एम० जे० रायवा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने भारत की सिंचाई, बीज, पशुधन सुधार, खारे पानी में मत्स्य पालन, फसल कटने के पश्चात् की प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता प्रदान करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीका की सरकार के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ग) किन-किन मुख्य क्षेत्रों में समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(घ) इस विशेषज्ञता को अपनाने से देश में कृषि उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (घ) अमेरिका के एक कृषि व्यापार और विकास मिशन ने मार्च, 1990 के अन्त में भारत का दौरा किया था तथा भारतीय अधिकारियों के साथ व्यापक स्तर पर बातचीत की थी। इस मिशन का उद्देश्य अमेरिका और अन्य देशों के बीच कृषि व्यापार के दृढ़ संबन्ध स्थापित करना था।

विचार-विमर्श के दौरान बीज, पशुधन, दुग्ध उपयोग, मात्स्यिकी, कटाई के बाद की प्रोद्योगिकी और कृषि पर आधारित उद्योगों आदि से सबन्धित विषयों में सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों का पता लगाया गया।

मिशन के दौरे का स्वरूप गवेषणात्मक था और इसके दौरान किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किये थे।

केन्द्रीय कृषि फार्मों में घाटा

[हिन्दी]

6676. **श्री गोपत सिंह बक्कासर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरतगढ़, सरदारगढ़ और जैतसर में केन्द्रीय कृषि फार्मों में घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन फार्मों में अनियमितताएं बरते जाने के संबध में शिकायतें प्राप्त हुई; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) शिकायतों की जांच करके आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

श्रीलंका की जेलों में बन्द भारतीय मछुआरे

[अनुवाद]

6677. **श्री आर० एम० राकेश** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका की जेलों में अनेक भारतीय मछुआरे बन्द हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) वे जेलों में कब से बन्द हैं, और

(घ) उन्हें रिहा कराने के लिए क्या सरकार ने कदम उठाए हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

दीर्घकालीन सड़क नीति

6678. **श्री चित्त बसु** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दीर्घकालीन सड़क नीति बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां तो इसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) परिवहन नीति के बारे में, एक दस्तावेज तैयार किया जा रहा है जिसमें सड़कों के विकास तथा उन्हें दी जाने वाली नई अवस्थिति पर विचार किया गया है।

सब्जियों तथा फलों के लिए फसल बीमा योजना

[हिन्दी]

6679. **श्री हरीश रावत** :
श्री कावम्बुर एम० आर जनार्दनन } : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फलों और सब्जियों को व्यापक फसल बीमा योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं; और

(ग) फलों तथा सब्जियों का उत्पादन करने वाले कृषकों की प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) और (ख) इस समय वृहत फसल बीमा योजना के अन्तर्गत केवल गेहूं, धान, कदन्न, तिलहन और दलहन फसलें कवर की जाती हैं। चूंकि इस योजना के अन्तर्गत इस समय कवर की गई फसलों से सम्बन्धित इस योजना को चालू रखने में ही केन्द्रीय और राज्य सरकारों को हानि उठानी पड़ रही है, अतः वृहत फसल बीमा योजना के अन्तर्गत फल तथा सब्जी की फसलों को कवर किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके अलावा सरकार का यह विचार है कि इस योजना के अन्तर्गत इस समय कवर की जा रही फसलों के बारे में में अभी कुछ और अनुभव प्राप्त किया जाए।

(ग) राज्य सरकारों का यह दायित्व है कि वे सभी किस्मों की फसलों जिनमें फल तथा सब्जियां शामिल हैं, की खेती करने वाले खेतीहरों पर प्राकृतिक आपदाओं के असर को न्यूनतम करने के लिए रोकथाम के आवश्यक उपाय करें। 31 मार्च, 1990 से पूर्व, छोटे और मार्जिनल किसानों

की फसलें 50 प्रतिशत से अधिक मात्रा तक क्षतिग्रस्त होने पर उन्हें "कृषि आदान राज सहायता" के रूप में 200/- रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से सभी किस्म की फसलों, जिनमें फल तथा सब्जियां शामिल हैं, के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती थी। तथापि, 1.4-1990 से इस प्रकार की सहायता की व्यवस्था सीधे ही राज्य सरकारों द्वारा आपदा राहत निधियों के जरिए की जानी है जिसका सृजन आबंटित धनराशि से किया जाना अपेक्षित है।

प्रौद्योगिकी मिशन में सम्मिलित की गई फसलें

[अनुवाद]

6680. **श्री एस. कृष्ण कुमार** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फसलों के नाम क्या-क्या हैं जिनके लिए प्रौद्योगिकी मिशनों का गठन किया गया है;

(ख) क्या नारियल के लिए भी प्रौद्योगिकी मिशन गठित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (ग) 1986 में भारत सरकार द्वारा तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन गठित किया गया था, ताकि खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता में तेजी लाई जा सके। इसका तात्कालिक लक्ष्य 1989-90 के अन्त तक 16.5 मिलियन मीटरी टन तिलहनों का उत्पादन करना था ताकि खाद्य तेलों के आयात को कम करके उसे आधा किया जा सके।

मिशन का उद्देश्य वार्षिक तिलहन फसलों अर्थात् मूंगफली, तोरिया/सरसों; अरण्डी, तिल, अलसी, रामतिल, कुसुम, सूरजमुखी और सोयाबीन तथा साथ ही नारियल और आयल-पाम जैसी बागानी फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। नारियल और आयल-पाम में टिशु-कल्चर तकनीक का दोहन मिनी मिशन-1 के कार्यकलापों में शामिल किया गया है जो फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी के सुधार तथा अधिक उत्पादनशील पौध-सामग्री के व्यापक प्रसार पर ध्यान देता है।

मछुआरों के कल्याण के लिए संगठन

6681. **श्री एम. एम. पल्लम राजू** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मछुआरों के परिवारों की अनुमानित संख्या क्या है और उनकी औसत वार्षिक पारिवारिक आय कितनी है;

(ख) मछुआरों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए गठित राष्ट्रीय संगठनों के नाम क्या हैं और मछुआरों के कल्याण के लिए उनका योगदान क्या है; और

(ग) प्रत्येक संगठन का विशिष्ट उत्तरदायित्व क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) सरकार ने मछुआरों की समस्याओं का अध्ययन करने और मछुआरों के कल्याण के लिए योगदान करने के वास्ते किसी राष्ट्रीय संगठन की स्थापना नहीं की है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

सरीन खोसला और अग्रवाल समितियों की रिपोर्ट की सिफारिशें

[हिन्दी]

6682. **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूरसंचार विभाग में तकनीशियनों/तकनीकी पर्यवेक्षकों के बारे में गठित सरीन समिति, 1980 खोसला समिति, 1986 और अग्रवाल समिति, 1987 की सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो कब से; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) सरीन समिति ने दिनांक 30-11-81 की अपनी 7वीं रिपोर्ट में कई अनावश्यक संवर्गों को समाप्त करने तथा विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए पर्याप्त कर्मचारियों को उपलब्ध कराने की दृष्टि से अराजपत्रित संवर्ग के ढांचे को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता की ओर संकेत दिया था। वास्तविक पुनर्गठन की सिफारिश करने का कार्य इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट बेंगलोर को सौंपा गया था। इस मामले पर चतुर्थ वेतन आयोग ने विचार किया तथा सरकार द्वारा यह रिपोर्ट 1986 में लागू की गई। इस मामले पर खोसला नामक कोई समिति नहीं है। अग्रवाल समिति की सिफारिशों में विभाग ने संशोधन किया था और यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

महिला संगठनों से प्राप्त ज्ञापन

[अनुवाद]

6683. **श्री वाई०एस० राजशेखर रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ महिला संगठनों, महिला शिक्षाविदों और छात्रों ने ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें आपराधिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता और साक्ष्य अधिनियम में संशोधन करने का आग्रह किया गया है ताकि महिलाओं के प्रति अपराध में लिप्त लोग कानून की गिरफ्त से बच न सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) कुछ एक महिला संगठनों से तारीख 22-12-89 का एक पत्र मिला जिसमें बलात्कार से सम्बंधित अपराधों में सजा देने से सम्बन्धित कानून में यह स्पष्ट संशोधन करने की मांग की गई है कि यदि किन्हीं विशेष कारणों से न्यायालय द्वारा उक्त उपधारों के तहत निर्धारित न्यूनतम सजा से कम सजा देने के लिए कोई निर्णय लेने के प्रयोजनार्थ बलात्कार के शिकार महिला के चरित्र ख्याति, हैसियत या उसके आचरण के किसी पहलू पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके इस मामले पर विचार कर रही है।

महिला संगठनों के 8-3-1990 के ज्ञापन में अन्य बातों के साथ यह बात भी कही गई है कि बलात्कार, दो विवाह करने, पत्नी के होते हुए किसी अन्य महिला के साथ अनैतिक सम्बन्ध रखने इत्यादि से सम्बन्धित अपराधिक कानूनों में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तथापि कोई विशिष्ट संशोधन करने का सुझाव नहीं दिया गया है।

व्यापक फसल बीमा योजना

[हिन्दी]

6684. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान व्यापक फसल बीमा योजना के तहत दी गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1989-9. के दौरान राज्यवार कितने किसानों को इस योजना के तहत लाभ मिला है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) वृहत फसल बीमा योजना के तहत राज्य फसल बीमा कोष बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में बराबर रकम दी जाती है। यह कोष इस योजना को लागू करने वाले राज्यों में इस योजना को चलाने के लिए है। चूंकि कार्यान्वयन करने वाले बहुत से राज्यों ने अपने राज्य फसल बीमा कोष बना लिए हैं जिसके लिए भारत सरकार ने अपना अंश पहले ही निर्मुक्त कर दिया है, इसलिए, वर्ष 1989-90 के दौरान किसी भी राज्य को कोई भी सहायता नहीं दी गई। फिर भी, पिछले मौसमों के लिए वृहत फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्षतिपूर्ति दावों के भुगतान के लिए दो-तिहाई केन्द्रीय हिस्से के रूप में भारत सरकार द्वारा 90 करोड़ की धनराशि वर्ष 1989-90 के दौरान भारतीय साधारण बीमा निगम को दी गई है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

बृहत फसल बीमा योजना

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	वर्ष 1989-90 के दौरान योजना के तहत कवर किए गए किसानों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	720593
2.	असम	4883
3.	बिहार	190072
4.	गोवा	972
5.	गुजरात	550865
6.	हिमाचल प्रदेश	5132
7.	जम्मू और कश्मीर	—
8.	कर्नाटक	194354
9.	केरल	23459
10.	मणिपुर	—
11.	मेघालय	2860
12.	मध्य प्रदेश	403877
13.	महाराष्ट्र	1385092
14.	उड़ीसा	261089
15.	राजस्थान	—
16.	त्रिपुरा	3551
17.	तमिल नाडू	107348
18.	उत्तर प्रदेश	—
19.	पश्चिमी बंगाल	371649
20.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	401

1	2	3
21.	दिल्ली	—
22.	पांडिचेरी	12
	कुल	4226209 ×

× आंकड़े केवल खरीफ 1989 मौसम से संबंधित हैं।

कृषि-सेवा केन्द्र के उद्यमियों का पुनर्वास

[अनुवाद]

6685. **श्री रामबहादुर सिंह : क्या कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि-सेवा केन्द्रों के उद्यमियों को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन उद्यमियों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इनके क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) भारत सरकार द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से पता चलता है कि लगभग 2९ प्रतिशत उद्यमियों का काम-काज ठीक नहीं चल रहा है।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने रूग्ण कृषि सेवा केन्द्रों के लिए एक संशोधित पुनर्स्थापना योजना सितम्बर, 1989 में उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत कर दी है।

कर्नाटक में जलागार मत्स्य-पालन का विकास

6686. **श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा कर्नाटक में जलागार मत्स्य-पालन योजना के विकास के लिए कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत कितनी मात्रा में मछलियों का उत्पादन होने की संभावना है;

(ग) इससे कितने मछुआरों को लाभ पहुंचने की आशा है; और

(घ) इस योजना के अन्तर्गत कर्नाटक में कितने स्थानों का चयन किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) कर्नाटक में 473.88 लाख रुपए की अनुमानित लागत से एक समेकित सहकारी जलागार मत्स्य पालन परियोजना शुरू की गई है, जिसमें से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के अंश सहित केन्द्रीय सहायता 406.58 लाख रुपए है।

(ख) इस योजना के पूरी तरह चालू होने पर करीब 3500 टन मछली का सालाना उत्पादन होने का अनुमान है।

(ग) 2570 मछुआरों को इससे लाभ होने की आशा है।

(घ) यह योजना मैसूर जिले के 11 ताल्लुकों में कार्यान्वित की जायेगी।

राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की सिफारिशों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा

6687. **श्री काशीराम राणा** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की सिफारिशों के अनुसार नये राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या फरवरी, 1980 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये गये मार्ग राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की सिफारिश के अनुसार थे;

(ग) क्या गुजरात में राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति द्वारा सिफारिश किये गये मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) देश में नए राष्ट्रीय राजमार्ग, संसाधनों की उपलब्धता, राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति (एन० टी० पी० सी०) की सिफारिश और राज्य सरकार के प्रस्तावों के अलावा निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए घोषित किए जाते हैं :—

(1) जो सड़कें पूरे देश से गुजरती हैं;

(2) पड़ोसी देशों को जोड़ने वाली सड़कें;

(3) राज्य की राजधानियों को जोड़ने वाली सड़कें;

(4) महापत्तनों और महत्वपूर्ण औद्योगिक अथवा पर्यटक केन्द्रों को जोड़ने वाली सड़कें;

(5) बहुत महत्वपूर्ण सामरिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सड़कें;

(7) पर्याप्त लम्बाई में अधिक यातायात वाली सड़कें; और

(8) जिन सड़कों से यात्रा की दूरी में काफी कमी आएगी और उससे पर्याप्त बचत हो रही हो।

(ख) संभवत: माननीय सदस्य के ध्यान में वे पांच राज्य सडकें हैं जिन्हें फरवरी, 1989 में राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया था इनमें से चार सड़कों का राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया था इनमें से चार सड़कों का राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित करने के लिए राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति द्वारा पता लगाया गया था।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने तीन राज्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित करने की सिफारिश की है जो गुजरात राज्य में हैं। इनमें से एक सड़क अर्थात बियावर-सिरोही-राधनपुर सड़क को पहले ही राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया गया है जिसका कुछ भाग गुजरात राज्य में पड़ता है। राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति द्वारा इस राज्य के लिए पता लगाई गई अन्य दो सड़कों को संसाधनों के अभाव और अन्य प्राथमिकताओं के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड में शामिल नहीं किया जा सका।

पंजाब में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिये योजना

6688. **श्री कृपाल सिंह** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब में आतंकवाद को समाप्त करने के उद्देश्य से राज्य के युवाओं को रोजगार देने हेतु कोई विशेष योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अवधि के दौरान कितने शिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया; और

(घ) ऐसे युवाओं की संख्या कितनी है जिन्होंने इन योजनाओं के अन्तर्गत रोजगार हेतु आवेदन किया लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल सका और इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, पंजाब सरकार ने एक योजना तैयार की है जिसके अन्तर्गत गुरदासपुर फिरोजपुर और अमृतसर सीमा जिलों के 16 कि०मी० की पट्टी के सीमावर्ती क्षेत्रों से 15 से 20 वर्ष के बीच की आयु वर्ग के युवाओंको रोजगार दिया जायेगा। चुने गए व्यक्तियों को राशन खर्च और जेब खर्च भत्ता दिया जाएगा तथा शिविरों में रखा जाएगा और प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें बाद में पुलिस, होम-गार्ड और अन्य सरकारी नौकरियां देने के प्रयत्न किए जाएंगे अथवा अपने निजी लघु उद्योग स्थापित करने के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

(ग) और (घ) इस सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है।

सड़क दुर्घटना में मरने वाले/घायल होने वाले व्यक्तियों के परिवारों को दी जाने वाली मुआवजा राशि में वृद्धि

[हिन्दी]

6689. **श्री बालेश्वर यादव :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए और घायल हुए व्यक्तियों के परिवारों को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कब तक वृद्धि किए जाने की संभावना है; और कितनी वृद्धि की जायेगी; और

(ग) यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं ?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

माल वाहक पोतों को पत्तनों पर रोके रखने के कारण पोत-मालिकों को हानि

[अनुवाद]

6690. **श्री प्रकाश वी० पाटिल :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमाण-पत्रित अधिकारियों की कमी के कारण माल वाहक पोतों को पत्तनों पर रोका जा रहा है जिसमें परिणामस्वरूप पोत-मालिकों का सचालन व्यय बढ़ रहा है; और

(ख यदि हां, तो इसके कारण उन्हें कितनी हानि हो रही है ?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : भारतीय राष्ट्रीय जहाज-मालिक संघ (इण्डियन नेशनल शिपआनर्स एसोसिएशन) के अनुमान के अनुसार जुलाई, 1989 से जनवरी, 1990 तक की अवधि में, प्रमाण-पत्रित अधिकारियों के अभाव में भारतीय जहाज मालिकों को कुल 335 जहाज दिवसों का नुकसान हुआ। भारतीय जहाज मालिक संघ ने, जहाजों को खड़ा रखने के प्रभारों के कारण प्रति जहाज दिवस, औसतन लगभग 1 लाख रु० का घाटा होने का अनुमान लगाया है।

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के कार्य ताल्लुक पंचायतों को सौंपना

6691. **श्री हरिश पाठक :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों अथवा जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को यह अधिकार दिए गए हैं कि यदि ग्राम पंचायत जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत काम करने की स्थिति में न हों तो वे ग्राम पंचायतों के काम को ताल्लुक पंचायतों को सौंप सकती है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी हां जहां ग्राम पंचायत/पंचायतें मौजूद नहीं हैं, वहां उनकी (ग्राम पंचायत/पंचायतों) निधियों का अंश सम्बन्धित ब्लाक/ब्लॉक समिति को दिया जायेगा जो उस पंचायत/पंचायतों में जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हज निवास

[हिन्दी]

6692. **श्री अशोक आनन्दराव देशमुख : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हज यात्रियों के लिए दिल्ली और बम्बई में "हज निवास" का निर्माण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन हज निवासों के निर्माण में केन्द्रीय सरकार का अंशदान कितना है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) बम्बई में "बैत-उल-हुजाज" अथवा "हज-हाउस" का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है।

केन्द्रीय सरकार ने इसके निर्माण में कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है। प्रश्न का जो भाग दिल्ली में "हज-निवास" से सम्बद्ध है उसके सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है।

टेलीफोन सेवाओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के क्षेत्र-अधिकार से अलग रखना

[अनुवाद]

6693. **श्री पी० के० थामस**
श्री के० एस० राव } : **क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग का टेलीफोन सेवाओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के क्षेत्राधिकार से अलग रखने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इन्हें अलग रखने का प्रस्ताव किन कारणों से किया गया है;

(ग) क्या इसे उपभोक्ता विरोधी कार्यवाही नहीं माना जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो टेलीफोन प्रयोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए क्या व्यवस्था सुलभ होगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) इस प्रकार की छूट प्राप्त करने के निम्नलिखित कारण हैं—

(I) दूरसंचार विभाग में शिकायतों को दूर करने के लिए पहले से ही एक विस्तृत तंत्र विद्यमान है, इसमें से कुछ प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर में दिए गए हैं।

(II) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, और भारतीय तारघर अधिनियम के बीच कुछ निर्भर किया हैं —

(ग) जी नहीं।

(घ) शिकायतों को दूर करने के लिए उपभोक्ताओं के पास अपनी शिकायतें दूर कराने के लिए विभिन्न स्तरों पर अनेक तन्त्र हैं। कुछ फोरम इस प्रकार हैं जहां उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करवा कर अपनी शिकायतों का निराकरण करवा सकते हैं :—

(i) सेवा सम्बन्धी शिकायतों के मामले में उपभोक्ता "98" पर अथवा विभाग के किसी अधिकारी को टेलीफोन कर सकते हैं जिनके नम्बर सामान्यतया टेलीफोन डाइरेक्टरी में दिए हुए होते हैं;

(ii) बड़े कार्यालयों में सार्वजनिक शिकायत सेल,

(iii) देश भर में 400 से अधिक ग्राहक सेवा केन्द्र,

(iv) टेलीफोन अदालत और ओपन हाउस सत्र,

(v) विभाग के अधिकारी, सामान्यतया जनता से सभी कार्य-दिवस को मिलते हैं,

(vi) दूरसंचार सलाहकार समितियां, जिनमें विभिन्न पब्लिक फोरमों के प्रतिनिधि होते हैं,

(vii) भारतीय तार अधिनियम की धारा 7 (ख) के अधीन विभाग और उपभोक्ताओं के बीच विवाद की स्थिति में मध्यस्थ का प्रावधान है।

केरल में कोट्टायम जिले में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार

6694. **श्री रमेश चेन्नीथाला** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कोट्टायम टेलीफोन जिले में रामापुरम, इराटुपेट्टा मुडाकायम एक्सचेंजों का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

क्रम सं०	एक्सचेंज का नाम	टाइप	मौजूदा क्षमता	विस्तार की योजना	चालू करने का वर्ष
1	2	3	4	5	6
1.	रामापुरम	एम ए एक्स-II	400	400 से 600	1990-91
2.	मुन्डाकायम	—वही—	400	400 से 800	1990-91
3.	इरूटुपेट्टा	—वही—	600	200 लाइनों के इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज द्वारा बदले जाने की योजना है।	आठवीं योजना के अंत तक।

महाराष्ट्र में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

[हिन्दी]

6695. **श्री किशनराव बाबूराव बानखेले** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में जिलावार और एक्सचेंजवार कितने आवेदन पत्र दर्ज हैं; और

(ख) टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या ताकि प्रतिक्षारत सभी आवेदन पत्रों का निपटान किया जा सके ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

डाक विभाग में निरीक्षक तथा सहायक अधीक्षक के वेतनमानों का संशोधन

[अनुवाद]

6696. **श्री मदन लाल खुराना**
श्री माणिक साम्याल } : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन वर्ष बीत जाने पर भी डाक विभाग में निरीक्षकों तथा सहायक अधीक्षकों के वेतनमानों के संशोधन से सम्बन्धित चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें (पैरा 10.44) सरकार ने अभी तक कार्यान्वित नहीं की हैं; और

(ख) यदि हां, तो ये सिफारिशें कब से कार्यान्वित की जाएंगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) सिफारिशों में निरीक्षक डाकघर/रेल डाक सेवा संवर्गों में आंशिक सीधी भर्ती के रूप में विभाग में पर्यवेक्षकीय स्तर को बुनियादी तौर पर पुनर्गठित करने और इसके अलावा, दो संवर्गों का एकीकरण करने के बाद वेतनमान में संशोधन करने के प्रस्ताव शामिल हैं। विभाग ने, इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रस्ताव तैयार किए हैं और अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श चल रहा है। ऐसी स्थिति में यह कह पाना व्यावहारिक नहीं है कि सिफारिशों को कब तक लागू किए जाने की उम्मीद है।

उन्नाव जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोलना

[हिन्दी]

6697. **श्री अनवार अहमद** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1990-91 के दौरान उन्नाव जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोलने का है;

(ख) यदि हां तो इस प्रयोजनार्थ किन-किन गांवों को चुना गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) इस समय कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) नए डाकघर खोलने के लिए मानदण्डों की इस समय पुनरीक्षा की जा रही है।

राज्य परिवहन प्राधिकरण के परमिट वाली बसें चलाना

[अनुवाद]

6698. **श्री प्रतापराव बाबूराव भोंसले** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1990 और 1991 के दौरान दिल्ली के और अधिक क्षेत्रों *में राज्य परिवहन प्राधिकरण के अन्तर्गत बस सेवाएं प्रदान करने का है;*

(ख) यदि हां, तो इसके लिए चुने गये स्थानों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण के अधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली परिवहन निगम के लिए एरिया स्टेज कैरिज परमिटों के लिए पूरे संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को अधिसूचित करने का सुझाव दिया है और इस सम्बन्ध में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

मिनी बसों के किरायों में वृद्धि

6699. **श्री सुबेदार** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में चलने वाली मिनी बसों के किरायों में 1 अप्रैल, 1990 से वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली प्रशासन ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो भाड़े में मनमानी ढंग से वृद्धि करने को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) से (घ) राज्य परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली ने, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में एस० टी० ए० परमिट (मिनी बस) के अन्तर्गत स्टेज कैरेज बसों के लिए 2.4.90 से लागू निम्नलिखित संशोधित किराये अनुमोदित किए हैं :—

कि० मी०	संशोधित किराया
1	2
0—6	0.75 रुपए
6—16	1.50 रुपए
16 और उससे अधिक	2.00 रुपए

आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास तथा रखरखाव

6700. श्रीमती चेन्नुपति विद्या : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आंध्र प्रदेश में वर्ष 1990-91 के दौरान कार्यान्वयन हेतु मंजूर की गई राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव की योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनके लिए कितनी-कितनी धनराशि नियत की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : आन्ध्र प्रदेश में, चालू निर्माण कार्यों सहित, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु वर्ष 1990-91 के दौरान 25 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। वर्ष 1990-91 की वार्षिक योजना में परियोजित नई स्कीमें संलग्न विवरण के अनुसार हैं। वर्ष 1990-91 के लिए अनुरक्षण हेतु 10.25 करोड़ रु० की राशि आबंटित की गई है, जिसमें आवधिक नवीनीकरण के लिए 4.95 करोड़ रुपये शामिल हैं।

विवरण

वर्ष 1990-91 के वार्षिक कार्यक्रम में परियोजित स्कीमों का ब्यौरा

सड़क निर्माण कार्य

क्र०सं०	कार्य का नाम	लम्बाई (कि०मी०)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)
1	2	3	4
1. (1)	राष्ट्रीय राजमार्ग-5 के चिलकलूरिपेट-विजयवाड़ा खण्ड को चौड़ा करके चार लेन का बनाना	82.80	122.00
(2)	राष्ट्रीय राजमार्ग-9 के पुणे-हैदराबाद खण्ड को चौड़ा करके चार लेन का बनाना	10 00	3.50
		92.80	125.50

1	2	3	4
	ख. राष्ट्रीय राजमार्ग सं०—5, 7 और 9 पर 2 लेन पेवमेंट को मजबूत करना	184.00	27.42
	ग. राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 7, 16 और 43 को चौड़ा करके 2 लेन का बनाना	23.70	5.10
	घ. छोटे पुलों को, आवश्यकता अनुसार पुलियों और संपर्क मार्गों का निर्माण		1.50
	ङ. विविध-ज्यामितियों, जंक्शनों, ड्रेनेज और मार्गस्थ सुविधाओं, इत्यादि के लिए सुधार कार्य हेतु		5.30
	च. एलुरु बाइपास के लिए भूमि की प्राप्ति तथा राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 16 का रिएलाईन्मेंट		6.00
			170.82

पुलों का निर्माण कार्य

क्र०सं०	पुल का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु०)
1	2	3
क. बड़े पुल		
	1. रा० रा० मार्ग-7 पर चंदा पर 190.4 कि० मी० पर पुल	2.00
	2. रा० रा० मार्ग-5 पर मेडागढ़ पर 178/8 कि० मी० पर पुल	1.60
	3. रा० रा० मार्ग-7 पर पहुंच मार्ग तथा 21/8 कि० मी० पर आर० ओ० बी०	1.70

1	2	3
	4. रा० रा० मार्ग-7 पर पहुंच मार्ग तथा 35/4 कि० मी० पर आर० ओ० बी०	1.70
	5. रा० रा० मार्ग-7 पर पहुंच मार्ग तथा 50?/4 कि० मी० पर पुज	0.50
ख. छोटे पुल		
	6. रा० रा० मार्ग-7 पर (गुडीहाटनूर) 213/4-6 कि० मी० पर पुल	0.20
	7. रा० रा० मार्ग-7 पर एच०बी० खंड के 433/10 कि०मी० पर पुल	0.15
	8. रा० रा० मार्ग-5 पर एम० बी० खण्ड के 212/2 कि०मी० पर पुल	0.07
	9. रा० रा० मार्ग-5 के वी० वी० खण्ड क 55/4 कि०मी० पर पुल	0.18
	10. रा० रा० मार्ग-5 पर वी० वी० खण्ड के 48/8 कि०मी० पर पुल	0.30
	11. रा० रा० मार्ग-5 पर वी० वी० खंड के 331/10 कि०मी० पर पुल	0.30
	12. रा० रा० मार्ग-5 पर वी० वी० खंड के 332/10 कि०मी० पर पुल	0.50
	13. रा० रा० मार्ग-5 पर वी० वी० खंड के 333/10 कि० मी० पर पुल	
(ग) विपद ग्रस्त पुल		
	14. रा० रा० मार्ग-7 पर एच० बी० खंड के 341/8-10 कि०मी० पर छोटा पुल	0.45
	कुल :	9.65

राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 5 पर भुवनेश्वर और बरहामपुर के मध्य सड़क ऊपरी पुल

6701. **श्री ए० एन० सिंह देव** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 पर भुवनेश्वर और बरहामपुर के मध्य रेलवे फाटक के स्थान पर एक सड़क ऊपरी पुल के निर्माण का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय राजमार्ग सं०—5 पर, 297.150 किलोमीटर पर रेलवे लैवल क्रासिंग के स्थान पर रंभा बाइपास पर लगभग 56 मीटर लम्बे सड़कोपरि पुल के निर्माण का एक प्रस्ताव है जिसके लिए वर्ष 1990-91 की वार्षिक योजना में 60.00 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है।

कालीकट में पासपोर्ट कार्यालय के नए भवन का निर्माण

6702. **श्री के० मुरली धरन** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पासपोर्ट कार्यालय भवन के निर्माण के लिए कालीकट में कुछ भूमि अधिग्रहीत की है;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य आरम्भ करने में विलम्ब के क्या कारण है; और

(ग) सरकार का विचार यह निर्माण कार्य कब तक पूरा करने और इस कार्यालय को किराए के भवन से नए भवन में ले जाने का है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) निर्माण नक्शों की जांच की गई और प्रयोग करने वाले की जरूरतों के आधार पर उनमें समुचित संशोधन करने के पश्चात उनका अनुमोदन किया गया। यह सुनिश्चय करने के लिए प्रयास किये जाएंगे कि कार्य शीघ्र पूरा किया जाए ताकि पासपोर्ट कार्यालय को बिना किसी विलम्ब के वहां स्थानांतरित किया जा सके।

तार आदि के वितरण में देरी होना

6703. **श्री डी० पंडियन**
श्री दिलीप सिंह जूदेव : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात की आम शिकायत है कि तारों और पत्रों के वितरण में अत्यधिक देरी होती है;

(ख) क्या सरकार का विचार वितरण में बिलम्ब होने के कारणों का पता लगाने तथा डाक के शीघ्र वितरण के लिये कदम उठाने का है; और

(ग) क्या सरकार का विचार वितरण कर्मचारियों की सेवायें नियमित करने तथा वितरण में होने वाली देरी को समाप्त करने के लिये और अधिक कर्मचारी नियुक्त करने का है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) दूरसंचार विभाग को यह मालूम है कि ऐसे अवसर आते हैं जब तार देरी से वितरित किए जाते हैं; जिससे शिकायतों में वृद्धि होती है। डाक के वितरण में विलंब के बारे में यदा-कदा शिकायतें डाक विभाग में प्राप्त होती हैं। जहां आवश्यक होता है वहां तत्काल जांच की जाती है और संबंधित प्राधिकारियों को जैसा भी आवश्यक हो, सुधारात्मक उपाय करने की सलाह दी जाती है।

(ख) तारों के वितरण में विलंब के कारणों का दूरसंचार विभाग ने विश्लेषण किया है। संक्षेप कारण इस प्रकार हैं :–

(1) मूल कार्यालय से गंतव्य स्थान के कार्यालयों के बीच कई मध्यवर्ती कार्यालयों से तारों के पारेषण होने के कारण विलंब।

(2) अविश्वसनीय खुली तार लाइन (ओपन वायर लाइन),

(3) निरंतर बिजली खराब होने के कारण (पावर फेलियर),

(4) वितरण स्थानों के दूर-दराज में होने कारण,

निम्नलिखित सुधारात्मक कार्यवाई पहले ही प्रारंभ की गई है :–

(1) मैनुअल ट्रांसमिटिंग टेलीग्राम्स कम करने के लिए स्टोर एण्ड फारवर्ड स्विचिंग सिस्टम लागू करना;

(2) उपग्रह और बेतार माध्यमों को धीरे-धीरे लागू करना;

(3) तारों के वितरण में मोपेड्स का उपयोग।

इसके अलावा, तार सेवाओं की अधिक विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए तार नेटवर्क में इलेक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर और इलेक्ट्रानिक की बोर्ड चालू किए जा रहे हैं।

पत्रों के वितरण के लिए डाक विभाग ने मापदंड निर्धारित किए हैं। ये मानदंड दूरी, उपलब्ध परिवहन साधनों और प्रत्येक डाक वस्तु के हैंडलिंग की अपेक्षित संख्या पर आधारित हैं। डाक के आवागमन को लगातार मानीटर किया जाता है तथा ध्यान में आए किसी भी विपथन के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

(ग) दूरसंचार विभाग में तारों का वितरण करने के लिए निर्धारित मानदंडों के आधार पर पर्याप्त संख्या में टेलीग्राफमेन मंजूर किए गए हैं। विभागीय तार घरों का वितरण करने वाला स्टाफ नियमित कर्मचारी हैं। इस प्रयोजन के लिए और अधिक टेलीग्राफमैनों की भर्ती करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सामान्यतः, डाक विभाग में, वितरण कार्य शहरी क्षेत्रों में विभागीय कर्मचारियों द्वारा तथा अर्ध-शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। इन दोनों ही मामलों में नियमितीकरण का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि किसी सीमा तक इस कार्य के लिए लगाए गए नैमित्तिक मजदूरों को अस्थायी दर्जा प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार करने का काम पहले से ही हाथ में लिया जा चुका है।

पंजाब के होशियारपुर जिले में बाढ़ से प्रभावित गांव

6704. **श्री सरजू प्रसाद सरोज** : क्या कृषि मंत्री पंजाब राज्य के बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता के बारे में 20 जुलाई, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 447 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय दल ने वर्ष 1988 में पंजाब के होशियारपुर जिले में बाढ़ से प्रभावित और बावला, हारता और राजपुर मयान गांवों का दौरा किया था और उनकी भूमि से 5-10 फुट मोटी रेत की तह हटाने और उस भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु वहां के निवासियों को आश्वासन दिया था;

(ख) यदि हां, तो कुल कितना भूमिक्षेत्र खेती के अयोग्य हो गया और इसके फलस्वरूप कितने लोग बेरोजगार हो गए;

(ग) कुल कितने भूमिक्षेत्र से रेत हटाई गई;

(घ) अभी कितने क्षेत्र से रेत हटानी शेष है;

(ङ) इस कार्य के लिए कितने बुलडोजर लगाए गए; और

(च) भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए इस सारे क्षेत्र से रेत कब तक हटा दी जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) वर्ष 1987 में एक केन्द्रीय दल ने पंजाब के होशियारपुर जिले के बाढ़ से प्रभावित कुछ गांवों का दौरा किया, ताकि रेत आ जाने से कृषि भूमि को पहुंचे नुकसान का मूल्यांकन किया जा सके। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गांव बाडला, हर्टा और राजपुर मायां में रेत आ जाने से प्रभावित हुई कुल कृषि भूमि तथा बेरोजगार हुए व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :—

क्र० सं०	गांव	प्रभावित क्षेत्र (हैक्टेयर में)	बेरोजगार हुए व्यक्ति
1	2	3	4
1.	बाड़ला	125	80
2.	हुर्टा	28	19
3.	राजपुर भार्या	—	—

लेकिन रेत की गहराई 2 इंच से 4 फुट के बीच थी और उक्त गांवों में किसी भी कृषि भूमि में रेत की गहराई 5-10 फुट नहीं थी।

(ग) से (घ) पंजाब सरकार से प्राप्त हुई रिपोर्ट के अनुसार इन गांवों में 2 फुट से कम रेत की गहराई वाली 96 हैक्टेयर कृषि भूमि खेती के अन्तर्गत ली गई है। शेष 57 हैक्टेयर कृषि भूमि में रेत की गहराई 2 फुट से अधिक है और राज्य सरकार ने इन क्षेत्रों से रेत हटाने के लिए एक अलग योजना मंजूर की है। इस योजना के अंतर्गत धनराशि मार्च, 1990 के अन्तिम सप्ताह में नियुक्ति की गई थी परन्तु समय की कमी के कारण इसका उपयोग नहीं किया जा सका। अतः शेष कृषि भूमि 1990-91 के दौरान खेतों के लिए उपलब्ध की जाएगी। रेत हटाने के कार्य में कोई बुलडोजर नहीं लगाए गए।

नीम का कीटनाशक के रूप में उपयोग करने के सम्बन्ध में अनुसंधान

6705. **श्रीमती सुभाषिनी अली** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन-किन संस्थाओं और किन-किन स्थानों पर नीम के बारे में अनुसंधान किया गया है;

(ख) इस सम्बन्ध में प्रत्येक संस्थान में अब तक क्या प्रगति हुई है और इस कार्य पर कितनी धनराशि खर्च हुई है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) महोदय, नीम के कीटनाशी प्रभावों पर जिन प्रमुख संस्थानों में अनुसंधान किया गया है, वे निम्न प्रकार हैं :—

(i) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली।

(ii) राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पुणे।

(iii) क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद।

(iv) तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर।

(v) केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, राजामुन्द्री।

(vi) उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद।

(ख) प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित है :--

(i) कीटों, गोलकृमि तथा पौध रोगों के नियंत्रण हेतु नीम के उपयोग के लिए उसके जैविक रूप से सक्रिय मिश्रण का पता लगाना और उसे अलग करना।

(ii) कीट-व्याधि प्रबन्ध में नीम की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। कई प्रभावशाली अर्क/उसके अंश और शुद्ध उत्पाद का कई कीटों के विरुद्ध जांच किया गया है।

(iii) भारतीय दशाओं के तहत उपयोग हेतु स्थायी तथा किफायती सूत्र विकसित किये गये हैं।

इन संस्थानों के अनुसंधान कार्यक्रमों के अभिन्न अंग के रूप में नीम पर अनुसंधान का कार्य चलाया जा रहा है और नीम पर अनुसंधान के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं की गई है।

(ग) नीम अनुसंधान तथा कीट प्रबन्ध नीतियों में नीम के उपयोग की संभावना की जांच के लिए कई राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय विचारगोष्ठी/सेमिनार आयोजित किये गये हैं।

विभिन्न कृषि कीटों के नियंत्रण के लिए नीम उत्पादनों का मूल्यांकन नीम अनुसंधान और विकास का एक अभिन्न अंग है। कुछ प्रमुख कीटों जैसे हेलियोथिस, स्पोडोपटेरा, व्हाइट फ्लाई और कई भण्डारित अनाज के कीटों के नियंत्रण के लिए यह प्रभावशाली पाया गया है।

डाक में डाले जाने के प्रमाण-पत्र के अन्तर्गत भेजी गई सामग्री की डिलीवरी

6706. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक में डाले जाने के प्रमाण-पत्र के अन्तर्गत भेजी गई सामग्री की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष व्यवस्था की गई है अथवा व्यवस्था करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी नहीं। प्रमाण-पत्र के अंतर्गत डाक वस्तु को डाक में डालने से यह लेटर बाक्स में डाली गई अपंजीकृत वस्तु से भिन्न नहीं हो जाती, सिवाय इसके कि डाक प्रमाण-पत्र केवल डाक में डाले गए पत्रों के लिए एक प्रमाण का द्योतक है। अत: इसका वितरण अन्य किसी भी अपंजीकृत डाक वस्तु के समान ही होता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मिजोरम में बर्मा की सेना का प्रवेश

6708. **श्री सनत कुमार मंडल**
श्री शिव शरण वर्मा } : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 मार्च, 1990 को मिजोरम के किसी गांव में बर्मा की सेना के 10 सैनिकों ने प्रवेश कर गोलाबारी की थी;

(ख) क्या इससे पहले भी बर्मी सेना के सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया था;

(ग) यदि हां, तो भारतीय भूमि पर बर्मा की सेना द्वारा इस प्रकार की घुसपैठ को रोकने के लिए कौन से एहतियाती उपाय किए गए हैं; और

(घ) क्या इस मामले को बर्मा की सरकार के साथ उठाया गया है और यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी हां, श्रीमान्। बर्मा की सेना के 4 कार्मिकों ने 17 मार्च, 1990 को भारतीय सीमा में प्रवेश किया था।

(ग) 28 मार्च, 1990 की घटना के सम्बन्ध में मिजोरम के गृह मन्त्री ने स्थिति का जायजा लेने के लिये 30.3.1990 को घटनास्थल का दौरा किया था। क्षेत्र में गश्त लगाने के लिये असम राइफल की स्थायी गश्त की व्यवस्था की गई है।

क्रमश: 21 मार्च और 18 अप्रैल, 1990 की घटनाओं के सम्बन्ध में फ्लेग मीटिंगें की गई हैं। बर्मा की सेना के कार्मिकों ने भारतीय सीमा में प्रवेश करने की घटना के प्रति खेद व्यक्त किया और इस प्रकार की घटनाएं दुबारा न होने देने का आश्वासन दिया है।

(घ) इस मामले को विदेश मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में बर्मा के राजदूत के साथ उठाया गया और राजदूत ने इस प्रकार की घटनाओं के प्रति हमारी नाराजगी अपनी सरकार को प्रेषित करने का वचन दिया।

केरल को पेय जल सुविधा के लिए केन्द्रीय सहायता

6709. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार से कन्नानोर, कासरगोड, विजनाड और कालीकट जिलों में पेय जल सुविधा प्रदान करने सम्बन्धी परियोजना के लिए सहायता हेतु कोई अनुरोध मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) केरल सरकार से इस तरह का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, केन्द्र सरकार को केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत कन्नानोर तथा कालीकट जिलों में स्वच्छ पेयजल की सुविधाएं प्रदान करने हेतु ग्रामीण जल सप्लाई की योजनाएं तकनीकी स्वीकृति के लिए प्राप्त हुई हैं।

(ख) योजनाओं का विवरण नीचे दर्शाया गया है :—

जिला	गांवों की संख्या	लाभान्वित जनसंख्या (1981 की जनगणना)	अनुमानित लागत (लाख रुपये में)
1	2	3	4
कन्नानोर	6	54996	353.92
कालीकट	1	20077	64.00

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा कन्नानोर जिले के लिए योजना तकनीकी रूप से स्वीकृत कर दी गई है जबकि कालीकट जिले की योजना की तकनीकी जांच की जा रही है।

"नैफेड द्वारा निर्यात और आयात"

[हिन्दी]

6710. **श्री हरिराम शर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नैफेड द्वारा वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान निर्यात किये गये और आयात किये गये कृषि उत्पादों की मात्रा-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नैफेड देश में ही दाल, प्याज, फल एवं सब्जियों की स्थानीय खरीद करके इनका निर्यात कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो चालू वर्ष के लिए कितना निर्यात लक्ष्य रखा गया है और किन-किन स्थानों पर खरीद केन्द्र स्थापित किये गये हैं;

(घ) क्या नैफेड का मसूर की दाल और प्याज की खरीद के लिए भिन्ड जिले में एक खरीद केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) नैफेड द्वारा 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान किये गये निर्यात और आयात के जिसवार आंकड़े इस प्रकार हैं :—

निर्यात

(मात्रा मीटरी टन में/मूल्य लाख रुपयों में)

क्र०सं०	जिंस	1988-89		1989-99 (×)	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6
1.	तिल के बीज	220	26.57	4071	507.37
2.	रामतिल के बीज	2980	368.85	5364	433.22
3.	प्याज	221974	6548.92	353000	8500.00
4.	आलू	13	0.52	—	—
5.	ताजे फल और सब्जियां	—	2.00	40	14.59
6.	परिसंस्कृत खाद्य पदार्थ	—	4.50	—	42.00
7.	हल्दी	280	38.10	494	56.98
8.	लाल मिर्च	1250	267 75	—	—
9.	मेथी के बीज	50	7.70	—	—
10.	गोंद करैया	111	54.55	—	—
11.	विविध	—	5.00	30	30.32
	कुल	226878	7324.46	362999	9584.48

आयात

मात्रा मीटरी टन में/मूल्य लाख रुपयों में

क्र०सं०	जिस	1988-89		1989-90	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6
1.	मक्का				
	(1) सहायता	193881	—	199624	—
	(2) वाणिज्यिक	27330	473.00	—	—
2.	दालें	4160	258.00	—	—
3.	ताजा फल	3668	245.93	840	72.91
	कुल :	228979	976.93	200464	72.91

(×) आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ख) प्याज, ताजे फलों और सब्जी का निर्यात नैफेड की सदस्य सहकारी सोसायटियों के जरिए स्थानीय खरीद करके किया जाता है। लेकिन, भारतीय दालों का निर्यात करने की अनुमति नहीं है।

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान प्याज, और ताजे फलों और सब्जियों के निर्यात के लक्ष्य इस प्रकार हैं :-

क्रम०सं०	जिंस	मात्रा
1	2	3
1.	प्याज	3.85 लाख मीटरी टन
2.	ताजे फल	550 मीटरी टन

मंडी में पहुंचे माल में से राज्य सहकारी विपणन् संघों के जरिए खुली नीलामी से खरीद की जाती है। ये संघ आगे भारत में विभिन्न मंडियों में स्थित प्राथमिक विपणन् सोसायटियों को इस काम में शामिल करते हैं। खरीद केन्द्रों का चयन कटाई के समय किया जाता है, जो बिक्री योग्य फालतू माल तथा क्वालिटी के बारे में आयातकों को तरजीत पर निर्भर करता है। मूल्य समर्थन योजना/मंडी में हस्तक्षेप की योजना सम्बन्धी कार्य के लिये माल को खरीद करने हेतु और अधिक केन्द्र भी खोले जाते हैं।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों की लाटरियों का विनियमन

6711. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :** क्या गृह मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों द्वारा चलाई जा रही लाटरियों के विनियमन के विचार से जून, 1984 से राज्य सरकारों को कोई निदेश जारी किये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये निदेश अभी भी लागू है और इनका पालन किया जा रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में आगे क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को उनके द्वारा चलाई जा रही लाटरियों को नियमित करने की दृष्टि से जून, 1984 में मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये थे। विवरण की एक प्रति संलग्न है।

(ग) से (ङ) ये मार्गदर्शी सिद्धान्त अभी भी लागू है और उनका अनुपालन करना राज्य सरकारों का कार्य है।

विवरण

सेवा में,

मुख्य सचिव,

सभी राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन

विषय—राज्य लाटरियों तथा राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अनुमति प्राप्त लाटरियों के संचालन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त।

महोदय,

मुझे, यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा संचालित लाटरियां/रैफल्स संविधान की सातवी अनुसूची में संघ सूची की मद 40 के तहत आती है। विगत में भारत सरकार ने, राज्य सरकारों को विकास प्रयोजनों के लिए अपने वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करने के लिये, राज्य लाटरियां आयोजित करने के लिए प्राधिकृत किया है। यह देखने में आया है कि पुरस्करों की सरचना, लाटरी टिकट के मूल्य, ड्रा की अवधि, एजेंटों को दिये गए कमीशन और अन्य बातों में एक राज्य से दूसरे राज्य में काफी भिन्नता है।

2. हाल ही में लाटरी के कुछ पहलुओं की आलोचना हुई है। कदाचार की शिकायतें मिली है और विभिन्न राज्य लाटरियों के बीच दूषित प्रतिस्पर्धा होने की सूचना मिली है। केन्द्र सरकार ने इस मामले पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। इसलिए, यह जरूरी समझा गया कि लाटरी के आयोजन मे कुछ एकरूपता लाई जाए और इसमे कदाचार सम्भावना पर नियंत्रण रखा जाए। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित मुख्य मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाए गए हैं—

(1) साप्ताहिक लाटरी

(क) प्रथम पुरस्कार की अधिकतम सीमा एक लाख रुपये हो। प्रत्येक शृंखला (सीरीज) में अलग पुरस्कार हो सकता है।

(ख) एक टिकट का अधिकतम मूल्य रुपया हो।

नोट—ऐसी कोई लाटरी नहीं होनी चाहिए, जिसके ड्रा की अवधि एक सप्ताह से कम हो।

(2) बम्पर ड्रा

(क) प्रथम पुरस्कार की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये निर्धारित की जाए।

(ख) प्रथम पुरस्कार प्रत्येक शृंखला (सीरीज) में होना चाहिए।

(ग) टिकट का मूल्य तीन रुपये से अधिक न हो :

(घ) उपर्युक्त प्रयोजन के लिए साप्ताहिक ड्रा के अलावा, अन्य किसी भी ड्रा को बम्पर ड्रा माना जाए।

(ङ) एक वर्ष में बम्पर ड्रा की अधिकतम संख्या बारह हो।

(3) दिए जाने वाले पुरस्कारों की कुल राशि

प्रत्येक ड्रा के लिए दिये जाने वाले पुरस्कारों का कुल मूल्य बिक्री की छापी गई टिकटों के सकल मूल्य [ग्रास वैल्यू] के 50% से कम न हो।

(4) लाटरी से होने वाला निम्नतम राजस्व

लाटरी से होने वाला शुद्ध लाभ, बिक्री के लिए छापे गई टिकटों के कुल मूल्य का कम से कम 15% हो।

(5) टिकटों का मुद्रण सरकार द्वारा किया जाए।

(6) पुरस्कारों का ड्रा जिम्मेवार सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति में सरकार की सीधे देख-रेख और नियंत्रण में हो।

(7) जहां तक हो सके, सभी पुरस्कारों का भुगतान सीधे राज्य सरकार द्वारा किया जाए, 10 000/- रुपये और इससे अधिक मूल्य के पुरस्कारों का भुगतान सदा सीधे सरकार द्वारा किया जाए।

(8) निजी आयोजन एजेंटों [प्राइवेट आर्गेनाइजिंग एजेंट्स] एकमात्र बिक्री एजेंटों [सोलसेलिंग एजेंट्स] के साथ राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा जिन करारों पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुके हैं और जो उपयुक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं हैं, उन पर कानूनी पेचदगियों को ध्यान में रखते हुए पुनर्विचार किया जाए।

3. राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी जाती है कि राज्य लाटरियों का आयोजन करते समय उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन किया जाए।

4. संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के मद 34 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, कुछ राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों ने कतिपय निजी संस्थाओं या व्यक्तियों को लाटरियां आयोजित करने की अनुमति दी होगी। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध है कि ऐसी शर्तें निर्धारित करते समय जिनके तहत निजी लाटरियों को प्राधिकृत किया जाता है, उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों को ध्यान में रखा जाए।

5. इस पत्र की पावती भेजी जाए। इस मामले में की गई कार्रवाई से मंत्रालय को अवगत कराया जाए।

भवदीय,

ह०/-

(पी० [illegible] नारायणन)
उपसचिव, भारत सरकार

सं० V/-21011/7/38-पी०पी०ए०-IV दिनांक 27 जून, 1984।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित :—

1. सचिव, वित्त विभाग, सभी राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन।

2. लाटरी निदेशक, सभी राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित :—

3. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिव।

4. गृह मंत्रालय के सभी प्रभागों को इस अनुरोध के साथ उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धान्त का पालन किया जाए।

ह०
(पी० एम० नारायणन)
उपसचिव, भारत सरकार
26.6.84

राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे मोटल सुविधायें

[अनुवाद]

6712. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ मोटल सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं अथवा कराने का प्रस्ताव किया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के०पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) संभवतः माननीय सदस्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्री परक मार्गस्थ सुविधाएं सुलभ कराने की इस मंत्रालय की स्कीम का उल्लेख कर रहे हैं। इस स्कीम के अंतर्गत एक दीर्घकालिक नीति के रूप में राष्ट्रीय राजमार्गों के अधिक यातायात वाले खंडों पर लगभग प्रत्येक 100 कि. मी. पर ऐसी सुविधाएं बनाये जाने की परिकल्पना है जिसमें निम्नलिखित सुविधाएं सुलभ कराई जाएगी—

(I) पार्किंग लाट्स (II) स्नेक बार/रेस्टोरेंट (III) शौचालय (IV) पीने का पानी (V) थोड़े समय के लिए ठहरने हेतु शयनागार/विश्राम कक्ष (VI) प्राथमिक उपचार (VII) टेलीफोन बूथ (VIII) पेट्रोल पम्प और छोटी मरम्मत शाप (वैकल्पिक) (IX) विविध विभिन्न मदों की बिक्री के लिए कियोस्क (X) लैंडस्केपिंग।

केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग 47 पर पालघाट में राज्य पर्यटन विभाग द्वारा मार्गस्थ सुविधा सुलभ कराई गई है। आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 4 पर पालमानेर में और तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर सत्तूर में भी मार्गस्थ सुविधाएं संस्वीकृत की गई हैं।

"पित्रोवाज मिलियन-डॉलर लिंक" शीर्षक से समाचार

6713. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 1 अप्रैल, 1990 के "सन्डे मेल" दिल्ली में "पित्रोदाज मिलियन-डालर, लिंक शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय को प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मामले के तथ्य क्या हैं, और

(ग) इस पर सरकार को क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस मामले की जांच की जा रही है।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों का खाली चलना

6714. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तथ्य का कोई मूल्यांकन किया गया है कि दिल्ली परिवहन निगम की बसें शेड से रूट के आरम्भ होने के स्थान तक तथा रूट के अन्तिम स्थान से शेड तक प्रतिदिन कितने किलो-मीटर खाली चलती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या दिल्ली परिवहन निगम का विचार चालकों और संवाहकों को इस बात को कड़ाई के साथ पालन करने के लिए अपेक्षित अनुदेश जारी करने का है कि वे शेड से रूट के आरम्भ होने के स्थान तक और वापसी में रूट के अन्तिम स्थान से शेड तक बसों को खाली चलाते समय रास्ते में यात्रियों को बैठा लें, और

(घ) यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) दिल्ली परिवहन निगम बस रूटों पर डिपो से रूट के आरम्भिक स्थान/गन्तव्य तक जाने और पुन: बस रूट पर वापस आने के लिए बसों का प्रचालन करता है तथा ऐसे ट्रिपों के कारण तय की जाने वाली दूरी कि० मी०, दिल्ली परिवहन निगम के प्रचालनों की अनिवार्य विशेषताएं हैं। ऐसे प्रचालन का, जिससे, कोई राजस्व प्राप्त नहीं होता है, निर्धारण नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) दिल्ली परिवहन निगम द्वारा पहले ही ये अनुदेश जारी किए जा चुके हैं कि बस गंतव्य बोर्डों को दर्शाए, बस-स्टापों पर बसें रोकें तथा डिपो से रूट के आरम्भिक स्थान/गंतव्य की ओर जाने एवं वहां से आते समय यात्रियों को बस में बिठाएं। इन अनुदेशों को समय-समय पर दोहराया जाता है तथा सूचना के लिए तथा स्टाफ द्वारा सख्ती से पालन किए जाने के लिए डिपो में इनकी सार्वजनिक सम्बोधन प्रणाली पर घोषणा की जाती है। इन अनुदेशों का उल्लंघन समाप्त करने के उद्देश्य से जांच संबंधी स्टाफ को आवश्यक जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।

बीजों के लिए आयात नीति

6715. **श्री बसन्त साठे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बीजों की आयात नीति की आलोचनात्मक समीक्षा करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबन्धी विस्तृत ब्योरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में बीजों के उत्पादन तथा आयात के क्षेत्र में प्रवेश करने वाली बहुराष्ट्रिक कम्पनियों सहित प्रमुख औद्योगिक कम्पनियों की संख्या कितनी है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के बीजों का आयात किया गया;

(घ) क्या आयातित बीजों की गुणवत्ता के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबन्धी विस्तृत ब्योरा क्या है और उस कार्य में संलग्न कम्पनियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) बीज विकास की नई नीति के अन्तर्गत समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है। एक उच्चस्तरीय समीक्षा समिति समय-समय पर इस नीति के कार्यान्वयन को मानिटरिंग करती है।

(ख) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत बीज एक अनुसूचित उद्योग नहीं है, इसलिए लाइसेंस देना जरूरी नहीं है। केवल, एकाधिकार और प्रतिबन्धित व्यापारिक परम्परा/विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम वाली कम्पनियों को बीजों के उत्पादन और विपणन शुरू करने से पहले पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना पड़ता है। अब तक एकाधिकार और प्रतिबन्धित व्यापारिक परम्परा वाली सात तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम वाली 2 कम्पनियों ने अनुमोदन प्राप्त किया है।

(ग) बीजों सहित आयात के आंकड़े भारतीय विदेश व्यापार के मासिक आंकड़े भाग—2 — आयात, में प्रकाशित किए जाते हैं जो वाणिज्य आसूचना और सांख्यिकीय महानिदेशालय द्वारा निकाली जाती है। इसके नवीनतम प्रकाशन, वर्ष 1987-88 के हैं। 1988-89 और 1989-90 के दौरान विभिन्न फसलों, जिनमें सब्जियां और फूल, मोटे अनाज तथा दालें शामिल हैं, के क्रमश: 16,623.43

कि० ग्रा० और 82,803,22 कि० ग्रा० बीजों का आयात किया गया था। बीज का मूल्य अभी प्रकाशित किया जाना है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को धनराशि का आवंटन

6716. **श्री बसन्त साठे** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अन्तर्गत महाराष्ट्र को आवंटित तथा दी गई धनराशि और खाद्यान्नों की मात्रा का योजना-वार ब्योरा क्या है;

(ख) विस्तृत मानदण्डों/आकलन के अनुसार इसमें कितनी प्रगति हुई है;

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान महाराष्ट्र के लिए इन योजनाओं के अन्तर्गत कितनी धनराशि आवंटित करने का अनुमान है; और

(घ) चालू योजनाओं में संशोधन करने अथवा नई योजनाएं शुरू करने का यदि कोई प्रस्ताव है, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) वित्तमंत्री ने 1990-91 के अपने बजट भाषण में देश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों तथा विकट ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या वाले क्षेत्रों में पता लगाये गये क्षेत्रों के लिये एक रोजगार गारण्टी योजना का प्रस्ताव किया है उक्त योजना को अन्तिम रूप दिये जाने सम्बन्धी विवरण आदि कार्य प्रगति पर है।

विवरण

ग्रामीण विकास विभाग का देख-रेख में चल रहे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और अन्य प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित/ केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अन्तर्गत महाराष्ट्र को वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान आबंटित/ रिलीज की गई निधियों और खाद्यान्नों की मात्रा, की गई प्रगति तथा 1990-91 के लिये मोटे तौर पर आबटन के ब्यौरे

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन० आर० ई० पी०)

वर्ष	राशि (लाख रुपये में)		खाद्यान्नों की मात्रा (मीट्रिक टन में)		भौतिक प्रगति (सृजित श्रम दिवस लाख में)
1	2	3	4	5	6
	आबटन	रिलीज	आबटन	रिलीज	
1988-89	6929.88*	6640.71*	57310.00	49404.00	258.52
1989-90	—	—	—	—	—

*राज्य अंश और रियायती दरों पर खाद्यान्नों का मूल्य शामिल है।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (आर० एल० ई० जी० पी०)

1	2	3	4	5	6
1988-89	6498.32**	6063.14**	3858.00	22628.00	258.87
1989-90	—	—	—	—	—

**रियायती दरों पर खाद्यान्नों का मूल्य शामिल है।

जवाहर रोजगार योजना (जे० आर० वाई०)

1	2	3	4	5	6
1988-89	—	—	—	—	—
1989-90	20993.90	20993.90	—	—	544.10
1990-91	20424.83	(राज्य अंश सहित)			(फरवरी, 1990 तक)

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०)

वर्ष	राशि (लाख रुपये में) आवंटन (केन्द्रीय अंश)	रिलीज	भौतिक प्रगति लाभार्थियों की कुल संख्या
1	2	3	4
1988-89	2538.27	2494.34	252241
1989-90	2 47.27	2697 07	187369 (जून, 1990 तक)
1990-91	2947.27	—	—

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी० पी० ए० पी०)

वर्ष	राशि (लाख रुपये में) आबंटन*	रिलीज	भौतिक प्रगति (हेक्टेयर में) भूमि विकास उपायों के अन्तर्गत सामान्वित क्षेत्र	सृजित सिंचाई सम्भाव्यता	वन तथा चारागाह के अंतर्गत क्षेत्रीय विकास
1	2	3	4	5	6
1988-89	1343.00	670.58	34836	4226	18700
1989-90	1343.00	671.50	1125	3889	14904
1990-91	1343.00	—			(दिसम्बर, 1989 तक)

*केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा कुल आर्वटन को 50:50 के आधार पर दान किया गया है।

त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम (ए० आर० डब्ल्यू० एस० पी०)

वर्ष	राशि (लाख रुपये में) आवटन	रिलीज	भौतिक प्रगति (समस्याग्रस्त गांवों की कवरेज संख्या)
1	2	3	4
1988-89	3334.00	2735.40	1123
1989-90	3063.00	2466.40	340 (31.3.90 तक संभावित कवरेज)
1990-91	3063.00		

बिहार में अर्द्ध-सैनिक बल

[हिन्दी]

6717. श्री रामेश्वर प्रसाद : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में कुल कितने अर्द्ध सैनिक बल भेजे हैं;

(ख) इन बलों को वहां पर किस उद्देश्य के लिए भेजा गया था;

(ग) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा इन पर क्रमशः कितना-कितना मासिक व्यय किया जा रहा है; और

(घ) सरकार का इन बलों को कब वापस बुलाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (घ) उपलब्धता के आधार पर, कानून और व्यवस्था से निपटने के लिए राज्यों को उनके अनुरोध पर केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बल प्रदान किये जाते हैं। उनके तैनातगी की अवधि वर्तमान स्थिति पर निर्भर करती है।

अनुमोदित योजना के आधार पर ऐसे तैनातगी पर हुए खर्च को केन्द्र और राज्य सरकार वहन करती है।

सिन्दरी स्थित वर्तमान अमोनियम नाइट्रेट प्लांट का नवीकरण

[अनुवाद]

6718. श्री ए० के० राय : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम ने सिन्दरी स्थित वर्तमान अमोनियम नाइट्रेट प्लांट के नवीकरण सम्बन्धी योजना को मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी क्षमता, लागत का ब्यौरा क्या है और इसका निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ होगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) और (ख) जी हां। सिन्दरी स्थित वर्तमान अमोनियम नाइट्रेट संयंत्र के नवीकरण के प्रस्ताव को फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया के निदेशक मण्डल द्वारा 22.2.90 को मंजूरी दे दी गयी थी। ताकि 390 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर उसकी क्षमता को 30 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 55 टन प्रतिदिन किया जा सके। सुधार लागू करने के लिये प्रारम्भिक कार्य आरम्भ हो गये हैं।

दिल्ली में अश्लील फिल्मों का धंधा

[हिन्दी]

6719. डा० बंगाली सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अश्लील फिल्मों का धंधा बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार के ध्यान में ऐसे कितने मामले आये हैं; और

(ग) इस धंधे में लगे व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) अश्लील फिल्मों को रखने और किराये पर देने के कुछ मामले प्रकाश में आये हैं।

(ख) और (ग) वर्ष 1989 में 22 मामले सूचित किए गए, जिनमें 25 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जबकि वर्ष 1990 में (31.3.1990 तक) 17 मामले सूचित किए गए जिनमें 21 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

तिहाड़ जेल में कैदियों की मृत्यु

6720. डा० बंगाली सिंह
श्री शिव शरण वर्मा } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरान दिल्ली के तिहाड़ जेल में कितने कैदियों की मृत्यु हुई है;

(ख) क्या इन कैदियों के मरने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) पिछले तीन महीनों अर्थात् जनवरी से मार्च, 1990 तक के दौरान 4 कैदियों की मृत्यु हुई।

(ख) से (घ) इन सभी मामलों में मरने के कारणों का पता लगाने की जांच शुरू कर दी गई है।

गुजरात सार्वजनिक निर्माण ठेका विवाद विवाचन न्यायाधिकरण
अध्यादेश, 1989

[अनुवाद]

6721. श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट
श्री एन० जे० राठवा } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने संविधान के अंतर्गत यथा-अपेक्षित राष्ट्रपति के पिछले अनुदेश

प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार को गुजरात सार्वजनिक निर्माण ठेका विवाद विवाचन न्याया-धिकरण अध्यादेश, 1989 भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। भारत सरकार अध्यादेश पर विचार कर रही है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की धनराशि का गबन

6722. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 1989-90 के दौरान समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की धन-राशि के गबन की रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की धनराशि के गठब का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू करने में आने वाली कठिनाईयों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है तथा इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास राज्य मन्त्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) 20 राज्यों तथा केन्द्रशासित क्षेत्रों जिन्होंने अप्रैल से दिसम्बर 1989 तक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) के अन्तर्गत भ्रष्टाचार, कदाचार तथा निधियों के दुरुपयोग के मामलों के सम्बन्ध में सूचना भेजी है, में से पांच राज्यों ने ऐसी शिकायतें प्राप्त होने की सूचना दी है।

(ख) इन पांच राज्यों में मिली शिकायतों की संख्या ये है—हरियाणा 38, मध्य प्रदेश 227, पश्चिम बंगाल 199, केरल 241 तथा राजस्थान 217। राज्य सरकारें इन मामलों में कार्रवाई कर रही हैं।

(ग) और (घ) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन का मूल्यांकन इस विभाग द्वारा प्रायोजित अनुसंधान अध्ययनों तथा समवर्ती मूल्यांकन अध्ययनों द्वारा किया जाता है। छठी योजना के दौरान प्रमुख मूल्यांकन अध्ययन भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पी० ई० ओ०) तथा वित्त प्रबन्ध अनुसंधान संस्थान द्वारा किए गए थे। ग्रामीण विकास विभाग अक्तूबर, 1985 से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में मासिक समवर्ती मूल्यांकन भी करा रहा है। समवर्ती मूल्यांकन का तीसरा दौर जनवरी, 1989 से आरम्भ हुआ है। जनवरी, 1989 से लेकर जून, 1989 तक किए गए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के समवर्ती मूल्यांकन के मुख्य निष्कर्ष संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

अनुसंधान अध्ययनों तथा समवर्ती मूल्यांकन के मुख्य निष्कर्षों के आधार पर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए उठाए गए प्रमुख कदम संलग्न विवरण-2 में दर्शाये गए हैं।

विवरण-I

जनवरी-जून 1989 के समवर्ती मूल्यांकन अध्ययन के तीसरे दौर के मुख्य निष्कर्ष

सकारात्मक मुद्दे :

1. अन्वेषकों द्वारा किए गए वार्षिक आय के मूल्यांकन के अनुसार लगभग 10 प्रतिशत सहायता प्राप्त परिवार दीनहीन वर्ग से, 37 प्रतिशत अत्यधिक निर्धन वर्ग से, 34 प्रतिशत अत्यधिक निर्धन वर्ग से, 34 प्रतिशत अत्यधिक निर्धन वर्ग (3501 रुपए से 6400 रुपए) से तथा 12 प्रतिशत निर्धन वर्ग (4801 रुपये से 6400 रुपये) से सम्बन्धित हैं।

2. राष्ट्रीय स्तर पर, लगभग 67 प्रतिशत लाभार्थियों का चयन ग्राम सभाओं की बैठकों में किया गया था।

3. लगभग 81 प्रतिशत लाभार्थियों ने परिसम्पत्तियां अर्जित करने के लिए सहायता (सबसिडी और ऋण) को पर्याप्त समझा।

4. 73 प्रतिशत मामलों में परिसम्पत्तियां ठीक पाई गई थी। 3 प्रतिशत मामलों में परिसम्पत्तियां मृत्यु जैसी अप्रत्याशित घटनाओं के कारण, 6 प्रतिशत मामलों में अपर्याप्त आय सृजन के कारण तथा शेष 18 प्रतिशत मामलों में अन्य कारणों से सही नहीं पायी गई थी।

5. नमूना परिवारों के लगभग 37 प्रतिशत की ओर कोई राशि अतिदेय राशि नहीं थी तथा 30 प्रतिशत की ओर 100 रुपये से कम राशि अतिदेय थी। इसकी तुलना राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा किए गए अध्ययन (1985) से की गई है, जिसके अनुसार, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 69 प्रतिशत वसूली का अनुमान लगाया गया है।

6. 43 प्रतिशत मामलों में परिसम्पत्तियों से 2000 रुपए से अधिक की बढ़ती हुयी आय हुई थी। 18 प्रतिशत मामलों में बढ़ती हुई आय 1001 रुपये से 2000 रुपए तथा 10 प्रतिशत मामलों में 501 रुपए से 1000 रुपए के बीच थी।

7. राष्ट्रीय स्तर पर 78 प्रतिशत पुराने लाभार्थियों ने 3500 रुपये के आय स्तर की गरीबी की रेखा तथा 28 प्रतिशत पुराने लाभार्थियों ने 6400 रुपए की संशोधित गरीबी की रेखा को पार कर लिया था।

ध्यान देने योग्य मुद्दे

1. कार्यक्रम के अन्तर्गत अपात्र परिवारों का भी चयन किया गया था। 12 प्रतिशत ऐसे परिवारों का भी चयन किया गया था। जिनकी वार्षिक आय 4801 रुपए से लेकर 6400 रुपए के बीच थी और 7 प्रतिशत परिवारों की वार्षिक आय 6400 रुपए से भी अधिक थी।

2. 82 प्रतिशत मामलों में रिकार्ड के अनुसार परिसम्पत्ति की लागत तथा लाभार्थियों की राय में परिसम्पत्ति के मूल्य में कोई अन्तर नहीं था। 9 प्रतिशत मामलों में 500 रुपये से अधिक का अन्तर पाया गया जो कि भ्रष्टाचार तथा निधियों के दुरूपयोग को दर्शाता है जिसकी सम्बन्धित प्राधिकारों द्वारा जांच की जानी चाहिए।

3. 65 प्रतिशत मामलों में कार्यकार पूंजी की आवश्यकता पड़ी थी किन्तु वह 22 प्रतिशत मामलों में लाभार्थियों को उपलब्ध कराई गई थी।

4. 75 प्रतिशत मामलों में लाभार्थियों को बाद की देख-रेख हेतु सहायता की जरूरत थी लेकिन 53 प्रतिशत मामलों में ऐसी सहायता लाभार्थियों को उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

5. 9 प्रतिशत मामलों में ऋणों की वापिस अदायगी की अवधि 3 वर्ष से कम थी और 29 प्रतिशत मामलों में यह अवधि 3 वर्ष थी।

विवरण-2

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदम

(1) गरीबी की रेखा 6400 रुपए रखी गई है। सहायता प्राप्त परिवारों की आय को इस स्तर तक बढ़ाया जाना है;

(2) चयन के प्रयोजन हेतु आय सीमा बिन्दु को प्रति परिवार 4800 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। तथापि, अधिक आय वाले परिवारों को सहायता हेतु लेने से पहले 3500 रुपए तक की आय वाले सभी परिवारों को कवर किया जाना है;

(3) प्रति परिवार अधिक निवेश जुटाना ताकि नए लाभार्थियों को निवेश पर उचित लाभ मिल सके;

(4) छठी योजना के दौरान सहायता प्राप्त उन परिवारों को पूरक सहायता प्रदान करना जो अपनी ओर से बिना वजह गरीबी की रेखा पार नहीं कर सके हैं;

(5) समानता की पद्धति को बदल कर निर्धनता पर आधारित विविधता की पद्धति को रखा गया है;

(6) कार्यक्रम में महिला लाभार्थियों की कवरेज को 30 प्रतिशत तक बढ़ाना और अब महिलाओं की कवरेज 1.4.1990 से 40 प्रतिशत कर दी गई है।

(7) अक्तूबर, 1985 से 29 प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा समवर्ती मूल्यांकन की एक नई पद्धति शुरू की गई है;

(8) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिभूति मुक्त ऋण की सीमा 5000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपए और आई०एस०बी० की सीमा 25,000 रुपए तक कर दी गई है।

(9) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋणों के लिए दिनांक 1.4.1987 से एक समरूप आवेदन पत्र एवं अनुमोदन फार्म शुरू किया गया है;

(10) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिनांक 1.4.1988 से भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से एक सामूहिक जीवन बीमा योजना शुरू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रत्येक लाभार्थी का 3 वर्ष की अवधि के लिए 3000 रुपए का बीमा किया जाएगा जिसमें दुर्घटना के मामले में दुगने लाभ का प्रावधान होगा।

(11) ग्रामीण क्षेत्रों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के परिवारों को लघु उद्योग-यूनिटें स्थापित करने में प्रोत्साहन देने के लिए कुछेक वस्तुओं को उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है जिनमें संशोधित खाद्य पदार्थों का उत्पादन, रु 75 रुपए से कम की कीमत के जूते, टेलीफोन सेट (ब्लैक एण्ड व्हाइट। रेडियो कैसेट, प्लेयर रिकार्डर, वोल्टेज स्टेबलाइजर, कैलकुलेटर इलेक्ट्रानिक घड़ियां अलार्म घड़ियां, आडियो कैसेट, मुलाम्टर, खिलौने शामिल हैं बशर्ते कि इन वस्तुओं का विनिर्माण महिला एजेंसियों, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग बोर्ड और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के माध्यम से सहायता प्राप्त यूनिटों द्वारा किया जा रहा हो।

(12) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार की गई वस्तुओं का माडल आधार पर विपणन करने के उद्देश्य से "कापार्ट" में एक अलग सैल की स्थापना की गई है। इस सैल में परामर्श और विपणन विशेषज्ञ शामिल होंगे। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लाभार्थियों तथा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा तैयार किए सामान को लोकप्रिय बनाने तथा उसकी बिक्री करने के लिए कापार्ट द्वारा कई मेले आयोजित किए गए है।

(13) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 1 जनवरी, 1990 से सभी जिलों के लिए सामूहिक दृष्टिकोण का विस्तार किया है जिसके अंतर्गत थ्रीफ्ट तथा क्रेडिट सोसायटियां बनाने वाले महिला समूहों को समूहों द्वारा अर्जित बचत राशि के बराबर एक आवर्ती निधि के लिए बराबर का अनुदान दिया जाएगा। बराबर का अनुदान प्रति ग्रुप अधिकतम 15,000 रुपए होगा।

(14) यह निर्णय लिया गया है कि 1990-91 से, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के 3 प्रतिशत लाभ आई. आर. डी. पी. के अधीन शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए निर्धारित किए जाएंगे।

(15) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों की कवरेज के लक्ष्य को 1.4.1990 से कुल सहायता प्राप्त परिवारों में 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है।

उर्वरकों का आयात

6723. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों के आयात में भारी कमी करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और वर्ष 1990-91 के दौरान कुल कितनी मात्रा में उर्वरकों का आयात किया जायेगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) और (ख) उर्वरकों का आयात अनुमानित मांग तथा स्वदेशी उपलब्धता के बीच के अन्तर को पूरा करने हेतु किया जाता है। अन्तर को पूरा करने के लिए वर्ष 1990-91 के दौरान फास्फेटिक उर्वरकों की कुछ मात्रा का आयात किया जाएगा। पोटासिक उर्वरकों की समस्त आवश्यकता आयात के द्वारा पूरी की जाएगी, क्योंकि देश में इस सामग्री के कोई ज्ञात लाभप्रद वाणिज्यिक स्रोत नहीं हैं। तथापि, आयात किये जाने वाले उर्वरकों की मात्रा के ब्यौरे प्रकट करना जनहित में नहीं होगा।

उड़ीसा के गांवों के लिए पेय जल

6724. **श्री अनादि चरण दास**
श्री भजमन बेहेरा } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय पेय जल आपूर्ति तथा सफाई दशक (1981-91) के दौरान पेय जल तथा सफाई की व्यवस्था करने हेतु विभिन्न गांवों के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं;

(ख) अब तक कितनी मात्रा में विदेशी सहायता प्राप्त हुई है तथा कितनी मात्रा का उपयोग किया गया है; और

(ग) उड़ीसा में जिलावार विभिन्न प्राथमिकता श्रेणियों के अन्तर्गत कितने गांवों का पता लगाया गया है और क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति तथा सफाई दशक (1981-91) के दौरान केन्द्रीय सरकार ने 100

प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को पेयजल तथा 25 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को सफाई व्यवस्था से कवर करना निर्धारित किया था।

(ख) डैनिश विकास प्रशासन से 31 मार्च, 1990 तक प्राप्त विदेशी सहायता की मात्रा 1954.23 लाख रुपये है जिसका कि उपयोग किया जा चुका है।

(ग) उड़ीसा में 25 मार्च, 1990 तक पता लगाए गए समस्याग्रस्त गांवों की जिलावार संख्या और उपलब्धियां संलग्न विवरण में दर्शायी गयी हैं।

विवरण

क्रम सं०	जिले का नाम	पता लगाए गए समस्याग्रस्त गांवों की संख्या (पी०वी०एस०)	25 मार्च, 1990 तक उपलब्धि		शेष
			पूर्ण रूप से कवर किये गये	आंशिक रूप से कवर किये गये	बिना स्रोत वाले समस्याग्रस्त गांव जिन्हें अभी कवर किया जाना है।
1	2	3	4	5	6
1.	बालासौर	3555	3027	528	—
2.	बोलांगिर	2208	2158	50	—
3.	कटक	4678	3869	809	—
4.	धनकनाल	2519	2105	408	6
5.	गंजम	4073	2886	675	512
6.	कालाहांडी	2314	2115	185	14
7.	क्योंझर	1922	1839	65	18
8.	कोरापुट	5212	4083	567	562
9.	फूलबेनी	3913	3702	58	153
10.	मयुरभंज	3166	2891	273	2

1	2	3	4	5	6
11.	पुरी	3870	3223	621	26
12.	सम्बलपुर	3176	2801	355	20
13.	सुंदरगढ़	1615	1562	46	7
		42221	36261	4640	1320

प्रत्येक जिला मुख्यालय को भोपाल से एस० टी० डी०
द्वारा जोड़ना

[हिन्दी]

6726. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय**
श्री छविराम अर्गल } : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में प्रत्येक जिला मुख्यालय को भोपाल से एस० टी० डी० द्वारा जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 के दौरान किन-किन जिलों को भोपाल से एस० टी० डी० द्वारा जोड़ दिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां। 1.4.90 की स्थिति के अनुसार 45 जिला मुख्यालयों में से 29 को एस० टी० डी० सुविधा प्रदान कर दी गई है।

(ख) जिन शेष 16 जिला मुख्यालयों को 1990-91 में भोपाल के साथ एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई गई है, वे इस प्रकार हैं :—

बालाघाट, बेतुल, छतरपुर, दमोह, गुना, झाबुआ, खरगोन मांडला, नरसिंहपुर, राजगढ़, शहडोल; शाजापुर, सीधी, शिवपुरी, पन्ना, टीकमगढ़।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

टेलीफोन कनेक्शन

[अनुवाद]

6772. **श्री इरा अन्बारासु**
श्री डी० अमात } : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में राज्य-वार, कितने आवेदकों के नाम दर्ज हैं और इनके नाम प्रतीक्षा सूची में कब से हैं;

(ख) सभी आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन कब तक दे दिये जायेंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) 31.1.90 की स्थिति के अनुसार देश में प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या 17,39,676 है। आठवीं योजना को देश में निम्नलिखित औसत आधार पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की दृष्टि से तैयार किया गया है।

(I) मांग करने पर, 5000 से कम लाइनों की क्षमता वाले टेलीफोन एक्सचेंजों में और

(II) 5000 अथवा इससे अधिक लाइनों की क्षमता वाले टेलीफोन एक्सचेंजों में प्रतीक्षा सूची की अवधि एक वर्ष तक रखना।

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आठवीं योजना के प्रस्तावों में टेलीफोन नेटवर्क में लगभग 52 लाख नए कनेक्शनों का विस्तार करने पर विचार करना होगा। संसाधनों के उपलब्ध होने पर और योजना को अनुमति मिल जाने पर आठवीं योजना के दौरान लंबित पड़ी वर्तमान प्रतीक्षा सूची को उत्तरोत्तर रूप से निपटाए जाने की संभावना है।

विवरण

अनुबन्ध

क्र०सं०	राज्य	31.1.90 को प्रतीक्षा सूची	प्रतीक्षा सूची में दर्ज किया गया सबसे पहले का आवेदन
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	76290	29.10.82
2.	असम	11420	11.1.79
3.	बिहार	17478	1984
4.	गुजरात	128613	1982
5.	हरियाणा	46421	25.8.74

1	2	3	4
6.	हिमाचल प्रदेश	7503	9.4.84
7.	जम्मू कश्मीर	16141	6/81
8.	कर्नाटक	90096	18.1.82
9.	केरल	146176	30.5.78
10.	मध्य प्रदेश	74803	9.9.81
11.	महाराष्ट्र सहित गोवा	393909	10/78
12.	उड़ीसा	7345	6.9.84
13.	पंजाब	100369	9.4.79
14.	राजस्थान	84059	1981
15.	तमिलनाडु	127679	4.6.82
16.	उत्तर प्रदेश	83098	16.6.81
17.	पश्चिम बंगाल	38437	30.9.73
18.	सिक्किम	169	13.5.86
19.	अरूणाचल प्रदेश	359	4/89
20.	मणिपुर	1526	1986
21.	मेघालय	1233	6.2.85
22.	मिजोरम	467	30.3.88
23.	नागालैण्ड	927	1984
24.	त्रिपुरा	868	अप्रैल, 85
25.	संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़	21676	30.4.80
26.	संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली	26413	26.12.79
27.	संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप	286	24.8.87
28.	संघ राज्य क्षेत्र पाण्डिचेरी	915	29.6.82
	कुल प्रतीक्षा-सूची	1739676	

31.1.90 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की कुल संख्या (शब्दों में) सत्रह लाख उन्तालीस हजार छः सौ छिहत्तर है।

भारत और नेपाल के बीच अनिर्णीत मामलों का समाधान

6728. श्री इरा अन्बारासु
श्री मनोरंजन भक्त
श्री बनवारी लाल पुरोहित
श्री दिलीप सिंह जुदेव
: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत का एक शिष्टमंडल, भारत और नेपाल के बीच अनिर्णीत मामलों के बारे में द्विपक्षीय वार्ता, के लिये, नेपाल गया था;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला;

(ग) क्या अनिर्णीत मामलों के समाधान के लिये दोनों पक्षों को स्वीकार्य कोई हल निकला है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्रकुमार गुजराल) : (क) जी हां। विदेश सचिव के नेतृत्व में अधिकारी स्तर के एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मसलों पर विचार-विमर्श करने के लिए 31 मार्च से 3 अप्रैल, 1990 तक काठमाण्डु की यात्रा की।

(ख) से (घ) जैसाकि नेपाली पक्ष ने इच्छा व्यक्त की थी भारतीय पक्ष ने द्विपक्षीय सम्बन्धों के विभिन्न पहलुओं से सम्बद्ध एक व्यापक प्रारूप उन्हें दिया। नेपाली पक्ष ने अनुरोध किया कि उन्हें प्रारूप का अध्ययन करने और उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए कुछ और समय दिया जाए। हमने उनका यह अनुरोध स्वीकार कर लिया है।

उड़ीसा में टेलीफोन सेवा के विकास के लिए आवंटित धनराशि

6729. श्री अनादि चरण दास : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में भुवनेश्वर, कटक तथा बहुत से अन्य जिलों में वर्ष 1990-9. के दौरान टेलीफोन सेवा के विकास के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ख) ये विकास योजनाएं कब तक कार्यान्वित की जाएंगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) दूरसंचार सेवाओं के विकास के लिए पूंजीगत शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 में उड़ीसा दूरसंचार सर्किल को 26 करोड़ रुपये आवंटित

किए जाने की संभावना है। इसमें से, 50 लाख रुपये और अधिक की लागत वाली अलग-अलग स्विचिंग परियोजनाओं पर भुवनेश्वर में 52 लाख रुपये तथा कटक में 24 लाख रुपये खर्च किए जाने की संभावना है। 26 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश का एक बड़ा भाग नेटवर्क के विस्तार पर खर्च होगा जो भुवनेश्वर और कटक सम्पूर्ण राज्य के लिए लाभप्रद होगा। वर्ष के दौरान वास्तविक रूप से उपस्कर आदि की प्राप्ति को मद्देनजर रखते हुए आबंटन में फेर-बदल हो सकता है।

(ख) विभिन्न चालू परियोजनाएं भिन्न-भिन्न तारीखों को पूरी होंगी। निम्नलिखित प्रमुख स्विचिंग संचारण परियोजनाओं के 1990-91 के दौरान चालू हो जाने की सम्भावना है बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हों।

टेलीफोन : भुवनेश्वर ई-10 बी एक्सचेंज का 5000 लाइनों से 7000 लाइनों में विस्तार।
भुवनेश्वर में 1500 लाइनों की आर० एल० यू० की संस्थापना जो भुवनेश्वर एक्सचेंज से जुड़ा होगा।

कटक में 2000 लाइनों के आर० एल० यू० की संस्थापना जो कटक के डिजीटल टी० ए० एक्स० से जुड़ा होगा।

अपोर में 2048 पोर्ट आई० एल० टी० एक्सचेंज चालू करना।

एलडीपीटी : कोरापुर जिले में 2/15 श्रुयड रेडियो प्रणाली का प्रयोग करके 1100 एलडीपीटी को खोलना।

टेलेक्स : राउरकेला में 100 लाइन इलेक्ट्रॉनिक टेलेक्स कन्सन्ट्रेटर।

ट्रांसमिशन : भुवनेश्वर और कटक के मध्य 140 एमबी/एम आप्टिकल फाइबर केबिल लिंक।
कटक और सम्बलपुर के मध्य 140 एमबी/एम डिजिटल माइक्रोवेव लिंक।
कटक और भुवनेश्वर के मध्य 34 एमबी०/एम डिजिटल माइक्रोवेव लिंक।

उड़ीसा में डाक सेवाओं का विकास

6730. श्री अनादि चरण दास : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में वर्ष 1990-91 के दौरान डाक सेवाओं के विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उड़ीसा के कटक उत्तरी डाक मंडल के अन्तर्गत प्रस्तावित नये शाखा डाक घर के खोलने में देरी के क्या कारण हैं; और

(ग) ये डाकघर कब तक खोले जाएंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) 1990-91 के दौरान खोले जाने वाले नए डाकघर उड़ीसा के लिए मंजूर किए गए हैं। इनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) इसमें कोई देरी नहीं हुई। जैसे ही आवश्यक औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं मंजूर किए गए डाकघरों के कार्य आरम्भ कर देने की संभावना है।

विवरण

उड़ीसा सर्किल

अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर

क्र०सं०	प्रस्तावित डाकघरों के नाम	जिला
	1	2
1.	गोविन्दपुर	बालासोर
2.	बरसर	—वही—
3.	रुधंगा	—वही—
4.	अंकोरिया पादार	बोलनगीर
5.	कंधानझुला	—वही—
6.	हीरापुर	—वही—
7	गदापोखरी	कटक
8.	रिगडोल	—वही—
9.	सीरूल	—वही—
10.	बालकी	—वही—
11.	मालदी	—वही—
12.	बंकुअल	धेनकनाल
13.	खजुराहो	—वही—
14.	कामापुर	—वही—
15.	कुदागांव	—वही—
16.	पुनानगोबेन्।	लाहांडी

1	2
17. बुंदेलगुडा	—वही—
18. एकतारा	—वही—
19. कॅडलीझारा	—वही—
20. सामगिरि	क्योंझर
21. खजूरडबानी	क्योंझर
22. मेटापका	कोरापुर
23. बहालदा	मयूरभंज
24. तुरलाखामन	कालाहांडि
25. कुन्डाबंधा	—वही—
26. बेंगकरलाखुंटा	—वही—
27. केतपाय	केरापुट
28. डूडूरमियार्ला	—वही—
29. भाटलपुर	—वही—
30. मुनडाकोट	कोरापुट
31. टम्परगढ़	सम्भलपुर
32. बोइटा	बालासोर
33. रायताला	धेनकनाल
34. डीमीरामुंडा	क्योंझर
35. ओनरीकाला	क्योंझर
36. पेडपंगा	कहेरापुट
37. बडपारकला	कोरापुट
38. सरगीडीही	संभलपुर
39. गरगाडबहल	संभलपुर
40. एनलापल्लं	वही
41. महालिमकोर	वही

1	2
42. माहुलपली	वही
43. नीलेश्वर	वही
44 टेंटुलीबिनारी	कटक
45. मुंडामहल	बोलनगीर
46. दनार्शपुर	कटक
47. बरुनाई	कटक
48. जम्मूडोली	धेनकनाल
49. कोटटोक	गंजाम
50 जगन्नाथपुर	गंजाम
51. बडापल्ली	वही
52. जुनसाइपटमा	कालाहांडी
53. लखवहल	कालाहांडी
54. पांडापोडर	कालाहांडी
55. धानूरेपुर (हरमोटा)	क्योंझर
56. बालागोडा	क्योंझर
57. खुशकाला	वही
58. मुक्तपुर	वही
59. रहलेगडडा	कोरापु
60. बीरा	कोरापुट
61. पेनाकन	वही
62. गोटलीगुमा (जनबाई)	वही
63. ताराबारा	मयूरभंज
64. बलकिया	फुलबनी
65. आमजोरी	संभलपुर
66. मल्लीपाड़ा	संभलपुर
67. भेंसादारहा	वही

1	2
68. तरलीकिला	वही
69. पोखसाल	वही
70. बड़ाकली	सुन्दरगढ़
71. खेम्बो	कटक
72. कुसुम्बी	कटक
73. भग्गामानपुर	कटक
74. लक्ष्मीपुरगामुंडा	कोरापुट
75. ताबालगुडा	कोरापुट
76. रामलिंका	पुरी
77. मोरदाबाड़ी	पुरी
78. शामुंदियापुल्की	वही
79. बिलासपुर	संबलपुर
80. कांसी	कटक
81. महुलीया	कटक

विभागीय उप डाकघर

1. उतरबहनी बालासोर एन डी टी एस ओ
2. भरातीगुडा एन डी एम ओ कोरापुट
3. बारीनीपुट डी एस ओ कोरापुट
4. एन ए डी सनबेडा डी एस ओ नावल आरमा मेंटल डिपो, गैरिसन इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट
5. चन्द्रशेखर पुर हाउसिंग बोर्ड कलोनी भुवनेश्वर पुरी
6. आई आर सी विलेज भुवनेश्वर/पुरी
7. ओरियंट कोलरी बरंजराज संमलपुर

पशु चिकित्सालय और डिस्पेंसरियां

6731. श्री अनादि चरण दास : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पशु रोगों पर नियंत्रण पाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) देश में राज्य वार कितने पशु चिकित्सालय और डिस्पेंसरियां हैं; और

(ग) उड़ीसा में ऐसे चिकित्सालय/डिस्पेंसरियां किन-किन स्थानों पर स्थापित की गई हैं या करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) पशुओं को बीमारियों की रोकथाम करने के लिए देशभर में 5878 पशु चिकित्सा अस्पताल/पोलोक्लीनिक, 12185 पशु चिकित्सा औषधालय, 20372 पशु चिकित्सा सहायता केन्द्र तथा लगभग 400 गश्ती पशु चिकित्सा औषधालय है।

(ख) जानकारी संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

(ग) जानकारी संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

विवरण-1

पशु चिकित्सा अस्पतालों/पोलीक्लीनिकों औषधालयों तथा पशु चिकित्सा सहायता केन्द्रों को प्रदर्शित करने वाला राज्य-वार विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित प्रदेश	अस्पताल/ पोलीक्लीनिक	औषधालय	पशु चिकित्सा सहायता केन्द्र
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	279	1422	2565
2.	असम	25	436	1207
3.	अरुणाचल प्रदेश	—	81	119
4.	बिहार	62	1152	2180
5.	गुजरात	25	314	557
6.	गोवा	2	20	1
7.	हरियाणा	495	474	777
8.	हिमाचल प्रदेश	232	519	—

1	2	3	4	5
9.	जम्मू और कश्मीर	16	570	—
10.	कर्नाटक	33	520	826
11.	केरल	117	524	92
12.	मध्य प्रदेश	708	1943	—
13.	महाराष्ट्र	84	1050	2557
14.	मिजोरम	2	39	88
15.	मणिपुर	61	97	27
16.	मेघालय	1	53	51
17.	नागालैण्ड	4	28	62
18.	उड़ीसा	57	457	2816
19.	पंजाब	881	445	553
20.	राजस्थान	911	366	—
21.	सिक्किम	12	25	55
22.	तमिलनाडु	81	735	2226
23.	त्रिपुरा	9	39	229
24.	उत्तर प्रदेश	1610	234	2637
25.	पश्चिम बंगाल	110	582	659
	कुल राज्य	5817	12125	20325

संघ शासित प्रदेश

1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8	3	33
2.	चण्डीगढ़	4	9	—

1	2	3	4	5
3.	दादरा और नगर हवेली	1	1	9
4.	दिल्ली	46	24	—
5.	लक्षद्वीप	—	9	2
6.	पाण्डिचेरी	2	14	4
	कुल संघ शासित प्रदेश	61	60	48
	सम्पूर्ण योग	5878	12185	20372

विवरण-2

कटक जिले के उन स्थानों की सूची जहां अस्पताल/औषधालय खोले गये हैं।

सब डिविजन का नाम	स्थान का नाम	
1 2	3	4
1. कटक सदर	1. बक्शीबाजार	पशु चिकित्सा अस्पताल
	2. नयाबाजार	पशु चिकित्सा औषधालय
	3. कलपाड़ा	—तदेव—
	4. बारंगा	—तदेव—
	5. फुलनखारा	—तदेव—
	6. महंगा	—तदेव—
	7. सालेपुर	—तदेव—
	8. निस्चिंताकोयल	—तदेव—
	9. मायलो	—तदेव—
	10. तांगो	—तदेव—
	11. चौद्वार	—तदेव—
	12. कांटापाड़ा	—तदेव—

1	2	3	4
	2. जगतसिंहपुर	13. किसाननगर	—तदेव—
		14. [illegible]पुर	—तदेव—
		15. जगतसिंहपुर	—तदेव—
		16. बलोकुडा	—तदेव—
		17. [illegible]गन	—तदेव—
		18. नौ[illegible]नहट	—तदेव—
		19. [illegible]रटोल	—तदेव—
		20. कुजगा	—तदेव—
		21. इरासमा	—तदेव—
		22. पारादीप	—तदेव—
		23. तुलन्गा	—तदेव—
		24. बिरिदी	—तदेव—
	3. केन्द्रपाड़ा	25. केन्द्रपाड़ा	—तदेव—
		26. डेराबिस	—तदेव—
		27. तेन्डकुदा	—तदेव—
		28. मार्शघई	—तदेव—
		29. मौहकालपाड़ा	—तदेव—
		30. पटामुन्डई	—तदेव—
		31. औल	—तदेव—
		32. गजकनिका	—तदेव—
		34. इन्दुपुर	—तदेव—
		34. चन्डोल	पशु चिकित्सा औषधालय
		35. नालहिया मसम	—तदेव—
		36. बाडापाडा	—तदेव—
		37. [illegible]पुर	—तदेव—
		38. [illegible]नगर	—तदेव—

1	2	3	4
4.	बन्को	39. बन्को	—तदेव—
		40. बैहासवार	—तदेव—
		41. सुबानपुर	—तदेव—
5.	[illegible]	42. जगपुर	पशु चिकित्सा अस्पताल
		43. गुजानपुर	पशु चिकित्सा औषधालय
		44. दशरथपुर	—तदेव—
		45. बिन्झहारपुर	—तदेव—
		46. एन्गलो	—तदेव—
		47. रामा	—तदेव—
		48. रत्नागिरी	—तदेव—
		49. कोरई	—तदेव—
		50. रासूलपुर	—तदेव—
		51. दनगाडो	—तदेव—
		52. जयपुर रोड़	—तदेव—
		53. सुकिन्डा	—तदेव—
		54. धरमशाला	—तदेव—
		55. छतिया	—तदेव—
		56. गोपालपुर	—तदेव—
		57. गोवर्धनपुर	—तदेव—
		58. बदचाना	—तदेव—
6.	[illegible]	59. अथगढ़	—तदेव—
		60. टिगिरिया	—तदेव—
		61. बारम्बा	—तदेव—
		62. नरसिंहपुर	—तदेव—
		63. गुरूडिझातिया	—तदेव—

1	2	3	4
		64. कानपुर	—तदेव—
		65. कमलादिहो	—तदेव—
		66. मनियाबांध	—तदेव—
			(स्वीकृत नहीं)

उड़ीसा सरकार का निकट भविष्य में कोई नया पशु चिकित्सा औषधालय/अस्पताल खोलने का ऐसा कोई निर्णय नहीं है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अधिकारियों के घरों पर छापे

[हिन्दी]

6732. **श्री कल्पनाथ सोनकर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में कार्यरत उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिनके घरों में पिछले दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने छापे मारे हैं,

(ख) उनसे जब्त सम्पत्ति का ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या इन अधिकारियों को अभी भी उन पदों पर नियुक्त किया गया है जहां भ्रष्टाचार की काफी गुंजाइश है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) 1-1-1988 से 30-3-90 की अवधि के दौरान सी. बी. आई. की विभिन्न शाखाओं द्वारा संचार मंत्रालय के अधिकारियों के विरुद्ध शुरू किए गए 28 मामलों की जांच के संबंध में 19 राजपत्रित अधिकारियों सहित 54 कर्मचारियों/अधिकारियों के आवासीय/कार्यालय अहातों की तलाशी ली गई। उनके खिलाफ उनकी आय के ज्ञात स्रोत के अनुपात में अर्जित परिसम्पत्तियों में विसंगति, रिश्वत की मांग करने और उसे स्वीकार करने, आपराधिक कदाचार और विभागीय कदाचार आदि के आरोप थे।

(ख) तलाशियों के दौरान, 19,43,126/-रु० मूल्य की चल/अचल परिसंपत्तियों और इसके अलावा, कुछ कर्मचारियों/अधिकारियों के नाम में प्लाटों और मकानों का पता चला सी. बी. आई. ने बड़ी मात्रा में आपराधिक दस्तावेज भी जब्त किए हैं जिनकी छानबीन की जा रही है।

(ग) 28 मामलों में से, 20 मामलों में जांच पूरी कर ली गई है। 20 मामलों में से 5

मामले विचारण के लिए भेजे गए हैं, 12 मामलों में बड़े/लघु दंड आदि के लिए विभागीय कार्रवाई प्रारम्भ की जा रही है। 2 मामलों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन के लिए मंजूरी जारी की जा रही है 1 मामला बन्द कर दिया गया है। शेष 8 मामलों में सी बी आई द्वारा जांच की जा रही है।

(ख) जब कतिपय अधिकारियों के विरुद्ध कुछ अनियमितताएं ध्यान में आती हैं, तो उन्हें गैर-संवेदनशील पदों पर तैनात करने के प्रयत्न किये जाते है। ऐसे सभी कर्मचारियों की गतिविधियों पर निगाह रखी जाती है ताकि वे अपने सरकारी पद का गलत उपयोग करने की स्थिति में न रहें।

टेलीफोन बिलों की बकाया राशि

[अनुवाद]

6733. **श्री वसंत साठे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) महाराष्ट्र राज्य में बम्बई, नागपुर, पुणे और औरंगाबाद शहरों में तथा पूरे महाराष्ट्र में विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी उपभोक्ताओं पर एक वर्ष से भी अधिक समय से टेलीफोन बिलों की बकाया राशि का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसकी वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) 28-2-90 की स्थिति के अनुसार; जानकारी नीचे दी गई है :—

	(राशि हजार रुपयों में)	
	शासकीय	प्राइवेट
(I) बम्बई	9004	304291
(II) नागपुर	4	463
(III) पुणे	292	3214
(VI) औरंगाबाद	—	65
(V) महाराष्ट्र (सम्पूर्ण)	9032	312902

(ख) बकाया राशि को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :—

(I) जहां तक शासकीय बकाया का संबन्ध है, इसमें मुख्य महाप्रबन्धकों और निदेशालय स्तर पर कारंवाई की जा रही है। अध्यक्ष, दूरसंचार आयोग ने बकाया के निपटान के लिए राज्य के मुख्य सचिव को भी पत्र लिखा है।

(II) प्राइवेट उपभोक्ताओं के मामले में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(क) व्यक्तिगत सम्पर्क करना और अनुरोध करने पर किस्तों में भुगतान करने का पेशकश करना।

(ख) यदि एक उपभोक्ता के एक से अधिक टेलीफोन कनेक्शन हों तो अन्य टेलीफोनों को काटना।

(ग) कानूनी कारंवाई।

शिकागो, अमरीका में सी-डॉट कार्यालय की स्थापना

6734. श्री एम० जी० शेखर
श्री आर. गुंडूराव
श्री वाई. रामकृष्ण
: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी-डाट ने शिकागो, अमरीका में एक कार्यालय स्थापित/आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में विदेशों में भारत सरकार के उपक्रम/सोसाइटी के सम्पर्क कार्यालय खोलने सम्बन्धी निर्धारित मार्ग निर्देशों का पालन किया गया था;

(ग) क्या शिकागो में सी-डाट पर किया गया व्यय किसी अमरीकी कम्पनी द्वारा वहन किया गया था और बाद में सी-डाट द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात इसकी प्रतिपूर्ति की गई थी;

(घ) क्या सी-डाट ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का सी-डाट तथा जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

मंत्रालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों का भरा जाना

[हिन्दी]

6735. डा० बंगाली सिंह : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में रिक्त पड़े अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों की श्रेणी-वार संख्या क्या है और ये पद कब से रिक्त पड़े हैं;

(ख) इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित वर्गवार पदों की संख्या और वर्ष जब से जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में ये पद रिक्त पड़े हैं, इस प्रकार हैं :—

वर्ष	श्रेणी "क"		श्रेणी "ख"		श्रेणी "ग"		श्रेणी "घ"	
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1988	—	—	5	3	4	3	—	—
1989	2	3	14	8	17	8	—	—
1990	1	—	3	2	9	5	1	—

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों से संबन्धित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) कुछ मामलों में चयन सम्बन्धी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। शेष रिक्त पदों को भरने के लिए भी कार्रवाई की गई है।

डी टी सी के अन्तर्गत चलाई जा रही प्राइवेट बसें

6736. डा० बंगाली सिंह
श्री हरिभाऊ शंकर महाले } : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी टी सी के संचालनाधीन प्राइवेट बसों में महिला यात्रियों के साथ छेड़खानी की घटनाओं एवं इन बसों से होने वाली दुर्घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए सरकार इन बसों को हटाने पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जायेगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्) : (क) और (ख) अक्तूबर, 1989 से मार्च, 1990 तक की अवधि के दौरान डी टी सी के संचालनाधीन निजी बसों में महिला यात्रियों के साथ छेड़खानी किए जाने के किसी मामले की रिपोर्ट डी टी सी को प्राप्त नहीं हुई है। उपर्युक्त अवधि के दौरान 28 निजी बसों को घातक दुर्घटनाओं में ग्रस्त होने के कारण डी टी सी संचालन से हटा दिया गया था। तथापि, इन कारणों से निजी बसों को डी टी सी संचालन से हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भड़ौच जिले में तहसीलों को एस. टी. डी. द्वारा दिल्ली से जोड़ना

6737. **श्री चन्दुभाई देशमुख** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में भड़ौच जिले में कितनी तहसीलों को एस० टी० डी० द्वारा नई दिल्ली से जोड़ा गया है;

(ख) सरकार द्वारा शेष तहसीलों को एस०टी०डी० सुविधा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(ग) सभी तहसीलों को यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) भड़ौच एकमात्र तहसील मुख्यालय है जिसे एस० टी० डी० के जरिए नई दिल्ली के साथ जोड़ा गया है।

(ख) और (ग) भड़ौच जिले के शेष 10 तहसील मुख्यालयों को 8 वीं योजना अवधि के दौरान एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने की योजना है।

सी-डाट के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा विदेशों का दौरा

[अनुवाद]

6738. **श्री आर० गुंडू राव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान सी-डाट के सलाहकार कार्यकारी निदेशक और अन्य कर्मचारियों/अधिकारियों ने विदेशों का दौरा कितनी बार किया और उनके दौरों के उद्देश्य क्या थे; और

(ख) प्रत्येक दौरे पर भारतीय रुपये और विदेशी मुद्रा में हुए खर्च का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) वर्ष 1989-90 के दौरान सलाहकार सी-डॉट/कार्यकारी निदेशक सरकारी दौरे पर विदेश नहीं गए थे। सी/डाट के अधिकारियों, कर्मचारियों ने 32 विदेश दौरे किए। उनके दौरे का उद्देश्य और खर्चे का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र०सं०	उद्देश्य	रुपए खर्च	विदेशी मुद्रा (भारतीय रुपयों के समतुल्य)
1	2	3	4
1.	कांफ्रेंस कम ट्यूटोरियल	25014.00	30326.00
2.	कांफ्रेंस कम ट्यूटोरियल	23259.0	30326.00
3.	प्रथम यूरोपियन टेस्ट कांफ्रेंस	16589.00	48237.00
4.	प्रथम यूरोपियन टेस्ट कांफ्रेंस	16589.00	38352.00
5.	प्रथम यूरोपियन टेस्ट कांफ्रेंस	16412.00	38352.00
6.	वियतनाम में दूरसंचार विभाग का प्रतिनिधि मण्डल	14177.00	7772.50
7.	पैरेलल प्रोसेसिंग पर कांफ्रेंस कम ट्यूटोरियल	27024.00	45232.00
8.	पैरेलल प्रोसेसिंग पर कांफ्रेंस कम ट्यूटोरियल	27024.00	45232.00
9.	पीसीबी का विनिर्माण करने वाली फैक्टरी का दौरा	6828.00	23295.00
10.	शिकागो सेल का ऑडिट और एक्सचेंज खरीदने के लिए शॉपिंग	19918.00	58127.50
11.	सी० सी० आई० टी० टी० बैठक में भाग लेना	6963.00	29168.00

1	2	3	4
12.	सेटेलाइट चैनल यूनिट का निरीक्षण	21781.00	29495.00
13.	पी०एस०ए०टी०नेटवर्क का अध्ययन	20805.00	14832.00
14.	5वीं चिल कांफ्रेंस में भाग लेना	26269 00	37810.00
15.	5वीं चिल कांफ्रेंस में भाग लेना	25844 00	27003.50
16.	पी०सी०बी० विनिर्माण फैक्टरी का दौरा	6306.00	13629.50
17.	एम०ओ०यू० के लिए जोइंस टेक्नालॉजी ग्रुप के साथ विचार विमर्श	11246.00	9823.00
18.	एम०ओ०यू० के लिए जोइंस टेक्नालॉजी ग्रुप के साथ विचार-विमर्श	11246.00	9823.00
19.	एम०ओ०यू० के लिए जोइंस टेक्नालॉजी ग्रुप के साथ विचार-विमर्श	1249[illegible] 00	9823.00
20.	एम०ओ०यू० के लिए जोइंस टेक्नालॉजी ग्रुप के साथ विचार-विमर्श	11646.00	9823.00
21.	आई०ई ई०ई० कांफ्रेंस के लिए	120.00	37551.00
22.	पावर सप्लाई का विकास	41667.40	39691 00
23.	पी०सी०बी०एस० प्राप्त करने के लिए विक्रेताओं का पता लगाना	6357.00	15256.00
24.	पी०सी०बी०एस० प्राप्त करने के लिए विक्रेताओं का पता लगाना	6357.00	22884.00
25.	पी०सी०बी०एस० प्राप्त करने के लिए विक्रेताओं का पता लगाना	13433.00	15256.00
26.	पी०सी०बी०एस० प्राप्त करने के लिए विक्रेताओं का पता लगाना	6357.00	22884.00
27.	आई०एस०डी०एन० सेमिनार मे भाग लेना	11364.00	19964.00
28.	प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए	12489.00	0,00

1	2	3	4
29.	प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए	13855.00	0.00
30.	पी०सी०बी०एस० प्राप्त करने के लिए	27620.00	8925.25
31.	विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श और डाटा एकत्र करने के लिए	67318.00	62091.00
32.	प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए	22919.00	0.00

टिप्पणी : (1) 1.4.89 से पहले शुरू किए गए दौरे शामिल नहीं किए गए हैं।

(2) सलाहकारों को शामिल नहीं किया गया है।

कीटनाशक दवाओं का छिड़काव

6739. **श्री डी० अमात** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

वर्ष 1988-89 के दौरान देश में राज्यवार कितनी-कितनी मात्रा में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया गया ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1988-89 के दौरान कृमिनाशक दवाइयों के उपयोग का राज्य-वार ब्योरा संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1988-89 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कृमिनाशी दवाइयों के उपयोग को प्रदर्शित करने वाला विवरण

क्रम स०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	उपयोग
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	9,910
2.	अरुणाचल प्रदेश	30

1 2	3
3. असम	575
4. बिहार	1,700
5. गुजरात	5,500
6. गोवा	22
7. हरियाणा	4,500
8. हिमाचल प्रदेश	718
9. जम्मू व कश्मीर	110,00
10. कर्नाटक	3,900
11. केरल	1,100
12. मध्य प्रदेश	4,500
13. महाराष्ट्र	6,020
14. मणिपुर	50
15. मेघालय	45
16. मिजोरम	15,00
17. नागालैंड	12,00
18. उड़ीसा	1,800
19. पंजाब	5,770
20. राजस्थान	2,758
21. सिक्किम	20
22. तमिलनाडु	12,500
23. त्रिपुरा	164
24. उत्तर प्रदेश	8,480
25. पश्चिम बंगाल	5,000
26. अण्डमान निकोबार	—
27. चण्डीगढ़	—

1	2	3
28.	दिल्ली	60.00
29.	दादर और नगर हवेली	—
30.	दमन और दीव	—
31.	पांडिचेरी	135.00
32.	लक्षद्वीप	0.70
	कुल :	75,417.70

विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर प्रगति

6740. **श्री डी० अमात** : क्या भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विश्व बैंक से कौन-कौन-सी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए सहायता मिल रही है और इन परियोजनाओं के लिए अब तक कितनी धनराशि की विश्व बैंक द्वारा सहायता जारी की गई है; और

(ख) इन परियोजनाओं के निर्माण कार्य में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

जल भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) विश्व बैंक ने छः राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 200 मिलियन अमरीकी डालर से अनधिक ऋण सहायता देना स्वीकार कर लिया है। ये परियोजनाएं सामान्य बजट प्रावधानों से वित्त पोषित की जाती हैं तथा बाद में विश्व बैंक द्वारा प्रतिपूर्ति किए जाने योग्य व्यय के अंश का दावा किया जाता है। अब तक विश्व बैंक द्वारा 45 मिलियन अमरीकी डालर की प्रतिपूर्ति की गई है। प्रत्येक स्कीम पर हुई प्रगति सहित इन स्कीमों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र०सं०	राज्य	राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम	कार्य का नाम	संस्वीकृत परियोजनाओं पर कुल प्रगति
1	2	3	4	5
1.	गुजरात	राष्ट्रीय राजमार्ग-8	राष्ट्रीय राजमार्ग-8 पर प्रमुख दिल्ली बम्बई कारीडोर में अहमदाबाद और बड़ोदरा शहरों को मिलाने वाले एक नए दो-तरफा चौड़ाई के एक्सप्रेस वे का निर्माण।	23%

1	2	3	5	5
2	हरियाणा	राष्ट्रीय राजमार्ग—1	मुरथल से करनाल (74.80 कि०मी० से 130.० कि०मी०) के वर्तमान कॉरिडोर को चौड़ा कर चार लेन का बनाना व मजबूत करना।	10%
3.	पंजाब	राष्ट्रीय राजमार्ग—1	सिरहद से जालन्धर (252.525 कि०मी०) के वर्तमान कॉरिडोर को चौड़ा कर चार लेन का बनाना व मजबूत करना।	23%
4.	तमिलनाडु	राष्ट्रीय राजमार्ग—45	2 लेन वाले एक अतिरिक्त कॉरिडोर का प्रावधान तथा तामाबरम से पक्कादुराई (27 कि०मी० से 67 कि०मी०) के वर्तमान 2 लेन के मार्ग को मजबूत करना तथा पक्कादुराई से बल्लुपुरम (67 कि०मी० से 160 कि०मी०) के मार्ग को मजबूत करना	37%
5.		राष्ट्रीय राजमार्ग—2	गंगा नदी पर बड़े पुल सहित वाराणसी शहर के दो लेन वाले बाइपास का निर्माण।	6.5%
6.	पश्चिमी बंगाल	राष्ट्रीय राजमार्ग—2	कलकत्ता-दिल्ली के प्रमुख कारीडोर में देमकुनी तथा पालसिट के केन्द्र को जोड़ने वाली सेवा सड़क एवं ग्रेड चौराहों के साथ नए दो लेन के मार्ग का निर्माण	24%

बोडो आन्दोलन

6643. प्रो० के० वी० थामस : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोडो समस्या सुलझाने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार बोडो लोगों को स्वायत्तता प्रदान करने के लिये सहमत हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) 18.4.1990 को केन्द्र सरकार, असम सरकार और अखिल बोडो छात्र संघ के मध्य हुई नवीनतम त्रिपक्षीय वार्ता में हुए विचार-विमर्श के अनुसरण में एक छोटी समिति गठित की गई है जिसमें अखिल बोडो छात्र संघ, बोडो पिपुल्स कार्य समिति, असम सरकार और भारत सरकार के प्रतिनिधि हैं। यह समिति बोडो और असम में अन्य मैदानी जनजातियों की जातीय-राजनैतिक और विकास की समस्याओं को भारत के संविधान के ढांचे के भीतर हल करने के लिये सुझावों की सिफारिश करेगी और राज्य में रह रहे सभी वर्गों के व्यक्तियों को मान्य, शक्तियों के हस्तान्तरण के लिये प्रशासनिक, राजनैतिक और कानूनी व्यवस्था के लिये कार्य करेगी। समिति को अपनी रिपोर्ट 2.7.1990 को होने वाली आगामी बैठक में प्रस्तुत करनी है।

कृषि उत्पादों के लिए थोक बाजारों के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा सहायता

6744. प्रो० के० वी० थामस : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय देश में कृषि उत्पादों के लिए थोक बाजारों और कृषि परियोजनाओं का वित्तपोषण करने पर सहमत हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य को दी गयी आर्थिक सहायता का ब्योरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने केरल में तीन बड़ी क्षेत्रीय मंडियों तथा तीन छोटी जिला मंडियों के विकास के लिये भारत के साथ एक समझौता किया है। परियोजना में निगरानी तथा मूल्यांकन के लिये सहायता तथा विशेष परामर्श सेवायें प्रदान करने की भी व्यवस्था है। परियोजना में भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम की मार्फत 18.10 मिलियन यूरोपीय मुद्रा यूनिटों के मूल्य के उर्वरकों की सप्लाई करने तथा निगरानी, मूल्यांकन आदि हेतु 0.55 मिलियन यूरोपियन मुद्रा यूनिटें प्रदान करने की व्यवस्था है। परियोजना केरल में कार्यान्वित की जा रही है।

"सी-डाट" के कार्यकारी निदेशक तथा निदेशक की सेवाएं समाप्त करना

6745. प्रो० के० वी० थामस
श्री हन्नान मोल्लाह
श्री कुसुम कृष्णमूर्ति
श्री पी० सी० थामस
श्री के० एस० राव
: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सी-डाट" के कार्यकारी निदेशक तथा निदेशक ने प्रो० पी० पी० ... "सी-डाट कमेटी रिपोर्ट" में असहमति टिप्पण दिया था; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ख) क्या इन दोनों अधिकारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या "सी-डाट" में कार्यरत अनेक इन्जियरों ने उनको सेवा से हटाये जाने पर रोष प्रकट किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां। सरकार इस मामले पर विचार कर रही है।

(ख) और (ग) श्री जी० बी० मीमांसी, कार्यकारी निदेशक के मामले में यह निर्णय लिया गया था कि चूंकि उन्होने 60 वर्ष की आयु पूरी करनी है इसलिए उन्हें सेवा में नहीं बने रहना चाहिए।

श्री डी० आर० महाजन निदेशक, के मामले में, उनकी नियुक्ति का कार्यकाल समाप्त हो गया था और उनका कार्यकाल नहीं बढ़ा गया।

(घ) और (ङ) उनसे कुछ प्रतिवेदन प्राप्त हुए और उन्हें स्थिति स्पष्ट कर दी गई।

केले की खेती पर प्रभाव डालने वाले रोग

6746. श्री कावम्बुर एम०आर० जनार्दनम : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केले की खेती पर प्रभाव डालने वाले मुख्य रोग कौन-कौन से है;

(ख) क्या केले की रडेबेस्टो" नामक किस्म की पौद ही कीट जन्य रोग से ग्रस्त हो जाती है; और

(ग) यदि हां, तो केले की खेती करने वाले किसानों को इन कठिनाइयों से बचाने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) केले की खेती को अधिकांशतया प्रभावित करने वाले रोग है—पनामा विल्ट, लीफ-स्पाट, एन्थ्राक्नोज, सिगार एण्ड राट और बंची-टाप।

(ख) और (ग) जी, हां। कृमि और रोग के प्रकोप पर काबू पाने के लिए विकसित की गई तथा किसानों द्वारा अपनाये जाने के लिए संस्तुत नियंत्रक कार्यनीति में शामिल उपाय हैं— स्वस्थ और रोगमुक्त कलमें रोपित करना, फलोद्यान प्रबन्ध की उचित विधियां अपनाना, कीटनाशी दवाइयों का विवेकपूर्ण उपयोग, रोगग्रस्त पौधों की छंटनी करना तथा उनको नष्ट करना तथा स्वदेशी पौध संगरोधन उपाय करना।

आलू उत्पादक राज्य

6747. श्री [illegible] : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आलू उत्पादक मुख्य राज्य कौन-कौन से हैं;

(ख) क्या कर्नाटक में समुचित विपणन सुविधाएं न होने के कारण उक्त राज्य के आलू उत्पादकों को कठिनाई हो रही है;

(ग) क्या उन्हें अपने उत्पाद के लाभप्रद मूल्य भी नहीं मिल रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने कर्नाटक में समुचित विपणन सुविधाओं की व्यवस्था करने तथा साथ ही वहां के किसानों से आलू की उचित मूल्यों पर खरीद करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) मुख्य आलू उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश असम तथा गुजरात हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय टेलीफोन उद्योग, बंगलौर द्वारा "एप्लीकेशन स्पेसिफिक इन्टेग्रेटेड सर्किट" का निर्माण

6748. **श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय टेलीफोन उद्योग, बंगलौर का "एप्लीकेशन स्पेसिफिक इन्टेग्रेटेड सर्किट" का सम्पूर्ण निर्माण-कार्य आरम्भ करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दी जाएगी;

(ग) इस प्रस्ताव के अन्तर्गत "एप्लीकेशन स्पेसिफिक इन्टेग्रेटेड सर्किट" की उत्पादन-क्षमता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्पूर्ण परियोजना पर कितनी लागत आयेगी ;

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) सरकार की विभिन्न एजेंसियों के साथ परामर्श करके इस परियोजना पर इस समय विचार किया जा रहा है। इस परियोजना के बारे में निर्णय होने में अभी लगभग एक वर्ष का समय लगने की संभावना है।

(ग) प्रति वर्ष क्षमता

ए० एस० आई०सी० (गेट अरे)	2,50,000 (नग)
ए०एस०आई०सी० (स्टैंडर्ड सेल)	1,00,000 (नग)
प्रासेस्ट वाटर	7,000 (नग)

(घ) इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 1444 लाख रुपए है।

जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिए किये गये उपाय

6749. **श्रीमती बासव राजेश्वरी**
श्री चिरंजीलाल शर्मा } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पंजाब की तथा जम्मू-कश्मीर की समस्या को हल करने के लिए हाल ही में कुछ ठोस कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन दोनों राज्यों के सम्बन्ध में किन नये प्रस्तावों पर विचार किया है तथा उन्हें लागू किया है; और

(ग) उक्त राज्यों में इन प्रस्तावों से किस सीमा तक स्थिति में सुधार होने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) से (ग) चूंकि लोक व्यवस्था राज्य का विषय है; अतः यह जम्मू व कश्मीर तथा पंजाब सरकारों का काम है कि वे राज्यों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपयुक्त उपाय करें। पंजाब सरकार द्वारा उठाये गये कदमों में आतंक विरोधी: अभियानों का निकट से पर्यवेक्षण करना, बेहतर संचार व्यवस्था तथा जवाबी कार्यवाई हेतु पुलिस नियंत्रण कक्षों को सुदृढ़ करना, जहां कहीं आवश्यक हो वहां छानबीन अभियानों/को तेज करना; सीमा पर चौकसी बढ़ाना तथा संवेदनशील स्थानों पर कांटेदार बाढ़ लगाना कार्य शामिल है।

जम्मू और कश्मीर में किए गये उपायों में प्रशासन को सुदृढ़ करना, पुलिस स्टेशनों के कार्यकरण में सुधार लाना राज्य पुलिस, केन्द्रीय पुलिस बल तथा सेना के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना, निवारक गिरफ्तारियां करना, छानबीन अभियान चलाना, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अधिक समेकित पर्यवेक्षण करना तथा सीमा पर चौकसी बढ़ाना शामिल है।

स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से पंजाब और जम्मू व कश्मीर सरकार द्वारा सतत् प्रयास किये जा रहे हैं।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की सामान्य परिषद की बैठक

6750. **श्रीमती बासव राजेश्वरी**
श्री जी. एस. बासवराज } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
श्रीमती वसुन्धरा राजे

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की सामान्य परिषद की बैठक हाल ही में आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में कौन से विषयों पर चर्चा की गई थी तथा उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) देश में सहकारी समितियों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

खाद्य और नागरिक आपूर्ति मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) दिनांक 28-3-90 को हुई पिछली बैठक में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की सामान्य परिषद् ने वर्ष 1990-91 हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की गतिविधियों के कार्यक्रम पर विचार किया गया तथा कार्यक्रम और इसके 560 करोड़ रुपए के वित्तीय अनुमानों की मंजूरी दी। हाल में हुई बैठक के कार्यवृत्तों की पुष्टि पूर्ववर्ती बैठक के कार्यवाही योग्य मुद्दों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा के अलावा साधारण परिषद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के लेखा-परीक्षित विवरण तथा वर्ष 1988-89 के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम कर्मचारी भविष्य-निधि का भी अवलोकन किया।

(ग) भारतीय संविधान के अन्तर्गत सहकारी समितियां राज्य का विषय है। राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्रों में सहकारी समितियों को सुदृढ़ करने तथा उनकी कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम तथा देश की सहकारी समितियों को प्रोन्नत करने तथा उन्हें वित्त प्रदान करने में रुचि रखने वाले अन्य संगठनों की सहायता एवं मार्गनिर्देश के जरिये कदम उठा रही है। भारत सरकार ने देश में सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से सहकारी राज्य मंत्रियों के समय-समय पर हुए सम्मेलनों की विभिन्न सिफारिशों की सराहना की है। सहकारी समितियों के प्रबन्ध में जनतंत्रीकरण तथा व्यवसायीकरण हेतु सहकारी कानून सम्बन्धी समिति (अर्द्धनारीश्वरन समिति) द्वारा की गई सिफारिशें भी राज्य सरकारों को भेज दी गई है।

कश्मीर की समस्या पर यूनाइटेड किंगडम का दृष्टिकोण

6751. श्रीमती बासव राजेश्वरी
श्री जी. एस. बासवराज } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटेड किंगडम ने भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर समस्या का समाधान द्विपक्षीय वार्ताओं के जरिए करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ग) जैसा कि कई अवसरों पर बताया गया है यू० के० की सरकार का कहना यह है कि "कश्मीर का मसला" भारत और पाकिस्तान के बीच सहमति से हल किया जा सकता है। यू० के० की सरकार ने यह भी कहा है, कि उनकी स्थिति पूर्णतः शिमला समझौते की शर्तों के अनुरूप है जिन में यह प्रावधान है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिये शांतिपूर्ण तरीकों से दूर किया जाए।

आंवला में "इफको" कारखाने में किसानों को नौकरी

[हिन्दी]

6752. श्री राजवीर सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरेली जिले (उत्तर प्रदेश) में आंवला में "इफ्फो" कारखाने की स्थापना के लिए कितने किसानों की भूमि अधिगृहीत की गई है और उनमें से कितने किसानों को नौकरी दी गई है;

(ख) क्या सरकार की नीति यह है कि जिन किसान परिवारों की भूमि अधिगृहीत की गई है उनमें से प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें कब तक नौकरी दे दी जाएगी और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) (क) से (ग) इफ्फो की आंवला परियोजना के लिए अधिग्रहण की गयी भूमि के संदर्भ में 851 व्यक्तियों को भूमि से वंचित होना पड़ा। इनमें से 7 5 रोजगार के पात्र थे और 191 को रोजगार प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त लगभग 100 भूमि से वंचित होने वालों को अस्थायी आधार पर कभी-कभी कार्य दिया गया है।

राज्य सरकार के मार्गदर्शनों के अनुसार, इफ्फो ने भूमि से वंचित होने वालों को रोजगार के लिए वरीयता दी है। अकुशल कार्यों के लिए केवल भूमि से वंचित होने वालों में से ही भर्ती नियमों में शिथिलता दी गयी है। इसके अतिरिक्त उन भूमि से वंचित होने वालों को प्रशिक्षित किया जा रहा है जिनके पास कुछ शैक्षिक योग्यता है ताकि वह अर्ध-कुशल कार्यों पर रोजगार पाने के अवसर प्राप्त कर सके।

इफ्फो द्वारा राज्य/जिला प्रशासन के सहयोग से अनेक विकास तथा अन्य कार्य आरम्भ किए गए हैं ताकि भूमि से वंचित होने वालों के लिए रोजगार अवसरों में और सुधार हो सके।

"आल इण्डिया परमिट" कोटा

6753 **श्री राजवीर सिंह** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का "आल इण्डिया परमिट" का कुछ कोटा राज्य सरकारों को यात्री बसें चलाने हेतु आवंटित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस आवंटन के लिए किन-किन मानदडों का पालन किया जाता है;

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार को वर्ष 1989 के दौरान ऐसे कितने परमिटों का आवंटन किया गया;

(घ) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई कोटा आरक्षित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) राज्य सरकारों के लिए अखिल भारतीय परमिट जारी करने हेतु कोई कोटा नहीं है। अखिल भारतीय परमिट, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (9) एवं 10 के उपबन्धों के अनुसार राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशन द्वारा उत्तर प्रदेश में समेकित पेय जल सप्लाई परियोजनाओं के विकास हेतु चुने गये जिले

6754. **श्री राजवीर सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशन उत्तर प्रदेश में समेकित पेय जल सप्लाई परियोजनाओं के विकास हेतु कितने जिलों का चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो इन जिलों के नाम क्या है;

(ग) इस लक्ष्य को वास्तव में पूरा करने के लिए कोई कार्यक्रम शुरू किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में समन्वित पेयजल सप्लाई परियोजनाओं के विकास के लिए राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अन्तर्गत चार जिलों अर्थात्—मिर्जापुर, आगरा, उन्नाव तथा सुल्तानपुर को लिया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) इन जिलों की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के अन्तर्गत 18.18 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली अनुमोदित योजनाओं के मुकाबले अब तक 13.21 करोड़ रुपये रिलीज किए जा चुके है। फरवरी, 1990 तक 12.62 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की सूचना मिली है।

बड़े पैमाने पर डेरी विकास के लिए मध्य प्रदेश को धनराशि

6755. **श्री छविराम अर्गल : क्या कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश को बड़े पैमाने पर डेरी विकास के लिए विशेष वित्तीय सहायता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने डेरी विकास के लिए डेनमार्क के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश 1980 से ही आपरेशन फ्लड के नाम से जाने-जाने वाले डेरी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कवर किया जा चुका है। यह परियोजना राज्य के 29 जिलों को कवर करती है। दिसम्बर, 1989 तक राज्य में 1.5 लाख किसानों की सदस्यता वाली 3814 ग्राम स्तर की सहकारी समितियां सगठित की जा चुकी हैं। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए परियोजना के प्रारम्भ से मार्च, 1990 तक राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा 3954.26 लाख रुपए की धनराशि नियुक्त की गई है।

तथापि आपरेशन फ्लड—3 के अन्तर्गत परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए प्रत्येक दुग्ध संघों को राष्ट्रीय, डेरी विकास बोर्ड के पास उप परियोजना निवेश प्रस्तावों को प्रस्तुत करना होगा। मध्य प्रदेश में उज्जैन दुग्ध संघ को छोड़कर किसी भी दुग्ध संघ से ऐसे प्रस्ताव राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को प्राप्त नहीं हुए हैं।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भी सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में दुधारू पशुओं की खरीद के लिए लक्ष्य समूह की सहायता दी गई है। मध्य प्रदेश में 1989-90 के दौरान (फरवरी, 1990 तक) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 3759 परिवारों को दुधारू पशु प्रदान किए जा चुके हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मंडियों का विकास

6756. **श्री छविराम अर्गल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटी मंडियों के विकास के लिए वर्ष 1989-90 के दौरान केन्द्रीय अनुदान के रूप में कितनी धनराशि स्वीकृति की गई;

(ख) क्या ग्यारह बड़ी मंडियों के विकास के लिए परियोजना-रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार की मंजूरी हेतु विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां; तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन्हें कब तक मंजूरी दिए जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देने के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना 1972-73 से चलाई जा रही है। 1989-90 के दौरान, देश में कृषि उपज मण्डियों के विकास के लिए 362.48 लाख रुपये की धनराशि की स्वीकृति दी गई थी। इसमें से, 232.00 लाख रुपये की धनराशि 58 नई प्राथमिक मण्डियों (छोटी मंडियों) के विकास के लिए स्वीकृत की गई है।

(ख) और (ग) डाबरा (ग्वालियर) बीनागंज (गुना), ब्यावरा (राजगढ़), गुलाबगंज (विदिशा), छिंदवाड़ा (छिंदवाड़ा), गाडरवाड़ा (नरसिंहपुर) बेतूल (बेतूल), रामानुजगंज (सरगुजा), लटेरी (विदिशा), खुजनेर (राजगढ़) तथा छापीहेड़ा (राजगढ़) में 11 मण्डियों के विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे लेकिन इन्हें स्वीकृत नहीं किया जा सका क्योंकि राज्य सरकार ने पूर्व वर्षों में स्वीकृत धनराशि के बारे में उपयोग प्रमाण-पत्र नहीं भेजे थे।

कश्मीर में आतंकवादियों के बारे में सूचना देने वालों को पुरस्कृत करना

6757. **श्री जनार्दन तिवारी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कश्मीर घाटी में रहने वाले उन लोगों को कोई प्रोत्साहन या पुरस्कार देने का है जो आतंकवादियों को गिरफ्तार कराने में मदद करते हैं अथवा इस संबंध

में कोई सुराग देते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का इन लोगों को पूरी सुरक्षा प्रदान करने का भी विचार है ?

गृह मन्त्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) से (ग) "लोक व्यवस्था" राज्य का विषय होने के कारण सूचना एकत्र करने के लिए विभिन्न आम या गोपनीय तरीके अपनाना, आसूचना एकत्र करना और कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए ठोस उपाय करने का कार्य राज्य सरकार का है। इस सम्बन्ध में जब कभी आवश्यक होता है, केन्द्र सरकार को सभी सम्भव सहायता देती है।

श्रीनगर जेल से कैदियों के भागने से संबंधित जांच-रिपोर्ट

6758. श्री जनार्दन तिवारी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर में श्रीनगर जेल से हाल में बारह कैदियों के भाग जाने से सम्बन्धित जांच का काम पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रिपोर्ट का ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में आगे और क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) से (ग) : जेल राज्य का विषय होने के कारण आवश्यक जांच करने और निर्णय लेने का कार्य राज्य सरकार का है। तथापि, जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 27 मार्च, 1990 को श्रीनगर जेल में 12 कैदियों के भाग जाने की घटना के बारे में की गई जांच के बाद जेल अधीक्षक, उनके उपअधीक्षक, सहायक जेल अधीक्षक तथा 21 अन्य अधिकारियों की सेवाएं समाप्त की गई हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग वित्त निगम

[अनुवाद]

6759. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग वित्त निगम की स्थापना करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इसके लिए किन-किन स्रोतों से धनराशि जुटाने का विचार है, और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस प्रस्ताव में कई मुद्दे अन्तर्ग्रस्त हैं और यह विचाराधीन है।

राजस्थान में पाकिस्तानियों द्वारा घुसपैठ

6760. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान के गंगानगर जिले में पाकिस्तानी लोगों द्वारा घुसपैठ की लगातार घटनाएं हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में घुसपैठ करते समय, सीमा सुरक्षा बल द्वारा कितने पाकिस्तानी घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए; और

(ग) इन लोगों से बरामद हथियारों का ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) सीमा सुरक्षा बल द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान गिरफ्तार किए गए उन घुसपैठियों की संख्या निम्न प्रकार से है जो पाकिस्तान से राजस्थान में गंगानगर जिले में घुसपैठ कर रहे थे।

वर्ष	गिरफ्तार किए गए घुसपैठिए
1	2
1987	34
1988	34
1989	30

(ग) उपरोक्त घुसपैठियों से निम्नलिखित मात्रा में शस्त्र/गोला बारूद बरामद किया गया।

(i)	1987—शून्य	
(ii)	1988—एके—47 राइफल	—3
	राइफल	—1
	पिस्तौल	—6
	गन	—1
	राकेट	—33
	चार्जिंग ट्यूब	—17
	मैगजीन्स	—8
	गोला बारूद	—4,104 छर्रे
(iii)	1989—एके-47 राइफल	—5
	राइफल	—1
	गन	—4
	पिस्तौल	—5
	मैगजीन्स	—20
	पिस्तौल/राइफल	[illegible]
	सफाई किट	—4

डिटोनेटर्स	—10
हथगोले	—8
सेफ्टी फ्यूज	—9
विस्फोटक	—16 कि०ग्रा०
गन पाउडर	—32 पैकेट
गोला बारूद	—3579 छड़े

गिरफ्तार घुसपैठियों को आगे जांच करने के लिए राज्य पुलिस के सुपुर्द किया गया।

नामीबिया के साथ राजनयिक सम्बन्ध

6761. **श्री उत्तम राठौड़ : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नामीबिया के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित किए हैं और नामीबिया को राष्ट्रमण्डल का सदस्य बनाने हेतु प्रयास किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) नमीबिया की स्वाधीनता प्राप्ति के समय से विंडहोक में भारत का हाईकमीशन कार्य कर रहा है।

नमीबिया को राष्ट्रमंडल में शामिल कर लिया गया है। भारत ने नमीबिया को राष्ट्रमंडल में शामिल करने के प्रस्ताव का समर्थन किया था।

नौवहन प्रशिक्षण सुविधाएं

6762. **श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उपलब्ध नौवहन प्रशिक्षण सुविधाए पर्याप्त हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या देश में नौवहन प्रशिक्षण सुविधाएं बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) से (ग) मर्चेंट अधिकारियों के लिए नौवहन प्रशिक्षण सुविधाएं, भारतीय पलैग जहाजों की संविधिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त हैं। अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु, वर्तमान प्रशिक्षण जहाज "राजेन्द्रा" के बदले में, न्यू बम्बई में एक नई शोर बेस्ड अकादमी की स्थापना का कार्य पहले से ही शुरू हो चुका है।

नाविकों के मामले में, मंदा कमेटी की सिफारिशों के अनुसरण में 1983 से 1985 तक की अवधि के दौरान तीन सरकारी प्रशिक्षण संस्थापनाएं बन्द कर दी गई क्योंकि नाविकों की उपलब्धता भारतीय बेड़े की आवश्यकताओं से अधिक हो गई थी। यह निर्धारित करने के लिए एक नाविक प्रशिक्षण संस्थापन शुरू करने की आवश्यकता है अथवा नहीं, सरकार प्रशिक्षित नाविकों की उपलब्धता की समीक्षा कर रही है।

कीटनाशकों को प्रयोग करने के उपाय

[हिन्दी]

6763. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कीटनाशकों का प्रयोग सरसों की फसल को लाही कीटों से बचाने हेतु किया जा सकता है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके परिणामस्वरूप सरसों की फसल को हुई क्षति और वित्तीय हानि के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि चीन ने इस समस्या पर जैविक नियंत्रण उपायों सहित वैकल्पिक उपायों द्वारा काबू पा लिया है;

(घ) क्या इस प्रौद्योगिकी का देश में प्रयोग किया जा रहा है अथवा करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) चीन में माहू (एफिड नामक रोग का नियन्त्रण समेकित कीट प्रबंध को अपनाकर किया जाता है। जिसमें कर्षण (कल्चरल), यांत्रिक (मेकेनिकल), जैविक (बायोलाजिकल) नियन्त्रण पद्धतियों तथा कीटनाशियों का आवश्यकता पर आधारित इस्तेमाल शामिल है।

(घ) और (ङ) सरसों और कुछ अन्य फसलों के मामले में जैव-नियन्त्रण कारकों को समेकित कीट प्रबन्ध के एक घटक के रूप में इस्तेमाल करने की सफलतापूर्वक कोशिश की गई है। सरकार द्वारा अपनाई गई वनस्पति रक्षण सम्बन्धी नीति का मुख्य आधार समेकित कीट प्रबन्ध है।

विभागेतर कर्मचारियों की पदोन्नति

6764. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार विभाग के विभागेतर कर्मचारियों की योग्यता के आधार पर पदोन्नति नहीं की जाती है तथा उन्हें डाक-तार संवर्ग का कर्मचारी नहीं माना जाता है;

(ख) क्या कुछ ऐसे नियम बनाये गये हैं जिनके अनुसार 42 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारी पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा में भाग नहीं ले सकते;

(ग) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अधिक आयु के कर्मचारियों की सहायता करने के लिए इस सम्बन्ध में नियमों में ढील देने के लिए सरकार द्वारा उठाये जा रहे सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) अतिरिक्त विभागीय एजेंटों का

का ग्रुप "घ" पदों के लिए चयन योग्यता परीक्षा और वरिष्ठता के आधार पर किया जाता है। उन्हें परीक्षा के आधार पर पोस्टमैन के बतौर भी पदोन्नत किया जाता है। कुछ रिक्त पद वरिष्ठता तथा कुछ मेरिट के आधार पर भरे जाते हैं।

अतिरिक्त विभागीय एजेंट विभाग के कार्य पद की एक पृथक श्रेणी है जो नियमित कर्मचारियों से अलग है।

(ख) इस समय अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के लिए विभागीय परीक्षा में बैठने की आयु सीमा 35 वर्ष है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 40 वर्ष है।

(ग) अधिकतम आयु सीमा इस बात को मद्देनजर रखते हुए निर्धारित की गई है कि सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने पर उन्हें उचित पेंशन लाभ प्राप्त हो सकें। इसके अलावा भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा की अवधारणा एक सामान्य शर्त होती है जिसका पालन सभी प्रकार की सरकारी नियुक्तियों के मामले में किया जाता है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय कृषि फार्म द्वारा वृक्षों की नीलामी

6765. **श्री शोपत सिंह मक्कासर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरतगढ़ सरदारगढ़ और जैतसर स्थित केन्द्रीय कृषि फार्मों में काट जाने के लिए हरे वृक्षों की नीलामी की गई थी;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितने वृक्षों की नीलामी की गई और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन कृषि फार्मों में बेचे गये हरे वृक्षों से कितनी आय हुई?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) से (ग) राजस्थान सरकार की अनुमति से सूरतगढ़, सरदारगढ़ और जैतसर स्थित केन्द्रीय राज्य फार्मों के उन अतिपक्व वृक्षों, जिनके स्थान पर नए पौधे लगाने की आवश्यकता थी, की नीलामी की गई थी। नीलाम किए गए वृक्षों की संख्या और उनसे हुई आय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

फार्म का नाम	वर्ष	बेचे गए वृक्षों की संख्या	आय (लाख रुपए में)
1	2	3	4
केन्द्रीय राज्य फार्म	1986-87	5939	29.10
सूरतगढ़	1987-88	1301	10.09
	1988-89	1262	12.55
केन्द्रीय राज्य फार्म	1986-87	—	—
सरदारगढ़	1987-88	2995	25.43
	1988-89	470	4.92
केन्द्रीय राज्य फार्म,	1986-87	[illegible]	26,89
जैतसार	1987-88	[illegible]	13.33
	1988-89	[illegible]	[illegible]

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में महिलाओं को प्रशिक्षण

[अनुवाद]

6766. श्री [illegible] : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में महिलाओं को दिये जाने वाले प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस बल में पुरुषों और महिलाओं को दिये जाने वाले प्रशिक्षण में यदि कोई अन्तर है तो वह क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में महिला कांस्टेबलों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निम्नलिखित है :—

1. शारीरिक प्रशिक्षण, योग, निहत्थे लड़ना ।
2. फुट ड्रिल, आर्म्स ड्रिल ।
3. शस्त्र प्रशिक्षण ।
4. रायट ड्रिल और टियर स्मोक हैण्डलिंग ।
5. पुलिस-जनता सम्बन्ध
6. समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा ।
7. प्रथम उपचार, स्वास्थ्य विज्ञान, और स्वच्छता ।
8. अग्नि-शमन, बचाव और राहत अभियान ।
9. नक्शा पढ़ना, रोड़ मार्किंग, विधि, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम और नियम ।
10. भारत के इतिहास के बारे में सामान्य ज्ञान, मानव मनोविज्ञान, सामान्य ज्ञान आदि ।
11. महिला कर्मण्यतावादियों/प्रदर्शनकारियों को काबू करना । महिलाओं की तलाशी/खोजबीन करना, एल.एम.जी. का प्रयोग करना, मानइर फील्ड क्राफ्ट और टेकटिक्स ।

(ख) (I) महिला कांस्टेबलों के प्रशिक्षण की अवधि पुरुष कांस्टेबलों की प्रशिक्षण अवधि से कम है ।

(II) महिला कांस्टेबलों के प्रशिक्षण के दौरान अंतरंग कार्यकलापों पर जोर दिया जाता है जबकि पुरुष कांस्टेबलों के प्रशिक्षण में बहिरंग कार्यकलापों पर जोर दिया जाता है ।

(III) हथियारों के प्रशिक्षण के बारे में महिला कांस्टेबलों को पुरुष कांस्टेबलों के मुकाबले में कम कठिन प्रशिक्षण दिया जाता है ।

(IV) पुरुष कांस्टेबलों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में जंगल प्रशिक्षण, फील्ड इंजीनियरिंग, हवाई अड्डों की सुरक्षा, जेलों की सुरक्षा, अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा, इत्यादि शामिल हैं ।

(15) महिला कांस्टेबलों के प्रशिक्षण में महिला कर्मण्यतावादियों, प्रदर्शनकारियों, आदि से निपटने के बारे में अधिक ध्यान दिया जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भारतीय नौवहन कम्पनियों का कार्य निष्पादन

6767. **श्री एम. एम. पल्लम राजु** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में और विदेशों के साथ व्यापार में भारत की कितनी शीर्ष नौवहन कम्पनियां संलग्न हैं और उनके जहाजी बेड़ों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सेवा, विश्वसनीयता और लागत के रूप में भारत की नौवहन कम्पनियों का तुलनात्मक कार्य-निष्पादन कैसा है;

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय नौवहन कम्पनियों की प्रति-स्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए किन-किन वर्तमान सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है; और

(घ) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इनके संचालन से प्राप्त हो रहे राजस्व में वृद्धि हो रही है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के. पी. उन्नीकृष्णन) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) विदेशी नौवहन कम्पनियों की तुलना में भारतीय नौवहन कम्पनियों के कार्य निष्पादन का तुलनात्मक विश्लेषण, मुख्यतः विदेशी जहाजों से सम्बन्धित आंकड़ों के अभाव के कारण उपलब्ध नहीं है।

तथापि, भारतीय नौवहन कम्पनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विदेशी नौवहन कम्पनियों के साथ सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। इसे भारतीय जहाजों द्वारा उठाए गए विदेशी ट्रैफिक की बढ़ती मात्रा से देखा जा सकता है जैसाकि नीचे सारणी में दर्शाया गया है :—

वर्ष	कुल विदेशी ट्रैफिक (मिलियन टन)	भारतीय जहाजों द्वारा उठाया गया ट्रैफिक (मिलियन टन)
1955-56	17.43	1.13
1975-76	61.95	21.76
1985-86	86.35	29.95
1987-88	88.67	34.30
1988-89	101.95	34.63

(ग) सरकार ने, भारतीय प्रचालकों की सहायता करने के लिए कई उपाय किए हैं ताकि वे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बन सकें। इन उपायों में ये शामिल हैं :—

(1) कर सम्बन्धी प्रोत्साहन देना।

(II) लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाने से, अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में

जहाजों की शीघ्रतापूर्वक खरीद की जा सकी है।

(III) बल्क कार्गो की ढुलाई में ट्रांसपोर्ट द्वारा भारती मालिकों के लिए कार्गो वरीयता।

(IV) जहाजों की स्क्रैपिंग के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण।

(V) समरूप दायित्व में संशोधन।

(IV) आधुनिक, किफायती ईंधन की खपत वाले जहाजों की खरीद के लिए प्रोत्साहन।

(VII) ब्याज, सब्सिडी के माध्यम से वित्तीय प्रोत्साहन।

(VIII) नए पत्तन न्हावा शेवा का निर्माण और अन्य पत्तनों में पत्तन अवस्थापना और कार्गो हैंडलिंग सुविधाओं में सुधार।

(घ) जी, हां। निजी क्षेत्र की 16 नौवहन कम्पनियों और भारतीय नौवहन निगम द्वारा पिछले 3 वर्षों के दौरान अर्जित प्रचालन आय नीचे दी गई है:—

(करोड़ रुपए)

वर्ष	16 निजी नौवहन कम्पनियां	भारतीय नौवहन निगम
1986-87	367.88	703.24
1987-88	431.73	808.05
1988-89	556.34	846.18 ×

× (12 महीने के लिए परिवर्तित अनंतिम आंकड़े)।

विवरण

बड़ी नौवहन कम्पनियों की संख्या और उनके बेड़े की संख्या संबन्धी ब्यौरे जो (31.12.1989) को भारत और विदेश में प्रचालन में था।

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	जहाजों की संख्या	
		तटीय	विदेश
1.	भारतीय नौवहन निगम	24	102
2.	तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग	39	—
3.	ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड	4	29
4.	एस्सार शिपिंग कम्पनी लिमिटेड	15	7
5.	इंडिया स्टीमशिप्स लिमिटेड	—	18
6.	सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी	—	15
7.	सेन्चुरी शिपिंग	—	12
8.	सुरेन्द्र ओवरसीज लिमिटेड	—	9

9.	साउथ इंडिया शिपिंग कार्पोरेशन	—	9
10.	चौगुले स्टीमशिप्स लिमिटेड	1	7
11.	गरवारे शिपिंग	5	2
12.	वरुण शिपिंग कम्पनी लिमिटेड	3	4
13.	लार्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड	1	5
14.	जय श्री शिपिंग लिमिटेड	—	5

राजस्थान में ग्रामीण टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना

6769. **श्री गुमान मल लोढा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के किन-किन क्षेत्रों में चालू वर्ष और आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान प्रौद्योगिकी मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण टेलीफोन केन्द्र स्थापित किये जायेंगे;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत राजस्थान में किन-किन तथा कितनी-कितनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को लाभ पहुंचेगा; और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत कितने टेलीफोन लगाए जाएंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 65 टेलीफोन एक्सचेंज और आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान 75 टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की विभाग की योजना है। ये केन्द्र राजस्थान के सभी क्षेत्रों में फैले होंगे।

(ख) और (ग) उक्त योजना के अन्तर्गत, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तविक मांग पर आधारित 1500 टेलीफोन और आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान 2500 टेलीफोन लगाए जाने की संभावना है। इससे उन गांवों और उनके समीपवर्ती गांवों की संपूर्ण जनसंख्या को भी लाभ पहुंचेगा जहां ये एक्सचेंज स्थापित किये जाएंगे।

भारत में विदेशी राष्ट्रिक

6770. **श्री गुमान मल लोढा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीन, जापान, तिब्बत, इन्डोनेशिया, मलेशिया के कुल कितने राष्ट्रिक 28 फरवरी, 1990 की स्थिति के अनुसार भारत में रह रहे थे; और

(ख) इन देशों के कितने राष्ट्रिकों को गत तीन वर्षों के दौरान भारत में शरण दी गई है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) शून्य।

पेय जल सप्लाई के लिए गुजरात सरकार द्वारा दिया गया प्रस्ताव

6771. श्री काशीराम राणा
श्री गोविन्दभाई कान्जीभाई शेखड़ा } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने सौराष्ट्र और कच्छ को पाईप लाइन द्वारा नर्मदा नदी से पेय जल की सप्लाई करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति प्रदान की जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को अपना निर्णय मई, 1990 के अन्त तक सूचित कर दिए जाने की सम्भावना है।

भारत-पाकिस्तान संयुक्त आयोग की बैठक

6772. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाकिस्तान के सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए मार्च 1990 में भारत-पाक संयुक्त आयोग की कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पंजाब में आतंकवाद के शिकार व्यक्तियों की विधवाओं को पेंशन

6773. **श्री कृपाल सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में आतंकवाद के शिकार कितने व्यक्तियों की विधवाओं को 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार पेंशन दी जा रही है;

(ख) इस पेंशन के लिए पात्र विधवाओं को पेंशन हेतु जिला-वार कितने आवेदन 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार विचाराधीन हैं;

(ग) उन्हें पेंशन स्वीकृत न किए जाने के कारण क्या हैं; और

(घ) प्रत्येक मामले में पेंशन कब तक स्वीकृत की जायेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (घ) पंजाब सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

टेलीफोन उपकरणों का आयात

6774. **श्री प्रकाश बी. पाटिल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान टेलीफोन एक्सचेंजों का निर्माण तथा रखरखाव, पुशबटन उपकरण, केबल तथा अन्य उपकरणों से संबंधित कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य की वस्तुओं का आयात किया गया; और

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य की वस्तुओं का आयात करने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"इफको" "कृभको" और "नाफेड" के अध्यक्षों को बदलना

6775. **श्री प्रकाश बी० पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या सरकार ने हाल ही में "इफको" "कृभको" और "नाफेड" के अध्यक्षों को बदल दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) और (ख) नाफेड और इफको के उप नियमों के अनुसार अध्यक्ष का चुनाव निदेशक मण्डल को स्वयं अपने में से करना पड़ता है। नाफेड के निदेशक मण्डल ने 22 जनवरी, 1990 को एक नए अध्यक्ष का चुनाव किया। इफको के निदेशक मण्डल ने 26-3-1990 को एक नए अध्यक्ष का चुनाव किया। भारत सरकार ने 19 दिसम्बर, 1989 को कृभको के अध्यक्ष को इसके परिवर्ती उप नियमों के अन्तर्गत नामित किया जो 11 अप्रैल, 1990 से प्रभावी नहीं रहे। कृभको के निदेशक मण्डल ने 11-4-1990 को उप नियमों के अन्तर्गत जो अब लागू है, उसी व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में चुना।

अकृषित भूमि को कृषि भूमि बनाना

6776. **श्री प्रकाश बी० पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार अकृषित भूमि कितनी है;

(ख) अकृषित भूमि को कृषि भूमि बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार किया गया है; और

(ग) इस संबन्ध में क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) मौजूदा अनुमानों के आधार पर लगभग 329 मिलियन हैक्टेयर कुल भौगोलिक क्षेत्र में से करीब 41-42 मिलियन हैक्टेयर के विस्तार की अकृष्ट भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें

स्थायी चरागाह और चराई भूमि, विविध वृक्ष मूलक फसलें, उपवनों, कृषि योग्य बंजर भूमि वर्तमान पद्धतियों के अलावा पद्धतियां शामिल हैं। राज्यवार जानकारी प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) यद्यपि राज्य और केन्द्र सरकारें अकृष्ट/अदृष्य भूमि के लिये प्राथमिक रूप से ईंधन और चारे के लिये बायो-मास उत्पादन के अन्तर्गत कार्यक्रम तैयार कर रही हैं; क्षैतिज फैलाव के स्थान पर उच्चाधर वृद्धि के माध्यम से बढ़े हुए कृषि उत्पादन को प्राप्त किए जाने की आशा है।

विवरण

आकृष्ट क्षेत्र का राज्य/संघ राज्यवार ब्योरा (1986 87)

(क्षेत्र 000 हैक्टेयर में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	आकृष्ट भूमि का विस्तार
1.	आन्ध्र प्रदेश	3505
2.	अरुणाचल प्रदेश	140
3.	असम	619
4.	बिहार	1840
5.	गोवा	101
6.	गुजरात	2852
7.	हरियाणा	52
8.	हिमाचल प्रदेश	1384
9.	जम्मू और कश्मीर	356
10.	कर्नाटक	2385
11	केरल	208
12.	मध्य प्रदेश	5481
13.	महाराष्ट्र	3740
14.	मणिपुर	24
15.	मेघालय	877
16.	मिजोरम	3[illegible]0
17.	नागालैण्ड	518
18.	उड़ीसा	2246
19.	पंजाब	44
20.	राजस्थान	9843
21.	सिक्किम	84
22.	तमिलनाडु	1559
23.	त्रिपुरा	55

24.	उत्तर प्रदेश	2829
25.	पश्चिम बंगाल	326
26.	अण्डमान व निकोबार	43
27.	चण्डीगढ़	—
28.	दादरा व नागर हवेली	1
29.	दिल्ली	20
30.	दमन व दिव	4
31.	लक्षद्वीप	—
32.	पाण्डिचेरी	5
	योग	41481

पंजाब में उग्रवादियों के पास हथियार और गोला बारूद

6777. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में गत चार महीनों के दौरान उग्रवादियों के पकड़े गए हथियारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार का इस संबंध में क्या अनुमान है कि पंजाब के आसपास उग्रवादियों के पास कितने हथियार और गोला बारूद जमा किया हुआ है; और

(ग) इन हथियारों का पता लगाने और इन्हें पकड़ने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) पंजाब सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार दिसम्बर, 1989 से फरवरी, 1990 के तीन महीनों की अवधि के दौरान निम्नलिखित शस्त्र और गोलाबारूद बरामद किये गये :—

रिवाल्वर	—34
पिस्तौल	—62
ए. के. 47 चाइना असाल्ट राइफल्स	—32
ए. के. 54/56/74 राइफल्स	— 7
अन्य राइफल्स	—11
बन्दूकें	—18
स्टेनगन	—3
कारबाइन्स	— 2
एल. एम. जी./एस. एम. जी./एम. एम. जी	— 1
मोर्टार्स	— 4
हथगोले	—23
बम	— 6
राकेट	—10

राकेट लांचर — 1
कारतूस — 6673

कुछ विस्फोटक पदार्थ भी बरामद/जब्त किया गया।

मार्च, 1990 के लिए पंजाब सरकार से इसी प्रकार की सूचना की प्रतीक्षा है।

(ख) उनके पास उपलब्ध शस्त्र और गोला बारूद का ठीक-ठीक मूल्यांकन करना संभव नहीं है।

(ग) इस प्रयोजन के लिए सुरक्षा एजेंसियों, आतंकवादियों/उग्रवादियों के छिपने के संभावित स्थानों और उनके सहयोगियों पर नियमित रूप से छापे मारती है।

"फ्लोटिंग फिश फार्मस" (तालाबों में मत्स्य पालन।

6778. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार "फ्लोटिंग फिश फार्मस" (तालाबों में मत्स्य पालन) योजना को बढ़ावा देने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) आठवीं योजना में इस योजना को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ताकि खाद्य संसाधन में वृद्धि की जा सके ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहाकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतिश कुमार) : (क) से (ग) फ्लोटिंग फिश फार्मस (तालाबों में मत्स्य पालन) अथवा फ्लोटिंग केजेज का उपयोग उच्च घनत्व पर टैंकों में झिम्पोना पालन के लिए और जलाशयों में पूरक आहार का प्रयोग कर टेबल साइज मछलियों को बढ़ाने के लिए किया जाता है।

चालू समय में कुछ राज्यों जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र इत्यादि में झिम्पोना पालन के लिए प्री-फैब्रिकेटेड प्लास्टिक केजेस का प्रयोग किया जा रहा है। कुछ राज्यों जैसे केरल और गोवा में विदेशी सहायता के माध्यम से जलाशयों में मछलियों केज-कल्चर पर व्यवहार्यता अध्ययन भी किया जा रहा है। टेबल साइज मछली का पालन भा. कृ अ.प. के अंतर्गत केन्द्रीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान में अनुसंधान और विकास संबंधी अध्ययन किए जा रहे हैं।

मध्य प्रदेश में उर्वरक संयंत्र

[हिन्दी]

6779. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान कितने उर्वरक संयंत्र बन्द रहे,

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस समय मध्य प्रदेश में कितने उर्वरक संयंत्र कार्य कर रहे हैं तथा इनकी कुल उत्पादन क्षमता कितनी है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) और (ख) वाराणसी में स्थित अमोनियम क्लोराइड के उत्पादन के लिए लाइसेंस प्राप्त एकक वित्तीय बाधाओं के कारण सम्पूर्ण वर्ष के दौरान बन्द रहा। इसके अतिरिक्त 10 अन्य एकक भी पावर कटौतियों, उपस्कर खराबियों, औद्योगिक सम्बन्ध समस्याओं, आयातित फास्फोरिक एसिड तथा अमोनिया की कमी आदि के कारण विभिन्न अवधियों के लिए बन्द रहे।

(ग) मध्य प्रदेश में आठ उर्वरक संयत्र कार्य कर रहे हैं जिनकी कुल वार्षिक स्थापित क्षमता [illegible],700 टन नाइट्रोजन तथा 82,800 टन फास्फेट है।

उन्नाव जिले में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज

6780. **श्री अनवर अहमद : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उन्नाव जिले में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज लगाने का विचार है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये जा रहे प्रभावी कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वहां इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज कब तक लगाया जायेगा तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

1000 लाइनों वाला इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज उपस्कर लगाने और कानपुर के लिए आवश्यक संचारण माध्यम प्रदान करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

(ख) 1991-92 के दौरान इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाये जाने की आशा है बशर्ते कि आवश्यक उपस्कर उपलब्ध हो जाए।

अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री माल-भाड़ा प्रभार संबंधी समिति की सिफारिशें

[अनुवाद]

6781. **श्री के०एम० राव**
श्री बी०एन० रेड्डी
श्रीमती जे० जमुना
श्री टी० बाल गोड : **क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री माल-भाड़ा प्रभार के बारे में अध्ययन करने हेतु अक्तूबर, 1988 में नौवहन के महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी सिफारिशें/रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है,

(ख) यदि हां, तो की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या पोत मालिकों ने इन सिफारिशों के बारे में अपनी असहमति प्रकट की है और अनुरोध किया है कि इस मामले को या तो राष्ट्रीय पत्तन प्रबंध-संस्थान या औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो को भेजा जाए, और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के. पी. उन्नीकृष्णन) : (क) जी, हां। समिति ने सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट 13.3.90 को पेश की।

(ख) समिति के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं :—

(I) बम्बई में इस समय आयद किए जा रहे टर्मिनल हैंडलिंग प्रभारों (टी०एच०सी०) में कमी करने का मामला नजर नहीं आया।

(II) प्रत्येक जिन्स के लिए वैज्ञानिक तौर पर निष्कर्षत: एक ऐसी आदर्श भाड़े दर निकालने की संभावना नजर नहीं आती जो कुछ अवधि तक के लिए वैध रहा सके। इसलिए समिति ने अखिल भारतीय शिपर्स काउंसिल द्वारा दी गई ऐसी 19 जिंसों के भाड़े की दरों का तुलनात्मक अध्ययन किया जो भारत तथा पड़ोसी देशों से सामान गंतव्यों तक ले जाई जाती है। इस अध्ययन से पता चला कि भाड़े की दरें लगभग निकटवर्ती पत्तनों में प्रचलित भाड़े की दरों के ही समान थीं।

(III) समिति को उपलब्ध कराई गई सामग्री के आधार पर समिति इस विषय में कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं कर सकी कि भाड़े की दरों में किस प्रकार कमी की जाए तथा यह भी कि यह कारक भारतीय निर्यात के रास्ते में किस प्रकार रुकावट बन रहा है।

(ग) अखिल भारतीय शिपर्स काउंसिल ने समिति को सुझाव दिया है कि उचित एवं युक्ति संगत टर्मिनल हैंडलिंग प्रभार (टी०एच०सी०) के आवधिक मूल्यांकन का कार्य राष्ट्रीय पत्तन प्रबंध संस्थान अथवा ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल कास्टस एण्ड प्राईसिज जैसी किसी सरकारी एजेंसी अथवा ऐसी किसी अन्य एजेंसी, को सौंपा जा सकता है जिसे सरकार उचित समझती हो।

(घ) समिति ने इस सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं की। तथापि समिति ने नोट किया कि लगभग 70-75% टर्मिनल हैंडलिंग प्रभार वही होते हैं जो बम्बई पत्तन न्यास और बम्बई गोदी श्रमिक बोर्ड द्वारा अधिसूचित किए जाते हैं और इसलिए टी०एच०सी० में कोई कमी तभी संभव है जब अधिसूचित भाड़े कम किए जाएं। इसके अलावा टी०एच०सी० का निर्धारण शिपिंग लाइन्स द्वारा अपनी लागत और बाजार की नीतियों तथा शिपिंग लाईनों और शिपर्स के पारस्परिक प्रभाव को ध्यान में रख कर किया जाता है।

दिल्ली में जेब काटने वाली महिलायें

6782. श्री प्रतापराव बाबूराव भोसले : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में जेब काटने वाली महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन कलेंडर वर्षों के दौरान गिरफ्तार की गयी जेब काटने वाली महिलाओं का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने महिलाओं द्वारा जेब काटने का धंधा करने के बारे में कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार महिलाओं द्वारा जेब काटने के धंधे पर नियन्त्रण करने के लिए दिल्ली के सभी सार्वजनिक स्थानों में सादे कपड़ों में महिला पुलिस कर्मियों को तैनात करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) गत तीन कलेंडर वर्षों के दौरान महिलाओं द्वारा जेब काटने के मामलों की संख्या और गिरफ्तार की गयी महिलाओं के ब्यौरे निम्नलिखित हैं—

वर्ष	सूचित किए गए मामलों की संख्या	गिरफ्तार की गई महिलाओं की संख्या
1987	17	25
1988	15	19
1989	21	25

(ग) जी नहीं, श्रीमान ।

(घ. प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) और (च इस प्रकार के अपराधों की रोकथाम के लिए व्यस्त बस स्टापों और बाजारों में महिला पुलिस सहित सादे कपड़ों में पुलिस कर्मचारी तैनात किए जाते हैं ।

दिल्ली परिवहन निगम के अंतर्गत रेलवे विशेष सेवा की बातें

6783. **श्री प्रतापराव बाबूराव भोंसले** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम द्वारा दिल्ली के अनेक क्षेत्रों के लिए चलाई जा रही रेलवे विशेष सेवा (रेलवे स्पेशल सर्विस) का ब्यौरा क्या है,

(ख) केवल कुछ ही क्षेत्रों में ऐसी सेवा उपलब्ध कराने के मानदंड क्या हैं,

(ग) क्या इस सेवा को अत्यंत उपयोगी और निगम के लिए लाभकारी पाया गया है,

(घ) क्या निगम का विचार वर्ष 1990 और 1991 के दौरान दिल्ली के मोती बाग, साउथ एवेन्यू, रामा कृष्णा पुरम तथा बसंत गांव जैसे कुछ और क्षेत्रों में यह सेवा उपलब्ध कराने का है,

(ङ) यदि हां, तो इस सेवा के लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के०पी० उन्नीकृष्णन) : (क) दिल्ली परिवहन निगम द्वारा चलाई जा रही रेलवे विशेष सेवाओं का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) रेलवे विशेष सेवाओं के रूट निर्धारित करने के लिए कोई निश्चित मानदण्ड नहीं है । फिर भी, यात्रियों के अधिकाधिक हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दिल्ली के मुख्य ट्रंक रूटों पर चलाया जाता है ।

(ग) ये सेवाएं यात्रियों के लिए उपयोगी सिद्ध हुई हैं। दिल्ली परिवहन निगम को रेलवे विशेष सेवाओं से प्राप्त प्रति किमी आय प्रति किमी संचालन की लागत से बहुत कम है।

(घ) से (च) आर के पुरम के लिए रेलवे विशेष सेवाओं की आर एल-51 एवं आर एल-61 है। बसों (बेड़े) की कमी के कारण अन्य स्थानों के लिए रेलवे विशेषसेवाएं शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

दिल्ली परिवहन निगम द्वारा दिल्ली के विभिन्न स्थानों के लिए चलाई जा रही रेलवे विशेष सेवाओं का ब्यौरा।

क्र.सं.	रूट सं०	से	तक
1	2	3	4
1.	आर एल-21	नन्द नगरी (टर्मिनल)	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन
2.	आर एल-23	न्यू सीमा पुरी	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन
3.	आर एल-24	इन्द्रपुरी	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन
4.	आर एल-25	न्यू सीमा पुरी	पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन
5.	आर एल-32	अरूणविहार नोएडा	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन
6.	आर एल-33	दिलशाद गार्डन (टर्मिनल)	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन
7	आर एल-34	विवेक विहार	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन
8.	आर एल-42	तुगलकाबाद रेलवे कालोनी	पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन
9.	आर एल-43	दिओवली गांव	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन
10.	आर एल-44	निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन
11.	आर एल-45	निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन	आई.एस.बी.टी.
12.	आर एल-51	महरौली	पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन
13.	आर एल-61	बसंत कुंज	पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन
14.	आर एल-71	उत्तर नगर	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन
15.	आर एल-72	जनकपुरी	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन
16.	आर एल-75	विकास पुरी	पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन
17.	आर एल-76	डी ब्लाक जनकपुरी	पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन
18.	आर एल-77	मंगला पुरी	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन
19.	आर एल-78	नजफगढ़	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन
20.	आर एल-91	बांकनोई जे. जे. कालोनी	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन
21.	आर एल-92	जहांगीर पुरी	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन
22.	आर एल-93	सरस्वती विहार	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन

आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र

6784. श्रीमती विद्या चेन्नुपति : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में उस क्षेत्र को कृषि का विकास करने लिए कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित किया जायेगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलना

[हिन्दी]

6785. श्री सूबेदार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले में चुनार में तथा सोनभद्र जिले में शक्ति नगर, रानूकूट, ओबा तथा चुर्क में विद्यमान टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने का है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां। ओबरा के टेलीफोन एक्सचेंज को छोड़कर।

(ख) चुनार, शक्तिनगर, रेणुकूट और चुर्क के लिए उपयुक्त क्षमता के इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों का आवंटन पहले ही किया जा चुका है। इन इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों को उपस्कर उपलब्ध हो जाने पर चालू करने की योजना है।

(ग) ओबरा आटोमेटिक एक्सचेंज को बदलने का अभी पूरा समय नहीं हुआ है और इसका विस्तार करने के लिए उपस्कर का आवंटन किया जा चुका है।

नारियल विकास बोर्ड में केरल सरकार का प्रतिनिधित्व

[अनुवाद]

6786. श्री के० मुरलीधरन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल विकास बोर्ड में केरल सरकार का उचित प्रतिनिधित्व है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार केरल को उचित प्रतिनिधित्व देकर इस बोर्ड का पुनर्गठन करने का है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली पुलिस द्वारा नशीले पदार्थों की बिक्री करने वालों को गिरफ्तार करना

6787. **श्रीराम सागर (सैदपुर)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस द्वारा गत एक वर्ष के दौरान कितने नशीले पदार्थों के विक्रेताओं को गिरफ्तार किया है; और

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और नशीले पदार्थों का धंधा करने वाले अपराधियों को सजा दिलाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) वर्ष 1989 के दौरान 1369 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये।

(ख) गिरफ्तार किये गये सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाई शुरू कर दी गई है। नशीली दवाओं का अवैध व्यापार करने वाले अपराधियों को पकड़ने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(I) अंतर्राज्य और अंतराष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले नशीली दवाओं के कुछ अवैध व्यापारियों/तस्करों का पता लगाया गया है।

(II) नशीली दवाओं का अवैध व्यापार करने वालों के विरुद्ध संघ शासित राज्य दिल्ली से बाहर जाने और अन्दर आने वाले रास्तों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।

(III) नशीली दवाओं के मामलों में जिन अवैध व्यापारियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है न्यायालय में उनकी जमानत के लिये सख्त विरोध किया जाता है।

(IV) स्वापक दवाएं और मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम 1985 के उपबंधों के अन्तर्गत नशीली दवाओं के अवैध व्यापारियों के प्रमुख मामलों को, निवारात्मक नजरबंदी के लिये दिल्ली प्रशासन को भेजा जाता है।

करुनागप्पल्ली टेलीफोन एक्सचेंज का विस्तार और आधुनिकीकरण

6788. **श्री एस० कृष्ण कुमार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करुनागप्पल्ली टेलीफोन एक्सचेंज के विस्तार और आधुनिकीकरण हेतु लोगों से तथा संगठनों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने हेतु डिजिटल संयंत्र और माइक्रोवेव टावर का निर्माण किया गया है और यदि हां, तो कब; और

(ग) इस योजना के कार्यान्वयन हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। मार्च, 1990 तक।

(ग) (1) करुणागापल्ली टेलीफोन एक्सचेंज का विस्तार करने एवं इसे आधुनिक बनाने के लिए 8वीं योजना अवधि के दौरान मौजूदा इलैक्ट्रोमैकेनिकल टेलीफोन एक्सचेंज के स्थान पर उपयुक्त क्षमता का एक इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाए जाने का प्रस्ताव है।

(2) एस०टी०डी० सुविधा प्रदान करने के लिए करुणागापल्ली और त्रिवेन्द्रम ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज के बीच एक विश्वसनीय संचारण माध्यम स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। करुणागापल्ली और क्विलोन के तथा क्विलान और त्रिवेन्द्रम के बीच एक यू.एच.एफ लिंक चालू करने के लिए माइक्रोवेव टावर और पावर प्लांट का इस्तेमाल करके 1990-91 के दौरान एक आप्टिकल फाइबर लिंक चालू किए जाने की योजना है। उपर्युक्त स्कीम के चालू हो जाने के बाद मौजूदा आटोमेटिक एक्सचेंज का इस्तेमाल करके एम०टी०डी० सुविधा व्यवहार्य हो सकेगी।

यंत्रीकृत मत्स्य-पालन उद्योग के सामने आने वाली समस्याएं

678. **श्री एस० कृष्ण कुमार** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में यंत्रीकृत मत्स्य-पालन उद्योग के सामने आने वाली समस्याओं की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार को डीजल सम्बन्धी राजसहायता के लिए "आल केरल मैकेनाइज्ड फिशिंग बोट आपरेशन एसोसिएशन कोचीन" से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उस उद्योग पर आए संकट को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कृषि मन्त्रालय ने 10-4 1990 को ही "आल केरल मेकेनाइज्ड फीशिंग बोट आपरेटर्स एसोसिएशन" (अखिल केरल यंत्रीकृत मत्स्यन नाविक संघ), कोचीन, से एक ज्ञापन प्राप्त किया था। इस ज्ञापन के मुद्दों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

खाद्य तेल "धारा" का बिक्री मूल्य

6790. **श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अपने उत्पाद "धारा" को बाजार में इसी प्रकार के अन्य खाद्य तेलों से अधिक मूल्य पर बेच रहा है;

(ख) यदि हां, तो "धारा" के मूल्य में कमी करने के बारे में क्या प्रयास किए गए हैं ;

(घ) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को पिछले दो वर्षों से आवश्यक वस्तु अधिनियम से छूट दी गई है; और

(ड) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) जी नहीं। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के "धारा" उत्पाद की कीमतें आमतौर पर बाजार में उपलब्ध उसी प्रकार के खाद्य तेलों के अन्य पैकों से कम होती हैं। अतः "धारा" की कीमतों को कम करने का प्रयास करने का प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) और (घ) आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तुओं को लाइसैन्स देने, नियन्त्रण और भण्डार सम्बन्धी घोषण से सम्बन्धित आदेश जारी करने का अधिकार है। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा अथवा उसकी ओर से आवश्यक वस्तुओं की बिक्री, खरीद और भण्डारण इस आदेश में शामिल नहीं है। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, समेकित तिलहन नीति के कार्यान्वयन में केन्द्रीय सरकार की ओर से खाद्य तिलहनों/तेलों का क्रय, भण्डारण और विक्रय करता है।

बहु-मंजिले भवनों में आग लगना

[हिन्दी]

6791. श्री [illegible] प्रसाद [illegible] : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में ऐसे कितने बहु-मंजिले वाणिज्यिक और आवासीय भवन हैं जिनमें अभी भी उचित अग्नि रक्षा उपकरणों की व्यवस्था नहीं है, तथा उनके मालिकों और कब्जाधारियों के नाम क्या-क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन भवनों में आग लगने की कितनी घटनाएं हुई;

(ग) सरकार द्वारा ऐसे बहु-मंजिले भवनों/कब्जाधारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिनमें अग्नि रक्षा उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है; और

(घ) दिल्ली अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 1986 के अनुपालन की निगरानी के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) 138 व्यापारिक और 19 रिहायशी भवनों में अग्नि सुरक्षा उपायों की कमी है।

(ख)	87-88	—	136
	88-89	—	132
	89-90	—	137

(ग) दिल्ली अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नोटिस जारी किए गए हैं और अग्नि सुरक्षा उपायों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अनुवर्ती कार्यवाई

शुरू की गई है। जिन उन सब भवनों में निर्धारित अग्नि-सुरक्षा उपाय नहीं है और जहां आग लगने की घटनाएं हुई हैं उन्हें सील कर दिया गया है।

(घ) मुख्य अग्नि शमन अधिकारी और नामित अधिकारी जिन भवनों में कमी पायी जाती है, उनका सावधिक सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप निजी भवनों मालिकों ने एसोसियेशन बना ली है जिसने काफी प्रगति प्राप्त की है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने 12 सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराने के लिए एक पृथक एकक का गठन किया है और अग्नि सुरक्षा उपायों को कार्यान्वित करने के लिए उपयुक्त उपाय किए हैं।

केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-47 को चार लेनों का बनाने हेतु स्वीकृत की गई धनराशि

[अनुवाद]

6792. **प्रो० सावित्री लक्ष्मणन :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-47 के अलवाय से व्यटिल्ला तक और भवर से चेरतलई तक के सेक्शनों को चार लेनों का बनाने हेतु कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग-47 को चार लेन का बनाने के संबंध में सर्वेक्षण तथा जांच कार्य एवं अलवाय से इडापल्ली तक के भू-अधिग्रहण के लिए 50.91 लाख रु. की लागत के प्राक्कलनों को अभी तक स्वीकृति दी गई है।

बिहार में घटिया टेलीफोन सेवाएं

[हिन्दी]

6793. **श्री राम शरण यादव :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य में, विशेष रूप से खगड़िया जिले में कटिहार और दियारा में दूरसंचार सेवाओं की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का बिहार में टेलीफोन सेवाओं में सुधार लाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी नहीं। तथापि, खगड़िया जिले के दियारा बेल्ट में वर्षा ऋतु के दौरान भारी बाढ़ के कारण सेवा में रुकावट आ जाती है जिससे लाइनें अस्त व्यस्त हो जाती हैं और इनकी मरम्मत बाढ़ का पानी कम होने के बाद ही सम्भव होती है।

(ख) और (ग) खगड़िया जिला मुख्यालय के एक्सचेंज को एस० टी० डी० सुविधा के साथ इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदल दिया गया है। 8वीं योजना के दौरान विभाग का कार्यक्रम बिहार में निम्नलिखित तरीकों से सेवाओं में सुधार लाने का है :—

(1) पुराने किस्म के स्ट्रोजर और मैनुअल एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलना।

(ii) दियारा बेल्ट के क्षेत्र में ग्रामीण टेलीफोनों को मल्टी एक्सेस रेडियो प्रसारण प्रणाली से जोड़ना।

(iii) पावर सप्लाई में सुधार करने के लिए अधिकांश एक्सचेंजों में इंजन आल्टरनेटर प्रदान करना।

पंजाब में पेय जल

6794. प्रो॰ अजित्वर पाल सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के नगरपालिका/अधिसूचित क्षेत्र कमेटियों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी बस्तियों का ब्योरा क्या है जहां स्वच्छ तथा शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराया गया है,

(ख) क्या सरकार का उन सभी क्षेत्रों में स्वच्छ तथा शुद्ध पेय जल की व्यवस्था करने के लिए एक योजना तैयार करने का विचार है जहां यह जल उपलब्ध नहीं कराया गया है,

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विस्तृत ब्योरा क्या है;

(घ) इस उद्देश्य के लिए चालू वित्तीय वर्ष में पंजाब के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की जा रही है;

(ङ) सभी क्षेत्रों में स्वच्छ तथा शुद्ध पेय जल की व्यवस्था करने का लक्ष्य कब तक प्राप्त होने की आशा है, और

(च) वर्ष 1990-91 के लिए निर्धारित लक्ष्य का विस्तृत ब्योरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) 1485 को 2254 समस्याग्रस्त गांवों और 129 कस्बों में से सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 1136 समस्याग्रस्त गांवों और 95 कस्बों को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से स्वच्छ पेय जल सुविधायें मुहैया करा दी गई हैं।

(ख) और (ग) कस्बों के लिए योजनायें राज्य क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत और समस्याग्रस्त गांवों के लिए राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत वार्षिक योजना परिव्यय के आधार पर शुरू की जाती हैं।

(घ) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1990-91 में अपने कस्बों के लिये पीने के पानी हेतु 2.75 करोड़ रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 18 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत 1990-91 के लिए आवंटन 3.84 करोड़ रुपए और मिनी—मिशन परियोजना क्षेत्रों के लिए 1.65 करोड़ रुपए है।

(ङ) सभी 948 समस्याग्रस्त गांवों को आठवीं योजना में पेयजल सुविधायें मुहैया करा दिए जाने की सम्भावना है। कवर न किए गए 34 कस्बों को भी दशक के अंत तक कवर कर लिए जाने की सम्भावना है।

(ख) 1990-91 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों हेतु लक्ष्य 188 अत्यधिक समस्याग्रस्त गांवों और 278 अन्य बाह्य गांवों को कवर करने का है। लगभग 13 आंशिक रूप से कवर किए गए कस्बों को भी 1990-91 में पूरा किए जाने की सम्भावना है।

रायपुर में टेलीफोन एक्सचेन्ज को इलेक्ट्रोनिक एक्सचेन्ज में बदलना

6795. **श्री नन्द कुमार साय** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रायपुर में वर्तमान टेलीफोन एक्सचेंज को इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज में बदलने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो कब,

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्तमान एक्सचेंज उपस्कर का कार्यकाल अभी समाप्त नहीं हुआ है अतः इसे बदलने की कोई योजना नहीं है। तथापि, अतिरिक्त मांगें नए संस्थापित इलेक्ट्रानिक आर. एल. यू. एक्सचेंज से पूरी की जा रही है।

भुवनेश्वर में खराब टेलीफोन सेवा

[अनुवाद]

6796. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर में टेलीफोन अक्सर खराब पड़े रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो भुवनेश्वर में खराब टेलीफोन सेवा के क्या कारण हैं, और

(ग) भुवनेश्वर में टेलीफोन सेवा में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) फरवरी और मार्च, 1990 में असामान्य रूप से काफी वर्षा हो जाने के कारण दोषों में कुछ वृद्धि हुई थी।

(ग) नया इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज चालू कर दिया गया है। बाह्य संयंत्र को भी उन्नत कर दिया गया है।

पंजाब में तीव्रडाक (स्पीडपोस्ट) सेवा

6797. **श्री कमल चौधरी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में वर्ष 1989 के दौरान तीव्रडाक (स्पीडपोस्ट) कितने स्थानों को (स्पीड डाक) सेवा आरम्भ की गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) वर्ष 1989 के दौरान पंजाब के किसी भी स्थान को स्पीड पोस्ट नेटवर्क के अन्तर्गत नहीं लाया गया।

सिनेमा टिकटों की काला बाजारी

6798. **श्री जे. पी. अग्रवाल** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में सिनेमा टिकटों की काला-बाजारी के बारे में वर्ष 1989 के दौरान शिकायतें प्राप्त हुई; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन शिकायतों पर क्या कार्रवाही की गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) वर्ष 1989 के दौरान पंजाब सिनेमा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत 167 मामले दर्ज किए गए और 177 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। उनमें से 153 व्यक्तियों को अब तक दोषी पाया गया।

दक्षिण कोरिया को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता

6799. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण कोरिया ने भारत और अन्य गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों से, संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता पाने हेतु सहायता देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जिनका ध्येय कोरिया का शांतिपूर्ण ढंग से पुनः एकीकरण करना हो। सार्वभौमिकता के सिद्धांत के अनुरूप भारत कोरिया के लोगों की उन आकांक्षाओं का समर्थन करता है कि वे विश्व निकाय में प्रतिनिधित्व के द्वारा संयुक्त राष्ट्र के प्रयोजनों और सिद्धांतों की प्राप्ति की दिशा में सक्रिय सहयोग करें।

कृषि पर आधारित उद्योग

[हिन्दी]

6800. **डा० अतिम्बर पाल सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि उत्पादों पर आधारित औद्योगिक एककों को स्थापित करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है अथवा अध्ययन पत्र तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की आवश्यक प्रौद्योगिकी देश में उपलब्ध है;

(घ) क्या सरकार का विचार कृषि—पर आधारित औद्योगिक एककों के लाइसेंस केवल किसानों अथवा किसानों की सहकारी समितियों को देने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) और (ख) जी हां। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जिसमें फल एवं सब्जी प्रसंस्करण, मांस प्रसंस्करण समुद्री मात्स्यिकी और छोटे पैमाने के उद्योग आदि शामिल हैं, के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए समय-समय पर अनेक अध्ययनों का आयोजन किया जाता है।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) इस समय सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि किसानों की सहकारी समितियों के लिए कृषि पर आधारित औद्योगिक एककों के लिए लाइसेंस आरक्षित रखा जाए।

(च) उद्योग द्वारा कृषि उत्पादों के बहुत ही कम उपयोग की वजह से आरक्षण नीति को अपनाना उचित नहीं हो सकता।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए दस लाख कुएं बनाने का कार्यक्रम (जीवन धारा)

[अनुवाद]

6801. **श्री जे० चोक्का राव :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए वर्ष 1988-89 से शुरू किए गए दस लाख कुएं बनाने के कार्यक्रम (जीवन धारा) से कमजोर वर्ग के लोगों का उत्थान करने में मदद मिली है;

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य-वार अब तक कितने पक्के कुएं बनाए गए हैं;

(ग) शेष कुओं के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है;

(घ) सरकार सभी कुओं को पूरा करने के लिए कितनी अतिरिक्त धनराशि आवंटित करेगी;

(ङ) क्या यह योजना निरंतर लागू रहेगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए अन्य क्या योजनायें शुरू की जाएंगी; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) दस लाख कुओं की योजना (यह योजना का सही नाम है) के अंतर्गत प्राप्त सूचना के अनुसार अब तक निर्मित राज्य-वार कुओं की संख्या को संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है।

(ग) और (घ) दस लाख कुओं की योजना को वर्ष 1988-89 के दौरान शुरू किया गया था। वर्ष के दौरान इस योजना के लिए संसाधनों की आवश्यकता की, राज्य/संघ शासित क्षेत्रों को

मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों के लिए वर्ष के अंतर्गत निर्मुक्त किए गए संसाधनों में से सबसे पहले पूरा किया जाना था। इस प्रकार इस योजना को पूरी तरह वित्त पोषित किया गया है। दस लाख कुओं की योजना 1989-90 के दौरान भी जारी रही थी। योजना के लिए निधियों की आवश्यकता को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/जन जातियों के लिए अलग-अलग लाभार्थी उन्मुख योजनाओं हेतु निर्धारित 5 प्रतिशत संसाधनों में से पूरा किया जाता था। 1990-91 के दौरान 524.62 करोड़ रुपये, जो कि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कुल आवंटनों का 20 प्रतिशत है, को दस लाख कुओं की योजना के लिए निर्धारित किया गया है।

(ङ) और (च) ग्रामीण विकास विभाग जवाहर रोजगार योजना और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम नामक दो प्रमुख कार्यान्वित कर रहा है जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों में से अनुसूचित जातियों/जनजातियों और मुक्त बंधुआ मजदूरों के लाभ के लिए प्रावधान किए गये हैं। ये दोनों कार्यक्रम वर्ष 1990-91 के दौरान जारी रखे जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों/जनजातियों के विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भी जारी रहेंगी।

विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	प्राप्त सूचना के अनुसार अभी तक निर्मित कुओं की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	17211
2.	अरुणाचल प्रदेश	—
3.	असम	—
4.	बिहार	39034
5.	गोवा	8
6.	गुजरात	7737
7.	हरियाणा	—
8.	हिमाचल प्रदेश	37
9.	जम्मू व कश्मीर	113
10.	कर्नाटक	2399
11	केरल	188
12.	मध्य प्रदेश	5069
13.	महाराष्ट्र	7444
14.	मणिपुर	19
15.	मेघालय	—

1	2	3
16.	मिज़ोरम	——
17.	नागालैंड	44
18.	उड़ीसा	11245
19.	पंजाब	——
20.	राजस्थान	9399
21.	सिक्किम	——
22.	तमिलनाडु	6143
23.	त्रिपुरा	——
24.	उत्तर प्रदेश	464
25.	पश्चिम बंगाल	2663
26.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	——
27.	चण्डीगढ़	——
28.	दादर व नगर हवेली	30
29.	दिल्ली	——
30.	दमन व द्वीप	——
39.	लक्षद्वीप	——
32.	पाण्डिचेरी	——
	योग	109247

विवरण-2

भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत अनुसूचित जन-जातियों के विकास के लिए केन्द्रीय और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के ब्यौरे

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कल्याण मंत्रालय की लिखित केन्द्रीय और केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें हैं।

(1) अनुसूचित जाति के लोगों के विकास के लिए उनकी विशेष संघटक योजनाओं के अलावा राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को विशेष केन्द्रीय सहायता।

(2) आदिवासियों के विकास के लिए राज्य सरकारों को उनके प्रयासों में सहायता करने के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता।

(3) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में अनुसूचित जाति विकास निगमों द्वारा प्रायोजित आय सृजित करने वाली योजनायें। इन निगमों का गठन आर्थिक विकास बैंक योग्य योजनाओं के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों का वित्तीय संस्थाओं के साथ सम्पर्क बनाने के उद्देश्य से किया गया है।

(4) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिये मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां।

(5) "अस्वच्छ व्यवसायों" में कार्यरत लोगों के बच्चों के लिये मैट्रिकपूर्व छात्र वृत्तियां।

(6) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के मेडिकल तथा इंजीनियरी कालेजों में पढ़ने वाले छात्रों के लिये पुस्तक बैंक की योजना।

(7) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के लिये होस्टलों का निर्माण तथा स्थापना।

(8) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लड़कों के लिये होस्टलों का निर्माण तथा स्थापना।

(9) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये परीक्षापूर्व प्रशिक्षण, और सम्बद्ध योजनायें।

(10) अनुसूचित जाति और जनजातियों के कल्याण में लगे स्वयंसेवी संगठनों को सहायता।

(11) वनमूल के तिलहनों के पेड़ों के विकास की योजनायें।

(12) आदिवासी सहकारी विपणन संघ (ट्राईफेड) की अंश पूंजी सहयोग।

(13) टी० एस० पी० क्षेत्र में आश्रम विद्यालयों की स्थापना।

राजस्थान में पेय जल की कमी

6802 **श्री० रामा सिंह रावत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का राजस्थान में पेय जल की समस्या सुलझाने के लिये कोई विशेष योजना तैयार करने का विचार है,

(ख) क्या सरकार ने इस प्रयोजन के लिए गहरे कुओं के छिद्रण करने संबंधी मशीनें आयात की हैं,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(घ) इनमें से कितनी मशीनें राजस्थान को उपलब्ध कराने का विचार है और ये मशीनें राज्य को कब तक उपलब्ध करा दी जायेंगी।

(ङ) क्या राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को कोई ज्ञापन दिया है, और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल की समस्या का समाधान राज्य क्षेत्र के न्यूनतम

आवश्यकता कार्यक्रम तथा केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत किया जा रहा है।

(ख) और (ग) भारत सरकार को मुफ्त सहायता के रूप में सोवियत संघ (यू.एन.एस.आर.) से उपहार स्वरूप 6 रोटरी ड्रिलिंग प्राप्त हुए थे।

(घ) इन रिगों में से, चार रिगों को राजस्थान में लगाया गया है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

कपास का समर्थन मूल्य

[अनुवाद]

6803 श्री चित्त बसु : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कपास के समर्थन मूल्य में वृद्धि करने का विचार है क्योंकि यह लाभकारी नहीं है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) चालू मौसम में कपास के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत भारतीय रुई निगम द्वारा खरीदा गया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतिश कुमार) : (क) और (ख) सरकार ने 1989-90 के कपास मौसम (अक्तूबर सितम्बर-अगस्त) के लिए उचित औसत क्वालिटी की कपास की मूल किस्मों अर्थात् एफ-414/एच-777 और एच-4 का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रमशः 570 रुपए प्रति क्विंटल और 690 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।

(ग) कपास उत्पादन के सरकारी अनुमान अभी तैयार नहीं हुए हैं तथापि बाजार में आयी अनुमानित 113.36 लाख गांठों में से भारतीय कपास निगम ने (9.4.90 तक) कपास की 10.61 लाख गांठें खरीदीं। आई कुल गांठों में से 21 लाख गांठें महाराष्ट्र से हैं, जहां एकाधिकार अधिप्राप्ति योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा समर्थन कार्य शुरू किए गए हैं।

मूंगफली के तेल की खरीद

6804 श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड किसानों, विशेष रूप से छोटे और सीमान्त किसानों से सीधे अथवा सहकारी समितियों के माध्यम से मूंगफली नहीं खरीदता है बल्कि मूंगफली तेल के व्यापारियों से खरीदता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गुजरात के खुले बाजार में मूंगफली का तेल उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को सलाह देने के लिए राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने तिलहनों का उत्पादन करने वाली सहकारी समितियों की मूंगफली खरीदने के लिए अपनी हस्तक्षेप कार्यों के अंतर्गत धन प्रदान किया। इन सहकारी समितियों के सदस्यों में अधिकांशतः छोटे और सीमान्त किसान हैं। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, मूंगफली का तेल मूंगफली उत्पादक सहकारी समितियों के अलावा खुले बाजार से खरीदता है, ताकि अपनी हस्तक्षेप कार्यों के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

(ग) और (घ) गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि वह गुजरात के खुले बाजार में मूंगफली का तेल निर्मुक्त करे, ताकि मूंगफली के तेल की कीमतों को नियन्त्रित किया जा सके। मूंगफली तेल के वर्तमान मूल्य निर्धारित सीमाओं में हैं और राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अपना स्टाक इस प्रकार निर्मुक्त करेगा, जिससे कि खाद्य तेलों के थोक बिक्री-मूल्य निर्धारित सीमाओं के भीतर ही कायम रखे जा सकें। तथापि, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, मूंगफली के तेल का विपणन "धारा" नामक ब्राण्ड से उपभोक्ता पैकों में करना जारी रखेगा।

"सार्क सम्मेलन"

6805. श्री ए. आर. अन्तुले : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990 के दौरान "सार्क" सम्मेलन मालद्वीप में आयोजित किया जाना था;

(ख) क्या श्रीलंका सरकार ने हाल ही में यह अनुरोध किया है कि वर्ष 1989 के दौरान जो "सार्क" सम्मेलन कोलम्बो (श्रीलंका) में आयोजित किया जाना था उसे अब वर्ष 1990 में किया जाना चाहिए; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में भारत सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) जी हां

(ग) सार्क सदस्य देशों की सरकारों, विशेषकर श्रीलंका और मालदीव की सरकारों के बीच इस मसले को सुलझाने के लिए विचार-विमर्श चल रहा है। सार्क की मौजूदा अध्यक्षता के प्रतिनिधि के रूप में इन विचार-विमर्शों में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप जो भी निर्णय किया जाएगा भारत सरकार उसे मान्यता देगी।

सुरक्षा संबंधी मामलों पर भारत-अमरीका के बीच वार्ता

6806. श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अमरीका के साथ क्षेत्रीय और विश्व स्तर पर सुरक्षा संबंधी मामलों पर चर्चा की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अमरीका ने किन विशिष्ट मामलों पर भारत के साथ बातचीत की थी ;

(ग) क्या अमरीका भारत को सैनिक सहायता देने के लिए सहमत हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो अमरीका कितनी सैनिक सहायता देने के लिए सहमत हुआ है और क्या सरकार इस बारे में सहमत है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) इस बातचीत में बहुत से विषयों पर विचार-विमर्श हुआ जैसे अफगानिस्तान, और इंडोचीन की स्थिति, दक्षिण एशियाई क्षेत्र की गतिविधियां, अमरीका सोवियत सम्बन्ध, पूर्व यूरोप में होने वाले परिवर्तन आदि।

(ग) जी नहीं। इसकी मांग ही नहीं की गई।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों में रहने वाले भारतीयों का क्षेत्रीय सम्मेलन

6807 **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेशों में रहने वाले भारतीयों का क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित करने के बारे में उनसे कोई सुझाव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रस्ताव को सहयोग एवं सहायता देने के लिए सहमत हुई है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) हालांकि विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिए गए हैं लेकिन सरकार को कोई विशिष्ट अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच नौका सेवा

6808. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **जल-भूतल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच नौका सेवा पुनः आरम्भ करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है,

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) क्या श्रीलंका ने इस मार्ग पर नौका सेवा शुरू करके ऐसी ही व्यवस्था की है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) सरकार को रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच फेरी सेवा पुनः संचालित करने के लिए हाल ही में श्रीलंका सरकार

से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। सरकार उचित समय पर फेरी सेवा पुनः चालू करने पर विचार कर सकती है। फेरी सेवा पुनः संचालित करने का निर्णय भारत तथा श्रीलंका दोनों सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से ही लिया जा सकता है, यह निर्णय एक तरफ से नहीं लिया जा सकता।

(ग) सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है कि श्रीलंका सरकार की इस मांग पर फेरी सेवा चालू करने की कोई योजना है अथवा नहीं।

भारतीय राष्ट्रिकों को शरण देना

6809. **श्री गुमान मल लोढा** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान कितने भारतीय राष्ट्रिकों को चीन, जापान, इंडोनेशिया और मलेशिया में शरण दी गई ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : किसी को नहीं।

स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन मंजूर करने के लिए आवेदन पत्र

6810. **श्री राजवीर सिंह** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार उत्तर प्रदेश से "स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन" मंजूर करने के लिए कितने नए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने मामलों का निपटारा किया गया;

(ग) कितने मामले अब भी विचाराधीन हैं; और

(घ) लम्बित मामलों पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) उत्तर प्रदेश से पिछले तीन वर्षों अर्थात 1987, 1988 और 1989 के दौरान प्राप्त हुए नए आवेदन पत्रों की संख्या क्रमशः 369, 349 और 103 है।

(ख) और (ग) अन्तिम तिथि, अर्थात 31.3.1982 के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों को विलम्ब से प्राप्त हुए आवेदन माना जाता है। ऐसे आवेदनों पर तभी विचार किया जाता है जबकि उसके साथ यातना सहने का सरकारी रिकार्ड का साक्ष्य लगा होता है तथा आवेदक विलम्ब से आवेदन भेजने के पर्याप्त कारण बताता है। जहां आवेदक ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करता है, वहां उनकी राज्य सरकारों के माध्यम से जांच की जाती है तथा यदि सत्यापन करने पर उन्हें वास्तविक पाया जाता है तो आवेदक को पेंशन स्वीकृत की जाती है। अन्य रद्द किए जाने वाले मामलों में वे मामले भी शामिल होते हैं जिनमें आवेदक द्वारा सरकारी रिकार्ड से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाता है। विलम्ब से होने वाले आवेदनों के बारे में अलग से रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

(घ) जैसे ही राज्य सरकारों की सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है लम्बित पड़े मामलों को निपटाने हेतु कार्रवाई की जाती है।

एयर इंडिया के कनिष्क विमान में विस्फोट के बारे में भारतीय आसूचना सेवा के विरुद्ध आरोप

6811. **श्री सफर सिंह बघेला**
श्री लाल कृष्ण आडवाणी } : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जून 1985 में एअर इंडिया के कनिष्क विमान में उड़ान के बीच हुए विस्फोट के बारे में कनाडा के दो पत्रकारों द्वारा लिखी "सॉफ्ट टारगेट" नामक पुस्तक में भारतीय आसूचना सेवा के कुछ एजेन्टों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) कनाडा के दो पत्रकार जुहेर कश्मीर और ब्रायन मैक एन्ड्रयू द्वारा लिखित पुस्तक "साफ्ट टार्गेट-हाउ द इंडियन इंटेलीजेंस सर्विस पैनीट्रेटेड कनाडा" का विमोचन कनाडा में 23 जून, 1989 को अर्थात 4 वर्ष बाद ठीक उसी दिन किया गया जिस दिन कि जून, 1985 में एयर इंडिया के कनिष्क नामक विमान को उड़ाया गया था। पुस्तक में इसके लेखकों ने यह आरोप लगाया है कि कनाडा में रहने वाले सिक्खों को बदनाम करने के लिए भारतीय आसूचना एजेंसियों ने ही एअर इंडिया के विमान को उड़ाया था।

(ग) कनाडा स्थित भारत के हाई कमीशन ने समाचार पत्रों, रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से इन निराधार आरोपों का खंडन किया था। इस पुस्तक में निहित आरोपों के बारे में भारत सरकार की चिन्ता से भी कनाडा की सरकार को अवगत करा दिया गया है।

भारतीयों द्वारा कुवैत में आत्महत्या

6812. **डा. दौलतराव सोनूजी अहेर :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 और 1989 के दौरान कितने भारतीयों द्वारा कुवैत में आत्महत्या की गई;

(ख) उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 1988 में दो ने और 1989 में तीन ने आत्महत्या की थी।

(ख) और (ग) समझा जाता है कि उन्होंने आत्महत्या व्यक्तिगत तथा निजी कारणों से की थी और इसलिए इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई कार्रवाई करने की गुंजाइश नहीं है।

वित्तीय वर्ष के अन्त में [illegible]

6813. **श्री मदन लाल खुराना :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, [illegible] के [illegible] सप्ताहों में दिल्ली प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा [illegible]

सामग्री सहित खरीदी गई मुख्य मदों का ब्यौरा क्या है, ये मदें किन पार्टियों से खरीदी गई तथा इन पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) इन खरीदारियों का औचित्य क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन्हीं शीर्षों के अन्तर्गत कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(घ) वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में विभागों द्वारा भारी मात्रा में खरीददारी न करने देने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों के वेतनमान

6814. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में कार्यरत विभिन्न ग्रेडों के वैज्ञानिकों के लिए क्या वेतनमान निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या "एस" ग्रेड और अन्य सामान्य ग्रेडों के वैज्ञानिकों में कोई असंतोष है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) (क) महोदय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों के वेतनमान का निर्धारण नहीं किया है लेकिन 1.1.1986 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतन पैकेजों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों पर लागू किया गया है। तदनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों को निम्नलिखित वेतनमान दिए गए हैं :—

1. परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक
   रु० 1740-3000
2. वैज्ञानिक
   रु० 2200-4000
3. वैज्ञानिक (उच्च वेतनमान)
   रु० 3000-5000
4. वैज्ञानिक (सेलेक्शन ग्रेड)—
   और वरिष्ठ वैज्ञानिक
   रु० 3700-5700
5. प्रमुख वैज्ञानिक—
   रु० 4500-7300

(ख) संशोधित वेतनमानों के खिलाफ कुछ अभिवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) वैज्ञानिक— "एस" ग्रेड के सम्बन्ध में प्राप्त अभिवेदनों की जांच की गई है और उसे अस्वीकृत कर दिया गया है।

12.00 मध्याह्न

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बहुत से पेपर ले करने हैं। पहले पेपर ले करने की इजाजत दे दें उसके बाद जो करना चाहते हैं, करें।

[अनुवाद]

कुछ माननीय सदस्य : जी नहीं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। श्री दिनेश सिंह।

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, हमें अखबारों से पता चला है कि हमारे विदेश मन्त्री और पाकिस्तान के विदेश मन्त्री के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई है और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। हम महसूस करते हैं कि इस सभा को यह जानने का अधिकार है कि इस बैठक का क्या परिणाम रहा है। यदि विदेश मन्त्री यहां नहीं हैं, तो राज्यपाल द्वारा एक वक्तव्य दिया जाना चाहिए कि किस विषय पर विचार विमर्श हुआ और इस विचार विमर्श का क्या परिणाम रहा।

श्री एडुआर्डो फलीरो (मारमागाओ) : महोदय, श्री दिनेश सिंह जो कहते हैं मैं उसका समर्थन करता हूं। निःसंदेह यह अच्छी बात है कि बातचीत हुई। हम उम्मीद करते हैं कि यह वार्त्ता जारी रहेगी। अब, इसी के साथ, यह बहुत खेदजनक बात है कि पाकिस्तानी विदेश मन्त्री ने गुट-निरपेक्ष बैठक में कश्मीर मुद्दे को उठाया। इस मुद्दे को वहां नहीं उठाया जा सकता है। कश्मीर, भारत का एक अविभाज्य हिस्सा है और सभी झगड़ों का निपटारा द्विपक्षीय रूप से होना चाहिए।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, आज के टाईम्स आफ इंडिया ने एक बहुत ही चिन्ताजनक खबर दी कि द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य श्री स्वरूपानन्द ने कल नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की कि वह और उनके अनुयायी विवादग्रस्त राम जन्मभूमि मन्दिर में 7 मई को शिलान्यास करेंगे। उन्होंने कहा कि 7 मई को हजारों लोग सरयू नदी के किनारे एकत्र होंगे और वहां से स्वयं वह अपने तीन अन्य अनुयायियों के साथ, चार ईंटें लिये मन्दिर की ओर प्रस्थान करेंगे। यदि पुलिस रोकेगी तो हम चारों, जिनके पास ईंटें होंगी, को छोड़कर सब रुक जायेंगे और हम आगे चलते रहेंगे फिर पुलिस जो कुछ करना चाहे कर सकती है।

यह पूछने पर कि क्या शिलान्यास से हिन्दू-मुस्लिम दंगे नहीं होंगे, शंकराचार्य ने कहा,

[हिन्दी]

आपरेशन के बाद तकलीफ तो होती है।

[अनुवाद]

ऐसा लगता है कि विश्व हिन्दू परिषद और इस जगतगुरु के बीच साम्प्रदायिकता को आगे बढ़ाने के मामले में प्रतिस्पर्धा चल रही है। मैंने सुना है—मैं गलत भी हो सकता हूं या ठीक भी हो

सकता हूं— कि इस शंकराचार्य के पीछे कुछ कांग्रेस के व्यक्ति भी हैं। (व्यवधान)

यदि ऐसा नहीं है तो, मुझे प्रसन्नता होगी। (व्यवधान) मैं कांग्रेस दल को एक धर्मनिरपेक्ष दल मानती हूं और अवश्य यहां भी कुछ धर्मनिरपेक्ष तत्व विद्यमान होंगे। मैं चाहूंगी कि वे इस शंकराचार्य को न मानें। मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि वह इस शिलान्यास को रोकने के लिए तत्काल कदम उठायें। (व्यवधान)

श्री वसंत साठे (वर्धा) : महोदय, नियम 353 के अधीन मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। कोई भी सदस्य निन्दात्मक टिप्पणी नहीं कर सकता है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं जांच करूंगा क्या उसमें कुछ हानिकारक बात है। मैं इस पर गौर करूंगा।

((व्यवधान)

श्री वसंत साठे : महोदय; मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। (व्यवधान) मैं नियम 353 पढ़ूंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हां, श्री साठे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती सुभाषिनी अली, कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कल्पनाथ राय, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री साठे को अनुमति दे दी है क्योंकि उनका व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री वसंत साठे : नियमों के अधीन, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति, दल अथवा संस्था के विरुद्ध निन्दात्मक टिप्पणी नहीं कर सकता। कृपया देखें। यहां एक आरोप है। यहां, एक माननीय सदस्य ने अखबार में से कुछ उद्धृत करते हुए ··· (व्यवधान)

श्री तरित बरन तोपदार (बैरकपुर) : आप नियम को उद्धृत करें।

श्री वसंत साठे : यह नियम 353 है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री तोपदार आप क्या कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री साठे को अनुमति दे दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री वसंत साठे : वे अनभिज्ञ हैं। वे तो नियम भी नहीं जानते। मैंने नियम को उद्धृत करते हुए शुरू किया था। (व्यवधान) मैंने नियम 353 कहा था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री साठे, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। मैंने आपको अनुमति दे दी है।

(व्यवधान)

श्री वसंत साठे : नियम 353 बहुत स्पष्ट है। इन ** को नियम अवश्य जानना चाहिए।

(व्यवधान)

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शब्द '....' कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं होगा।

श्री वसंत साठे : कोई भी इतना वृद्ध नहीं हो सकता कि उसे इस नियम की जानकारी न हो। मैं वह शब्द वापिस लेता हूं। (व्यवधान) मैंने पहले ही वह शब्द वापिस ले लिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आडवाणीजी, उन्होंने शब्द वापिस ले लिया है।

(व्यवधान)

श्री वसंत साठे : मैंने यह शब्द '**' वापिस ले लिया है। वे उससे भी बदतर हैं।

(व्यवधान)

कोई भी मानहानिकारक टिप्पणी नहीं कर सकता है। (व्यवधान) किसी भी सदस्य द्वारा कांग्रेस के विरुद्ध आरोप लगाए जाने पर मुझे गम्भीर आपत्ति है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि क्या यह मानहानिकर है।

श्री वसंत साठे : इसे निकाल दिया जाना चाहिए (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री पी० चिदम्बरम (शिवगंगा) : महोदय, आपको इसे निकाल देना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री साठे जब आप खड़े हैं तो मैं आपकी कैसे सुन सकता हूं?

(व्यवधान)

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

श्री वसंत साठे : यहां तक कि नियम 352 के उप-खण्ड 7 के अन्तर्गत इसका बहुत ही स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि, बोलते समय कोई भी सदस्य मानहानिकर शब्द नहीं बोलेगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने अपना निवेदन समाप्त कर दिया है ?

श्री वसंत साठे : मेरा निवेदन यही है, कि जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा है आपने उसे सुना है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपसे यही कहना है कि मैं रिकार्ड देखूंगा और तब मैं निर्णय करूंगा।

(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : जी नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड की जांच करूंगा और यदि इसमें कोई मानहानिकर शब्द हैं, तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न हों।

(व्यवधान)

श्री वसंत साठे : यदि आपने उनकी टिप्पणी सुनी है, उन्होंने कहा था कि द्वारका के जगद्गुरु शंकराचार्य के पीछे कांग्रेस है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे कह दिया है कि मैं कार्यवाही—वृत्तान्त का अध्ययन करूंगा और यदि उसमें अपमानजनक अथवा असंसदीय शब्द होंगे तो मैं जांच करूंगा। अध्यक्ष इसके अतिरिक्त कर भी क्या सकता है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे कह दिया है कि मैं कार्यवाही वृत्तान्त देखने के बाद कोई निर्णय करूंगा। यह अपमानजनक है अथवा असंसदीय है, इसका निर्णय मैं कार्यवाही वृत्तान्त की जांच के बाद करूंगा।

श्री पी० चिदम्बरम : उन्होंने कांग्रेस के विरुद्ध आरोप लगाए हैं। इसमें संदेह की क्या बात है। आपने उनकी बात सुनी है। आपको इसे अभी कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल देना चाहिए। उन्होंने जो कुछ कहा है उसे हम सब जानते हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट था और वह अब भी इसका समर्थन कर रही हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती गीता मुखर्जी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हां, श्री दिनेश सिंह, आप बोलें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए । मैंने श्री दिनेश सिंह को अनुमति दी है ।

श्री दिनेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं शंकराचार्य द्वारा किये जाने वाले शिलान्यास के प्रयासों से उत्पन्न सम्भावित दंगों के सम्बन्ध में माननीय सदस्या श्रीमती गीता मुखर्जी की चिंता को समझता हूं । मैं उनकी यह चिंता भी समझता हूं कि वह सरकार के किसी सहयोगी पर, जिसने इसकी शुरूआत की है, आरोप नहीं लगाना चाहती हैं । शिलान्यास उन्होंने शुरू किया है ··· (व्यवधान) मैं यह बताना चाहता हूं कि इस मामले के सम्बन्ध में, जो न्यायालय में विचाराधीन है, हमारी पार्टी की स्थिति बिलकुल स्पष्ट है कि जब तक न्यायालय कोई निर्णय नहीं कर दे, तब तक यथास्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए । माननीय सदस्या श्रीमती गीता मुखर्जी का हम पर आरोप लगाना अनुचित है तथा महोदय, आपने स्वयं देखा कि भाजपा के एक सदस्य उन्हें किस प्रकार हिदायतें दे रहे थे ········(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया, अपनी जगह पर बैठ जाइए । अब, श्री आडवाणी बोलें ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है । साठे साहब ने एक व्यवस्था प्रश्न उठाया था, उसके विषय में आपने अभी तक रूलिंग नहीं दी है । ··· (व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : हमने दिया है । इनको एतराज था ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य की सुन रहा हूं । रावत जी, आपका कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है । आप ऐसे ही खड़े हो गए हैं ।

[अनुवाद]

श्री हरीश रावत : मेरा व्यवस्था का प्रश्न नियम 352 (दो) के अन्तर्गत है·······

अध्यक्ष महोदय : श्री साठे इसे पहले ही उद्धृत कर चुके हैं ।

श्री हरीश रावत : उन्होंने नियम 353 उद्धृत किया है । नियम 352 (दो) में कहा गया है--"बोलते समय कोई सदस्य·· सभा के किसी अन्य सदस्य पर कोई हेतु का लांछन लगाते हुए अकथिथन नहीं करेगा या उसकी सद्भावना पर आपत्ति करके उसका वैयक्तिक निर्देश नहीं करेगा····"

यह बिल्कुल स्पष्ट है कि श्रीमती गीता मुखर्जी ने कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध आरोप लगाया है । यह बड़ा गम्भीर मामला है ।

[हिन्दी]

यह एलीगेशन जान बूझकर कांग्रेस पर लगाया गया है । इसके पीछे सीधा-सा ऐम है, एक ऐसी पार्टी जो पार्टी सारे काम्युनल डिस्टरबेंस के पीछे है, उसको बचाना है । उस पार्टी को सीधा

करने की कोशिश की है। अध्यक्ष जी, आपको उनके व्यवस्था के प्रश्न को सुनना चाहिए था और उसके बाद निर्णय देना चाहिए था।.... (व्यवधान)

श्री लालकृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्या, श्रीमती गीता मुखर्जी, ने एक प्रश्न उठाया है और उसमें उन्होंने इस समाचार से चिन्ता प्रकट की कि द्वारिका के जगतगुरु शंकराचार्य ने आने वाले मई के महीने में या किसी दिन शिलान्यास करने वाले हैं।

एक माननीय सदस्य : सात मई को।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहूंगा कि मेरी पार्टी का इस सारे अयोध्या के प्रकरण के बारे में क्या दृष्टिकोण है, लेकिन आज जो विरोध वहां से हो रहा है · (व्यवधान)···

एक माननीय सदस्य : सारी दुनिया को पता है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मुझे पता है। मैं दोहराना नहीं चाहता। मैं उस पर कभी भी अपालोजैटिक नहीं हूं, बल्कि मैं गर्व करता हूं ···(व्यवधान) ···

मैं गीता जी से असहमत होते हुए भी इनके दृष्टिकोण का आदर करता हूं। इसी प्रकरण पर बोलते हुए मैंने एक बार पहले भी कहा था कि मार्क्सवादी पार्टी से हमारा दृष्टिकोण मेल नहीं खाता लेकिन कॉंसिसटेंट दृष्टिकोण है। अभी भी अगर राजा दिनेश सिंह हमारी तरफ इशारा नहीं करते तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं थी। क्या राजा दिनेश सिंह इस बात से अपरिचित हैं कि द्वारिका के जगद्गुरु शंकराचार्य कभी-कभी हमारी आलोचना भी करते हैं और आप से वे सम्बन्धित हैं। मेरा इतना निवेदन है कि यदि जगद्गुरु शंकराचार्य ही नहीं, साठे जी और राजा दिनेश सिंह जी भी इस शिलान्यास में सम्मिलित हो जाएं तो मुझे खुशी होगी। लेकिन मैं फिर से आप से कहना चाहता हूं कि चाहे रामजन्म-भूमि का मामला हो या हिन्दू-मुसलमानों से सबंधित और कोई मामला हो, दोगलेपन की नीति नहीं चलेगी।

अभी अभी मैंने एक फोटो देखा। उसमें जगद्गुरु शंकराचार्य के साथ-साथ पश्चिमी दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करता हूं कि अगर वास्तव में कांग्रेस पार्टी···(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने केवल उन्हें अपनी बात कहने की अनुमति दी है।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैंने राजा दिनेश सिंह जी की आलोचना नहीं की····

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अपनी बात कहने की अनुमति दी है। कृपया वाद-विवाद मत कीजिये।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैंने उनकी आलोचना नहीं की। लेकिन इस बात पर विरोध नहीं करना चाहिए, अगर गीता जी ने जो कहा वह वस्तुतः सही है तो। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने व्यवस्था के प्रश्न सुन लिये हैं।

(**व्यवधान**)

श्री दिनेश सिंह : चूंकि माननीय सदस्य ने मेरे नाम का उल्लेख किया है इसलिए व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के संबंध में..... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री चौधरी, मैं आपको बुलाऊंगा।

श्री दिनेश सिंह : महोदय, माननीय सदस्य श्री आडवाणी ने मेरे नाम का उल्लेख किया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जगद्गुरु विशेषतः जगदगुरु शंकराचार्य को मेरे मित्र आडवाणी जी समेत सबको आशीर्वाद देना चाहिए।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हम शंकराचार्य का आशीर्वाद नहीं चाहते हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : क्या बात है ? श्री आचार्य, मैं आपकी भी बात सुनूंगा। श्री चटर्जी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री दिनेश सिंह, आप कृपया अध्यक्ष को सम्बोधित कीजिए।

श्री दिनेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने यही कहा था कि..... (**व्यवधान**) आप स्वयं देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

श्री दिनेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानता कि मेरे मित्र श्री वसुदेव आचार्य को क्या आपत्ति है। यदि वह शंकराचार्य की बजाए मार्क्स का आशीर्वाद चाहते हैं तो वह ऐसा कर सकते हैं। मेरा उनसे कोई विवाद नहीं है। परन्तु मैं यह कह रहा हूं कि शंकराचार्य को सभी को आशीर्वाद देना चाहिए, परन्तु किसी भी शंकराचार्य को किसी दल अथवा समूह से सम्बद्ध नहीं होना चाहिए। इसलिए माननीय सदस्य श्री आडवाणी ने जो कहा है कि—

[हिन्दी]

उनका हमारे साथ सम्बन्ध है। मैं नहीं समझता हूं कि शंकराचार्य जी का किसी से सम्बन्ध हो सकता है। यह उनकी गरिमा के खिलाफ है और हमारी गरिमा के खिलाफ है। हमारा सम्बन्ध किसी भी गुरु से नहीं है। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री खुराना, आप कब अपने स्थान पर बैठेंगे ? मैंने श्री चौधरी को बुलाया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भजनलाल (फरीदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है । यह कोई भाषण देने का इशू नहीं है । इशू यह है कि गीता मुखर्जी ने जो इल्जाम लगाया है, उसको कार्यवाही से निकलने के बारे में हम आपकी रूलिंग चाहते हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या प्वाइंट आफ आर्डर है, आप बैठिए । मैं सुन रहा हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : स्पीकर रूलिंग देने से पहले मेंबर्स को सुन सकता है, आप बैठिए ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय मामले की गम्भीरता तथा इससे देश में साम्प्रदायिकता फैलने की आशंका पर विचार करते हुए हम यह मांग करते रहे हैं कि इस मामले को बातचीत के माध्यम से सुलझाया जाए अथवा न्यायालय द्वारा तय किया जाए और उसके निर्णय का प्रत्येक व्यक्ति पालन करे । यदि कोई उसका उल्लंघन करेगा तो देश में साम्प्रदायिकता फैल जाएगी । भाजपा या विश्व हिन्दू परिषद अथवा मुस्लिम संगठन या कोई कांग्रेस संगठन····

(व्यवधान)

"आडवाणी जी ने जो कुछ कहा है, मैं उसकी सराहना करता हूं । उनका दृष्टिकोण स्पष्ट है । वे वहां मन्दिर बनवाना चाहते हैं । हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे तथा उसका विरोध करेंगे । यद्यपि कांग्रेस (आई) ने इसका स्पष्ट रूप से प्रचार नहीं किया है परन्तु उसके अनेक नेता इस तरह के प्रयास का गुप्त रूप से समर्थन कर रहे हैं । (व्यवधान)

"हमारे देश में कुछ दल तथा व्यक्ति धर्मनिरपेक्षता के बारे में दृढ़ रवैया अपनाते हैं । हमारे साथियों ने पिछले लोकसभा चुनावों में यह देखा है कि सी० पी० आई० के उम्मीदवार को हटाने के लिए कांग्रेस (आई) के पक्ष में भाजपा ने अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया, अपने स्थान पर बैठ जाइये ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : जी नहीं, महोदय इस विवाद की जटिलताओं तथा निकट भविष्य में इससे उत्पन्न होने वाले खतरे को ध्यान में रखते हुए मेरा आप से अनुरोध है कि साम्प्रदायिकता, हिंसा के प्रयास अथवा ऐसी ही अन्य बातों का समर्थन कर रहे हैं उनके विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया जाए । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया, अपने स्थान पर बैठ जाइये । मैं अपना निर्णय दे रहा हूं । आप अपनी बात कह चुके हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम उसके बारे में चर्चा शुरू नहीं कर रहे हैं । कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये । मैं सोचता हूं कि पहले मैं अपना विनिर्णय दे दूं । मुझे अपनी बात कहने दीजिए । मैं भी अपना विनिर्णय देना चाहता हूं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया बैठ जाइए। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया, आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैंने अनुमति नहीं दी है। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैं इस पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं किसी अन्य को भी अनुमति नहीं दूंगा। मैंने कह दिया कि मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे विनिर्णय देना है। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

[हिन्दी]

कोई जरूरत नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया पहले स्थान पर बैठ जाइए। श्री चौधरी अपनी बात कह चुके हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं थोड़ा सा समय ही लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, फिर वे भी दुबारा से बोलने लगेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : उनके बोलने के लिए कुछ नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया, अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : समूचा देश जानता है कि शिलान्यास की अनुमति किस प्रकार दी गई थी। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, बैठ जाइये।....

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं किसी को भी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)*

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : (सलेम) : क्या आप उन कथनों को कार्यवाही वृत्तान्त से निकालेंगे या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप यह जानना चाहते हैं कि मैं क्या कहूंगा तो मुझे कहने दीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : यदि हम सब सहमत हैं तो श्री सफुद्दीन चौधरी द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हैं। (व्यवधान) हम सहमत हो सकते हैं। हम प्रस्ताव स्वीकार कर सकते हैं और यह प्रस्ताव अध्यक्ष पीठ की ओर से प्रस्तुत किया जा सकता है। (व्यवधान)*

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। श्री सोज कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव फैजाबाद : अध्यक्ष महोदय, मेरी कांस्टीच्यूएंसी का सवाल है; मैंने नोटिस दिया है। मेरी बात सुनिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, यहां केवल साधारण—सा मुद्दा है।....

अध्यक्ष महोदय : यह अत्यन्त साधारण मसला है जिसे पहले ही अनावश्यक रूप से जटिल बना दिया गया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव : अध्यक्ष जी, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। आपके नियमों मे यह व्यवस्था है कि यदि किसी माननीय सदस्य का जिक्र किया जाये, किसी मसले पर उसका नाम लिया जाए तो उसे स्टेटमेंट देने का मौका दिया जाना चाहिए। इस चर्चा में लोगों ने रामजन्म भूमि के शिलान्यास के बारे में मेरा नाम लिया है। उस जिले से मेरा सम्बन्ध है। इसलिए आपको मेरी बात सुननी चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैंने नहीं सुना है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, आप बैठ जाए। मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने नहीं सुना है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं मैडम।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (सीतापुर) : जो कहा गया है उसको एक्सपंज करा दें....

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें, मैं व्यवस्था पर बात करूंगा।

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन यादव : मेरा व्यवस्था का सवाल है, सुन लें तो मैं बैठ जाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : आपके नियमों में व्यवस्था है अगर किसी सदस्य के बारे में कुछ कहा जाये....

(व्यवधान)

मित्र सेन यादव : मेरे निर्वाचन क्षेत्र की बात है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। मैं उस पर आ रहा हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री वसंत साठे और श्री हरीश रावत द्वारा उठाए गए व्यवस्था के प्रश्नों को सुना है। श्री वसंत साठे ने मसला उठाया है कि श्रीमती गीता मुखर्जी का कथन अपमान-जनक है, अतः इसे सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूं। मैं रिकार्ड देखूंगा और उसी के अनुसार अपना विनिर्णय दूंगा और आपको बताऊंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कमल जी बैठ जायें। राजवीर सिंह आप जो सवाल उठाना चाहते हैं, उठायें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : न तो सत्तारूढ़ दल और न ही आप मुझे आदेश दे सकते हैं।

श्री कमल चौधरीजी ?

श्री राजवीर सिंह ?

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : मैंने आप से जो समझा है, वह यह है। आपने कहा है कि आप रिकार्ड देखेंगे और तब विनिर्णय देंगे कि श्रीमती गीता मुखर्जी का कथन मानहानिकारक है या नहीं है। आपने यही कहा है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : परन्तु मैं यह जानने के लिए अधिक उत्सुक हूं। यदि ये लोग—शंकराचार्य और इनके मित्र—अपने घोषित कार्यक्रम को 7 मई को क्रियान्वित करते हैं तो उस बारे में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती गीता मुखर्जी पहले ही इस विषय को उठा चुकी हैं। मैंने उन्हें सुन लिया है।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वे लोग कितने शिलान्यास करना चाहते हैं ? हम यह जानना चाहते हैं कि सरकार का इस विषय में क्या प्रस्ताव है ? **व्यवधान)**

श्री चित्त बसु (बारसात) : सरकार को यह बताना चाहिए कि वह इस बारे में क्या कदम उठाने जा रही है। **(व्यवधान)**

श्रीमती सुभाषिनी अली (कानपुर) : इस बारे में सरकार क्या कदम उठाना चाहती है, यह बताने के लिए गृह मन्त्री को यहां अवश्य होना चाहिए। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

भारत जल रहा है, सरकार क्या करने जा रही है, इसको रोकने के लिए। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। मैं क्या कर सकता हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष उसके बारे में क्या करें।

(व्यवधान)

श्री चित्त बसु : प्रश्न यह है कि सरकार को यह बताना चाहिए कि वह इस बारे में क्या कदम उठाने जा रही है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या करूं यस मि० राजवीर सिंह।

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : उत्तर प्रदेश में कुछ जगह पर अफीम की खेती होती है। दुर्भाग्य है कि इस वर्ष भयंकर ओला और बारिश पड़ने से उसकी फसल चौपट हो गई है। मैंने वित्त मन्त्री जी को पत्र लिखा था कि मेरे चुनाव क्षेत्र में अफीम की खेती चौपट हो गई है कृपया इसकी जांच करायें जिससे किसानों को बाद में तकलीफ न हो। मैंने पत्र में बताया कि····

अध्यक्ष महोदय : हो गया, आप बैठ जायें।

श्री राजवीर सिंह : वित्त मन्त्री ने पत्र भेजा कि डी० एन० सी० लखनऊ ने अपने सर्वे के लिए टीम भेजी। उसने किसान से 400/- रु० एरी के आधार पर यह पैसा लिया कि हम तुम्हारे पक्ष में रिपोर्ट लगाएंगे और नहीं दोगे तो तुम्हारे विपक्ष में लगाएंगे। इस प्रकार भ्रष्ट तरीके से यह पैसा किसानों से वसूला जा रहा है। जो पैसा किसान नहीं देता, उसको अफीम का ज्यादा परता देना पड़ेगा और उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। मैं आपके माध्यम से वित्त मन्त्री से अपील करना चाहता हूं कि इसकी जांच कराई जाये और किसानों को राहत दिलाई जाये **(व्यवधान)**

प्रो० महादेव शिवनकर (चिमूर) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई की तरफ जाने वाली सभी रेलगाड़ियों में 15 मई तक आरक्षण फुल हो जाने के कारण लगभग प्रति दिन हर गाड़ी में 100 से अधिक यात्रियों को अपना रिजर्वेशन रद्द करना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, नागपुर परिसर में एक आन्दोलन भी चल रहा है। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र में नागपुर से होकर दिल्ली कलकत्ता और बम्बई को जाने वाली ग्रीष्मकालीन स्पेशल गाड़ियां छोड़नी चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे इस आग्रह पर विचार करें। अध्यक्ष जी, नागपुर से प्रकाशित होने वाला "लोकमत" अखबार में इसके बारे में विस्तृत रूप से रिपोर्ट आई है। यह 22 अप्रैल का अंक है जिसको पढ़कर रेल मन्त्री आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें।

श्री जगदीश सिंह कुशवाहा (गाजीपुर) : मान्यवर अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों, विशेषकर गाजीपुर जिला में भयंकर सूखा की स्थिति पैदा हो गई है जिसकी वजह से गाजीपुर जिला के 8 ब्लाक बुरी तरह से प्रभावित हैं जिससे गांव के लोग स्थान छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करें कि जहां सूखे की स्थिति पैदा हो गई है, वहां पेयजल की उचित व्यवस्था करायें ताकि गांव छोड़कर जाने वाले लोगों को मजबूर न होना पड़े।

[अनुवाद]

श्री भवानी शंकर होता (सम्बलपुर) : ओलावृष्टि के कारण पिछले दो महीनों के दौरान सम्बलपुर जिले में खड़ी फसल को भारी नुकसान हुआ है और स्कूल-भवन तथा कुछ पशु-फार्म भी नष्ट हो गए हैं। क्योंकि ओलावृष्टि को प्राकृतिक आपदा में शामिल नहीं किया गया है, अतः किसानों को केन्द्र और राज्य सरकार, दोनों की सहायता से वंचित किया गया है। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह सरकारी और निजी भवनों, कमाण्ड एरिया और गैर-कमाण्ड एरिया को हुई क्षति का अनुमान लगाने के लिए एक केन्द्रीय दल भेजे और स्थिति पर काबू पाने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिणी दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि होम मिनिस्टर ने यहां बयान दिया था कि कश्मीर से जो माइग्रेंट्स आये हैं उनको 500/- रु० महीना दिया है लेकिन मैंने उस दिन भी कहा था कि यह गलत बयान है। आज तक उसको एक नया पैसा नहीं दिया गया है। अगर इस बात को इस देश की पालियामेंट के अन्दर कहा जाता है तो उसको पूरा नहीं किया जाता है। (व्यवधान)

श्री हरीश रावत : हमने इस मामले की जांच की थी।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

श्री मदन लाल खुराना : मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि मुझे यह बताया जाये कि जो पिछले शुक्रवार को इस हाउस के अन्दर कहा गया था तो होम मिनिस्टर को लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं और गलत कह रहा हूं। मुझे बताया जाये कि अब तक उनको पैसा क्यों नहीं दिया गया है। यह भी कहा गया था मैं अपनी बात को सही रूप में रखूं तो मैंने उस दिन भी चुनौती दी थी और आज भी चुनौती दे रहा हूं कि होम मिनिस्टर के पिछले शुक्रवार के बयान के बावजूद यह बात झूठी है। अभी तक उनको 500/- रु० माहवार नहीं दिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाएं, श्री संतोष कुमार गंगवार को बोलने दें। आपका हो गया है।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष महोदय, 24 और 25 तारीख को दोनों दिन हिन्दुस्तान की चीनी मिल के कर्मचारियों ने राष्ट्रीय चीनी उद्योग कर्मचारी समन्वय समिति के माध्यम से, अपनी मांगों को लेकर धरना दिया था। उनकी मांग थी कि तीसरे वेतन आयोग की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, वह चीनी मिल कर्मचारियों के हित में नहीं है और इसे बनाते समय उनकी समस्याओं को ध्यान में नहीं रखा गया है। हमारे केन्द्रीय मन्त्री श्री जार्ज फर्नान्डीज और श्री मधु दंडवते जी भी उन कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत हैं। मेरा श्रम मन्त्री जी से आग्रह है कि श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों को फिर से बुलवाकर बात की जाये, उनकी समस्याओं पर ध्यान दिया जाए और तीसरे वेतन आयोग की रिपोर्ट को निरस्त करके नए सिरे से नए फैसले और नई नीति का निर्धारण होना चाहिए।

मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मेरी बात का पहले जवाब मिलना चाहिए । जो खबर छपी थी, उसके बारे में सरकार का क्या कहना है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए । श्रीमती सुभाषिनी अली ।

श्रीमती सुभाषिनी अली : अध्यक्ष जी, मैं अभी अपने शहर से आ रही हूं । पूरे उत्तर भारत में आग लगी हुई है । ऐसी हालत है कि किसी भी समय, किसी भी जगह दंगा हो सकता है । ऐसी स्थिति में अगर कहीं धार्मिक जागरण या यात्रा जुलूस निकलेगा, और दूसरी तरफ लोग शिलान्यास का जुलूस निकालेंगे, हर तरह के उकसावेपूर्ण नारे लगाए जायेंगे, यही बातें कही जायेंगी तो पूरे उत्तर भारत में कोई बच नहीं सकता है । मैं भारत सरकार से चाहता हूं कि यहां पर खुले रूप में ऐलान करें कि इस तरह के जुलूसों पर, इस तरह की कार्यवाहियों पर रोक लगाई जाएगी, प्रतिबन्ध लगाया जाएगा और किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी, चाहे वह किसी भी सम्प्रदाय का पुनरुत्थानवादी क्यों न हो कि वह इस तरह की आग लगाए या लोगों को भड़काये । सरकार को आज ही इस बारे में स्पष्ट ऐलान करना पड़ेगा ताकि ऐसी कार्यवाहियों पर रोक लग सके तुरन्त ।

श्री वसंत साठे (वर्धा) : बी. जे. पी. वालों की—**— करने से हट जाओ, सुभाषिनी जी, तब मामला बनेगा । (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती सुभाषिनी अली : हमें किसी की—**— नहीं करनी है । आप हमें—**— बता रहे हो, अपनी तरफ देखो, विपक्ष के नेता के सामने घण्टों—**— करते हो और मुझे—**— कहते हो । क्या हमें तुमसे—** सीखनी पड़ेगी । —**— के तो आप सरताज हो, एक्सपर्ट हो । हमें नहीं सीखना आपसे—** — । (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मैं आज बहुत स्पष्ट कह रहा हूं । आप यह मत समझिये कि हम कहकर चुपचाप बैठ जाते हैं । मैं यहां एक महीने से कहता आ रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये । क्या हुआ ।

श्री मदन लाल खुराना : आप मुझे यह बताइये कि जो होम मिनिस्टर साहब ने कहा था, वह पूरा क्यों नहीं हो रहा है । ऐसे आश्वासन का क्या फायदा ?

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर नोटिस दे दीजिए ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : फैजाबाद में भाजपा ने कांग्रेस (ई) के पक्ष में अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया था । (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : हमने पहले ही नोटिस दिया हुआ है, लेकिन कुछ नहीं हुआ । अब आप बताइये हम क्या करें ।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए ।

श्री मदन लाल खुराना : इसके बाद हाउस 4-5 दिनों के लिए खत्म हो जाएगी, 4-5 दिनों की हाउस की छुट्टियां हो जायेंगी । हमें आज ही जवाब चाहिए ।

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : देखिये, शायद मन्त्री जी खड़े हो रहे हैं, मिनिस्टर आफ स्टेट।

श्री मदन लाल खुराना : पिछले फाइडे को यही बयान दिया गया था, मैं उसी के बारे इनसे जानना चाहता हूं।

श्री मित्रसेन यादव : अध्यक्ष जी, मन्त्री जी से पहले, आप हम दो लोगों की बातें भी सुन लें और फिर मन्त्री जी से कहें तो अच्छा रहेगा। सभी का स्पष्टीकरण आ जाएगा।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु : क्या किसी सदस्य को हर बार आपको अनुमति के बिना बोलने का विशेष अधिकार प्राप्त है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इसलिए कि यहां सवाल उठाया गया है और मन्त्री जी उसे रैस्पौंस कराना चाहते हैं इसलिए मैंने उन्हें बुलाया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान त्रिपुरा व अन्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में आश्रय पाए हुए लगभग 70 हजार चकमा शरणार्थियों के दुःख की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वे उस सदन के बहुत से सदस्यों के साथ प्रधानमन्त्री जी से मिले और उन्हें एक ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन में उन्होंने उन्हें हो रही कठिनाइयों का वर्णन किया है। उनकी कुछ शिकायतें हैं :—अपर्याप्त राशन आपूर्ति; उनके बच्चों की शिक्षा के लिए अपर्याप्त प्रबन्ध और अपर्याप्त सफाई एवम् स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य मामले। यह उनकी शिकायतों का एक भाग है। राजनीतिक रूप से उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि भारत सरकार और बंगला देश सरकार द्वारा अनुकूल वातावरण तैयार करवाया जाए तो वे बंगला देश जाना चाहते हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि यथा सम्भव उन्हें शीघ्र बगला देश भेजने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए भारत सरकार बगलादेश सरकार से बातचीत जारी रखें। इस दौरान भारत सरकार उन्हें राहत और अन्य सुविधाएं बेहतर रूप में उपलब्ध कराए ताकि उन्हें इस देश में अमाननीय स्थिति में जीवन व्यतीत करने पर बाध्य न होना पड़े। क्यों हमने ही उन्हें यहां आश्रय दिया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री चिदम्बरम, मुझे आपकी सूचना प्राप्त हुई है। परन्तु आपने इसे 10,50 म० पू० पर प्रस्तुत किया है। अतः मैंने इसे देखना नहीं है। मैं आपको इसे यहां उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री पी० चिदम्बरम : प्रधानमन्त्री जी ने इतनी महत्वपूर्ण घोषणा सदन के बाहर की है····

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे देखा नहीं है। मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता।

श्री पी० चिदम्बरम : प्रधानमन्त्री और सरकार नए अर्ध-सैनिक संगठन बनाने के बारे में इस प्रकार की एक महत्वपूर्ण घोषणा संसद के बाहर कैसे कर सकते हैं? यह विशेषाधिकार का भारी उल्लंघन है····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जनार्दन, कपास के मूल्यों के बारे में आपका ध्यानाकर्षण नोटिस मेरे पास विचाराधीन है। मैं इसे देखूंगा कि क्या मैं इसके लिए अनुमति दे सकता हूं। अन्य विषयों के बारे में मैं उन्हें अब यहां उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैं पहले ही आपको अवसर दे चुका हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, मेरा बताईए। मैंने पिछले फ्राईडे को लिखकर दिया है। यह होम मिनिस्टर का बयान मैं पढ़ूं····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : खुराना जी आपने जो नोटिस दिया है, उस पर मैं अपना फैसला दूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री मित्रसेन कहते हैं कि उन्होंने आपको काफी पहले एक नोटिस दिया। लेकिन आप उन्हें अनुमति नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कौनसा नोटिस।

श्री मित्रसेन यादव : ध्यानाकर्षण।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जैसा कि आप जानते हैं वह उस क्षेत्र से चुने गए हैं जहां दूसरे शिलान्यास के बारे में 7 मई को गड़बड़ी होने की आशंका है। उन्होंने उसके बारे में आपको नोटिस दिया और अब आप उसे उसके बारे में किसी प्रकार का उल्लेख करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं मालूम कि क्या उन्होंने नोटिस समय पर दिया है। उन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया है। वह मेरे विचाराधीन है। वे इसे 12.00 मध्याह्न और 1.00 म० प० के दौरान नहीं उठा सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपने इस पर एक घन्टा लगा दिया है। आपने बहुत से सदस्यों को बोलने की अनुमति दी है। यह सब तो ठीक है। लेकिन आप उनको इसमें शामिल क्यों नहीं करते? वह वहां से चुने गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : : मैंने उन्हें अलग नहीं किया। बल्कि उन्होंने नोटिस नहीं दिया है।

12.53 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

उर्वरक (नियन्त्रण) (दूसरा संशोधन) आदेश, 1990, जम्मू और कश्मीर बागवानी उत्पाद विपणन तथा प्रसंस्करण निगम लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 1981-82, 1982 82 और 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षाएं आदि।

[हिन्दी]

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से श्री देवी लाल जी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत उर्वरक (नियन्त्रण) (दूसरा संशोध) आदेश, 1990, जो 29 मार्च, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 271 (अ) में प्रकाशित हुआ था की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 729/90]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)।

(क) (एक) जम्मू और कश्मीर बागवानी उत्पाद विपणन तथा प्रसंस्करण निगम लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जम्मू और कश्मीर बागवानी उत्पाद विपणन तथा प्रसंस्करण निगम लिमिटेड, श्रीनगर का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक—महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) जम्मू और कश्मीर बागवानी उत्पाद विपणन तथा प्रसंस्करण निगम लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जम्मू और कश्मीर बागवानी उत्पाद विपणन तथा प्रसंस्करण निगम लिमिटेड, श्रीनगर का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक—महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) जम्मू और कश्मीर बागवानी उत्पाद विपणन तथा प्रसंस्करण निगम लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जम्मू और कश्मीर बागवानी उत्पाद विपणन तथा प्रसंस्करण निगम लिमिटेड, श्रीनगर का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 730/90]

(4) (एक) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन (खण्ड 1 तथा 2) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-प्रतिवेदन।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 731/90]

वित्त अधिनियम, 1979; आयकर अधिनियम, 1961; दिल्ली विक्रयकर अधिनियम, 1975; सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 आदि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

[अनुवाद]

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : मैं अपने वरिष्ठ साथी, प्रो. मधु दण्डवते की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) वित्त अधिनियम, 1979 की धारा 41 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 102 (अ), जो 1 मार्च, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 15 से 16 मार्च, 1990 तक की भारत की यात्रा पर आये मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री मौमून अब्दुल गयूम तथा शिष्टमंडल के अन्य सदस्यों को विदेश यात्रा-कर की अदायगी से छूट देने के बारे में तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 103 (अ), जो 1 मार्च, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 3 से 4 मार्च, 1990 तक की भारत की यात्रा पर आये केन्या गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री डेनियल टी० अरप मोये तथा शिष्टमंडल के अन्य सदस्यों को विदेश यात्रा-कर की अदायगी से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० का० नि० 133 (अ), जो 12 मार्च, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 15 से 17 मार्च, 1990 तक की भारत की यात्रा पर आये कोरिया गणराज्य के विदेश मन्त्री महामहिम श्री चोइ हो-जूंग तथा शिष्टमंडल के अन्य सदस्यों को विदेश यात्रा-कर की अदायगी से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० का० नि० 134 (अ), जो 12 मार्च, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 20 से 24 मार्च, 1990 तक की भारत की यात्रा पर आये चीन के विदेश मन्त्री महामहिम श्री क्वीआन क्वीचेन तथा शिष्टमंडल के अन्य सदस्यों को विदेश यात्रा-कर की अदायगी से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा० का० नि० 135 (अ), जो 12 मार्च, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 9 मार्च से 16 मार्च, 1990 तक की भारत की यात्रा पर आये त्रिनिदाद और टोबेगों के उप-प्रधान मन्त्री तथा योजना और सैन्य संचालन मन्त्री माननीय श्री विंस्टन डुकरन तथा शिष्टमंडल के एक अन्य सदस्य को विदेश यात्रा-कर की अदायगी से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा० का० नि० 138 (अ), जो 15 मार्च, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1990 की अधिसूचना संख्या 7/एफटीटी/90 में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 732/90]

(2) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) आय-कर (पहला संशोधन) नियम, 1990, जो 11 जनवरी, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 37 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) आय-कर (कार्यवाही प्रमाण-पत्र) (दूसरा संशोधन) नियम, 1990, जो 6 फरवरी 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 121 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) आय-कर (तीसरा संशोधन) नियम, 1990, जो 19 फरवरी 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 149 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) आय-कर (पांचवां संशोधन) नियम, 1990, जो 21 फरवरी, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 164 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) आय-कर (चौथा संशोधन) नियम, 1990, जो 8 मार्च 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 203 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) आय-कर (छठा संशोधन) नियम, 1990, जो 15 मार्च, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 226 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) आय-कर (सातवां संशोधन) नियम, 1990, जो 16 मार्च, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 141 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 733/90]

(3) दिल्ली विक्रयकर अधिनियम, 1975 की धारा 72 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) दिल्ली विक्रयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 1989, जो 30 अक्तूबर, 1989 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ 4 (23)/89-फिन० (जी०) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दिल्ली विक्रयकर (दूसरा संशोधन), नियम, 1989, जो 1 नवम्बर, 1989 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ 4 (25)/89-फिन० (जी०) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 734/90]

(4) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का० आ० 240 (अ) जो 20 मार्च, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो जापानी येन को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को जापानी येन में परिवर्तित करने की पुनरीक्षित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 735/90]

(5) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक, अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (सातवां संशोधन) नियम, 1989, जो 16 अगस्त, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 761 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 1989, जो 3 नवम्बर 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 964 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सा०का०नि० 100 (अ), जो 1 मार्च 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यह व्यवस्था करना है कि संगत समय पर प्रचलित सामान्य प्रथा के अनुसार बाइंडर सहित मेगनेटिक फेराइट पर उत्पाद-शुल्क 28 फरवरी, 1986 से 28 फरवरी, 1989 तक की अवधि के दौरान संदाय किया जाना अपेक्षित नहीं होगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा०का०नि० 129 (अ), तथा सा०का०नि० 130 (अ), जो 9 मार्च 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यह व्यवस्था करना है कि संगत समय पर प्रचलित सामान्य प्रथा के अनुसार उच्च घनत्व पोलिएथिलीन स्ट्रिप और वैसी ही चीजों जिनका 1 मार्च, 1986 से 23 फरवरी, 1987 तक की अवधि के दौरान उच्च घनत्व पोलिएथिलीन की बोरियों के मिलने में और 1 मार्च, 1987 से 16 मार्च, 1987 तक की अवधि के दौरान उच्च घनत्व पोलिएथिलीन के फैब्रिकों की बुनाई में इस्तेमाल किया गया था, पर उच्च दर पर उत्पाद-शुल्क अदा किया जाना अपेक्षित नहीं होगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रख गयी। देखिए संख्या एल० टी० 736/90]

(6) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 28 के परन्तुक के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक (नोटों की वापसी) (संशोधन) नियम, 1989, जो 23 दिसम्बर, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं । देखिये संख्या एल० टी० 737/90]

राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम 1982
और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम: 1949

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी, श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं–

(1) राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत महाराष्ट्र के राज्यपाल से संबंधित वर्ष 1987-88 के लिए आतिथ्य व्यय तथा कार्यालय व्यय की धनराशि में वृद्धि करने के बारे में राष्ट्रपति द्वारा 22 मार्च 1990 को जारी किए गए विशेष आदेश की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं । देखिये संख्या एल० टी० 738/90]

(2) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारत तिब्बत सीमा पुलिस मोटर मैकेनिक (राजपत्रित) काडर भर्ती नियम, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 403 (अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 739/90]

वाणिज्य मन्त्रालय की वर्ष 1990-91 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

वाणिज्य और पर्यटन मन्त्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : मैं वाणिज्य मन्त्रालय की वर्ष 1990-91 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 740/90]

नागर विमानन मन्त्रालय की वर्ष 1990-91 की अनुदानों
की विस्तृत मांगें

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : मैं नागर विमानन मन्त्रालय की वर्ष 1990-91 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 740/90]

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : अपने सहयोगी श्री के० पी० उन्निकृष्णन की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण :—

(एक) हुगली डाक तथा पत्तन इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हुगली डाक तथा पत्तन इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) (एक) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने तथा (दो) हुगली डाक तथा पत्तन इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 742/90]

डाक तथा दूर-संचार विभाग की वर्ष 1990-91 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

[हिन्दी]

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) डाक विभाग की वर्ष 1990-91 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 743/90]

(2) दूर संचार विभाग की वर्ष 1990-91 की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 744/90]

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : आप सरकार से यह वक्तव्य देने के लिए अनुरोध क्यों नहीं करते कि उनका क्या प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय : आप अनुरोध कर रहे हैं। वे भी यहां हैं। मैंने आपत्ति नहीं की है....

(व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : महोदय मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। वह सरकार से पूछ रहे हैं.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रंगाजी, सरकार को उत्तर देने दीजिए। मैं सरकार को इन्द्रजीत बाबू की बात का जवाब देने से नहीं रोक रहा हूं....

(व्यवधान)

प्रो० जे० पी० कुरियन (मवेलीकारा) : अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा चुने गए सात सदस्यों को मामले उठाने की अनुमति दी जाएगी और उन सात सदस्यों की घोषणा की जा चुकी है। आज भी इससे पहले...(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : परन्तु आपने इसे स्वीकार नहीं किया।

प्रो० जे०पी० कुरियान : हमने इसे स्वीकार नहीं किया। आज, इन सात सदस्यों का नाम बुलाये जाने से पहले ही बिना नोटिस दिये श्री खुराना को आपने दो बार बोलने की अनुमति दी है....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

प्रो० पी.जे. कुरियन : परन्तु, महोदय, आपने हमारे किसी भी सदस्य को मामला नहीं उठाने दिया, जबकि विपक्ष में होने के नाते हमें भी बोलने का अधिकार है....(व्यवधान)। आप प्रत्येक परम्परा को तोड़ रहे है। विपक्ष के नाते हमें बोलने का अधिकार है। आप इस अधिकार से हमें वंचित नहीं कर सकते...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ...

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : अध्यक्ष महोदय, यह इस सदन की परम्परा रही है। मैं इसे पुनः दोहरा रहा हूं कि 'शून्य काल' में विपक्ष अपनी बात करेगा। आज आपने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दी (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या श्री दिनेश सिंह कांग्रेस दल के नहीं है ? क्या श्री फैलीरो आपके दल के नहीं हैं ?

प्रो० पी० जे० कुरियन : हमारे पक्ष की ओर से केवल एक सदस्य को बोलने की अनुमति दी गई है। यह उचित नहीं है...(व्यवधान)। हमारे पक्ष से आपने केवल एक ही सदस्य को बोलने की अनुमति दी है। यह ठीक नहीं है। मुझे यह कहते हुए बहुत खेद है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्ष के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। मैंने, सबसे पहले, बारह बजे, प्रश्न काल समाप्त होने के बाद, श्री दिनेश सिंह को बोलने की अनुमति दी, हालांकि उन्होंने सूचना

नहीं दी थी। इसके बाद श्री चिदम्बरम को भी बोलने की अनुमति दी गई जिन्होंने सूचना नहीं दी है....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हाँ, खुराना जी आपका कौनसा व्यवस्था का प्रश्न है ?....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे उनका व्यवस्था का प्रश्न सुनने दें।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : मेरा पाईन्ट आफ आर्डर है। इनको तो आपने चांस दे दिया। मैंने लास्ट मंडे को लिखकर दिया है लेकिन मुझे चांस नहीं दिया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है....

(व्यवधान)

प्रो. पी.जे. कुरियन : प्रति दिन हमारे सदस्य इसे उठाना चाहते हैं, लेकिन....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रतिदिन सभा दिल्ली में आग लगने की घटनाओं पर चर्चा कर रही है....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपने स्थान ग्रहण करेंगे ? यदि आप अपना स्थान ग्रहण करें, तो मैं विचार करूंगा...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : खुराना जी, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुमारमंगलम जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं आपको मौका दूंगा।

1.00 म०प०

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आप किस नियम के अधीन प्रश्न उठाने चाहते हैं ?

श्री तरित बरन तोपदार : महोदय, मैं वह नियम जानना चाहता हूं जिसके अन्तर्गत किसी सदस्य को इस सभा में अव्यवस्था फैलाने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद) : माननीय अध्यक्ष जी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज शिलान्यास के सवाल को लेकर जितनी गम्भीरता इस हाऊस में होनी चाहिए थी, उतनी वह नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप असली बात पर आयें।

श्री मित्रसेन यादव : मेरा निवेदन है कि अभी पीछे 9 नवम्बर को एक शिलान्यास विश्व हिन्दू परिषद ने किया है। अब 7 मई को वह फिर होने जा रहा है। इस दौरान जितने दंगे हुए, जितना खून खराबा हुआ और जितनी देश के अन्दर अशांति हुई, उसका इतिहास हमारी सरकार के सामने है। अब 7 मई को द्वारिका के शंकराचार्य श्री स्वरूपानन्द जी इसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। फैजाबाद में अयोध्या में अगर यह शिलान्यास करने की अनुमति दी गई और उस पर पाबंदी या रोक नहीं लगाई गई तो सारे प्रदेश के अन्दर आग लग जायेगी। फिर डंडे से साम्प्रदायिकता को आप दबा नहीं पायेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप बड़ी गम्भीरता के साथ अपने स्तर से सरकार को इस बात के लिये निर्देश दें और सरकार ऐसा निर्णय दे जिससे शांति से लोग अपने घरों में रह सकें व हमारे प्रदेश और जनपद के अन्दर कोई अशांति पैदा न हो सके। अगर सरकार ने 7 मई को शिलान्यास करने की अनुमति उन्हें दी तो देश में साम्प्रदायिकता की आग लगेगी और कोई उसे रोक नहीं पायेगा। इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य आप सरकार से दिलायें।

[अनुवाद]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : अध्यक्ष महोदय, पिछले सप्ताह या इसके आसपास, हमने देखा कि दिल्ली में ही 8000 से अधिक झुग्गियां जल गई हैं। हमारे पास ऐसी रिपोर्टें भी उपलब्ध हैं कि इन झुग्गियों का जलना दुर्घटना नहीं है, बल्कि वास्तव में यह एक तोड़-फोड़ की कार्यवाही है। उन लोगों का जोकि वास्तविक एस्टेट माफिया है, इन झुग्गियों के जलाने में हाथ है। हम चाहते हैं कि माननीय गृह मंत्री इस मामले की जांच करके इस सदन में एक वक्तव्य दें, क्योंकि इन दुर्घटनाओं में गरीब लोगों की जान-माल का नुकसान हुआ है।

[हिन्दी]

श्री जे०पी० अग्रवाल (चांदनी चौक) : अध्यक्ष महोदय, मैं कल भी बोलने के लिए खड़ा हुआ था लेकिन आपने बोलने नहीं दिया। आप मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी बात कहिए।

(व्यवधान)

श्री के० पी० अग्रवाल : कुमारमंगलम जी ने जैसा कि अभी कहा कि दिल्ली में झुग्गियों में लगातार कई दिनों से आग लग रही है। कल इस सिलसिले में दो आदमी गिरफ्तार हुए। उन्होंने यह माना है कि हम भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं। उन्होंने ही वहां आग लगायी।....
(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बोलने की इजाजत नहीं दी है, आप बैठ जायें।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा सेंटिमेंट का सवाल है। **(व्यवधान)**

1.02 म०प०

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं 6 अप्रैल, 1990 को सभा को सूचित करने के पश्चात चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा अनुमति प्राप्त दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1990 को सभा पटल पर रखता हूं।

2. महोदय, मैं 6 अप्रैल, 1990 को सभा में सूचित करने के पश्चात् संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा प्राप्त अनुमति निम्नलिखित दो विधेयकों की राज्यसभा के महासचिव द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित प्रतियां को भी सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) संविधान (64वां संशोधन) विधेयक, 1990

(2) दंड विधि संशोधन (संशोधनकारी) विधेयक, 1990

1.03 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आपने कुछ यहां पर यह बताया है कि जो पैसे उन लोगों को देने चाहिए, वे नहीं दिये गये हैं।

श्री मदनलाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : यह नहीं हुआ है। होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि दे दिये गये हैं, लेकिन दिये नहीं गये हैं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अगर बोलने से आपकी बात का समाधान होता है तो अलग बात है।
(व्यवधान)

श्री कालका दास (करौल बाग) : खुद दिल्ली में आग लगा कर बी० जे० पी० को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कालका दास जी, आप बैठ जायें।
(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि अगर कोई स्टेटमेंट इस हाऊस में दिया गया और वह स्टेटमेंट सत्यता को पकड़ कर नहीं है तो उस सम्बन्ध में आप क्या कर सकते हैं, यह रूल्स में बताया गया है। स्पीकर की ओर से इस कुर्सी में बैठने वाले किसी भी अधिकारी की ओर से गवर्नमेंट को क्या करना चाहिये, क्या नहीं करना चाहिए, यह नहीं बताया जाता है। आपको अधिकार है कि अगर किसी ने यहां पर कुछ कहा है और वह सही नहीं है तो उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए आप रूल के मुताबिक कर सकते हैं। उसको आप पकड़ लीजिए, यहां स्पीकर को अगर आप बार-बार कहेंगे कि आप गवर्नमेंट को बताएं, स्पीकर को बताने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार से न आपका काम हो सकता है, न आपकी जो इच्छा है उसकी पूर्ति होगी तो मेरी आपको राय है कि आप कानून देखिये, रूल देखिए और उसके मुताबिक कीजिए, आपका काम हो जाएगा।

श्री मदन लाल खुराना : उपाध्यक्ष महोदय, प्रिवलेज मोशन भी दिया जा चुका है, सोमवार को....(**व्यवधान**)....377 में भी इस विषय को उठाने के लिए दिया जा चुका है....(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसका निर्णय वह करेंगे। मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि इस बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : फिर मुझको निकाल दीजिए। मैं ठीक कह रहा हूं, होम मिनिस्टर ने यह कहा, दे दिया गया, मैंने उस दिन भी कहा कि नहीं दिया गया। फिर आया रिपीटिडली ...

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। मैं आपकी सुविधा के लिए बता देता हूं, खुराना जी, कि यह डायरेक्शन है....

[अनुवाद]

निर्देश 115 (1) में उल्लिखित हैं :

"किसी मंत्री अथवा किसी सदस्य द्वारा दिए गए वक्तव्य में कोई गलती अथवा अशुद्धि को प्रकट करने की इच्छा रखने वाला सदस्य इस मामले को सभा में उठाने से पहले इसके बारे में अध्यक्ष महोदय को लिखेगा जिसमें उसे गलती अथवा अशुद्धि का विवरण स्पष्ट करना होगा तथा इस मामले को सभा में उठाने के बारे में उनकी अनुमति प्राप्त करेगा।"

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : सुन लीजिए, शुक्रवार से लेकर आजतक पांच दिन हो गये। मैं स्पीकर से मिल लिया, होम मिनिस्टर से मिल लिया, लिखकर भी दे दिया...

श्री वसन्त साठे (वर्धा) : ऊपर भी देख लिया।

उपाध्यक्ष महोदय : खुराना जी, आपको जितना टाइम उस पर देना चाहिए था, उतना दे दिया। आपको ऐसा हेल्पलेस फील नहीं करना चाहिए। आपको अधिकार है, अगर आप उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो और बात है।

श्री मदनलाल खुराना : मैं स्पीकर से मिल लिया, उसको चिट्ठी लिख दी, होम मिनिस्टर से मिला। सबसे बात कर ली, कोई करने को तैयार नहीं है तो क्या करें, हम, हमको बता दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब क्या करें।

[अनुवाद]

सदस्य इतने असहाय नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अभी देखिये, मेरी पूरी बात तो सुनी ही नहीं, किसी ने। बीच में यह साहब भी कह रहे हैं। मैं इतना चाहता हूं, मेरी एक मिनट की बात है। मैं यह कहना चाहता हूं, यह कार्यवाही है।

[अनुवाद]

दिनांक 21 अप्रैल, 1990 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में यह समाचार प्रकाशित हुआ :

"श्री खुराना के विरोध के बावजूद, गृह मंत्री जी ने दावे के साथ कहा कि शरणार्थियों के प्रत्येक परिवार को 500 रुपए दिए गए।"

[हिन्दी]

फिर उन्होंने कहा है, ही रिपीटेड, कि दिल्ली के अन्दर कोई भी ऐसा नहीं रहेगा कि जिसको 500 रुपये नहीं दे दिया गया है, यह लास्ट 20 तारीख की बात है। आज 26 तारीख हो गई है, मैंने उस दिन भी कहा था, बीच में खड़े होकर, मुझे मालूम था, मैं नहीं कहना चाहता था, उसके बाद भी मैं जानता था कि होम मिनिस्टर ठीक नहीं कह रहे हैं, उसके बाद भी मैंने प्रोटैस्ट किया। उसके बाद जब मैंने दिल्ली प्रशासन से कान्फर्म किया तो उन्होने कहा कि हमने एक पैसा भी नहीं बांटा। उसके बाद मैं होम मिनिस्टर से मिला, मैं स्पीकर से मिला, लिखकर दिया। सोमवार को मैंने लिखकर दिया है, आज 4 दिन हो गये हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम जायें कहां ?

उपाध्यक्ष महोदय : खुराना जी, अब आपने बहुत टाइम ले लिया। अब इससे ज्यादा मैं आपको टाइम नहीं दूंगा। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आपको इस पर कोई आपत्ति है।

श्री मदन लाल खुराना : शुरू से ही आपत्ति है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले सुन लीजिए। आपको अगर कोई आपत्ति है तो उसका सोल्यूशन, उसका उत्तर आपको मिल सकता है। आप कानून से, रूल से जो करना चाहें, कर सकते

हैं। अगर प्रिवलेस मोशन आपने दिया है तो उस सम्बन्ध में आप स्पीकर साहब से बात कर सकते हैं मगर यह बात अगर बार-बार इस प्रकार से आप यहां उठाएंगे तो उसका कोई हल नहीं निकलेगा। अब आप प्रिवलेस मोशन देते हैं तो मिनिस्टर साहब का कहना क्या है, उसके ऊपर, मंगाया जाता है और वह सुनने के बाद उसका लिखित कहना लेने के बाद आपके प्रिवलेज मोशन को कन्सेण्ट देनी है या नहीं देनी है, इस पर विचार करके रूलिंग दी जाती है। इस सम्बन्ध में आप कृपया स्पीकर साहब से मिलिएगा। आप इस संबंध में मिलेंगे।....

श्री मदन लाल खुराना : मैं सबसे मिल चुका। अब हाऊस की चार दिन छुट्टी है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जो कुछ कहा उसे संसद की कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : डिप्टी स्पीकर, साहब, जिस बड़े पैमाने पर दिल्ली में झुग्गियों में आग लग रही है, रोजाना, कोई दिन खाली नहीं जा रहा। अभी जहांगीरपुरी में लगी, सीलमपुर में लगी, दौलत डेयरी में दोबारा लगी। हमको यकीन है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, पोलिटिकल साजिश है। झुग्गी वालों को दिल्ली से भगाने के लिए या झुग्गी वालों को डराने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है, इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए। मदद भी कोई नहीं हो रही, दिखावे की मदद, थोड़ी बहुत टोकन होती है। मदन लाल जी बोल रहे हैं, मेरे भाई हैं, मैं इनका आदर करता हूं। यह रेडक्रास की रोटी और दूध को अपने कैम्प में बंटवाते हैं.... (व्यवधान)....अपने बी०जे०पी० के नाम से बंटवाते हैं...(व्यवधान) जो काम किया है, कांग्रेस ने किया है। इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए। यह कांस्पिरेसी क्यों हो रही है और कौन कर रहा है तथा किस मोटिवेशन से कर रहा है।....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है।

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, अखबारों में छप चुका है कि यह आग दिल्ली प्रशासन द्वारा झुग्गी-झोंपड़ी को भगाने के एक लिए जबरदस्त ..(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। अग्रवाल जी आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : किसी का यह कहना रामजन्म-भूमि के पीछे एक पार्टी है और किसी का यह कहना है कि झुग्गी को जलाने के पीछे दूसरी पार्टी है। दोनों चीजें एक साथ हैं। दोनों चीजें यहां

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

पर कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, यह अलग बात है। मगर इस समय मैं यहां इस चेयर से कहना चाहूंगा कि दिल्ली के अन्दर पांच-छः दिन और एक साथ झुग्गी झोंपड़ी जल रही हैं, तो यह एक सीरियस बात है। मैं इस चेयर से सरकार को यह बताना चाहूंगा कि :

[अनुवाद]

कृपया इसकी जांच कीजिए। इस मामले को गम्भीरता से लीजिए और इस पर उचित कार्यवाही कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कालका दास : उपाध्यक्ष महोदय, उस दिन भी मैंने कहा था। मैंने परसों सदन का ध्यान दिलाया था कि यह जो आग लग रही है इस घटना की जांच करवाई जाए। मैंने कहा था और मैंने यहां पर एक नाम भी लिया था, संदेह भी व्यक्त किया था....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप ऐसे नाम मत लीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती उमा गजपति राजू (विशाखापट्नम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान 'नई दुनिया' के सम्पादक को मिली धमकियों, गुमनाम टेलीफोनों और पत्रों की ओर दिलाना चाहती हूं। अब मैं कहना चाहती हूं कि भारतीय लोकतन्त्र में यह प्रेस की स्वतन्त्रता का पूर्ण उल्लंघन है। इस संबंध में एक एफ० आई० आर० दर्ज कराई गई है। मेरा गृह मंत्री जी से अनुरोध है, जो सभा में सदैव चुप रहते हैं या सभा में उपस्थित ही नहीं रहते, कि वे इस मामले की जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि प्रेस स्वतन्त्रतापूर्वक काम कर सके तथा 'क' अथवा 'ख', किसी भी पार्टी के बारे में अपने स्वतन्त्र विचार व्यक्त कर सके। उन्हें प्रेस को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए।

1.12 म.प.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

वर्जीनिया फ्ल्यू क्योर्ड तम्बाकू के मूल्यों में गिरावट, जिसके परिणामस्वरूप तम्बाकू उत्पादकों को हो रही कठिनाई तथा उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

डा० विप्लव दास गुप्त (कलकत्ता दक्षिण) : मैं वाणिज्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में एक वक्तव्य दें :—

"वर्जिनिया फ्ल्यू क्योर्ड तम्बाकू के मूल्यों में गिरावट, जिसके परिणामस्वरूप तम्बाकू उत्पादकों को हो रही कठिनाई तथा उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : महोदय, वर्जीनिया फ्ल्यू क्योर्ड (वी० एफ० सी०) तम्बाकू की उपज अधिकांशतया आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में होती है। तम्बाकू उपज-कर्ताओं के लिए उचित कीमतें सुनिश्चित करने हेतु, तम्बाकू बोर्ड विभिन्न केन्द्रों पर खुले नीलाम आयोजित करता है। वर्ष 1989-90 की फसल हेतु आंध्र प्रदेश में दिनांक 21-2-1990 को नीलाम शुरू किए गए। दिनांक 20-4-1990 तक 15.11 रु० प्रति किग्रा० की औसत कीमत पर 47.53 मि० किग्रा० मात्रा की नीलामी की गयी जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान औसत कीमत 19.46 रु० प्रति किग्रा० थी। पिछले वर्ष शुरू में नीलामी कीमतें अधिक रहीं, किन्तु बाद में उनमें काफी गिरावट आ गई। पूरे सीजन भर औसत कीमत 16.59 रु० प्रति किग्रा० रही।

सरकार द्वारा वी० एफ० सी० तम्बाकू के लिए जो न्यूनतम समर्थन कीमत (एम. एस. पी.) निर्धारित की जाती है, वह कृषि लागत एवं कीमत आयोग (सी.ए.सी.पी.) की सिफारिशों पर आधारित होती है। इसमें एम.एस.पी. को ध्यान में रखा जाता है। एम.एस.पी. का निर्धारण प्रति वर्ष दो प्रमुख ग्रेडों के लिए किया जाता है। यह ग्रेड हैं—एफ-2 ग्रेड जिसे काली मिट्टियों में उगाया जाता है और एल 2 ग्रेड जिसे उत्तरी हल्की मिट्टियों में उगाया जाता है। दूसरे ग्रेडों के लिए एम.एस.पी. का निर्धारण तम्बाकू बोर्ड द्वारा किया है। इस निर्धारण के समय दो प्रमुख ग्रेडों के लिए निर्धारित एम.एस.पी. और विभिन्न ग्रेडों में सामान्य कीमत अन्तर को ध्यान में रखा जाता है।

तम्बाकू बोर्ड के अनुसार इस वर्ष नीलामी में प्राप्त तम्बाकू की कीमतें पिछले वर्ष की तुलना में कम हैं, लेकिन वे कीमतें एम.एस.पी. स्तरों से काफी ऊंची हैं। इसके अलावा जबकि सोवियत संघ ने भारतीय आपूर्ति कर्ताओं को दिये गये अपने आर्डर पक्के कर दिये, तबसे कीमतों में कुछ वृद्धि हुई है। वाणिज्य मंत्रालय किसानों को बेहतर कीमत प्राप्त कराने हेतु व्यापारियों एवं उत्पादन-कर्ताओं के साथ एक बैठक कर रहा है।

सरकार इस बात के लिये प्रतिबद्ध है कि किसानों को उनके उत्पादन के लिए बेहतर कीमत मिले किन्तु यह स्पष्ट उल्लेख किया जा रहा है कि तम्बाकू विरोधी अभियान के कारण पूरे विश्व में तम्बाकू विपणन को नियंत्रित करने के लिए एक दीर्घावधि कार्यनीति बनाने पर विचार कर रही है जिससे तम्बाकू का उत्पादन मांग की तुलना में बहुत ज्यादा नहीं हो तथा किसानों को अपने तम्बाकू के लिए लाभकारी कीमत प्राप्त हो सके।

डा० विप्लव दास गुप्त : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले जब मैंने ध्यानाकर्षण का नोटिस दिया था, उस समय स्थिति थोड़ी भिन्न थी। उस समय मुझे किसानों ने बताया कि आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में तम्बाकू का बाजार मूल्य वास्तव में सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम है। उन्होंने बताया कि किसान बाजार में अपना उत्पादन बेच नहीं रहे हैं। बाजार में कुल उत्पादन का केवल एक तिहाई भाग ही बिक पाया है। किसानों ने इतने कम मूल्य पर तम्बाकू के

बिकने का विरोध किया। मैंने यह भी सुना कि राज्य व्यापार निगम ने भी किसानों की रक्षा के लिए इस मामले में उपेक्षित हस्तक्षेप नहीं किया।

स्थिति अब मुझे थोड़ी भिन्न लगती है। अब तक किसानों के प्रतिरोध को पूरी तरह तोड़ दिया गया है। किसानों को मजबूरन अपना उत्पादन न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम मूल्य पर बेचना पड़ रहा है। मंत्री महोदय ने कहा कि बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक है। लेकिन वहां अलग-अलग मूल्य है। जिस मूल्य की वे बात कर रहे हैं वह शायद वो मूल्य है जिस पर तम्बाकू बोर्ड नीलामी के जरिये तम्बाकू की खरीद कर रहा है। लेकिन जिस मूल्य पर किसान अपना उत्पादन गांव में एजेन्टों को बेच रहे हैं, वह मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी कम है। मैं भी समझता हूं कि अब न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ किसानों की बजाए एजेन्ट को जाएगा। यहां तक कि सरकार द्वारा दी जा रही निर्यात सम्बन्धी रियायत का लाभ भी तम्बाकू उत्पादकों अथवा किसानों की बजाय, जिसके लिये यह तय किया गया है, एजेन्टों को जा रहा है। यह एक बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है, क्योंकि विशेषकर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में भारी संख्या में लोग वास्तव में तम्बाकू का ही उत्पादन करते हैं।

मैं मंत्री महोदय की इस बात से सहमत हूं कि धूम्रपान निषेध अभियान के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तम्बाकू की मांग गिरती जा रही है। यह ठीक है। सोवियत संघ द्वारा खरीदे जाने वाली तम्बाकू की मात्रा भी कम हो गई है। यह भी ठीक है। इसके साथ-साथ यह कहना एक बात है कि किसानों को तम्बाकू छोड़कर दूसरी फसल उगानी चाहिए और यह दूसरी बात है कि उक्त तथ्य के लिए सामान्यतया एक नीति को आधार बनाना चाहिए। यह इसलिए है क्योंकि भारत विश्व में तम्बाकू उत्पादकों में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। किसानों ने किसी न किसी निम्न मूल्य स्तर के साथ कुछ ताल-मेल बैठा लिया है। उदाहरण के लिए यदि आप तम्बाकू उत्पादन अन्तर्गत आए क्षेत्र की, 1982-83 के तम्बाकू क्षेत्र से तुलना करें तो इस समय तम्बाकू का उत्पादन उक्त कुल उत्पादन क्षेत्र में से एक तिहाई कम क्षेत्र में होता है। तम्बाकू उत्पादन को छोड़कर अन्य फसल का उत्पादन अपनाने की भी एक सीमा है, क्योंकि जब आप तम्बाकू छोड़कर कोई अन्य फसल उगाओगे तो वह फसल पूरी तरह लाभकारी नहीं, तो तम्बाकू उत्पादन के बराबर लाभकारी तो होनी ही चाहिए। उक्त क्षेत्रों में कृषि-जलवायु की स्थिति को देखते हुए किसी ऐसी फसल की खेती आरम्भ करना आसान नहीं है, जो एक अच्छा विकल्प सिद्ध हो सकती हो और तम्बाकू का स्थान ले सकती हो किसानों को इस मामले में आसानी से राजी नहीं किया जा सकता।

अतः, इस सम्बन्ध में मुझे दीर्घावधि समस्या के साथ-साथ विचार से सिर्फ यह कह देना कि मांग कम होती जा रही है, और किसानों को तम्बाकू के स्थान पर किसी अन्य फसल का उत्पादन आरम्भ कर देना चाहिए, इस समस्या के समाधान का कोई सरल उपाय नहीं है।

मैं सभा को यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि पटसन के मामले में, उदाहरण के लिए, गत कई वर्षों से हम से कहा गया है कि पटसन का कोई भविष्य नहीं है। लेकिन इस वर्ष पटसन की इतनी मांग है कि सरकार को बंगलादेश से कच्चे पटसन का आयात करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है और इसके मूल्य में वृद्धि हो गई है। अतः, विश्व बाजार में मूल्य घटता-बढ़ता रहता है। कल स्थिति बदल सकती है। और भी कई बातों से स्थिति बदल सकती है। मैं केवल इसी को

अपनी नीति का आधार नहीं बनाऊंगा। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जब कोई व्यक्ति तम्बाकू जैसी फसल उगाने का काम करता हो, तो उसकी स्थिति उस व्यक्ति से भिन्न होगी जो खाद्यान्न फसल उगाता है। खाद्यान्न फसल के मामले में, उत्पादक को ऊंचा मूल्य प्रदान करने का संभवतः यह तात्पर्य होता है कि निर्धन उपभोक्ताओं को कुछ हद तक कष्ट झेलना पड़ता है। अतः, व्यक्ति को खाद्यान्न के मूल्य के बारे में सतर्क होना ही चाहिए। जब हम वाणिज्यिक फसलों के मूल्यों की बात करते हैं, तो हमारे यहां पूरे देश में जगह-जगह छोटे किसानों का बाहुल्य है और वे कुछेक ऐसे अत्यधिक सशक्त निगमित हितों का सामना कर रहे हैं जो सौदेबाजी की भारी क्षमता रखते हैं। छोटी संख्या में ये व्यापारी व्यवसायी और कम्पनियां जो बाजार पर नियंत्रण भी रखते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं और मूल्यों को कारगर रूप से प्रभावित करते हैं। छोटे किसान की जब तक सरकार द्वारा पूरी तरह सहायता नहीं की जाती, तब तक बाजार में निगमित हितों के चगुल में जाने के सिवाय उसके पास कोई विकल्प नहीं है। जब आप वाणिज्यिक फसल की बात करते हैं, तो यह अन्तर आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जहां अल्प विक्रेताधिकार रखने वाले कुछ गिने चुने लोग मिली-भगत से कार्य करते हों, वहां पूर्णतः यह नई स्थिति होगी, जहां वे मूल्यों पर प्रभाव डाल सकते हैं और वे कामगारों तथा उत्पादकों, दोनो को एक साथ ठग सकते हैं तथा पहले से विद्यमान उच्चस्तर के कौशल को ध्यान रखा जाना चाहिए। मैं देखता हूं कि पिछली सरकार वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान तथा के समय में भी सरकारी नीति यह रही है कि उत्पादकों के हितों की देखभाल करने के बजाए निगमित हितों को ध्यान में रखा जाता है। उदाहरण के लिए, नई कपड़ा नीति घोषित की गई, पटसन उद्योगों के आधुनिकीरण के लिए अन्य बहुत से कार्य किए गए हैं। तम्बाकू के मामले में भी, तम्बाकू निर्माताओं की समस्याओं के प्रति और अधिक ध्यान दिया जाता है। लेकिन उत्पादकों के लिए क्या किया गया है? दरअसल, जब मैंने यह मुद्दा उठाया था, तो इसे श्री देवीलाल जी को सम्बोधित किया था। मैंने सोचा था कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उपयुक्त मंत्री श्री देवी लाल जी ही हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि उत्पादक को कितना मूल्य मिल रहा है। मुझे इस बात से कोई अप्रसन्नता नहीं है कि वाणिज्य मंत्री अब ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर दे रहे हैं किन्तु इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उपयुक्त मंत्री श्री देवीलाल को होना चाहिए, न कि श्री अरूण नेहरू को। यहां हम बहुत बड़ी संख्या में उन किसानों के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही गरीब हैं, जिनकी सौदेबाजी करने की क्षमता बहुत ही कम है और जो निगमित हितों की बहुत ही लम्बी शृंखला का सामना करने के लिए पूरी तरह लाचार हैं और जिनके लिए सरकार का हस्तक्षेप बहुत ही आवश्यक है।

यह सच है कि आपने इस नोट में सी.ए.सी.पी. की भूमिका के बारे में उल्लेख किया है, जो कि मूल्यों का निर्धारण करता है। क्या वे सही तरीके से मूल्य निर्धारित करते हैं? यह प्रश्न न केवल तम्बाकू के सम्बन्ध में पूछा जाना है, बल्कि अन्य फसलों के सम्बन्ध में भी पूछना होगा। मुझे पता है वे किस प्रकार मूल्य निर्धारित करते हैं। मैं कई वर्ष तक आयोग के सम्पर्क में रहा हूं। स्वयं आयोग के सदस्य आपको विश्वास में लेकर बताएंगे कि यह कार्य बहुत ही मनमाने ढंग से किया जाता है। इसका कोई आधार नहीं है। देश के विभिन्न भागों से जो लागत अनुमान प्राप्त होते हैं उनके साथ इनका कोई तालमेल नहीं होता है। लागत अनुमान बहुत ही मनमाने ढंग से तैयार किए जाते हैं और अवैज्ञानिक होते है। वस्तुतः, कुछ वर्ष पहले आयोग ने, स्वयं एक रिपोर्ट दी थी

जिसमें उसने बताया कि लागत अनुमान के सम्बन्ध में उनके अपने ही आंकड़े बहुत ही संदिग्ध और अविश्वसनीय थे और यह कि लागत अनुमानों का सही तरीके से तैयार किया जाना सुनिश्चित करने के लिए एक समिति नियुक्त की जानी चाहिए। अतः, उनके द्वारा घोषित किए गए मूल्य बहुत ही अविश्वसनीय लागत अनुमानों के आधार पर निर्धारित किए गए होते हैं जिसमें लागत अनुमानों के वास्तविक आधार का पता नहीं लगता। मैं बहुत ही विशिष्ट बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। उदाहरण के लिए, किसान अब कृषि-कार्य में भारी पूंजी लगाता है अब वह पुराने ढंग का किसान नहीं है, जो निःशुल्क गोबर और वह वर्षा पर आश्रित हो। इस प्रकार के किसान अब तम्बाकू तथा अन्य वाणिज्यिक फसलों की खेती कर रहे हैं। किसान अनेक आदानों पर भारी पूंजी खर्च कर रहा है। उसे जो मूल्य प्राप्त होता है वह इन सभी आदानों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाना चाहिए। अन्यथा, उसकी खेती का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं, जैसा कि स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा है, कि मूल्य में परिश्रम की लागत भी शामिल की जानी चाहिए। जब मैं कहता हूं कि परिश्रम की इस लागत से क्या तात्पर्य है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए, तो इसका तात्पर्य उस मजदूरी से है जो उसने यदि किसी और व्यक्ति के यहां काम किया होता तो उसे मिलती। इस प्रकार का मूल्य घोषित करते समय न केवल सामान्य मजदूरी बल्कि सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी को ही ध्यान में रखा जाना चाहिए। तम्बाकू, जो कि श्रम प्रधान फसल है, के मामले में तो, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि श्रम तत्व पर वांछित जोर दिया जाए ताकि किसान को अन्त में जो मूल्य प्राप्त हो उसमें परिश्रम की लागत भी शामिल दिखाई दे।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा। चूंकि कृषि को भी लगभग एक उद्योग की भांति चलाया जा रहा है, इसमें लोग बैंकों और बाजार से ऋण लेकर लगा रहे हैं अतः कृषि से मिलने वाला लाभ किसी भी अन्य आर्थिक कार्य से प्राप्त लाभ के बराबर होना चाहिए। मूल्य का हिसाब लगाते समय कृषि से प्राप्त आनुपातिक लाभ को ध्यान में रखना चाहिए। किसान को उतना लाभ अवश्य मिलना चाहिए, जितना किसी को सामान्य रूप से किसी अन्य कार्य क्षेत्र में निवेश करने से प्राप्त होता है। यदि उन्हें यह लाभ नहीं मिलता है, तो किसान को बैंक का ऋण लौटाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

कुछ वर्षों में एक बार गंभीर सूखा पड़ने अथवा किसी प्राकृतिक आपदा उत्पन्न हो जाने से तम्बाकू अथवा कपास जैसी सभी फसलों का उत्पादन कम हो जाता है। अतः कतिपय वस्तुओं को जो मूल्य आप घोषित करते हैं उसमें इस सम्भावना को भी ध्यान में रखना चाहिए कि 3,4 या 5 वर्ष में किसानों को किसी भी गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अतः किसान को बचाने के लिए यह आवश्यक है कि फसल मूल्य में बीमा सम्मिलित हो, ताकि वह आपदा का सामना कर सके। यदि मूल्य बहुत कम होंगे तो वह ऐसा आपदाओं का सामना करने के लिए पर्याप्त बचत नहीं कर पायेगा।

जैसा मैंने कहा है कि कृषि-मूल्यों का औद्योगिक मूल्य के साथ समानता होनी चाहिए। व्यापारिक शर्तों को ध्यान में रखना होगा। यह तम्बाकू का केवल उतना मूल्य निश्चित करना जितना उसने आदानों पर व्यय किया है, का ही प्रश्न नहीं है, बल्कि यह इस बात से भी संबंधित है कि

तम्बाकू उत्पादक किसानों को अपने गांव के बाजार मेंविभिन्न औद्योगिक वस्तुओं को खरीदते समय क्या मूल्य चुकाना पड़ता है। अतः जब तक व्यापारिक शर्तों को ध्यान में नहीं रखा जाता, जब तक कृषि और उद्योग के बीच समानता नहीं लाई जाती, तब तक किसानों का इसमें भारी पूंजी निवेश करना बड़ा मुश्किल और जोखिमभरा दुस्साहस होगा। उन्हें कृषि से उचित लाभ नहीं मिल रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारी नुकसान होने के कारण कुछ उत्पादकों ने आत्महत्या कर ली। ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए।

मैं उन निकायों की भी बात करना चाहूंगा, जो ये फसलें खरीदती हैं। यह ठीक है कि सी. ए.सी.पी. मूल्य घोषित करती है या अन्य कोई संगठन मूल्य की घोषणा करता है। इस मूल्य पर किसानों से, किसी को फसल खरीदनी होती है। हमारा अनुभव क्या रहा है? ऐसा नहीं होता। बात यह है कि चाहे वह तम्बाकू बोर्ड हो या जे.सी.आई. अथवा कपास निगम, ये कभी भी समय पर बाजार में नहीं जाते। जब ये बाजार पहुंचते हैं तो किसानों के पास बेचने के लिए उत्पाद नहीं होते। यह पहले ही एजेंटों को बिक चुका होता है। तम्बाकू के सम्बन्ध में, एक दलील दी जाती है। दलील यह है कि आपको 'ड्राईंग बार्न' आदि की जरूरत है। अतः वे इसे एजेंटों को बेच देते हैं क्योंकि केवल उन्हीं के पास 'ड्राईंग बार्न' होते हैं अन्यों के पास ये उपलब्ध नहीं हैं। यदि ऐसी स्थिति है तो सरकार को अन्यत्र भी इन्हें उपलब्ध कराने के प्रयास करने चाहिये ताकि अन्य लोग भी सामूहिक आधार पर 'ड्राईंग बार्न' का प्रयोग कर सकें, जिससे किसानों पर ऐसे एजेंटों, बिचौलियों का नियंत्रण न रहे, जो अधिकांश लाभ हथिया लेते हैं और इस लाभ में किसानों को कुछ भी नहीं मिलता है, जबकि कभी-कभी बाजार में मूल्य भी ऊंचे चले जाते हैं। अतः ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर मैं अत्यधिक बल देना चाहता हूं।

इसके अतिरिक्त उपयुक्त समय का ध्यान रखा जाना चाहिए। जब कम्पनियां बाजार में आती हैं तो उनके पास पर्याप्त धन होना चाहिए। खरीद अभियान के दौरान बीच में ही उनका धन समाप्त नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पर्याप्त भण्डारण सुविधायें होनी चाहिये। बुनियादी ढांचा तैयार किया जाना चाहिए, ताकि कम्पनियों और बिचौलियों की तुलना में किसान के हितों को आघात न पहुंचे।

अन्त में, मैं ऋण माफ करने के बारे में कहना चाहूंगा। अपने हाल के बजट भाषण में भी, मैंने इसका उल्लेख किया था। मुद्दा यह है इन ऋण माफियों को कर्ज की राशि से जोड़ा जाना चाहिए। यह एक अन्य बात है। आप ऐसा एक बार कर सकते हैं। आप यह हर बार नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा हर बार करेंगे तो बैंकिंग व्यवस्था समाप्त हो जायेगी, सहकारी व्यवस्था समाप्त हो जायेगी। यदि आप कृषि विकास चाहते हैं, यदि आप ग्रामीण विकास चाहते हैं, तो आप केवल एक बार ऋण माफ कर सकते हैं। यदि आप ऋण माफ करते रहेंगे, तो कोई ग्रामीण विकास नहीं हो सकेगा। किसानों को उचित लाभकारी मूल्य दिलाना अधिक प्रभावी रहेगा और इससे उपभोक्ताओं पर असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं के सामने औद्योगिक हित होंगे। उन्हें महसूस नहीं होगा। लेकिन लाभकारी मूल्य से फसल उत्पादकों को काफी लाभ मिलेगा और इससे उत्पादकों का उत्साह बढ़ेगा और उन्हें इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में निवेश करने के लिए प्रेरित करेगा। अत इस कारण से मूल्य अधिक होना चाहिए, इतना लाभकारी हो कि खेती उन्हें अच्छी लगे।

किसानों को अधिक ऋण देने का उपबंध होना चाहिए। किसानों को बीमा सुविधा उपलब्ध कराने का उपबंध किया जाना चाहिए। अभी तक ये चीजें उन्हें पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं कराई गई है। जहां तक तम्बाकू उत्पादकों की बात है उनके बारे में स्थिति बहुत गंभीर है। आप जो चाहें करे, उससे उत्पादकों को लाभ नहीं मिलने वाला···(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री से इस मामले पर गौर करके तम्बाकू उत्पादक किसानों की सहायता करने हेतु एक नीति तैयार करने का अनुरोध करूंगा। उन्हें असहाय स्थिति में नहीं छोड़ा जाना चाहिए जैसे कि वे आजकल हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अच्छी बातें सामने रखी हैं। लेकिन यह सुनिश्चित करने हेतु कि ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को सभा में उचित समय मिले, मैं समूची सभा के लाभ हेतु इस अंश को पढ़ना चाहूंगा :

> ·····"ऐसे वक्तव्य पर, वक्तव्य देते समय कोई वाद-विवाद नहीं होगा, लेकिन प्रत्येक सदस्य जिसका नाम कार्यसूची में इस वास्ते दिया गया है, अध्यक्ष की अनुमति से स्पष्टीकरण सम्बन्धी प्रश्न पूछ सकता है और मंत्री जी अन्त में इन सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे········"

लेकिन यहां हम अधिक वाद-विवाद में पड़ते जा रहे हैं। हमें इसे सीमित रखना चाहिए।

डा. विप्लव दास गुप्ता : मैंने कोई बात दोहराई नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आपने अच्छी बातें पेश की हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है।

श्री के० एस० राव (मछलीपटनम) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े दुःख की बात है कि तम्बाकू उत्पादकों को शुरू से ही शोषण किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमान राव, जो मैंने दासगुप्ता जी से कहा था, वह आप पर भी लागू होता है। कृपया संक्षेप में ही अपनी बात कहें।

श्री के० एस० राव : मेरा भाषण समाप्त होने पर यह लागू होगा ···· (व्यवधान) अब मैं विषय पर आता हूं। महोदय, प्रारम्भ से ही व्यापारियों और निर्यातकों द्वारा शोषण किया जा रहा है। शुरू में यह इतना भयावह था कि व्यापारी और निर्यातक कभी भी समय पर पैसा नहीं देते थे और ऐसे भी मौके आये, जब उन्होंने करोड़ों रुपये का भुगतान कई वर्ष बाद किया। यद्यपि नीलामी व्यवस्था शुरू करने से इसमें कमी आई है। लेकिन अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। हर वर्ष, व्यापारियों की मिली भगत से इसने एक समस्या का रूप ले लिया। दो तरह से अनिवार्य रूप से शोषण किया जाता है। पहला तो यह है कि वे सांठ-गांठ करके कम मूल्य उद्धृत करते हैं क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त कोई विनिमय नहीं है, जो कि कोई मूल्य नहीं है। इसके लिए कोई तर्काधार नहीं है। मूल्य निर्धारित करने के मामले में कोई औचित्य नहीं है, दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूं कि व्यापारी रूस अथवा अमरीका या आयात करने वाले किसी अन्य देश से मौसम के अंत तक आदेश पाने की कोशिश करेंगे ताकि वे किसानों से सस्ती दरों पर तम्बाकू

खरीद सकें। तब वे अधिक ऊंची दरों पर क्रयादेश प्राप्त करेंगे, एक ओर जहां सरकार इसे बेचने के न्यूनतम निर्यात मूल्य को निर्धारित करने के लिए उद्यत है वहीं दूसरी ओर वह किसानों के लिए उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने में रुचि नहीं दिखा रही है, हम सबको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब बाजार में इसके मूल्य 19 या 23 रुपए है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य केवल 14 रुपये है। यदि माननीय मन्त्री महोदय इस आधार पर बचना चाहें कि बाजार में इसका मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक है, यह कोई कारण नहीं है, तो जहां तक इसका सम्बन्ध है हमें इसमें संतोष नहीं है, हमें तभी संतोष होगा जब उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए। मैं पिछले वर्ष तम्बाकू बोर्ड की सदस्यता के अनुभव बताना चाहता हूं। जब हमने देखा कि ये व्यापारी किसानों का अधिक शोषण कर रहे हैं, तो हमने एक बैठक बुलाई जिसमें घरेलू उत्पादों के साथ-साथ व्यापारियों और निर्यातकों से बातचीत की। जब हमने उनसे कहा कि वे हमें यह बात समझायें कि वे किसानों को अधिक मूल्य क्यों नहीं दे सकते, तो उनके पास इसका कोई उत्तर नहीं था। आखिर में हमने उनसे कहा कि उन्हें मिलने वाला न्यूनतम निर्यात मूल्य इतना था और इसके अलावा उन्हें न्यूनतम निर्यात मूल्य पर अधिक मूल्य मिलेगा, तो वे किसानों को कितना देंगे। उन्होंने कहा कि वे किसानों को 20.60 रुपये देंगे। माननीय मन्त्री महोदय उन्होंने इस बात को तम्बाकू बोर्ड के अध्यक्ष और वाणिज्य मन्त्रालय से सम्बद्ध कई अधिकारियों के समक्ष स्वीकार किया था।

लेकिन जब वे वापस गए तो उन्होंने ये आश्वासन तोड़ दिया। वे एक बार फिर से उसी प्रकार शोषण करने लगे। जब वे उस न्यूनतम गारंटी मूल्य को, जो न्यूनतम निर्यात मूल्य से कम था, मन्त्रालय के समक्ष देने को तैयार हो गए थे तो उनके व्यय आदि को देखते हुए इसे उचित पाया गया। लेकिन निर्यात करने के बाद उन्होंने अपना आश्वासन पूरा नहीं किया तथा इन अभागे किसानों का यह जानते हुए भी शोषण किया कि उन्हें रोकने के लिए नियम हैं; सरकार है। इससे पता चलता है कि वे सरकार को कितना आदर देते हैं उससे कितना भय खाते हैं। इन सब बातों के बावजूद, सरकार उन्हें नकदी के रूप में प्रतिपूर्ति समर्थन दे रही है। हम इसके विरुद्ध नहीं हैं। लेकिन आप नकद प्रतिपूर्ति समर्थन तभी देते हैं जब पूरा तम्बाकू बाजार में कम मूल्य पर बिक जाए। यह नकद प्रतिपूर्ति समर्थन किसे दिया जाना चाहिए ? क्या इसे किसान को दिया जाना चाहिए या व्यापारियो को, जो कि किसान का पहले ही शोषण कर चुका है ? सरकार को इस बात को देखना चाहिए कि उसके द्वारा किए जाने वाले नकद प्रतिपूर्ति समर्थन में कम से कम किसान की भी भागीदारी हो, अन्यथा, यदि किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है और वे तम्बाकू की खेती बन्द कर दें तो इस व्यापार का क्या होगा ? मैं सरकार के विचार से अवगत हूं। उसका सोचना यह है कि नकद प्रतिपूर्ति समर्थन से और व्यापारी इस क्षेत्र में आएंगे और उसे अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। यह सही है। लेकिन यह तभी समव है जब किसानों को इसका लाभकारी मूल्य दिया जाएगा। यह हम सबको पता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात को संसद में नहीं उठाना चाहिए क्योंकि इसका कोई औचित्य नहीं है। इसमें कोई औचित्य नहीं दिखता जब यह बाजार मूल्य से दुगुनी हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य का औचित्य क्या है, जबकि यह केवल 10 रुपये है ? इसे नहीं होना चाहिए। मन्त्री जी के वक्तव्य में यह कहा गया है कि इसका मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक है यह तभी हो सकता है जब उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए। मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे फिर से न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात न करें।

इस विषय पर तम्बाकू बोर्ड की बैठक में बार-बार बहस हो चुकी है और तम्बाकू बोर्ड को व्यापारियों निर्यातकों और उत्पादकों की समस्याओं की भली भांति जानकारी है। हमने अनेक बैठकों में यह निर्णय लिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में पर्याप्त रूप से वृद्धि की जाए। तंबाकू बोर्ड की सिफारिश मन्त्रालय में पहुंच गई है। लेकिन इस बारे में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मन्त्री महोदय यह कह कर बच सकते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य मन्त्रालय द्वारा नहीं अपितु कृषि मूल्य आयोग द्वारा तय किया जाना है। लेकिन जब आप वह व्यक्ति हों, जिसे निर्यात करना है, तम्बाकू के किसानों के साथ-साथ तम्बाकू निर्यातकों एवं उत्पादकों से बात तय करनी है तो आपको अपना प्रभाव डालना होगा। आपको कृषि मन्त्रालय को प्रभावित करना होगा, कृषि मूल्य आयोग की एक बैठक बुलानी होगी और उन्हें तम्बाकू उत्पादन की लागत, औचित्य तथा इसकी औपचारिक और तकनीकी समस्याओं के बारे में बताना होगा। लेकिन इस बारे में कुछ नहीं किया गया है। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस पहलू पर तम्बाकू उत्पादकों को उपहार देने के रूप में विचार न करके गम्भीरता से विचार करें। इस देश में निर्मित वस्तुओं का क्या हो रहा है? प्रत्येक तीन महीने बाद आप मूल्यों में वृद्धि कर देते हैं और देश में हल्ला-गुल्ला मच जाता है। आप कोई भी चीज ले लें, स्थिति वही है। क्या गरीब किसानों का सरकार और शोषकों द्वारा शोषण होना चाहिए। जब हम औद्योगिक उत्पादकों के हितों को सुरक्षित करने पर विचार कर सकते हैं तो हम गरीब किसानों की सुध क्यों नहीं लेते? ठीक है, चलिए किसानों और आपके अधिकारियों का एक विशेषज्ञ आयोग बनाते हैं जो तम्बाकू उत्पादन की लागत का पता लगाए और इस बारे में अपना निर्णय दे, तब आप यह कह सकते हैं कि इस आधार पर यह निर्णय नहीं लिया जा सकता इसका निर्णय अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए क्योंकि हमें इसका निर्यात करना है। ठीक है, आप इन दोनों बातों को मद्देनजर रखें — तम्बाकू अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य, जिस मूल्य पर हम निर्यात कर रहे हैं तथा तम्बाकू किसानों की उत्पादन लागत और तब आप इस बारे में निर्णय करें, इसमें एक औचित्य है, जब हम न्यूनतम निर्यात मूल्य तय कर सकते हैं तो हम न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों न तय करें? कृपया इस पर ध्यान दें। मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे किसी ऐसे रिकार्ड अथवा किसी अधिकारी द्वारा दिए गये वक्तव्य से प्रभावित न हों जो किसी औचित्य को जाने बिना किया गया हो, मेरे माननीय मित्रों को यह बात नहीं सोचनी चाहिए कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा मिल रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का कोई मूल्य नहीं है।

इसका दूसरा पहलू तम्बाकू बोर्ड की सिफारिशों के बारे में है। इसे हमने अपने अनुभव से जाना है। इस संदर्भ में हम कार्यालयों में और खेतों में गए हैं तथा हमने कार्यकारी लागत की गणना की है। हमने किसानों का एक सम्मेलन आयोजित किया। हमने सिगरेट के निर्माताओं का एक सम्मेलन बुलाया। हमने निर्यातकों और स्थानीय व्यापारियों की एक बैठक बुलाई। तब हम इस नतीजे पर पहुंचे कि यदि हम इसका दीर्घकालीन समाधान न करें तो यह समस्या स्थायी होगी। अपनी बहस के दौरान हम जिस समाधान पर पहुंचे वह यह है कि तम्बाकू बोर्ड, जो कि तंबाकू के किसानों के हितों की रक्षा करने तथा उत्पादन और विपणन का संचालन करने का कार्य करता है। जब कभी यह पाता है कि व्यापारी तंबाकू किसानों का शोषण कर रहे हैं तो उसे तत्काल बाजार में आ जाना चाहिए।

राज्य व्यापार निगम अब तक बाजार में आ रहा था, अब अगर आज हम निगम से बाजार में आने के लिये कहते हैं तो मन्त्री महोदय भी कहेंगे कि निगम पहले भी बाजार में आया था और उसे प्रति वर्ष 10 या 20 करोड़ रुपयों का घाटा हुआ था। क्या आप इस स्थिति का विश्लेषण करेंगे कि केवल राज्य व्यापार निगम को ही घाटा क्यों हुआ व्यापारियों को घाटा क्यों नहीं हुआ? मैं आपको इसका कारण बताता हूं। राज्य व्यापार निगम के पास तंबाकू को श्रेणीबद्ध करने की सुविधाएं नहीं है, निगम बाजार में आता है और सरकार इसे जिस मूल्य पर खरीद करने को कहती है अथवा न्यूनतम गारंटी मूल्य पर यह खरीद करता है। तब यह तंबाकू को उन्हीं व्यापारियों को बेच देता है जो किसानों का शोषण कर रहे हैं, वो क्या करते हैं वे निगम से पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी का तंबाकू खरीदते हैं और संबधित अधिकारियों की मिलीभगत से नौवीं श्रेणी के तंबाकू से बदल दिया जाता है। फिर इसे चौथी श्रेणी के तबाकू से निश्चित रूप से हानि होगी। अधिकारियों की त्रुटियों के बारे में क्या आप यह कहना चाहते हैं कि उत्पादकों का बचाव नहीं किया जा सकता है? आप इस प्रवृत्तियों पर रोक लगाएंगे; आप इन प्रवृत्तियों को नियंत्रित कीजिए और यह सुनिश्चित कीजिये कि यह कार्य उचित तौर पर सम्पन्न किया जाये आपको उत्पादकों के हितों की रक्षा करनी चाहिए।

यदि राज्य व्यापार निगम पर निर्भर न भी रहना हो और आप यह महसूस करते हों कि यदि आप राज्य व्यापार निगम को एक बार फिर बाजार में प्रवेश करने दिया गया तो राजस्व को 10 करोड़ रुपए की हानि पहुंचेगी तो फिर तंबाकू बोर्ड के बारे में विचार कीजिये। तंबाकू बोर्ड के पास पर्याप्त संख्या में ऐसे अधिकारी हैं जो इस सम्बन्ध में जानकारी रखते हैं और उन्हें पूरा अनुभव प्राप्त है। उनको तबाकू उत्पादकों से सबद्ध और उनके बारे में पूरी जानकारी है। यदि तबाकू बोर्ड को 10 करोड़ रुपये का "स्टोबिलाइजिंग फंड" दिया जाना है—यह मूल्यों को स्थाई करेगा और हानि नहीं होने देगा—यह ऐसे मौकों पर बाजार में आ सकता है और किसानों का बचाव कर सकता है।

यह न भूलिये कि तंबाकू उत्पादकों द्वारा पैदा किये जा रहे तंबाकू से सिगरेट निर्माताओं द्वारा दिये जाने वाले उत्पाद शुल्क के रूप में 2000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होता है। इस देश में उत्पादित तंबाकू का 50% का उपयोग देश के ही निर्माताओं द्वारा किया जाता है। यदि आप यह सांविधिक आदेश पारित करवा देंगे कि इन देशी निर्माताओं को तंबाकू केवल तंबाकू नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से न्यूनतम गारंटी मूल्य पर ही खरीदना होगा—यदि 50% भी यह सुनिश्चित किया जाये, तो उत्पादकों को सही मूल्य प्राप्त हो जायेगा। शेष 50 प्रतिशत सुनिश्चित करके सुरक्षित किया जा सकता है कि निर्यात आदेश समय पर प्राप्त किये जायें।

इससे स्थायी हल निकल आयेगा। इस वर्ष, जैसाकि मेरे माननीय मित्र ने कहा है, उत्पादकों को 4 करोड़ 75 लाख किलोग्राम पर 4 रुपये 50 पैसे की औसत से हानि हुई है जोकि कुल 20 करोड़ रुपये से अधिक की हानि है। क्या किसान एक काम में 25 करोड़ रुपये की हानि वहन कर सकता है। उन्हें बहुत अधिक हानि होगी।

आपने अपने वक्तव्य में कहा है कि मूल्यों में थोड़ी वृद्धि हुई है और अब स्थिति संतोषजनक है नहीं, वह केवल आज ही संतोषजनक है क्योंकि संसद में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। आप देखेंगे कि 1 मई से मूल्यों में असामान्य रूप से गिरावट आने वाली है फिर औसत मूल्यों में भारी कमी आयेगी और उन्हें अत्यधिक हानि होगी। हम उस समय उनकी कोई सहायता नहीं कर पायेंगे। आपकी ओर देखेंगे। जब हम उद्योगपतियों के लिए करोड़ों रुपये कम करने को तैयार हैं और सामान्य बीमा निगम के लिए करोड़ों रुपया कम कर सकते हैं तो क्या हम उन्हें 20 से 30 करोड़ रुपये नहीं दे सकते ?

क्या आप इतना उनके लिए नहीं रख सकते हैं ? यदि आप 20 करोड़ रुपये नहीं दे सकते हैं, यदि राज्य का भार निगम को नहीं तो कम से कम तम्बाकू बोर्ड को ही 20 करोड़ रुपये अथवा 10 करोड़ रुपये की जमाराशि दे दीजिये जो कि तुरंत बाजार में आकर तम्बाकू बेच सके। ऐसे कई मौके आए है जब तम्बाकू उत्पादकों को अपनी पत्नी का मंगल सूत्र तक बेचना पड़ा है। हम यहां बैठकर उनकी स्थिति का अनुमान नही लगा सकते। हम वहीं रहकर उनकी परेशानी समझ सकेंगे।

जैसाकि मेरे मित्र ने कहा है और मैं जानता हूं कि आप फसल बदलने का सुझाव दे रहे हैं। यह फसल सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्र में जहां निश्चित तौर पर पानी होता है, उगाई नहीं जाती है। इसकी फसल शुष्क भूमि पर लगाई जाती है और वहां अन्य किसी फसल को उगाने की कोई सुविधा नहीं होती है। सरकार ने और वैज्ञानिकों ने भी यह पाया है कि इस विशिष्ट क्षेत्र में केवल तम्बाकू की ही फसल लगाई जा सकती है। अन्यथा देश में कहीं भी तम्बाकू की फसल लगाई जा सकती थी। यह देश के अन्य भागों में क्यों नहीं उगाई जाती ? मौसम की स्थितियों और मिट्टी की किस्म के कारण ही तम्बाकू की फसल कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में ही जैसे नेल्लौर, गुंटूर और आंध्रप्रदेश के अन्य क्षेत्रों में उगाई जा सकती है। मंत्री जी को इन बातों को भी अपने ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। अभी भी देर नहीं हुई है। आप राज्य व्यापार निगम को कहिये। उन्हें पूरा 500 लाख किलो तम्बाकू खरीदने की आवश्यकता नहीं है। यही काफी है कि व्यापारियों को यह पता चल जाये कि सरकार राज्य व्यापार निगम को न्यूनतम गारन्टी मूल्य पर कितनी भी मात्रा में तम्बाकू खरीदने को कह रही है तो वे स्वयं सही मूल्य देंगे। अत: राज्य व्यापार निगम को पूरी मात्रा में तम्बाकू खरीदने की आवश्यकता नहीं है। पिछले कई वर्षों का हमारा यह अनुभव रहा है कि यह कुल उत्पादन पर केवल 10 प्रतिशत अथवा 5 प्रतिशत अथवा उससे भी कम होगा। अत: आपको इस बारे में डरना नहीं चाहिये कि आपके राज्य व्यापार निगम को बाजार में आने को कहने से आपके राजस्व पर तुरंत कोई प्रभाव पड़ेगा और उसमें अत्यधिक हानि होगी। कृपया इस पहलू पर ध्यान दीजिये और राज्य व्यापार निगम अथवा तम्बाकू बोर्ड को तुरत खरीदारी करने को कहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप काफी समय ले चुके हैं। कृपया अब समाप्त कीजिये।

श्री के० एस० राव : मैं केवल एक बात और कहूंगा। दुर्भाग्य से उत्पादकों को भारी हानि हुई तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे उन सभी कृषक उत्पादकों को जो अपने 470 लाख किलो की फसल को पहले ही बेच चुके हैं कम से कम तीन से चार रुपये प्रति किलो तक

दिलाने के बारे में सोचें चाहे वह उत्पाद शुल्क से जो आपने वसूल किया है जो कि 2000 करोड़ रुपये या उससे अधिक है अथवा अन्य किसी प्रकार से जो आप ठीक समझें दिलाया जा सके।

एक माननीय सदस्य : क्या आप मुझे बोलने की अनुमति देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। अब मंत्री जी बोलेंगे।

श्री अरुण कुमार नेहरू : महोदय, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है और मैं विस्तार से उनका उत्तर देना चाहता हूं।

भारत आज तम्बाकू का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है और संयुक्त राज्य अमरीका, ब्राजील, तुर्की, ग्रीस और इटली के पश्चात् छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। परन्तु तथ्य यह है कि 1981-82 में निर्यात अपनी चरम सीमा पर था और 200 करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात किया गया था। हमने लगभग 11 करोड़ 40 लाख किलो का निर्यात किया। तब से इसमें काफी गिरावट आई है और चालू वर्ष में 136 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया है और 520 लाख किलो तम्बाकू का निर्यात हुआ। तम्बाकू उत्पादों के निर्यात की भी यही स्थिति है। मेरा विचार है कि हमें स्थिति की वास्तविकता को स्वीकारना होगा। पहली बात यह है कि जो देश पहले बड़े आयातक थे अब स्वय ही काफी मात्रा में तम्बाकू का उत्पादन कर रहे हैं जैसे चीन को ही लीजिये। यह 100 करोड़ किलो का उत्पादन करता था और अब यह 250 करोड़ किलो का उत्पादन कर रहा है। सोवियत रूस जैसा देश जो हमारे से 43 हजार टन का आयात करता था अब केवल 5 हजार टन ही आयात करता है। अब हम इस स्थिति को चाहे जैसे भी देखें, स्थिति की वास्तविकता यह है कि लोग अब कम धूम्रपान करते हैं। वर्जीनिया तम्बाकू जो पश्चिमी यूरोप और इंग्लैंड के आधुनिक बाजारों में बिकता है वहां धूम्रपान के विरुद्ध भारी अभियान चला हुआ है। मेरा विचार है कि जितनी जल्दी हम स्थिति की सच्चाई को स्वीकार कर लें उतना ही अच्छा होगा। उदाहरण के लिए यदि आप देखें तो पायेंगे कि पिछले पांच वर्षों में स्थिति यह रही है कि घरेलू खपत 450 से 500 लाख किलो रही है। इसमें कोई अधिक अंतर नहीं है। मेरा कहना यह है कि इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। हमें पता लगेगा कि इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। लगभग पचास प्रतिशत का निर्यात होता है।

1985 में 50 मिलियन किलोग्राम की तुलना में यह मात्रा 1989 में 35 मिलियन किलोग्राम रह गई। अत: इसके उत्पादन में कमी आई है। दोनों माननीय सदस्यों ने जो कीमतों का हवाला दिया है उसके हिसाब से अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। 1985-86 में औसत मूल्य 10.30 रुपये था। विभिन्न ग्रेडों के लिये मैं औसत ले रहा हूं। 1986-87 में यह बढ़कर 12.50 रुपये हो गया। 1987 88 में यह घटकर 8.20 रुपये रह गया, 1988-89 में यह पुनः 16.30 रुपये तक पहुंच गया, फिर 16.60 रुपये था। इस वर्ष फिर यह घटकर 15.08 रुपये रह गया है। सदस्य ने यह ठीक ही कहा है कि चूंकि इसकी घटिया किस्म बाजार में आयी है तो इसका मूल्य कुछ और गिरेगा। हमारे अनुमान के अनुसार इस मौसम में मूल्य 14 रुपये से 14.50 रुपये के बीच रहेगा। इस सम्बन्ध मे मेरे विचार में महत्वपूर्ण बात यही है कि सरकार अपनी ओर से इस बारे में बेहतर प्रयास कर सकती है। परन्तु साथ ही पूर्ति और मांग को पूर्णतया नियमित नहीं किया जा सकता। उत्पादन को नियमित करना होगा। यदि हम किसानों को उचित मूल्य दिलाने की बात करते हैं तो

हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हम आवश्यकता से अधिक उत्पादन न करें। मैं इस बात पर आपसे सहमत हूं कि मौजूदा खेती ढांचे को बदलना आसान नहीं है। पर इस समय कोई विकल्प मौजूद नहीं है। हमें वास्तविकता की ओर देना होगा। राज्य व्यापार निगम इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। वस्तुत: वह हस्तक्षेप करेगा भी। हमें कुछ क्रयादेश प्राप्त हुए हैं। हम नये ग्राहकों से भी नये क्रयादेश प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। पर यह काफी नहीं है। चालू वर्ष के दौरान यदि इस समस्या का सामना कर लिया जाए तो यह दूर नहीं होगी। अगले वर्ष फिर यही समस्या सामने आएगी।

श्री के० एस० राव : आप इसे नियमित करें।

श्री अरुण कुमार नेहरू : यह कहना बड़ा आसान है। परन्तु व्यावहारिक रूप से यह बहुत मुश्किल है। अधिक उत्पादन करने वाले किसानों को दंडित नहीं किया जा सकता वस्तुत: तम्बाकू बोर्ड द्वारा इसे विनियमित किया जाना अपेक्षित है पर वह ऐसा नहीं कर सका है। चूंकि सभी सदस्य खेती और किसान की स्थिति से अवगत हैं आप इस बात से सहमत होंगे कि किसानों को अधिक उत्पादन करने पर दंड देना बड़ा मुश्किल काम है। साथ ही किसान इस वास्तविकता को भी स्वीकार करें कि बाजार में मंदी है।

अब हम कृषि मंत्रालय और राज्य सरकार के साथ व्यापक विचार-विमर्श करना चाहते हैं क्योंकि बड़ी गंभीर समस्या हमारे सामने मौजूद है। मैं स्पष्ट रूप से यह कहता हूं कि आगामी वर्षों के दौरान उत्पादन को नीचे लाना ही होगा। भूमि को अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग में लाना होगा। हमें यह देखना है कि किसानों को नुकसान न हो। उन्हें उचित विकल्प सुझाने होंगे। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जो सहायता दी जा सकती है, हम वह अवश्य देंगे।

श्री के० एस राव : अब राज्य व्यापार निगम को भेजने के बारे में क्या निर्णय हुआ?

श्री अरुण कुमार नेहरू : मैंने कहा है न कि वे तो आयेंगे।

श्री के० एस० राव : शीघ्र ही?

श्री अरुण कुमार नेहरू : जी हां।

श्री के० एस० राव : आप घोषणा करें...

श्री अरुण कुमार नेहरू : मैं अभी घोषणा करता हूं। वे हस्तक्षेप करेंगे।

मैं नीलामी प्रणाली और उसके काम के बारे में व्यापक चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि आप इससे भली भांति परिचित हैं मैं हर चीज दोहरा सकता हूं। पर इसमें और समय लगेगा।

जहां तक न्यूनतम समर्थन मूल्य का सवाल है, इस पर भी काफी चर्चा की जा चुकी है। प्रश्न यह है कि हर बात का आधार होना चाहिए। हम पूरे मसले पर पुनः विचार कर सकते हैं। यह स्थायी स्थिति नहीं है। मूल्यों में अंतर आएगा ही मेरे विचार से एक ऐसा तंत्र होना चाहिए जिससे हम समय विशेष पर लागत का विश्लेषण कर सकें क्योंकि 1985 में जो कुछ संगत था वह 1990 में संगत हो ऐसी नहीं हो सकता। अतः माननीय सदस्यों ने बड़े ही महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। हम इन पर विचार करेंगे।

निर्यात क्षेत्र में, निर्यात बढ़ाने हेतु कई कदम उठाये गये हैं। हम बड़ी विकट परिस्थित में हैं। मैंने कई व्यापार प्रतिनिधियों से बातचीत की है। सोवियत संघ ने बड़ी उदारता प्रदर्शित की। उन्होंने स्थिति को महसूस किया। उन्होंने हमारी स्थिति को समझा है। जैसाकि आप जानते हैं अनिर्मित तम्बाकू से निर्यात शुल्क अप्रैल, 1986 में हटा लिया गया था। इसी तरह कई और उपाय किये गये। हम पुर्तगाल, इराक, उत्तर कोरिया, मैडागास्कर, इंडोनेशिया आदि देशों में नयी मंडियों का पता लगाने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं, मैं आपको सभी बाजारों का विश्लेषण प्रस्तुत कर सकता हूं और यह कह सकता हूं कि जिस बाजार का भी निरीक्षण करें हम नहीं समझते तम्बाकू की बिक्री भविष्य में बढ़ेगी। पश्चिम में धूम्रपान विरोधी अभियान जोर पकड़ रहा है। मैं जानता हूं माननीय सदस्य अच्छे सिगार के शौकीन हैं। परन्तु धूम्रपान करने वालों की तुलना में धूम्रपान न करने वालों की संख्या अधिक है, हमें इस पहलू पर भी ध्यान देना है क्योंकि हमारे उत्पादन का पचास प्रतिशत निर्यात किया जाता है। अत: मौजूदा परिस्थिति में हम निश्चित रूप से आवश्यक उपाय करेंगे। राज्य व्यापार निगम इसमें हस्तक्षेप करेगा और मुझे विश्वास है कि हम इस समस्या का समाधान कर लेंगे।

श्री के. एस. राव : क्या आप स्पष्ट रूप से यह अनुदेश जारी करेंगे कि एम०ओ०पी० पर ही खरीद की जाए एम० एस० पी० पर नहीं क्योंकि एम०एस०पी० कोई मूल्य नहीं है ?

प्रो० एन०जी० रंगा (गुंटूर) : राज्य व्यापार निगम का बाजार में दखल नहीं है।

श्री अरुण कुमार नेहरू : आप थोड़ा देर से आए हैं। मैं पन्द्रह मिनट से बोल रहा हूं। आपने मेरी पूरी बातें नहीं सुनी हैं। जैसा कि मैंने कहा है राज्य व्यापार निगम हस्तक्षेप करेगा। हम जो कुछ कर सकते हैं करेंगे। परन्तु, जैसा कि मैंने कहा है, व्यावहारिक रूप से समस्या पूर्ति और मांग की है। हम भरपूर कोशिश करेंगे। मुझे यकीन है कि हम इस वर्ष इस समस्या का समाधान कर लेंगे। यदि हम अब प्रभावी और सुधारात्मक कार्यवाही नहीं करते हैं तो यह समस्या पुनः फिर पैदा होगी, अतः हम ऐसा करेंगे।

प्रो० एन० जी० रंगा : यह सच है कि सोवियत संघ से तम्बाकू की भारी मात्रा में क्रयादेश प्राप्त हुआ है और फिर भी राज्य व्यापार निगम और तम्बाकू बोर्ड में से किसी ने भी इस क्रयादेश को समुचित रूप से स्वीकार नहीं किया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रंगा, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और जानते हैं कि इसकी अनुमति नहीं है।

श्री अरुण कुमार नेहरू : मुझे उत्तर देने में कोई आपत्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उन्हें बाद में उत्तर दे सकते हैं।

श्री के० एस० राव : जी नहीं। यह बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। तम्बाकू उत्पादक उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह सोवियत संघ के क्रयादेश के बारे में पूछ रहे थे। यदि वे अभी

अपना उत्तर देते हैं तो मूल्य स्थिर हो जाएंगे। यदि वे इसकी घोषणा नहीं करते हैं तो इसका उत्पादकों पर पुनः असर पड़ेगा यदि वे इस बात का उत्तर देते हैं कि उन्हें रूस अथवा अन्य किसी देश से क्रयादेश प्राप्त हो रहे हैं अथवा नहीं तो इससे भी तम्बाकू के मूल्य पर प्रभाव पड़ेगा।

श्री अरुण कुमार नेहरू : महोदय, मैं पहले ही वक्तव्य दे चुका हूं कि सोवियत संघ हमसे तम्बाकू खरीदता रहा है, माननीय सदस्य और मेरी बात में थोड़ा ही फर्क है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, हम नियम 377 के अधीन मामलों पर विचार आरंभ करेंगे।

1.59 म.प.

नियम 377 अधीन के मामले

(एक) विशाखापत्तनम में उपपत्तन स्थापित किए जाने की मांग

श्रीमती उमा गजपति राजू (विशाखापत्तनम) : उपाध्यक्ष महोदय, विशाखापत्तनम को निर्यात का शहर माना जाता है और आंध्र प्रदेश के इस विकासशील महानगर का भाग्य औद्योगिक उन्नति और इस्पात संयंत्र पर निर्भर है। विशाखापत्तनम पत्तन में अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत क्षमता विद्यमान है। जब यह अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य करना प्रारम्भ करेगा तब भी यह इस्पात संयत्र क्रियाकलापों से संबद्ध जितने टन उत्पादन होगा उसी का निपटान कर पायेगा। आठवीं योजना के दौरान वहां एक पेट्रोकेमिकल काम्पलेक्स और दो ताप विद्युत परियोजनाएं तुरंत स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। इन दोनों ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए कोयले का परिवहन उड़ीसा से समुद्र द्वारा किया जाए। विशाखापत्तनम पर पत्तन क्षमता में वृद्धि और इस्पात संयत्र से होने वाले प्रदूषण को कम से कम करने के लिए गंगावरन में एक उप-पत्तन बनाये जाने का प्रस्ताव था। अतः भविष्य में विशाखापत्तनम की प्रगति आठवीं योजना में इस पत्तन की स्थापना पर निर्भर है।

मैं भारत सरकार से अनुरोध करती हूं कि वहां यथाशीघ्र एक दूसरा पत्तन स्थापित करने का आदेश दिया जाए।

2 00 म. प.

(दो) केरल में पुराने संरक्षण बन्दरगाहों को फिर से चालू किए जाने तथा कालीकट जिले में चोम्बाला में एक नया मत्स्यन बन्दरगाह स्थापित किए जाने की मांग

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नौर) : उपाध्यक्ष महोदय, केरल राज्य अपनी लम्बी समुद्री सीमा तटवर्ती सीमा से देश की समुद्री सम्पदा में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। राज्य की आबादी का काफी प्रतिशत भाग जीवनयापन के लिए प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः मत्स्यन पर निर्भर है। पुराने बन्दरगाहों को पुनः प्रारम्भ करने और नए मत्स्यन बन्दरगाहों की स्थापना से इन क्षेत्रों में मत्स्यन को विशेषकर गहरे समुद्र में, बढ़ावा देने के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा।

अतः अनुरोध है कि माननीय जल-भूतल परिवहन मन्त्री कन्नानौर में आशीक्कल पत्तन और मणीला खाड़ी, और कालीकट में बेपोर पत्तन पुथियप्पा और बन्दरगाह जैसे पुराने पत्तनों और बन्दरगाहों को पुनः प्रारम्भ करने और कालीकट जिले में चोम्बाला में एक नया मत्स्यन बन्दरगाह, जो कि केरल तट के सबसे अच्छे मत्स्यन तटों में से एक है, बनाने के लिए शीघ्र कदम उठायें।

(तीन) फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड, कोचीन के प्रबन्धकों और कर्मचारों के बीच हुए समझौते का अनुमोदन किए जाने की मांग

प्रो० के० वी० थामस (एरणाकुलम) : उपाध्यक्ष महोदय, फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड, कोचीन के प्रबन्धकों और कर्मचारी संगठन के बीच नवम्बर, 1989 को एक लम्बी बातचीत में दीर्घावधि समझौते और वेतन नीति के बारे में एक समझौते के मसौदे पर हस्ताक्षर हुए थे। 'फैक्ट' सरकारी क्षेत्र की उन थोड़ी सी उर्वरक निर्माता कम्पनियों में से एक है जो लाभ अर्जित कर रही हैं। कर्मचारियों ने 'फैक्ट' में रिकार्ड उत्पादन और उत्पादकता के लिए अपना खून और पसीना बहाया है। परन्तु भारत सरकार ने अभी तक इस समझौते के मसौदे को, हस्ताक्षर के पांच महीने बीत जाने के पश्चात भी, अपनी मंजूरी प्रदान नहीं की है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस समझौते के मसौदे को मजूरी देने के लिए तुरन्त कदम उठाये।

(चार) आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं को अधिक पारिश्रमिक दिए जाने तथा उनको उचित प्रशिक्षण दिए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री सरजू प्रसाद सरोज (मोहनलालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, पूरे देश में चल रही बाल-विकास परियोजनाओं को सुचारू रूप से चलाने में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं को बहुत अधिक कार्य करने पड़ते हैं—जैसे—बच्चों को बिस्कुट, ब्रेड आदि खाने का सामान बांटना, बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना और समय-समय पर टीके लगवाना, समय-समय पर आंगनवाड़ी क्षेत्र में जनसंख्या का सर्वे करना, बच्चों को पढ़ाना और अपने आंगनवाड़ी क्षेत्र में महिलाओं को परिवार नियोजन की जानकारी देना आदि।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं को इतने कड़े परिश्रम के बाद कुल 275 रुपये महीने का पारिश्रमिक दिया जाता है। जबकि इतनी अधिक महंगाई बढ़ चुकी है तब 275 रुपए महीने में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं का अपना मासिक खर्च भी नहीं चल पाता। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं का इतना पारिश्रमिक बहुत कम है।

अतः मेरी केन्द्रीय सरकार से पुरजोर मांग है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं को कम से कम 600 रुपए महीना का पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए और इनको उचित ट्रेनिंग देकर उन्नति के

उचित अवसर प्रदान करने चाहिए ताकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अधिक लगन और मेहनत के साथ बाल विकास परियोजनाओं में अधिक से अधिक योगदान दे सकें।

(पांच) यह सुनिश्चित किए जाने की मांग कि स्टेनलेस स्टील बर्तन निर्माताओं द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानदण्डों का पालन किया जाए

श्रीमती जयवन्ती नवीन चन्द्र मेहता (बुंबई उत्तर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत में स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का उपयोग गरीब अमीर सभी लोग कर रहे हैं। ज्यादा टिकने वाले, सरलता से स्वच्छ होने वाले तथा विषाक्त न होने वाले बर्तनों का ही आज उपभोक्ता उपयोग कर रहे हैं।

सरकारी उपक्रम "सेलम" इस्पात संयंत्र स्टेनलेस स्टील का उत्पादन करता रहा है। ए० आई० एस० आई० 304 ग्रेड का इस्पात आरम्भ से ही बर्तनों को बनाने के लिए प्रयोग में लाया जा रहा था। तथापित हाल के वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में "निकल" के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण ए० आई० एस० आई० ई० 304 बहुत महंगा हो गया है। इसके परिणामस्वरूप आज निकल प्रतिशतता घटाकर 202 की क्वालिटी का स्टेनलेस स्टील बन रहा है जिसमें से बने बर्तन अल्पावधि में टूट जाते हैं, जंग लग जाता है तथा भोजन विषाक्त भी हो जाता है। यह स्टेनलेस स्टील पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। करीब दो-ढाई वर्षों से उपभोक्ता की बहुत ही शिकायतें आ रही हैं। अतः

1. स्टेनलेस स्टील निर्माताओं द्वारा इस ग्रेड के स्टील के लिए भारतीय मानक ब्यूरो से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिये।
2. उपभोक्ताओं को अंग्रेजी, हिन्दी तथा अन्य भाषाओं के समाचार पत्रों द्वारा तथा श्रव्य-दृष्य माध्यमों से विज्ञापन देकर नए उत्पाद की जानकारी दी जानी चाहिये।
3. उपभोक्ताओं से धोखा न हो यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावीतन्त्र होना आवश्यक है।

मैं मन्त्री महोदय से ऊपर निर्देशित कदम उठाने का अनुरोध करती हूं।

(छः) देश में खादी आश्रमों के कर्मचारियों की शिकायतों पर ध्यान दिए जाने की मांग

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, विगत वर्षों से खादी आश्रम एवं समस्त खादी संस्थाओं के पूर्णकालिक वेतनभोगी कर्मचारी आन्दोलित हैं। समय-समय पर वह अपने साथ होने वाले श्रम शोषण के विरुद्ध प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं जिन पर अभी तक कोई समुचित कार्यवाही न होने के परिणामस्वरूप लाखों कर्मियों में गहरा असंतोष व्याप्त है। उनकी मांगें हैं कि खादी आयोग की भांति खादी आश्रम और खादी संस्थाओं में पूर्णकालिक कर्मचारियों को भी वेतनमान एवं

अन्य सुविधायें उपलब्ध कराई जायें। जनहित में खादी संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण किया जाये। बुनकरों और सूतकरों की मजदूरी में बढ़ोत्तरी की जाये। कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए आयोग गठित किया जाये। खादी संस्थाओं में धनों के दुरुपयोग को रोका जाये तथा कर्मचारियों का वेतन भुगतान बैंक द्वारा कराया जाये तथा उन पर भी श्रम कानून लागू किया जाये।

(सात) सोन नहर में दरारों की मरम्मत किये जाने के लिए कदम उठाए जाने की मांग

श्री रामेश्वर प्रसाद (आरा) : अध्यक्ष महोदय, बिहार के भोजपुर, रोहतास, पटना, जहानाबाद, गया और औरंगाबाद के छः जिलों के लगभग 23 लाख एकड़ जमीन को सिंचित करने वाली 15 वर्ष पुरानी सोन नहर काफी टूट-फूट चुकी है। इसका पानी नहर के बांध को तोड़कर फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। इस कारण पानी की सख्त बर्बादी हो रही है और क्षेत्र की ठीक से सिंचाई संभव नहीं हो पा रही है। यदि यही स्थिति बनी रही तो बिहार को चावल सप्लाई करने वाला यह क्षेत्र सूख जाएगा।

अतः इसे अविलम्ब मरम्मत करने और इसके अविलम्ब आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार इस पर फौरन कदम उठाए।

2.05 म० प०

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

[अनुवाद]

श्री विमल कौर खालसा (रोपड़)

2.06 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 193 के अन्तर्गत मामलों पर चर्चा करेंगे।

हां, श्री सुल्तानपुरी जी आप प्रारम्भ कीजिए।

[हिन्दी]

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। (व्यवधान)

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा) : मुझे अपना 377 पढ़ने की इजाजत आप दे दें। मैं किसी कारणवश समय पर हाउस में उपस्थित नहीं हो पाया।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर 193 की डिसकसशन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उनके लिए मैं आपको इजाजत दे सकता हूं। 377 तो खत्म हो गया है। वैसे भी हम 2-3 आइटम आगे चले गए हैं।

(व्यवधान)

श्री के० डी० सुल्तानपुरी : उपाध्यक्ष महोदय, हरिजनों पर अत्याचार आज से नहीं हो रहे हैं, उनका तो अत्याचार से ही जन्म हुआ है। महात्मा गांधी जी, जवाहर लाल नेहरू और अन्य जो देश के बड़े-बड़े नेता हुए हैं, उन्होंने हरिजनों को उठाने के लिए काफी काम किया, लेकिन उसमें लगातार बाधा उत्पन्न करने की कोशिश होती रही है। यही वजह है कि उनको पिछली पंक्ति में हमेशा धकेला जाता रहा।

डा० अम्बेडकर जी ने हिन्दुस्तान का संविधान बनाया और उन्होंने असेम्बली, पार्लियामेंट और मैट्रोपालिटन कौंसिल में उनकी नुमाईंदगी के लिए प्रावधान किया। इतना ही नहीं उन्होंने नौकरियों में उनके लिए स्थान आरक्षित किये। हमारा देश 15 अगस्त, 1947 को आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को नया संविधान लागू हुआ। 42 साल की आजादी के बाद भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग बहुत कष्टदायक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दूर-दराज के इलाकों में इनकी हालत बहुत ही खराब है और जो भी योजनायें इनके उत्थान के लिए बनायी गई उनका असर बिल्कुल भी नहीं हुआ।

जहां तक कांग्रेस पार्टी की सरकार का ताल्लुक है, उसने इस दिशा में उचित कदम उठाये। पहले नाई की दुकान बाजार में उनके लिए अलाहदा होती थी, कुंओं से पानी लेकर वह पी नहीं सकते थे, गांवों में उनका आने जाने का रास्ता अलग होता था खुशी के मौकों में वह उपस्थित नहीं हो सकते थे, लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इन पर लगी हुई सभी रोक को हटा दिया। आज इस सरकार के शासन काल में हरिजन औरतों को नंगा करके उनसे डांस करवाया जाता है। और उनकी बेइज्जती की जाती है, सारे समाज में उनका इस तरह से अनादर किया जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसे भी मौके आये हैं और आज भी सरकार में यह देखने की बात आई. शिवपुरी की बात आई, हमारे मल्होत्रा साहब ने बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा और उन्होंने कहा कि उनके साथ जो अन्याय हुआ और अन्याय के साथ जो बातें आज हमारे समाज में होती हैं, वह किसी से छिपी हुई नहीं हैं, जो झोंपड़ी जलती है, जो मकान जलता है तो सब हरिजनों के जलते हैं और ज्यादा तादाद में हरिजनों के ऊपर अत्याचार होते हैं। जब से यह मौजूदा सरकार आई है इसने हरिजनों के लिए कोई खास कदम नहीं उठाया। जो कदम उठाये हैं, मैं समझता हूं कि एक कमीशन बनाया गया है और उस कमीशन का अध्यक्ष भी रामधन जी को बनाया गया है जो हमारे यहां जनरल सेकेट्री कांग्रेस (ई) होते थे, फिर कांग्रेस में रहे. फिर जन मोर्चा के नेता बने और अब जनता दल के नेता बन गये हैं, उनको उसका अध्यक्ष बनाया गया। वह अध्यक्ष भी बगैर पावर का अध्यक्ष है, उसके पास कोई पावर नहीं है। उसको सरकार ने कोई अख्तियार नहीं दिया कि अगर कोई डिप्टी कमीश्नर या जज ज्यादती करता है तो उसके खिलाफ वह एक्शन ले पायेगा। मैं समझता हूं कि आपने जो संसद की शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की कमेटी बनाई है उसकी रिपोर्ट्स

भी यहां रखी जाती है लेकिन उस पर भी आज तक यहां कोई इम्पलीमेंटेशन नहीं हुआ और नहीं चर्चा इसलिए हमको सोचना होगा कि इन लोगों को ऊपर उठाने के लिए और इनके ऊपर जो अत्याचार होते हैं, उनको खत्म करने के लिए हम कोई पग उठाना चाहते हैं या नहीं और हम कोई पग तभी उठा सकते हैं जब इस हाऊस के पूरे माननीय सदस्य यह समझें कि हमें गरीब आदमी को ऊपर उठाना है। अगर आप यह कहें कि हरिजनों को उठाया जा रहा है तो यह गलत है। आज अगर हम कनाट प्लेस में जाते हैं तो उनकी कनाट प्लेस में कोई मिल्कियत नहीं है, गांव में जाते हैं तो गांव में भी उनकी कोई मिल्कियत नहीं है और जो मिल्कियत सरकार की तरफ से दी भी गई है, इन्दिरा जी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी गई थी, उनके कब्जे भी उनको आज तक ठीक ढंग से प्राप्त नहीं हुए हैं। जो वह काश्त भी करते हैं वह भी दूसरे के नाम से काश्त होती है। बिजनेस में भी उनका कोई आदमी नहीं है जो उनको लोन मिलता है तो उसमें भी मौजूदा सरकार ने 10 हजार रुपये तक के लोन की माफी के लिए कहा है कि हम किसानों के 10 हजार रुपये तक के कर्जे माफ करेंगे। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि हरिजनों को गरीबी की रेखा से ऊपर निकालने के लिए सरकार का उत्तर आये तो मेरी बात का जवाब दे कि सारे हिन्दुस्तान के अन्दर इन लोगों के कितने कर्जे माफ किये जा रहे हैं। अगर हरिजनों के कर्जे माफ करने के लिए यह सरकार कोई पग नहीं उठाती और उनको कहती है कि 500 और 1000 रुपए के कर्जे माफ हो जायेंगे तो मैं समझता हूं कि उनके साथ यह अन्याय होगा। सरकार को चाहिये कि हरिजनों के साथ भी उसी तरह का पग उठाये। आप किसानों के लिए 10 हजार रुपये तक के कर्जे माफ करते हैं तो मैं यह कहना चाहूंगा कि हमको उनके लिए 20 हजार रुपये के कर्जे माफ करने चाहिए ताकि आपकी कथनी और करनी में फर्क नजर नहीं आये क्योंकि आप समाज के पिछड़े हुए और गरीब लोगों को ऊपर उठाना चाहते हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश में 6000 पब्लिक अण्डरटेकिंग्स हैं और इन सब में बैकलॉग है। उनमें हरिजनों के साथ अन्याय होता है, उनको वहां नौकरी नहीं मिलती है। जो काबिल हैं उनको भी सहूलियत प्राप्त नहीं है तो मैं भारत सरकार से कहना चाहूंगा कि राज्य सरकारों को भी आप हिदायतें दें, आदेश करें कि हरिजनों के लिए जो कानून हैं, उनका वह पालन करें और जो बैकलॉग है उसको देखने के लिए वह मशीनरी का इन्तजाम करें। इण्टरव्यू में भी पब्लिक सर्विस कमीशन में हरिजनों को इग्नोर किया जाता है और सैण्टर में भी यू०पी०एस०सी० में हरिजनों को इग्नोर कर दिया जाता है। मैं यह कहना चाहूंगा कि इसमें जब तक आप अपनी कथनी और करनी में फर्क करते हैं तो मैं समझता हूं कि इसको नहीं सुलझा सकते हैं। आज हरिजनों को जलाया जाता है, कल यहां बात आई कि एक हरिजन को प्रधानमन्त्री के क्षेत्र में जिन्दा ही जला दिया गया है। मैं समझता हूं कि बहुत सी जगह हैं जहां हरिजनों को ऊपर उठाने के लिए सरकार को प्रयत्न करना होगा।

मैं पहाड़ी क्षेत्र से आता हूं। वहां ट्राइबल एरिया है, वहां शिक्षा की माकूल व्यवस्था नहीं है वहां लोग चाहते हुए भी पढ़ नहीं पाते हैं और लोग मैट्रिक पास भी नहीं कर पाते हैं इसलिए कि उनको दूर-दराज के स्कूलों में एडमीशन बड़ी मुश्किल से होता है और वहां उनके लिए स्कूल का कोई प्रबन्ध नहीं है। उनके लिए अच्छी शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है····इसलिए बिल्कुल पीछे रह

जाते हैं। इस सरकार से तो कोई उम्मीद हमें नहीं है कि यह सरकार कुछ नहीं कर सकेगी। हम देखते हैं, जिनको सबसे बड़ा रक्षक कहा जाता है, हमारे गृह मन्त्री, श्री मुफ्ती मोहम्मद साहब, मुफ्ती तो दे सकते हैं, लेकिन कोई काम नहीं कर सकते हैं। उनका यही काम है। यदि वे हरिजनों के लिए, आदिवासियों के लिए, माइनोरिटी के लिए कुछ करें तो मैं समझता हूं कि अच्छा हो। लेकिन यह तो लाठी-गोली की सरकार है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हरिजनों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, इसको ठीक ढंग से रोकने के लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। वहां आग लगने से 50 दुकानें जल गईं और 35 मकान जल गए। सरकार ने और जगहों के लिए तो करोड़ों रुपया दिया है, जिनका नुकसान हुआ है। मैं मांग करूंगा कि वहां पर 20 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, तो कम से कम वहां के लिए 15 करोड़ रुपये प्रधानमन्त्री जी वहां के लिए दें, ताकि वहां के गरीब लोगों को सुविधा प्रदान की जा सके। यह मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं इस सरकार द्वारा हरिजनों के लिए कुछ करने की उम्मीद नहीं रखता हूं। यदि सरकार उनके लिए कुछ करती है, तो मैं उसका बड़ा आभारी होऊंगा। मुझे आशा नहीं है कि यह सरकार उनके लिए कोई काम करेगी, क्योंकि यह दो नावों पर चलने वाली सरकार है। थोड़ी सी आशा इसलिए है कि ये लोग इधर से भागकर उधर गए हैं, इसलिए उनके मन में थोड़ा दर्द हो सकता है। मैं आपके माध्यम से इस सरकार को कहना चाहता हूं कि अगर वाकयी यह सरकार हरिजनों के लिए कुछ करना चाहती है और उनके दिल में कुछ दर्द है, तो कुछ करके दिखायें। आपने अभी बाबा साहिब अम्बेडकर का चित्र सेन्ट्रल होल में लगाया है, उनका आदर और मान करने के लिए आप हरिजनों को ऊपर उठाने की बात करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे पुनः कहना चाहता हूं कि आप गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले हरिजनों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयत्न करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती बिमल कौर, पहली दफा ओथ लेने के बाद इस विषय पर बोलना चाहती हैं। मैं उनको सम्बोधित करता हूं।

[अनुवाद]

***श्रीमती बिमल कौर खालसा (रोपड़)** : महोदय, हरिजन घोर कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और इसलिए हम सरकार से आशा करते हैं कि उन्हें खाद्यान्न कपड़ा और आश्रय प्रदान करेगी। आरक्षण केवल कागजों पर रह गया है। वास्तव में उन्हें आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिल पाता है। अतः, उन्हें उनके सही अधिकार दिए जाने चाहिए। सरकार को बढ़ते हुए मूल्यों पर रोक लगानी चाहिए जिससे हरिजन पिस रहे हैं। केवल तभी उनकी आर्थिक स्थिति सुधर पाएगी।

मैं माननीय अध्यक्ष जी को सूचित करना चाहती हूं कि पंजाब में हिंसा का वातावरण ! । पुलिस मुठभेड़ में रोज कई युवक मारे जा रहे हैं। जिन लोगों ने अपने घर छोड़ दिए हैं पुलिस उनके

* मूलतः पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

रिश्तेदारों को परेशान कर रही है। बड़ी संख्या में युवकों को गैर-कानूनी तौर पर बन्द किया गया है। पुलिस उनके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताती है। मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करती हूं कि हमें बताया जाए कि क्या वे वास्तव में पुलिस हिरासत में हैं अथवा नकली पुलिस मुठभेड़ में मार दिए गए हैं।

अथवा उनका अता-पता क्या है। या तो उन्हें छोड़ा जाए अथवा न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। इन सभी नकली पुलिस मुठभेड़ों को तुरन्त रोका जाना चाहिए। अकाली दल के अध्यक्ष सरदार सिमरन जीत सिंह मान और श्री ध्यान सिंह मण्ड पहले दो बार संसद भवन शपथ ग्रहण करने आए थे। हम कहते हैं कि हमें संविधान का पालन करना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 25 के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक सिख को तलवार रखने का अधिकार है। आप अनुच्छेद 25 को पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा है कि हरेक सिख कृपाण रख सकता है और उसमें उसके आकार का कोई उल्लेख नहीं है जब हम पहले शपथ लेने आए थे तो हमने अध्यक्ष महोदय को लिखा था कि यह हमारा संवैधानिक अधिकार है और यह अधिकार हमें मिलना चाहिए। परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद है कि हमें अभी तक उस पत्र का कोई उत्तर नहीं मिला है। उसके बाद दो महीने बीत चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप यहां पर माननीय अध्यक्ष के बारे में उल्लेख नहीं कर सकते हैं।

श्रीमती बिमल कौर खालसा : श्री मान ने भी दो बार लिखा था। श्री मान ने दो महीने पहले यह पत्र लिखे थे।

उपाध्यक्ष महोदय : हम माननीय अध्यक्ष द्वारा की गई कार्यवाई का संदर्भ यहां सदन में नहीं देते हैं।

श्रीमती बिमल कौर खालसा : यह हमारा संवैधानिक अधिकार है और इसलिए हमें आशा है कि आप निश्चित रूप से उन्हें अनुमति प्रदान करेंगे।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : उपाध्यक्ष महोदय, हरिजनों के बारे में भारतीय जनता पार्टी जो कुछ करती है वह मैं याद दिलाना चाहता हूं। दीनदयाल उपाध्याय जन्म दिन पर दरिद्रनारायण कोश में दो-दो रुपया इकट्ठा किया जाता है और हरिजनों के हित के लिए उसका उपयोग किया जाता है और उससे वनवासी केन्द्र चलाया जाता है। जितने भी हरिजन, आदिवासी हैं उनको पढ़ाई के लिए सहायता दी जाती है।

अनुसूचित जाति और जनजाति पर अत्याचार होने के मेरी दृष्टि से तीन कारण हैं—(1) अनुसूचित जाति और जनजाति के भूमिहीन व्यक्तियों को सरकारी भूमि के आबंटन अथवा फालतू भूमि के वितरण से सम्बन्धित अनिश्चित भूमि विवाद। (2) राज्य सरकारों द्वारा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न किए जाने पर, कम भुगतान किए जाने पर, उनके कारण उत्पन्न हुआ तनाव और विरोध। (3) संविधान तथा विभिन्न विधायी और कार्यकारी उपायों में यथावत् अपने अधिकारों

तथा विशेषाधिकारों के बारे में अनुसूचित जाति और जनजातियों में जागृति की अभिव्यक्ति के विरुद्ध रोष। इन तीनों कारणों से हरिजनों पर अत्याचार होते जा रहे हैं।

अपने देश में कुल आबादी में से एक-चौथाई लोग अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं। फिर भी उनका जीवन स्तर अब भी दयनीय और चिंतनीय है। गांवों के अन्दर उन पर अत्याचार हो रहे हैं। हमारे कांग्रेस के एक राज्य मन्त्री रह चुके हैं। उनके गांव सांभालदा, मैसाना जिले में उनके कुटुम्ब के लोगों के कारण 300 हरिजन परिवारों को गांव छोड़कर जाना पड़ा। वे अभी तक अपने गांव वापस नहीं जा सके हैं।

एक कांग्रेस के मिनिस्टर थे। उनके गांव कविटा जिला अहमदाबाद में 18 वर्ष के एक नवयुवक को जान से मार दिया गया। नंगा करके जान से मार दिया गया और अब उसे आत्म-हत्या का केस बनाया जा रहा है। एक नवयुवक को जिंदा जलाया गया। इस तरह के गांवों में हरिजनों पर अत्याचार होत हैं।

जो लोग नौकरी करते हैं, उनका नौकरी में रिजर्वेशन पूरा नहीं होता। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर सामाजिक और मानसिक दोनों प्रकार के अत्याचार होते हैं। उनका रिजर्वेशन नौकरियों में पूरा होना चाहिए। जब उनकी प्रमोशन का समय आता है तो उनकी सी आर खराब कर दी जाती है और उनकी प्रमोशन रुक जाती है। इस प्रकार से उन पर मानसिक रूप से भी गहरा तनाव है। लेकिन आज तक संविधान निर्माताओं की उदात्त आशाओं के अनुरूप उनकी सहायता नहीं हुई है। जो लाभ उन्हें मिलने चाहिए थे वे आज 40 साल के बाद भी उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं।

अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग जो छोटे-मोटे काम करते हैं उनसे भी उन्हें वंचित किया जा रहा है। तकनीकी ज्ञान प्राप्त लोगों के द्वारा एसा किया जा रहा है। जो छोटे-छोटे बुनकर अपना काम करते थे उनके काम के लिए भी बड़ी बड़ी टेक्सटाईल मिलें बन गई हैं। उनके घरों को जला दिया जाता है। लिमड़ी ताल्लुका एक मोएरा गांव में एक राशन की दुकान पर एक हरिजन गया और जब उसका नम्बर राशन लेन के लिए आया तो उसे राशन नहीं लेन दिया गया और उसको जमीन पर लिटा कर छुरी से कमर चीर दी गयी। इस तरह से दिन-प्रति-दिन उन पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं।

हत्या के बाद जो मुआवजा दिया जाता है उसके बारे में मेरा कहना है कि किसी व्यक्ति की जान की कीमत किसी रुपये से नहीं लगाई जा सकती। किसी लड़की के साथ जब बलात्कार होता है तो उसके मां बाप को 5 हजार रुपये दिया जाता है। क्या किसी के अपमान और मां-बाप की इज्जत 5 हजार रुपये से बच सकती है? इस अपमान को हमें रोकना चाहिए। किसी की सम्पत्ति के लिए दो हजार रु० दिया जाता है। यह बहुत कम है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इन लोगों पर अत्याचार बिल्कुल न हों, ऐसा माहौल पूरे देश में होना चाहिए।

अंत में मैं यह कहूंगा कि दिन-प्रति-दिन जंगलों की हालत खराब होती जा रही है। जंगलों की सम्पत्ति के अधिकार जनजातियों के छीने जा रहे हैं। जंगलों पर पूंजीपति कब्जा करते जा रहे

हैं । कुछ राज्य सरकारें विकास के नाम पर वनवासियों के अधिकार कम करती जा रही है और उन लोगों को विस्थापित किया जा रहा है और विस्थापित करने के बाद उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वे उनको नहीं मिलती हैं ।

अंत में मैं कहूंगा कि 1981 से 1986 के आंकड़े मेरे पास है जिनसे मालूम होता है कि हरिजनों पर हमले और उनकी हत्याएं कम नहीं हुई हैं बल्कि बढ़ती ही गई हैं । अत्याचार सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र में बढ़े हैं । ये बड़े बड़े राज्य हैं । जब यहां यह हालत है तो छोटे-मोटे राज्यों में क्या हालत होगी ? यह आप समझ सकते हैं ।

आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस विषय पर हमने भी कल बहस की था, आज भी कर रहे हैं । सारी पार्टियों ने जो कहना था वह कह दिया है । उसके बाद भी मेरे पास बहुत सारे नाम हैं । हम आप सब लोगों को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं । कृपया बहुत ही थोड़ समय में आप अपने विचार प्रकट करें ताकि सब लोगों को मौका मिल सके । मैं समझता हूं कि थोड़ी देर के अंदर इस पर बहस पूरी हो जानी चाहिए, उसके बाद हम इरींगेशन डिपार्टमेंट की डिमांड्स को लेंगे । बहुत थोड़े में आप अपने विचार रखें जिस प्रकार वर्मा जी ने अपना भाषण किया तो कृपा होगी।

श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई चावड़ा (पाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर जो अत्याचार हो रहे हैं इनके बारे में इस हाऊस में रूल 193 के मुताबिक माननीय मल्होत्रा जी ने चर्चा आरम्भ की । इसलिए मैं श्री मल्होत्रा जी को धन्यवाद देता हूं ।

आप सब जानते हैं कि यह सवाल राष्ट्रीय सवाल है । मगर जब मैंने श्री राकेश जी को सुना तो उन्होंने इन अत्याचारों के बारे में कुछ नहीं बताया और प्रधान मन्त्री जी के खिलाफ उन्होंने जो कुछ कहा वह सही नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय मैं जानता हूं कि इतर 40 सालों में जो नहीं हुआ वह चार महीने में कैसे हो सकता है । लेकिन फिर भी इन चार महीनों में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने जनरल सीट से, उड़ीसा में नवीं लोक सभा में दो हरिजन को खड़ा किया और वह दो राजे—महाराजों को हरा कर आये । यह जो प्रधानमन्त्री जी के बारे में राकेश जी ने बताया वह सिर्फ कहा है । प्रधानमन्त्री जी को बदनाम करने के लिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : उसको क्यों दोहरा रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई चावड़ा : महोदय मुझे खेद है । मैं ऐसा नही करूंगा ।

[हिन्दी]

क्या उन्हें पता नहीं है कि जब प्रधान मन्त्री जी ने प्रेस कांफ्रेंस की तो उसमें कहा कि जब तक हरिजन और आदिवासी सामाजिक और आर्थिक तौर पर समानता पर नहीं आयेंगे तब तक उनके लिए आरक्षण रहेगा। हमने इसको पास भी कर दिया।

प्रधान मन्त्री जी ने जो किया कि डा० बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में वह भी उनको पता होगा।

2.30 म. प.

[श्री निर्मल कान्ति चटर्जी पीठासीन हुए]

डा० अम्बेडकर जी की प्रतिमा सेंट्रल हाल में रखी। हमारे प्रधान मन्त्री जी की नीयत साफ है और हम आगे देखेंगे कि काम भी ठीक होगा। मगर अत्याचारों की असल वजह क्या है? मैं मानता हूं कि मूल कारण अस्पृश्यता है और यह हिन्दू धर्म के लिये कलंक की बात है। अगर भारत से अस्पृश्यता को खत्म करना है तो हिन्दू धर्म के वरिष्ठ अगुवा 4 शंकराचार्य हैं उनमें से एक हरिजन को भी शंकराचार्य बनाया जाये। अगर कास्टीजम दूर करने मे कोई दिक्कत या कठिनाई है तो हमारे शंकराचार्य जी दिल्ली में आने वाले हैं। मैं हार्दिक अपील करता हूं कि आप लोग वहां पधार कर इन समस्याओं को उनके सामने रखें ताकि छुआछूत का भेदभाव इस देश से मिटाया जा सके।

इसको दूर करने के लिए 4 शंकराचार्यों में से एक हरिजन होगा—ऐसा आप वहां डिक्लेयर करें। जब मैं एल.एल.बी. में कांस्टीच्यूशन ला पढ़ रहा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मूलभूत अधिकारों के बारे में अनटचेबिलिटी अबोलिश के सम्बन्ध में जो अभी आर्टीकल 70 है वह उन्होंने रखा था। फण्डामेंटल राइट्स जो मलभूत अधिकारों की कमेटी थी, उसका सारी दुनिया में नाम आया। यदि भारत में भी हिन्दू धर्म के लोग ऐसा करेंगे तो उनका भी सारी दुनिया में नाम होगा। कांग्रेस वालों ने 'हरिजन' शब्द अपनाया था। डा० अम्बेडकर जी के समर्थक बोलते हैं दलित लोग, हमारा कांस्टीच्यूशन कहता है अनुसूचित जाति लोग—इसमें बहन मायावती जी को बुरा नहीं मानना चाहिये।

छुआछूत को हमें इस देश से निकालना है। जब जनता पार्टी की सरकार थी तब श्री मोरारजी देसाई प्रधान मन्त्री, जगजीवन राम जी मन्त्री और देवीलाल जी चीफ मिनिस्टर थे। उस समय भारत में सारे चीफ मिनिस्टर्स को बुला करके कह दिया गया था कि अगर देश से छुआछूत को निकालना है तो क्या क्या किया जाये? तब आखिर में श्री मोरारजी भाई ने यह तय किया कि हम 10 साल के अन्दर इस देश से छुआछूत को निकाल देंगे। बाद में जनता गवर्नमेंट गिर गई। इसके बाद इन लोगों ने क्या किया। कल राकेश जी कह रहे थे, मैं सुन रहा था। गुजरात में मोची अस्पृष्य नहीं था। 1976 में उसको हरिजन में डाल दिया गया। ५ मिनट में कानून बनाने के लिए सब एक्स्ट्रा बेच करके हाउस में बिल लाया गया, और गुजरात में मोची जो अनटचेबल नहीं है, उसको

हरिजन बना दिया गया। वे देश में अस्पृश्यता कायम रखना चाहते थे। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। यह क्यों किया गया। गुजरात में उमरगांव तालुक है, जो महाराष्ट्र के नजदीक है, उस तालुक में थोड़े से मोची रहते थे, बजाए इसको कि उनके यहां अस्पृश्यता समाप्त करते, सारे गुजरात के मोचियों को अस्पृश्य बना दिया गया। गुजरात के हरिजन इससे बहुत खफा हैं, यह अन्याय किया गया है। इस बारे में मैंने प्राइवेट मेंबर बिल दिया है, पता नहीं कब आएगा। जब आएगा तब पूछेंगे कि सरकार इस बारे में क्या करने वाली है, मगर उस वक्त नीयत साफ नहीं थी। अस्पृश्यता को अगर निकालना था तो केवल उमरगांव तालुक से निकालते, लेकिन वैसा नहीं किया गया, बल्कि एंटी हरिजन काम किया गया।

सभापति महोदय, अभी ज्यादा समय नहीं है, सोशल वेलफेयर विभाग की मांगों पर बोलने का अवसर मिलेगा तो और बातें कहूंगा। कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, बजट पर बोलते हुए भी मैंने कहा था, कहते क्या हैं और करते क्या हैं। सभापति मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि एक समय तय कर दिया जाये 5 साल का, 10 साल का, जब रिजर्वेशन का समय पूरा होता है असेंबलीज में, लोकसभा में, 26 जनवरी 2000 तक आप निश्चित कर दें कि भारत में छुआछूत नहीं रहेगी, ऐसा टाईम बाउंड प्रोग्राम बना दें और उसके मुताबिक काम करें तब आपका नाम दुनिया में रोशन होगा। आज हम सारी दुनिया की, खासकर साउथ अफ्रीका की बात करते हैं मगर अपने घर में जो चल रहा है, उसको भी जरा देखना चाहिए। अगर अपने घर में नहीं देखेंगे तो आप जानते हैं हम 130 एमपीज हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के। मैंने कहा था जब कम्युनल दंगों पर बहस हो रही थी, नियम 19 के अंतर्गत चर्चा हो रही थी, सब लोग चले गए और कांग्रेस वालों को तो लगता है कि इसमें कोई दिलचस्पी है ही नहीं, उनको तो राजनीतिक फल क्या होगा, इसमें दिलचस्पी है। (व्यवधान)

सभापति महोदय, यह राष्ट्रीय सवाल है, इसलिए राष्ट्रीय दृष्टि से इस सवाल को देखना चाहिए। मैं राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार से विनती करता हूं कि आप कार्यक्रम तय कर दें। हम नहीं चाहते कि रिजर्वेशन कायम रहे, रिजर्वेशन हम नहीं चाहते हैं, हम भारत के नागरिक हैं, सेकण्ड क्लास नागरिक नहीं, वन परसन-वन वोट वाले हैं, लेकिन करना क्या चाहिए एक ही मुख्य सवाल आता है अस्पृश्यता को निकालने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम लागू कर दें। दूसरी बात यह कि पोजिटिवली आर्थिक मामले में क्या करना चाहिए हमारे यहां रिजर्वेशन तो है मगर जब जनता गवर्नमेंट गिरी, उसके बाद ऐसा हुआ कि ज्यादा मार्क्स वाले लोगों को नौकरियों में लिया गया। ऐसा गुजरात में हुआ है, जहां कांग्रेस का रूल था। मैंने उस समय राष्ट्रपति जैल सिंह जी को लिखा था कि रिजर्वेशन तो जहन्नुम में गई जो जायज हिस्सा है शेड्यूल्ड कास्ट्स वालों का उसमें 300 आदमियों को नहीं लिया, जनरल लोगों को ले लिया मुझे जवाब आया कि आपकी बात सही है गुजरात में ऐसा हुआ था। तब कांग्रेस का रूल था। यह जो रिजर्वेशन इन सर्विसिज एण्ड पोस्टस है स्टेट और सेंटर में, इसे पूरा भर दिया जाए। इसके लिए टाईम फिक्स कर दिया जाए। इसमें ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम बदनाम होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आप लोग इसे रखना चाहते हैं, क्योंकि आपको सहूलियत मिलती है।

अभी भी सारे भारत वर्ष में देखिए, गांवों में देखिए, वे गांवों के किनारों पर रह रहे हैं। हिन्दू-मुसलमान साथ रह सकते हैं, क्रिश्चियन साथ रह सकते हैं, लेकिन हमारा हरिजन भाई साथ में

नहीं रह सकता। शहरों में भी ऐसा ही है और स्लमस में रहते हैं, वहां भी ऐसा ही है। हिन्दू होते हुए भी बराबर शैडयूल्ड कास्ट्स के लोगों की शेविंग नहीं करते हैं। हरिजन मन्दिर में नहीं जा सकता है, कुएं पर पानी नहीं भर सकता है। यह पोजीशन अब नहीं चलेगी। अब बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप कहेंगे कि कब तक रिजर्वेशन रखेंगे जब तक उनका उद्धार नहीं होगा, आर्थिक और सामाजिक रूप से समानता नहीं आएगी तब तक रिजर्वेशन रखनी होगी। रिजर्वेशन निकाल देने से क्या होगा। यदि कानून फेल होता है तो आतंकवाद आता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि वे लोग आतंकवाद पर चले जाएंगे . लेकिन लोजिकल कंकलूजन तो यही है।.....(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपकी पार्टी के कुछ और वक्ता भी हैं। आप अपना भाषण समाप्त करें ताकि अन्य सदस्यों को भी बोलने का अवसर मिले।

[हिन्दी]

श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई चावड़ा : आप घण्टी बजाते हैं तो मैं बैठ जाता हूं। मैं डिसिप्लीन को मानता हूं। जब स्पीकर साहब टाईम नहीं देते हैं तो मैं बोलता नहीं हूं। इसलिए नहीं बोलता हूं क्योंकि जिनके पास लगस पावर है उनको ही टाईम मिलता है। आपके आदेश के मुताबिक मैं बैठ जाता हूं।

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : सभापति महोदय, 43 वर्ष की आजादी के बाद भी हरिजनों पर जुल्म जारी है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 14 परसेंट हरिजन हमारे देश में हैं और 3 परसेंट आदिवासी हैं। दोनों को मिलाकर 22 परसेंट इनकी संख्या बनती है। दूसरी किसी जाति की जनसंख्या 22 परसेंट इस देश में नहीं है। लेकिन फिर भी आज लोग बेहाल हैं। आजादी के बाद संविधान में कई तरह के प्रावधान किए गए। लेकिन वे प्रावधान केवल किताबों तक ही सीमित रहे। उनसे कोई लाभ मूल रूप से हरिजनों को नहीं मिला। आरक्षण की नीति बनाई गई है, लेकिन आरक्षण पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ। सरकार के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक जितनी जगह उनके लिए थीं उन जगहों पर उनकी बहाली नहीं हुई। उनके बदले कई जगह दूसरे लोगों को बहाल कर दिया गया। यदि बहाली नहीं भी हुई है तो वे जगह आज तक खाली हैं। 84 से लेकर 88 तक का डाटा सरकार के द्वारा प्रकाशित है। उसके मुताबिक यही मालूम होता है कि किसी भी साल में जितनी जगह रिक्त थी आरक्षण की, किसी भी जगह उन्हें भरा नहीं गया है। किसी भी जगह को भरा नहीं गया है। अगर उन जगहों को भर दिया जाता तो हरिजनों को आर्थिक रूप से बहुत लाभ होता। लेकिन वह काम नहीं किया गया। बहुत राज्यों में जहां हरिजनों की बहाली, जहां आदिवासियों की बहाली होनी चाहिए उन जगहों पर उन लोगों की बहाली कर दी गई जो कि हमारे यहां ऊंची जाति के नाम से पुकारे जाते हैं। इस तरह का काम केवल सरकारी नौकरियों में ही नहीं किया गया, बल्कि आजादी के बाद सरकार में भी उनको उचित हिस्सा नहीं दिया गया। जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो हरिजनों के नाम पर एक बाबू जगजीवन राम को मन्त्री पद दे दिया जाता था और उनकी हुकूमत जाने के बाद वही परम्परा आज भी लागू है। इस देश में 22 प्रतिशत होने के

बाद भी किसी एक हरिजन को मन्त्री बना दिया जाता है और उसके बाद यह कहा जाये कि हमने बहुत से हरिजनों को मन्त्री बनाया है तो सरकार के सामने मन्त्रियों की लिस्ट है। जिस तरह से एक मन्त्री बनने की प्रथा कांग्रेस की हुकूमत में थी वही वर्तमान सरकार में भी है। मैंने लिस्ट को देखा है हरिजन के नाम पर केवल राम विलास पासवान को मन्त्री पद मिला है। राज्य मन्त्री या उपमन्त्री और होंगे, लेकिन केबिनेट रैंक का मन्त्री एक ही हरिजन को बनाया है। जनसंख्या के आधार पर देखें तो यहां किसी भी दूसरी जाति की जनसंख्या 22 प्रतिशत नहीं है। अगर उसके अनुपात में उनको मन्त्री बनाया जाये तो उनकी संख्या कम से कम 4-5 तो होनी ही चाहिए, ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन उन पर अत्याचार आज भी जारी हैं। क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने आरक्षण का ढिंढोरा पीटा, लेकिन कहावत है कि मुंह में राम बगल में छुरी। माना कि हरिजनों को आरक्षण दिया जायेगा, लेकिन जब मन्त्री बनाने का मौका आये तो एक हरिजन को मन्त्री बना देते हैं। वही परम्परा आज तक लागू है। इतना ही नहीं संविधान में लिखा गया है कि अछूत अगर किसी कोई कहता है तो उसको 6 महीने की सजा दी जायेगी, जहां तक मुझे जान पड़ता है यही संविधान में लिखा गया है लेकिन जगजीवन राम जैसे आदमी जो हरिजनों के नेता थे और हम भी उनको नेता मानते थे। लेकिन जब वह बनारस में गये और एक मूर्ति को उन्होंने छू दिया तो देश के सबसे बड़े पंडित कहे जाने वालों ने दूसरे दिन ही गंगा जल से उसे धोया। उन्होंने कहा कि हरिजन ने छू दिया है इसलिए यह मूर्ति अपवित्र हो गई। क्या सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाया? उस समय कांग्रेस की हुकूमत थी। आज वही लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हमारी सरकार होती तो हरिजनों को सुरक्षित रखती, इतना अत्याचार नहीं होता। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के भाइयों से कि आपकी हुकूमत थी तो जिन आदमियों ने जगजीवन राम द्वारा छुई हुई मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराया आपने उनके खिलाफ मुकदमा कराया? नहीं! कल एक कांग्रेस के भाई बोल रहे थे और वह कांग्रेस का ढिंढोरा पीट रहे थे कि इन्दिरा गांधी जिन्दा होतीं तो उनके पक्ष में कानून बनातीं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं जिस समय वह जिन्दा थीं, माना उन्होंने कानून बनाये, लेकिन जगजीवन राम के होते हुए भी उस बड़े पण्डित के खिलाफ कोई भी मुकदमा आई. पी. सी. के तहत कोर्ट में क्यों नहीं दायर किया गया। कितने दिनों तक यह बातें चलेंगी, यह मैं कह नहीं सकता हूं। लेकिन हमारे जैसे आदमी यह आह्वान करते हैं कि अगर हरिजनों को अधिकार प्राप्त करना है और अगर कोई अधिकार उन्हें नहीं देता है तो हरिजनों को लड़कर अपने अधिकार लेने चाहिए। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इस तरह से एक बात नहीं जितनी भी बातें अत्याचार के विषय में कही जाएं वह कम होंगी। पुलिस के द्वारा भी जुल्म का कोई ठिकाना नहीं है। देश के पैमाने पर देखिये अगर कहीं चोरी और डकैती हो जाती है तो 395 में जो सबसे पहले मुकदमा बनवाया जाता है वह हरिजनों के खिलाफ बनाया जाता है। एस. पी. कहता है कि तुम को आदमी नहीं मिलते हैं, जाओ इन्हीं को पकड़ कर बन्द कर दो। क्योंकि वह बड़े आदमी, गांव के जमींदार को जेल में बन्द नहीं कर सकता है, राजा-महाराजा को बन्द नहीं कर सकता है, जो दिन में और रात में नाजायज तरीके से लाठी लेकर घूमते हैं उनको जेल नहीं भेजा जा सकता है। इसलिए नहीं भेजा जा सकता है कि उनका आदमी कोई न कोई राज्य का मन्त्री बना रहता है। इसलिए गांव में सबसे पहले जो सबसे अधिक कमजोर है, जो डोम या मुसहर जाति का है वह कैसा भी हो, जो भूमिहीन हो उसको पकड़ कर 395, 402 और 399 के मुकदमे में जेल भेज दिया जाता है। कोर्ट का जूडिशियल

मैजिस्ट्रेट पुलिस से मीमो आफ एविडेंस मांगता है और कहता है कि इसके खिलाफ अभी तक एवि-डेंस क्यों नहीं आया है ? 15 दिन जेल में रखने के बाद वह मीमो आफ एविडेंस देता है और 15 दिन के बाद फिर डेट देता है। पुलिस चाहती है कि हरिजन उनके यहां आवे और उनको रुपये दे, तब वे उसका एविडेंस भेजेंगे एक महीने तक वह एविडेंस नहीं भेजता है । अगर कोई समझदार जूडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है तो एक दो डेट देने के बाद उसको बेल दे सकता है मगर रिएक्शनरी आदमी जूडिशियल मैजिस्ट्रेट है, तो 3-3, 4-4 महीने तक केस चार्जेज फाईनल होने तक हरिजनों को जेल में रखता है। उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। इतना ही नहीं सस्पेक्ट के नाम पर 395 के अन्तर्गत मुकदमा हरिजनों पर किया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले साल बक्सर के सब डिवीजन गढ़ापुर थाने में टेहरी गांव में हरिजनों की औरतों के साथ बलात्कार किया। सवेरे औरतें मुकदमा करना चाहती थीं तो पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही थी लेकिन जब गरीबों ने झंडा लेकर भीड़ इकट्ठी की तो एस० पी० आया और मुकदमा दर्ज हुआ जो पिछले साल से पुलिस के खिलाफ चल रहा है। अगर वहां हरिजन लड़े नहीं होते तो उस औरत के बलात्कार का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ होता। एक ही बलात्कार की बात नहीं ?, पुलिस तो इतने अत्याचार और बलात्कार गरीब और हरिजनों के साथ करती है कि जिसका जितना वर्णन किया जाये, वह कम है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। यदि एक धनी आदमी के घर चोरी हो जाती है या धनी आदमी के साथ कोई घटना हो जाती है तो पुलिस एड़ी-चोटी का पसीना एक कर देती है । अगर किसी धनी आदमी के बेटे का अपहरण हो जाये तो एस०पी० से लेकर डी०आई०जी० और आई०जी० तक उसे ढूंढने लगते हैं। सरकार का पेट्रोल जलाने लगते हैं। मैं आपको नागपुर की घटना बताऊं। एक लड़की प्रमिला जिसका एक साल पहले अपहरण किया गया। उस लड़की के माता-पिता पुलिस के आगे बतायें कि फलां आदमी ने उनकी लड़की का अपहरण करा लिया है लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस सम्बन्ध में देश के अखबारों में निकला कि प्रमिला का पता नहीं चल रहा है लेकिन पुलिस अपने कानों में तेल डालकर सोई हुई है। यदि किसी बड़े घराने की लड़की होती तो भारत सरकार ही क्या, राज्य सरकार ही एड़ी-चोटी का पसीना एक कर देती लेकिन एक साल हो गया आज तक उस व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकद्मा नहीं किया है। इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से यह आदेश होना चाहिए जो भी पुलिस अधिकारी इस केस में इन्क्वायरी करता है, यदि उसका क्लू नहीं लगाता है तो उसे नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए तब लगेगा कि हरिजनों के पक्ष में काम हो रहा है। ऐसी कितनी हो घटनायें हैं लेकिन समयाभाव के कारण मैं कह नहीं पा रहा हूं।

सरकार ने हरिजनों को फायदा दिलाने के लिए हदबन्दी कानून बनाया है जो कि सही है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो या बिहार हो, तमाम जगहों पर हदबन्दी कानून बनाया गया है लेकिन वह लागू कहां होता है ? हदबन्दी से फाजिल जमीन निकाल दी जाती है और उसको निकाल देने के बाद हरिजनों का उसमें दखल नहीं होता है। मैं एक बात इस सम्बन्ध में बतलाना चाहता हूं। जिला भोजपुर अंतर्गत डुमरांव में कचेनिया गांव है जिस जगह महन्त की 200 एकड़ जमीन निकाल दी गई। उसने मुकद्मा किया तो हाईकोर्ट में हार गया। वह जमीन 99 गरीब लोगों में बांट दी गई, दखल-दहानी भी हुई लेकिन आज महन्त लाठी और गोली के बल

पर उन गरीबों को उक्त जमीन पर जाने नहीं देता है। गत बिहार का प्रशासन जो जगन्नाथ मिश्र के अधीन था, वह कानों में तेल डालकर सोया रहा और आज उसी सिलसिले में उन्हीं 99 आदमियों पर 107 का मुकद्दमा चल रहा है। यदि कानून को कोई नहीं मानता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी लेकिन यहां 99 आदमियों को ही त्रास किया जा रहा है। उस जमीन पर उसका अधिकार है तो यह क्यों नहीं दिया जा रहा है? लेकिन पुलिस किसी महन्त या प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ 107 का मुकदमा नहीं चलाती है। पुलिस किसके खिलाफ 107 का मुकदमा चलाती है, सिर्फ हरिजनों पर, जो कानून को मानते है, पालन करते हैं। इस देश में हरिजन आदिवासियों पर कई तरह के अत्याचार आज भी हो रहे हैं। एक नहीं, हजारों घटनाएं इस तरह की होती हैं। भोजपुर जिले के संमरी थाने के अन्तर्गत बच्चा लाल गोण नाम के एक व्यक्ति को "प्रिविलेज्ड परसन्स फार हूम टेनेंसी एक्ट' के मुताबिक जमीन का पर्चा दिया गया। भोजपुर के जिला कलेक्टर और भोजपुर जिले के एस.डी.ओ. ने जाकर उसे दखल दहानी दिलवाया परन्तु जब वह गरीब उस जमीन पर गया तो गांव के जमीदार ने, जो उस जमीन पर दखल किये हुये था, उस जमीन से उसे खदेड़ दिया और कहा कि मैं किसी कलेक्टर या एस०पी० को नहीं जानता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज तक उस गरीब बच्चा लाल गोण को जमीन पर कब्जा नहीं मिला, जबकि उसके पास "प्रिविलेज्ड परसन्स फार हूम टेनेंसी एक्ट" के अन्तर्गत मिली जमीन का पर्चा मौजूद है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर वास्तव में आपने हरिजनों का उद्धार करना है तो वह उसी हालत में हो सकता है जब हदबन्दी से फाजिल जमीन सरकार के द्वारा बंटवाई जाये, सरकार उसका स्वयं बंटवारा करे और उस जमीन पर फिजिकल पजेशस्न कराये। यदि ऐसा नहीं होगा तो आप चाहे जितने कानून बनाते रहिये, कोई काम चलने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से हरिजनों को कोई संरक्षण नहीं मिलता, जिससे लाचार होकर उसे फिर उसी वोट की राजनीति करने वाले के पास जाना पड़ता है। वे लोग उस पर कातिलाना हमला करते हैं। फिर आप कहते हैं कि देश में नक्सालाइटस का प्रभाव बढ़ता जा रहा है. उसका मुकाबला करना चाहिए। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि ऐसा नक्सालाइटस की वजह से नहीं होता, वहां कोई नक्सालाइटस नहीं हैं, बल्कि वे लोग अपना हक प्राप्त करना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि इस देश के जहां भी हरिजनों पर अत्याचार किये जाते हैं, सरकार की तरफ से उनका मुकाबला किया जाना चाहिए। सरकार की ओर से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हरिजनों और गरीबों पर होने वाले अत्याचारों को रोका जा सके। यदि इन अत्याचारों को नहीं रोका गया तो स्थिति बद से बदतर होती जाएगी। इन शब्दों के साथ, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

* **श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दन (तिरुनेलवेली)** : माननीय सभापति महोदय, मैं पहली बार अपनी मातृभाषा तमिल में बोलना चाहूंगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के मामलों पर इस सभा में बार-बार चर्चा किये जाने से तो स्पष्टतः यही संकेत मिलता है कि साम्प्रदायिक सौहार्द मापन करने में जितनी परिपक्वता होनी चाहिए थी उतनी परिपक्वता हम लोगों में विद्यमान नहीं है। प्रो० मल्होत्रा द्वारा शुरू की गई चर्चा में भाग लेने वाले सभी सदस्यों ने

*मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

भी उस स्थिति का दुखड़ा रोना है, जिसमें हम आजादी के 42 वर्षों बाद रह रहे हैं। कल माननीय सदस्या कुमारी मायावती ने अपने वक्तव्य में तमिलनाडु के ई० वी० रामास्वामी नायकर का साभार जिक्र किया था।

वह मुख्यमन्त्री नहीं थे। वह राष्ट्रपति नहीं थे। उन्होंने तमिलों को इतना परिपक्व बताया कि आज हम तमिलनाडु में कुशलपूर्वक रह रहे हैं।

•मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि तमिलनाडु में साम्प्रदायिक दंगों की संख्या कम थी। मैं तिरुनेलवली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का सदस्य हूं 1967 में चौथी लोकसभा के लिये यहां से एक हरिजन ईसाई निर्वाचित हुए थे। वह कोई महान राजनैतिक नेता नहीं थे। वह एक साधारण कार्य-कर्ता थे। यह गर्व की बात है। महान अन्ना, पेरियार (वरिष्ठ जन श्री ई० वी० रामास्वामी नाय-कर) और पुरात्ची कलइवर (नेता क्रांतिकारी) डा० एम० जी० रामचन्द्रन को जनता इसलिए सम्मान नहीं देती कि वे प्रसिद्ध राजनेता थे बल्कि इसलिए उन्होंने लोगों को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का पाठ पढ़ाया। यह हमारे लिये गर्व की बात है। यह हमारी प्रतिष्ठा की बात है।

•माननीय गृहमन्त्री यहां बैठे हैं। मैं जनता द्वारा निर्वाचित संसद सदस्य हूं।

3.00 म. प.

•मैं एक बात कहना चाहता हूं। इसे नोट कर लें। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ओट्टापिडारम विधान सभा क्षेत्र में उच्च जातियों का एक वर्ग आज तक भी हरिजनों को मताधिकार का प्रयोग करने से रोकता रहा है। इस समय मैंने साधारण पुलिस कर्मचारियों से बात नहीं की बल्कि भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और उनसे कहा कि इस समय इस क्षेत्र से मैं खड़ा हुआ हूं और अपनी जान-जोखिम में डाल कर उस क्षेत्र में जा रहा हूं। मैं इस सम्बन्ध में आंकड़े प्रस्तुत कर सकता हूं। तिरुमणपुरम, पन्नीरपुरम और कादम्बुर के निकट ओट्टापिडारम के 95% से अधिक हरिजन इस चुनाव में वोट डालने नहीं आये। चूंकि समय बहुत कम है····

•मैं सदन को एक सुझाव देता हूं।

यदि हरिजनों की दशा सुधरती है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बेरोजगार हरिजनों की गणना की जानी चाहिए और उन्हें निर्धारित समयावधि में रोजगार प्रदान किया जाना चाहिए। हरिजन लड़के अथवा लड़की से अंतर्जातीय विवाह करने वाले व्यक्तियों को रोजगार में वरीयता दी जानी चाहिए। इससे महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने में सहायता मिलेगी। यह महात्मा गांधी और उनके अनुयायी पेरियार की सेवाओं का फल है कि हम जैसे व्यक्ति सदस्य के रूप में यहां इस सदन में विराजमान हैं। सांप्रदायिक दंगे तमिलनाडु में जिनकी संख्या बहुत कम हुआ करती थी अब बढ़ने लगे हैं।

•अंग्रेजी में दिया गया भाषण

•मूलत: तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

•माननीय मन्त्री इस पर ध्यान दें।

*तमिलनाडु में, बोदिनायकनूर निर्वाचन क्षेत्र है। इसमें मेरे नेता पुरात्ची थालइवी (नेता क्रांतिकारी) जयललिता पुन: विजयी हुए हैं।

*आपसे स्पष्ट रूप से कह दूं। वह ब्राह्मण महिला हैं। दलीय सिद्धांतों के आधार पर ही एक अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य इस निर्वाचन क्षेत्र से जीत सका है। और कोई बात नहीं। केवल एम०जी रामचन्द्रन के कारण।

*परन्तु चूंकि वह बोदिनायकनूर से जीती हैं, तमिलनाडु की वर्तमान सरकार ने अधिकारियों से सांठगांठ करके बादी में एक गम्भीर सांप्रदायिक दंगे का षड्यंत्र रचा गया।····सांप्रदायिकता की आग अभी बुझी नहीं है। इस पर नियंत्रण ही पाया जा सका है। राज्य सरकार भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का दुरुपयोग कर रही है। ये पुलिस अधिकारी आपकी सरकार के अधीन हैं। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं।

निकटवर्ती समूह क्षेत्र में 10 दिन पहले एक गम्भीर सांप्रदायिक दंगा हुआ था। इक्किरवन-कुडी मरियम्मन काली मन्दिर नामक एक मन्दिर है। यह सत्तामाता मन्दिर जैसा है। इस मन्दिर के पुजारी एक हरिजन है। मन्दिर के आसपास की दुकानों पर हरिजनों का स्वामित्व है, उच्च जाति के कुछ लोगों ने हरिजन की एक दुकान से 10 टोपियां लीं और उन्हें एक भी पैसा नहीं दिया। इससे संघर्ष की स्थिति पैदा हुई। 10-12 लोगों की हत्या हो गई।

14 अप्रैल, तमिल महीने चितिराई के पहले दिन तमिल नव वर्ष दिवस पर, तमिलनाडु के मुख्यमन्त्री ने एक कवि सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। निम्नलिखित पंक्ति गाई गई :

"जाति संघर्ष पर काबू पाया टोपी से" क्या कोई मुख्यमन्त्री लोगों को हिंसा के लिए उकसा सकता है ? क्या ये पंक्तियां उन हरिजनों को भड़काने वाली नहीं हैं, जिनकी दुकान से टोपियां उठाई गई ? क्या इससे सांप्रदायिक उद्वेग पैदा नहीं होगा ? क्या इससे सांप्रदायिक सलाखों को ठेस नहीं पहुंचेगी ?

*राजनेताओं में ऐसी इच्छा शक्ति विद्यमान होनी चाहिए ताकि हरिजनों में इस तरह की भावना न पनपे।

*एक माननीय सदस्य बड़े ही रुष्ट होकर बोल रहे थे। अतः मैं यह कहता हूं कि····

*देश में हो रहे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर निरन्तर अत्याचार पर यहां चर्चा होती रहेगी। कानून में संशोधन करने से कोई लाभ नहीं है। *जब हम परिपक्व हो जाएंगे

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर
*अंग्रेजी में दिया गया भाषण

तो देश में सांप्रदायिक सौहार्द कायम कर सकेंगे, तमिलनाडु में पहले सांप्रदायिक संघर्ष नहीं होता था। पर आजकल तमिलनाडु में हरिजनों और वनियों, हरिजनों और मारवाओं में सांप्रदायिक संघर्ष की घटनायें बढ़ रही हैं।

माननीय मुफ्ती मोहम्मद सईद ने एक सुन्दर नारे का जिक्र किया है। हिंसा के नारे से नारे को त्याग देना चाहिए।

परन्तु मैं माननीय मन्त्री को एक नारा देना चाहता हूं। उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए।

*मारवा की हत्या करो और मारवा लड़की से विवाह करो। नारा यह था। यह एक हिंसक नारा था। हरिजनों ने यह नारा क्या छेड़ा ? क्योंकि उस क्षेत्र में दमन चल रहा था।

इससे सांप्रदायिक संघर्ष बढ़ता है। यह नारा सांप्रदायिक दंगा भड़काने के लिये काफी है। जब हम पंजाब और कश्मीर की चर्चा करते हैं, तो हम हिंसा त्यागने का नारा देते हैं।

परन्तु तमिलनाडु में सांप्रदायिक संघर्ष की घटनाएं बढ़ रही हैं और आपको शुरुआत में ही इन पर काबू पा लेना चाहिए। कल जब माननीय सईद वक्तव्य दे रहे थे, उन्होंने अनुसूचित जातियों के राज्यपालों और पुलिस अधीक्षकों आदि के बारे में चर्चा की थी⋯परन्तु मैं इस सदन में बड़े गर्व से यह कहता हूं कि हरिजन को मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त करने का सम्मान केवल हमारे एम.जी. रामचन्द्रन को जाता है।

*वह 3 वर्ष तक रहे। यह है हमारा तमिलनाडु।

**परन्तु आज तमिलनाडु सांप्रदायिक संघर्ष का क्षेत्र बन गया है। इसे रोकना चाहिए। आप अपने और अपने साथी श्री करुणानिधि के अधीनस्थ भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को चेतावनी जारी करें।

*गांधी जी उत्तर भारत में पैदा हुए थे। पर वे तमिलनाडु में निवास करते हैं

** मैं इन शब्दों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री युवराज (कटिहार) : कल से आदिवासी अत्याचार पर चर्चा हो रही है और आज यह समाप्त होने वाली है। हम आग्रह करना चाहते हैं कि कम्युनल डिस्टरबैंस पर तीन दिन कई घण्टे तक चर्चा हुई। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका समय बढ़ाइये। आप हाउस से राय लेकर समय बढ़ाइये और आज यदि नहीं होगा तो मंडे को जरूर दो-तीन घंटे इस पर और बहस करवाइए। इसमें सभी लोगों की दिलचस्पी है।

*अंग्रेजी में दिया गया भाषण
**मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस बारे में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में निर्णय लिया जा सकता है। गजपूर्ति न होने के कारण, एक बार यह निर्णय किया गया कि चूंकि गृह मन्त्रालय के अनुदानों पर चर्चा की जा रही थी और सांप्रदायिक स्थिति पर भी चर्चा की गई थी और, इसलिए, मन्त्री द्वारा एक सामान्य उत्तर दिया जाएगा और उन्होंने उत्तर दे दिया है। उक्त बात को ध्यान में रखते हुए, इस विषय को समाप्त हुआ मान लीजिए। आइये हम चर्चा आरम्भ करें। इससे पहले, श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लिए बढ़ाई गई राज सहायता के बारे में एक वक्तव्य देंगे।

3.09 म०प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अनसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिए राज सहायता में वृद्धि

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : निःसंदेह सदन को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की जानकारी है जिसका प्रमुख उद्देश्य गरीबी दूर करना है। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को सहायता देना है ताकि वे सबसिडी और ऋण की मार्फत आय बढ़ाने वाली परिसम्पत्तियां जुटा सकें। इस समय, छोटे किसानों को 25 प्रतिशत, सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों और अन्य लोगों के लिये 33-1/3 प्रतिशत, सबसिडी दी जाती है। अनुसूचित जनजाति के परिवारों को 50 प्रतिशत सबसिडी दी जाती है। सामान्य क्षेत्रों में सबसिडी की अधिकतम सीमा 3000 रुपए, सूखा-ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम/मरूभूमि विकास क्षेत्रों में 4000 रुपये, तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 5000 रुपए है। अनुसूचित जाति के परिवार 3000 रुपए अथवा 4000 रुपए और 25 प्रतिशत अथवा 33-1/3 प्रतिशत सबसिडी प्राप्त करने के पात्र है।

मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी है कि सरकार ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जाति परिवारों को उपलब्ध सबसिडी के स्वीकृत परियोजना के 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चुने गए अनुसूचित जाति परिवारों के लिए सबसिडी की अधिकतम सीमा को भी बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया गया है। इससे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जाति के परिवारों को उतने ही लाभ मिल सकेंगे जितने कि अनुसूचित जनजाति के परिवारों को मिल रहे हैं।

इस निर्णय से चालू वर्ष में ही लगभग 8.5 लाख अनुसूचित जाति परिवारों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सबसिडी की बढ़ी हुई मात्रा मिल सकेगी। हमें आशा है कि ऐसा

करने से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभ अनुसूचित जाति परिवारों को मिल सकेंगे ताकि वे अपने आय स्तरों को बढ़ा सकें और अंततः गरीबी की रेखा को पार कर सकें।

3.10 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों पर अत्याचार—जारी

[अनुवाद]

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : महोदय, मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों पर अत्याचार के बारे में की जा रही चर्चा में भाग लेना चाहूंगा। मैं श्री विजय कुमार मल्होत्रा को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने यह चर्चा आरम्भ की और उन्होंने इस मुद्दे को देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर निरन्तर अत्याचार के रूप में उठाया है। वास्तव में, यह केवल आज का ही प्रश्न नहीं है। विगत समय में भी, यहां तक कि ब्रिटिश शासन काल में भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों पर अत्याचार किए जाते थे। गत 42 वर्षों से, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों पर निरन्तर अत्याचार किए जा रहे हैं। अतः, यह कोई नई बात नहीं है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों जैसे ये निर्धन लोग, दलित लोग उनके प्रति किए जाने वाले दमन का प्रतिरोध करने का प्रयास करते रहे हैं। उस समय, जागीरदारों, जमींदारों तथा भू-स्वामियों और पुलिस तथा प्रशासन में कार्यरत लोगों की मिलीभगत थी और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों पर किए जाने वाले अत्याचारों में इन सभी लोगों का हाथ होता था।

महोदय, हम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की स्थिति के बारे में जोर-जोर से बोलते हैं। हम यहां बोलते हैं, और सभा के बाहर भी बोलते हैं हम अनेक बातें कहते हैं। हम इस सम्बन्ध में महात्मा गांधी ने जो कहा था वह भी बताते हैं। इस सम्बन्ध में स्वामी विवेकानन्द ने जो कहा था हम वह भी बताते हैं। स्वामी विवेकानन्द ने कहा था : "आप भारतीय लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि ये मोची और झाड़ू वाले आपके भाई हैं और बहनें हैं उनमें भी आपका खून है, आपके भाई हैं।" कभी कभी हम गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर का हवाला देते हैं। महोदय, आप इसे भलीभांति जानते हैं कि यह उनकी कविता में था, इसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया था :

"जिसे आप पीछे रखना चाहते हैं वह आपको उतना ही अधिक पीछे खींच रहा है" वास्तव में अत्याचार दिन प्रति दिन बढ़ते जा रहे हैं। केवल चर्चा से अधिक लाभ नहीं होगा। गत 42 वर्षों से हम इस महान् सभा में अनेक बार इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं। उसका क्या परिणाम निकला? आज विपक्ष में बैठे मेरे मित्र मेरे कांग्रेसी मित्र—बहुत बोलने वाले बन गए हैं। लेकिन

सरकारी सेवाओं में उक्त लोगों के लिए आरक्षित इतने अधिक पद बिना भरे क्यों पड़े थे। मैं यह प्रश्न उनसे करना चाहूंगा।

श्री पी. आर. कुमारमंगलम (सलेम) : यह कोई दूसरी स्थिति नहीं है। बेहतर होगा कि आप अपने मित्रों को पहले डांटे-फटकारे पहले आप उन्हें डांटे-फटकारें।

श्री अमर राय प्रधान : मैं ऐसा करूंगा। मैं अपने विषय पर आ रहा हूं, लोक सभा चुनावों कुछ ही समय पहले पिछली सरकार ने घोषणा की थी पिछले कई वर्षों से नहीं भरे गए 36,000 पद भरे जाएंगे। हमारे माननीय वित्त मंत्री यहां बैठे हैं। उन्हें यह याद होगा। अभी भी उक्त पद नहीं भरे गए हैं। ये पद तत्काल भरे ही जाने चाहिए। मुझे इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई है। मैं माननीय वित्त मंत्री को याद दिलाना चाहूंगा कि उनके विभाग में भी अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों, जीवन बीमा निगम आदि में श्रेणी एक तथा श्रेणी दो के पदों पर अनुसूचित जाति के चार प्रतिशत लोग भी नहीं हैं। जहां तक अनुसूचित जनजातियों का सम्बन्ध है, उक्त पदों पर इन जनजातियों के 2 प्रतिशत लोग भी नहीं है जबकि इनके लिए क्रमशः 15% तथा 7½ % स्थान आरक्षित किए गए थे। सरकार के रुख में परिवर्तन करना होगा। नौकरशाही अभी भी पूरी तरह हावी है।

मैं विज्ञापनों के संबंध में थोड़ा समय लेना चाहता हूं। कल के हिन्दुस्तान टाइम्स में एक विज्ञापन था। भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने वरिष्ठ स्तर के पदों के लिए विज्ञापन दिया था। उसमें कई पद थे। किन्तु ये पद किन-किन श्रेणियों में विभाजित किए गए हैं? इनमें से कितने पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए गए हैं? इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पदों का आरक्षण राष्ट्रपति के निदेशों के अनुसार किया जाएगा और अन्य योग्यताएं समान होने पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को अधिमान दिया जाएगा। इस विज्ञापन द्वारा, भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने और साथ ही सरकार ने संवैधानिक उपबंधों के उन मूल मानदण्डों का उल्लंघन किया है जिनका प्रावधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये किया गया है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को आरक्षित पदों की जानकारी दी जानी चाहिए कि कौन से पद अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं और कौन से पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित किए गए हैं? लेकिन विज्ञापन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है। यदि यही तरीका है तो सरकार कार्यवाही करे, यदि वर्तमान राष्ट्रीय मोर्चा सरकार भी कांग्रेस सरकार के पद चिह्नों पर चली, तो पहले से रिक्त चले आ रहे पदों को भरने की समस्या का समाधान नहीं होगा।

मैं यहां एक अति महत्वपूर्ण मुद्दे अर्थात भूमि सुधार के बारे में बताना चाहूंगा। यदि हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त के गत तीन वर्षों के प्रतिवेदनों को देखें तो हम पायेंगे कि अत्याचारों की जड़ में भूमि सुधार भी एक कारण है, अर्थात भूमि के तथा भूमि के वास्तविक मालिक के बारे में झगड़ा होना। जब कभी भी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कष्ट दिया गया, जैसाकि मेरे मित्र ने अभी बताया था, जो जमींदार और जागीर-

दारों ने पुलिस की मदद से इसका विरोध किया। बिहार मध्य प्रदेश और देश के कुछ अन्य भागों में यह आम बात है। लेकिन वास्तव में हमने गत 42 वर्षों में भूमि सुधार की समस्या को हल करने के लिए क्या किया? यद्यपि यह सच है कि कागजों पर और योजना में हमने बहुत से प्रस्ताव और संकल्प पारित किये हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में हमने क्या किया? इस योजना की प्रस्तावना में हमने लिखा है कि 1985 के भीतर-भीतर भूमि सुधारों का कार्य पूरा हो जायेगा और फालतू भूमि को गरीब लोगों में बांट दिया जायेगा, जिनमें अधिकतर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लोग हैं। उन्हें पट्टे भी दिये जाएंगे तथा भूमि रिकार्ड को 1986 के दौरान पूरा किया जायेगा। 1986 से 1989 तक देश में कांग्रेस सरकार का शासन था। अब राष्ट्रीय मोर्चा सरकार चल रही है।

3.16 म०प०

[डा० तम्बि दुरै पीठासीन हुए]

यदि आप भूमि-सुधार की इस समस्या को हल नहीं करते हैं, यदि भूमि ठीक से नहीं दी जाती हैं, यदि फालतू जमीन का ठीक से वितरण नहीं किया जाता है, यदि गरीब और दलित लोगों को पट्टे नहीं दिये जाते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में झगड़े बढ़ते जाएंगे और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समस्या जारी रहेगी तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर और अधिक अत्याचार होंगे। सिर्फ कागजों पर करने से कुछ नहीं होगा। हालांकि यह सच है कि पूर्व सरकार ने सातवीं योजना में बहुत सारी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि सातवीं योजना के दौरान, राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम तथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों की सहायता से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की हल कर ली जायेगी।

यह बात नोट करने वाली थी कि आज श्री वर्मा ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लोगों को एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई कुछ रियायतों और राज सहायता के बारे में बताया है। मैं यह बताना चाहूंगा इन कार्यक्रमों से, चाहे वह एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम हो, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम अथवा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम हो, आप इस समस्या को हल नहीं कर सकते, क्योंकि यह एक सामाजिक आर्थिक समस्या है। अतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की समस्या को हल करने हेतु आपको उपयुक्त कार्यक्रम तैयार करने पड़ेंगे।

छुआछूत पर हम इतना कुछ बोल रहे हैं। लेकिन बिहार में क्या हुआ? जब एक ब्राह्मण लड़के, श्री सिलानन्द झा ने जोकि एक लिपिक अथवा सहायक पद पर था, एक हरिजन लड़की से विवाह कर लिया, तो उसके साथ क्या हुआ? बिहार सरकार ने उसका रोजगार छीन लिया। कैसी त्रासदी है। एक तरफ तो आप ऐसी घटनाओं का स्वागत करते हैं और दूसरी ओर सरकार इन लोगों के प्रति बड़ी निष्ठुर है और ऐसा लगता है कि वह नहीं चाहती की विभिन्न समुदायों के लोग एक दूसरे से मिलें या उनमें घुलमिल जाये।

इस वर्तमान स्थिति में, मैं राष्ट्रीय मोर्चा सरकार से निवेदन करूंगा कि वह पूर्व सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रम बनाने तथा कागज पर ही कुछ नियम, विनियम बनाने जैसे रास्ते पर न चले, बल्कि इसे कार्य करना होगा और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में गंभीरता से कार्य करना होगा।

श्री लेइता अम्बरी (अरुणाचल पूर्व) : सभापति महोदय, मुझे चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं इस सभा में पहली बार चर्चा में भाग ले रहा हूं। और आशा करता हूं कि आप मेरा भाषण समाप्त होने से पहले घंटी नही बजाएंगे।

मैंने संसद सदस्य के तौर पर एक शांत दर्शक के तौर पर गत छः माह में यह अनुभव किया है, कि जब कभी भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के बारे में चर्चा होती है, तो अधिकतर वक्ता गैर-आदिवासी होते हैं। आप जरा इस अन्तर पर विचार करें। आदिवासियों अथवा हरिजनों से जुड़े हुए एक व्यक्ति तथा हरिजन अथवा आदिवासी के रूप में जन्मे हुए व्यक्ति के बीच भारी अन्तर होता है। हालांकि इन पिछड़े व्यक्तियों की क्षमता अधिक नहीं है और यह अन्य समुदायों के लोगों के बराबर नहीं है, लेकिन आगे जब हम ऐसी महत्वपूर्ण चर्चाओं में भाग लेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आप गैर-आदिवासियों को अधिक समय देकर कोई अन्याय नहीं करेंगे।

यह मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि पिछली बार जब हम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण और दस वर्षों के लिए बढ़ाने हेतु संविधान में संशोधन कर रहे थे, तो मैं चर्चा में भाग लेना चाहता था, लेकिन मुझे समय नहीं दिया गया। गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर मैं अपने राज्य की कुछ महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख करना चाहता था तथा गृह मंत्री का ध्यान उनकी ओर आकर्षित करना चाहता था, लेकिन मुझे समय की कमी के कारण बोलने की अनुमति नहीं दी गई।

सभापति महोदय : अब आप उन बातों का उल्लेख कर सकते हैं। लेकिन समय अब भी सीमित है, क्योंकि हमें गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर चर्चा करनी है।

श्री लेइता अम्बरी : अब जब कभी आप अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों तथा दलितों की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु किसी समिति अथवा आयोग का गठन करें तो मैं आशा करता हूं कि आप समिति के सभी सदस्यों की नियुक्त इन सुविधा-वंचित समुदायों से करके पूरा न्याय करेंगे।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े समुदायों के लोगों की सुरक्षा हेतु जो कुछ किया जाता है, वह केवल डा० अम्बेडकर की वजह से है, जो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे इनके कल्याण के लिए बहुत कुछ किया जाना अभी बाकी है और बहुत कुछ इस पर विचार किया गया है परन्तु इस बारे में उपलब्धि बहुत कम रही है। यहां अधिकतर सदस्य कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। मेरे विचार से यह ठीक नहीं है। कोई एक व्यक्ति अथवा कोई

एक दल कतिपय समुदायों पर होने वाले अत्याचारों के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। मेरा मामला ही लीजिए।

मैं कांग्रेस में हूं; मेरा सम्बन्ध कांग्रेस से है; लेकिन मैं शत प्रतिशत अनुसूचित जनजाति का हूं। मैं उन लोगों को, जो सदस्य कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करने के लिए आमंत्रित करता हूं।

वे वहां आकर मेरे परिवार की हालत देखें तथा मेरी पृष्ठभूमि को देखें। यदि कांग्रेस नहीं होती तो मैं संसद सदस्य नहीं बन सकता था। अतः हम सभी अत्याचारों के लिए जिम्मेदार हैं। अब हमें यह करना है—अपनी जाति और धर्म, दलीय सम्बन्धों को ध्यान में न रखते हुए—हम सभी को एक स्वर में दलितों, उपेक्षितों के वास्ते यह संदेश देना चाहिए कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, हरिजनों और आदिवासियों पर आगे कोई अत्याचार नहीं होंगे। हमें यह करना पड़ेगा। और लोग हमसे यही आशा कर रहे हैं। मैं कुछ बातें सुझाव के तौर पर पेश करना चाहूंगा। वे आदिवासी, जिनमें असंतोष है, जो यह महसूस कर रहे हैं कि उन पर प्रतिदिन अत्याचार हो रहे हैं, वे अपने पृथक राज्य की मांग कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, वे 'झारखंड लैंड' और 'कारबियांग लोंग लैंड' की मांग कर रहे हैं। इसी प्रकार बहुत से ऐसे और स्थान हैं जहां अनुसूचित जनजाति के लोग इस प्रकार की मांग कर रहे हैं।

मैं समझता हूं कि यह उचित है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैण्ड का उदाहरण लें, जहां अनुसूचित जनजाति के लोग रह रहे हैं। वहां विकास हुआ और आप इससे इनकार नहीं कर सकते। दलित वर्ग के लोगों की उन्नति के बारे में कुछ कहने से पूर्व हमें कुछ बातों पर गौर करना होगा। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर और अत्याचारों को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि इन लोगों की मांगों को पूरी तरह पूरा किया जाये। अनुसूचित जनजातियों के ये लोग मूलतः किसी भी धार्मिक समुदाय से सम्बद्ध नहीं हैं। उनमें से अधिकांश भाषायी समुदायों, वे भाषाएं जो आठवीं अनुसूची में शामिल हैं, से संबंधित नहीं हैं। उन पर कोई बात लादना अथवा उनका शोषण नहीं किया जाना चाहिए। मैंने सुना है कि उत्तर प्रदेश में हिन्दी को अनिवार्य राज भाषा के रूप में लागू किया जा रहा है, जिसका अनुसरण मध्य प्रदेश द्वारा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ऐसी अनेक अनुसूचित जातियों के लोग हैं, जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है। मुझे उनके कल्याण के बारे में अच्छी तरह पता है। यही कारण है कि मेरा सुझाव है कि जहां कहीं भी अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लोग रहते हैं, उन क्षेत्रों के विद्यालयों में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम होने चाहिए। यह मेरे राज्य में भी विद्यमान है। वहां, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों को समान महत्व दिया जाता है। मैं अंग्रेजी की उपयोगिता का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं समझता, आप इसे अच्छी तरह जानते हैं।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की मूल संस्कृति तथा परम्परा समाप्ति के कगार पर है। इसे बचाना होगा। यहां भी मैं अपने राज्य, अरुणाचल प्रदेश का उदाहरण देना चाहूंगा, जहां यह पूरी तरह सुरक्षित है। चाहे राज्य सरकार हो अथवा केन्द्रीय सरकार हो, मैं समझता हूं कि इसकी पूरी तरह रक्षा करनी होगी। अब, श्री राजीव गांधी और श्री वी० पी० सिंह,

चाहे जो भी प्रधानमंत्री हों, उन्हें अनावश्यक ही दोषी ठहराया जाता है। उन्हें दोष नहीं देना चाहिए। हम सभी इसके लिए उत्तरदायी हैं। (व्यवधान) वे व्यक्ति इसके लिए उत्तरदायी हैं जिन पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित विषयों पर कार्यवाही करने की जिम्मेवारी है। वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों का शोषण कर रहे हैं। वे उनकी अज्ञानता, निरक्षरता और उनकी निम्न आर्थिक स्थितियों का फायदा उठा रहे हैं। इसलिए, हम एक आम सहमति बनायें। हम इन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े समुदायों के लोगों को यह संदेश दें कि अब से उन पर कोई अत्याचार नहीं होगा।

मैं समझता हूं कि मैं अपने को बहुत अच्छे ढंग से व्यक्त नहीं कर पाया हूं। फिर भी, मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय, जो युवा एवं योजपूर्ण हैं, मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे।

अन्त में मुझे यह कहना है कि मैं एक नया सदस्य हूं। मुझे नहीं मालूम कि अनुसूचित जनजातियों के कितने सदस्यों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। मैं इसके बारे में भी जानना चाहता हूं।

सभापति महोदय : सभा अब गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करेगी। श्री महेश्वर प्रसाद।

[हिन्दी]

श्री ईश्वर चौधरी (गया) : सभापति महोदय, मुझे बोलने का समय नहीं दिया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का समय है। अब यह किसी अन्य विषय पर विचार नहीं कर सकते। जब हम अगली बार नियम 193 के अधीन चर्चा आरंभ करेंगे, तब आप बोल सकते हैं। अब श्री रामेश्वर प्रसाद।

3.32 म. प.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधायकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

तीसरा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर प्रसाद (आरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं—

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 25 अप्रैल 1990 को सभा में प्रस्तुत किए गए तीसरे प्रतिवेदन से सहमत है।"

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 25 अप्रैल, 1990 को सभा में प्रस्तुत किए गए तीसरे प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.33 म. प.

रोजगार गारंटी विधेयक

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को रोजगार देने के लिए या स्वरोजगार हेतु संसाधन और संसाधनों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"देश के सभी वयस्क नागरिकों को रोजगार देने के लिए या स्वरोजगार हेतु संसाधन और संसाधनों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.34 म. प.

*संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 51 में संशोधन)

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

---

*दिनांक 26 अप्रैल, 1990 के भारत राजपत्र असाधारण भाग-दो, खंड-2 में प्रकाशित।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.35 म. प.

*संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश संशोधन विधेयक

(पैरा 3 का लोप आदि)

[अनुवाद]

प्रो० के० वी० थामस (एरणाकुलम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित (जातियां) आदेश 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो० के० वी० थामस : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.35½ म. प.

*संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 731 में संशोधन)

श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी (कुडप्पा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

---

*दिनांक 26 अप्रैल, 1990 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खण्ड-2 में प्रकाशित।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वाई. एस. राजशेखर रेड्डी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.36 म. प.

संविधान (संशोधन) विधेयक (नए अनुच्छेद 15 क आदि का अन्तःस्थापन)

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संविधान करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री हरीश रावत : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.37 म. प.

वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक (अनुच्छेद 2 आदि में संशोधन)

सभापति महोदय : श्री हरिभाऊ शंकर महाले द्वारा 12 अप्रैल 1990 को पेश किए गए वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 1990 पर आगे विचार करने से पहले मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा कि इस विधेयक पर चर्चा के लिए सभा द्वारा आवंटित 2 घण्टे 30 मिनट के समय में से इसकी चर्चा पर 2 घण्टे 26 मिनट का समय पहले ही समाप्त हो चुका है। अब सभा को इस विधेयक पर और अधिक विचार करने के लिए आवंटित समय को बढ़ाना पड़ेगा।

---

*दिनांक 26 अप्रैल, 1990 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग—दो, खण्ड—2 में प्रकाशित।

क्या सभा इससे सहमत है कि इस विधेयक पर आगे विचार हेतु इसके लिए आवंटित समय में एक घण्टे का समय बढ़ा दिया जाये ?

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, इस प्रस्ताव पर सभा का मतदान होने से पहले मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। हम प्रत्येक विधेयक के लिए एक निर्धारित समय आवंटित करते हैं। इस विधेयक के लिए 2 घण्टे 30 मिनट का समय आवंटित किया गया था । जिसमें से इस पर 2 घण्टे 26 मिनट का समय समाप्त हो चुका है। अब केवल 4 मिनट का समय शेष है। इसके पश्चात आज की विषय सूची में तीन विधेयक और हैं। और प्रत्येक विधेयक के लिए 2 घण्टे का समय आवंटित किया गया है। . म सभा की इस कार्यवाही को सायं 6 बजे स्थगित कर देंगे। ये तीनों विधेयक बैलट के माध्यम से ही आए हैं। यदि इन सभी विधेयकों पर चर्चा की जाती है तो इस पर 6 घण्टे का समय लगेगा और इस प्रकार यह काम पूरा नहीं हो पायेगा। बैलट में मेरा विधेयक तीसरे स्थान पर आया है। क्योंकि मेरा विधेयक तीसरे स्थान पर आया है, इसलिए इस पर चर्चा के लिए इतना अधिक समय उपलब्ध नहीं है। फिर भी कार्य मंत्रणा समिति ने इसके लिए उक्त समय आवंटित किया है। मैं जानना चाहता हूं कि आगे से बैलट पर पालन किया जाएगा अथवा नहीं। यदि आगे से भी इस पर पालन नहीं किया जाएगा तो हम चाहेंगे कि प्रत्येक विधेयक पर चर्चा इसके लिए आवंटित समय तक ही सीमित रहनी चाहिए । कार्यवाही को इस प्रकार सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि सभी तीनों विधेयक एक ही दिन में पारित हो जाएं । अन्यथा तीनों विधेयकों का बैलट करना व्यर्थ है।

सभापति महोदय : मैं आपकी चिन्ता को समझता हूं। मैं सभा की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि सामान्यतया हम प्रत्येक विधेयक के लिए केवल 2 घण्टे का समय आवंटित करते हैं। कभी-कभी, विधेयक के प्रति सदस्यों के उत्साह एवं रुचि के कारण हम विधेयक पर हो रही चर्चा को आवंटित समय के अन्दर पूरा नहीं कर पाते। इस मामले में हम सामान्यतया एक या दो घन्टे का समय बढ़ा देते हैं ताकि माननीय सदस्य उस पर अपने विचार व्यक्त कर सकें। सामान्यतया ऐसा ही होता है। आपकी बात भी सही है। हमें पहले इस विधेयक को पूरा करना है, तत्पश्चात दूसरे विधेयक पर कार्यवाही की जानी है। यह ठीक है कि जब हम अगली बार बैलट करें तो शायद आपको अवसर न मिले। लेकिन सभा को आवंटित समय का दृढ़ता से पालन करना होगा।

श्री राम नाईक : यही कारण है कि मैं आपके विनिर्णय से पहले इस बात को स्पष्ट करना चाहता था। हम यह नहीं चाहेंगे कि हमारा अवसर दूसरे व्यक्ति को मिले। हो सकता है हमें अगले बैलट में अवसर न मिले। मैं यह भी समझता हूं कि चुनावी सम्बन्धी सुधारों के बारे में श्री आडवाणी द्वारा पेश किया गया गैर सरकारी प्रस्ताव भी एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव था। लेकिन उसके बाद अन्य गैर-सरकारी प्रस्तावों अथवा विधेयकों पर भी विचार नहीं किया गया।

सभापति महोदय : सभा सर्वोच्च है और इसे निर्णय करना है। अभी इस पर मन्त्री जी को अपना वक्तव्य देना है तथा जिस सदस्य ने इसे पेश किया है उसे अपना उत्तर देना है उक्त स्थिति के कारण ही हमें कुछ समय बढ़ाना पड़ता है।

श्री राम नाईक : कम से कम भविष्य में इस समय सीमा का दृढ़ता से पालन किया जाना चाहिए। अन्यथा उन सदस्यों को, जो बड़ी मुश्किल से अपना विधेयक प्रस्तुत कर पाते हैं अवसर नहीं मिल पाएगा।

सभापति महोदय : अब समय बढ़ाने का प्रश्न सभा पर छोड़ा जाता है।

श्री वाई० एस० महाजन (जलगांव) : विधेयक के लिए समय का बढ़ाना सभा की इच्छा पर निर्भर करता है। हम समय बढ़वाना चाहते हैं।

सभापति महोदय : मैं आप पर कोई दबाव नहीं डाल रहा हूं।

श्री वाई० एस० महाजन : कृपया डेढ़ घण्टे का समय बढ़ा दें।

सभापति महोदय : कई सदस्य बोलना चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि सभी सदस्यों को निर्धारित समय के अन्दर ही बोलने का अवसर दिया जाना सम्भव होगा।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : कृपया इसके लिए आधा घण्टा बढ़ा दें।

सभापति महोदय : मन्त्री जी को भी अपना वक्तव्य देना है और विधेयक पेश करने वाले सदस्यों को भी अपना उत्तर देना है। क्या हम इसके लिए एक घन्टे का समय बढ़ा सकते हैं? मैं कुछ सदस्यों को बोलने की अनुमति देता हूं, तत्पश्चात मन्त्री महोदय अपना वक्तव्य देंगे और उसके बाद विधेयक पेश करने वाला सदस्य अपना उत्तर दे सकता है।

श्री राम नाईक : अगले विधेयक के लिये 2 घण्टे का समय आवंटित किया गया है जिस पर आज चर्चा की जायेगी। कम से कम इस पर आज चर्चा पूरी हो जानी चाहिए अन्यथा अगली बार भी उसी विधेयक को ले लिया जाएगा और अन्य सदस्यों को अवसर नहीं मिल पाएगा।

सभापति महोदय : क्या यह सम्भव है? लेकिन यदि इसमें आप सबकी सहमति है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और जब समय आएगा तब देखेंगे।

अब, क्या यह सभा की इच्छा पर निर्भर है कि वह इस विधेयक के लिए एक घण्टे का समय बढ़ा दे?

कई माननीय सदस्य : हां।

सभापति महोदय : समय एक घण्टा बढ़ाया जाता है। हम इस विधेयक पर चर्चा यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करने की कोशिश करेंगे।

अब प्रो० टोम्बी सिंह अपना वक्तव्य दें।

प्रो० एम० होक्की (आंतरिक मणिपुर) : सभापति महोदय, इस वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक में बोलने का यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक है और मैं इसका समर्थन करता हूं। फिर भी इसका समर्थन करते हुए मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा।

इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य यह है कि यदि वन भूमि का अधिग्रहण सड़क निर्माण, पेयजल योजनाओं, तार अथवा टेलीफोन की लाइनें बिछाने इत्यादि जैसे सार्वजनिक विकास कार्यों के लिए किया जाता है तो केन्द्रीय सरकार वहां वनों की कटाई के लिए स्वीकृति देने से इन्कार नहीं करेगी, इस विषय पर कुछ दिन पहले प्रो० कुरियन के एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की थी हम जानते हैं कि अनेक प्रस्ताव स्वीकृति हेतु केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं, यदि वनों की कटाई का कार्य विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के विकास के लिए किया जाता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती है, यदि वनों का कुछ भाग, विशेष रूप से विकास कार्यों के प्रयोजन हेतु काटा जाता है, तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।

इसके अतिरिक्त हमारे देश में एक महत्वपूर्ण बात वनरोपण कार्यक्रम को वास्तविक रूप में कार्यान्वित करना है हमारे देश में वनों का काफी विस्तृत क्षेत्र है। निस्संदेह हमारे यहां ऐसे अनेक वन क्षेत्र हैं, जिनमें वनों की संख्या कहीं कम है और कहीं अधिक है। हमारे यहां ऐसे वन क्षेत्र भी हैं जहां कोई वृक्ष नहीं हैं अथवा जहां वनों का कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ता। इसका कारण यह है कि मनुष्य ने इन वृक्षों को काट दिया है। इसलिये, मैं कहूंगा कि सरकार को वन रोपण को प्राथमिकता देनी चाहिये। कई राज्यों में अनेक विकास-योजनाएं लम्बित पड़ी हैं और ऐसी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये हमें कभी-कभी वनों को काटना पड़ता है। इसलिये, मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि हमें शीघ्र ही एक यथार्थ वनरोपण कार्यक्रम शुरू करना चाहिए।

मैं उस क्षेत्र का निवासी हूं जहां काफी वन हैं, परन्तु शायद ही वनों का कोई लक्षण दिखाई पड़ता है। मैं मणिपुर राज्य का निवासी हूं। मैं आपको एक बहुत ही ठोस उदाहरण देता हूं। मणिपुर राज्य के कुल क्षेत्र के दसवें भाग में लोग बसे हुये हैं और शेष वन क्षेत्र है। परन्तु फिर भी वास्तविक स्थिति यह है कि हमें तथाकथित वन क्षेत्र के एक-तिहाई भाग में पेड़ देखने को नहीं मिलते हैं। इस वन क्षेत्र को अपनी पूर्व स्थिति में लाने के लिये हमें सैकड़ों वर्ष लग जायेंगे। पेड़ों को काटना आसान है परन्तु इनके स्थान पर नये पेड़ उगाने में कई वर्ष लग जाते हैं।

सभी पूर्वोत्तर राज्य, विशेष रूप से मणिपुर राज्य जो साउथ-ईस्ट एशियन कमान्ड का मुख्यालय था, द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित हुये हैं। इससे अधिकांश वन क्षेत्र नष्ट हो गया था। इसी तरह, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का अधिकांश वन क्षेत्र भी नष्ट हो गया था। वनरोपण के किसी अच्छे कार्यक्रम से भी इस क्षति को पूरा नहीं किया जा सका था। मैं अपनी पार्टी के हितों को ध्यान में रखते हुये नहीं बोल रहा हूं। मैं कहना चाहूंगा कि चाहे जो भी पार्टी आज सत्ता में हो, हम वनरोपण कार्यक्रम को गम्भीरता से कार्यान्वित कर रहे हैं। हम इन कार्यक्रमों

पर प्रति वर्ष अत्यधिक धन खर्च कर रहे हैं, फिर भी इस क्षति को पूरा करने के लिये हमने कोई अच्छा वनरोपण कार्यक्रम शुरू नहीं किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई क्षति की पूर्ति शेष बाकी है।

अब, यदि हम ऊंचाई से, विमान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पहाड़ों पर वृक्ष नहीं हैं और ये बंजर क्षेत्र की तरह दिखते हैं। इनसे पर्यावरण और मौसम में परिवर्तन हो रहा है, जिससे अप्रत्याशित बाढ़ और सूखे की समस्या उत्पन्न हो जायेगी। इन बातों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय विकास के हित में वन परियोजनाओं को स्वीकृति पर विचार करते समय जिस महत्वपूर्ण समस्या को हमे सर्वप्रथम हल करना है, वह यह है कि पहले से ही कटे वन क्षेत्रों में, जो अभी भी वनभूमि कहलाते हैं, पेड़ लगाए जाएं। यह मेरा विचार है, मैं मन्त्री महोदया, जो पर्यावरण और वनों के संरक्षण के प्रति पूर्ण समर्पित है, का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उन्हें वनरोपण का एक यथार्थ कार्यक्रम शुरू करना चाहिए जिससे हम अपने वन क्षेत्रों में एक परिवर्तन ला सकें और जिसका पर्यावरण अथवा पर्यावरण संरक्षण इत्यादि कार्यक्रमों पर अनुकूल प्रभाव पड़ सके। इस सम्बन्ध में मैं एक दूसरा सुझाव देना चाहूंगा। हमे अपने क्षेत्रों में ईंधन लकड़ी तथा फर्नीचर बनाने के लिये वनों के सरक्षण पर जोर देना चाहिये। फर्नीचर बनाने के लिये इमारती लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है। परन्तु इस सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण पहलू ईंधन के लिये लकड़ी प्राप्त करना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कोयला उपलब्ध नहीं है। इन क्षेत्रों में कटे हुये पेड़ों के बदले नये पेड़ उगाने अथवा ईंधन के प्रयोजन हेतु पेड़ों की कटाई कम करने के लिये हमें मणिपुर आदि जैसे इन अन्य क्षेत्रों में, जहां कोयला आसानी से उपलब्ध नहीं है, कोयले के आवंटन में वृद्धि करनी होगी। इससे ईंधन के लिये वनों की कटाई में कमी करने में सहायता मिलेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय जैसा कि, आप सभी ने सुझाव दिया है और सदन ने भी इसे स्वीकार कर लिया है, मैं 4 बजे मन्त्री महोदया को अपना वक्तव्य देने के लिये कह रहा हूं। क्योंकि वह कह रही थीं कि उन्हें अपने उत्तर के लिये कम से कम 45 मिनट का समय चाहिये। तब इसे विधेयक की प्रस्तावक सदस्य को उत्तर देना है। इसलिये 4 बजे तक मैं उन सदस्यों को बोलने के लिये समय दे सकता हूं, जो इस विषय में बोलना चाहते हैं और तत्पश्चात मैं अनुमति नहीं दे सकता। श्री ईश्वर चौधरी बोलें।

[हिन्दी]

श्री ईश्वर चौधरी (गया) : सभापति महोदय इस वक्त वन हमारे लिये उतना ही आवश्यक हो गया है जितना जीवन के लिये अन्य सामग्री। इस वक्त पूरे संसार में वातावरण दूषित होता जा रहा है। प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए यह आवश्यक है कि वनों का संरक्षण हो। वन संरक्षण

के मामले में हमारी मंत्री महोदया काफी चिन्तित रहती हैं और चाहती हैं कि प्रदूषण को रोका जाये। हमेशा इसके लिये नये-नये उपाय ढूंढ़ निकालने के लिये प्रयत्नशील रहती हैं। मैं चाहूंगा कि इस दिशा में अधिक से अधिक कदम उठाये जायें। वन संरक्षण के कार्य को हम दो भागों में बांट कर देख सकते हैं : पहला वन-रोपण को बढ़ाना और दूसरे वनों को उजड़ने से बचाना। अभी तक सरकार वन उजाड़ने का काम जानती थी और वन लगाने के काम में बहुत पीछे थी। भारतवर्ष सदा से जंगलों और पहाड़ों का देश विकसित रूप में माना जाता रहा है किन्तु आज वही भारत जंगल विहीन होकर रह गया है। जंगल केवल हमारे देश की शोभा बढ़ाने का काम ही नहीं करता, जंगलों के द्वारा हम निरंतर समृद्धि की ओर बढ़ते जाते हैं। वनों से ही वृष्टि होती है, और हमें खेती के मामले में काफी सहायता मिलती है। दूसरी ओर, पिछली सरकार वनों को लगाने के मामले में थोड़ा उदासीन रही है। इस काम के लिये जितना धन अपेक्षित था, जितने अनुदान की आवश्यकता थी, राज्य सरकारों को उतना अनुदान नहीं दिया गया। यही कारण है कि वनों के विस्तार का काम पीछे पड़ गया। जहां तक उजड़ने का ताल्लुक है, जंगलों को इतनी बुरी तरह काटा जा रहा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं बिहार से आता हूं। यदि मैं कहूं कि बिहार जंगलों के मामले में राजा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन आज जंगल कटने से छोटा नागपुर पूरी तरह वीरान हो गया है। मैं स्वयं गया में रहता हूं पर्यावरण संतुलन के लिये ही जंगलों को लगाया जाता है। पर्यावरण को सन्तुलित करने के लिए फलगू नदी के किनारे जंगल लगाया गया था और 10 से 5 ट्रैक्टर प्रतिदिन लकड़ी के प्रांत में, दिन में कट जाते हैं। जो वनों के संरक्षण करने वाले व्यक्ति हैं वे ही इसमें लिप्त हैं, वे ही जंगल कटवाते हैं। इतना ही नहीं, डी० एफ० ओ० गया, की बहुत शिकायतें आई हैं, उन्होंने करोड़ों रुपए के जंगल काटकर बरबाद करवा दिए हैं। कैसे वनों का संरक्षण होगा, कैसे देश समृद्ध होगा, कैसे पर्यावरण की रक्षा होगी ?

सभापति महोदय, जहां तक वन लगाने की बात है, यह ठीक है कि नहर निकालने के लिए काटने पड़ते हैं, कृषि के लिए भूमि को समतल करने के लिए जंगल काटने पड़ते हैं, लेकिन इसके साथ ही यह भी बहुत जरूरी है कि हम वनों का संरक्षण करें और इसके लिए यह आवश्यक है कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं इस नश्वर शरीर से जितने पेड़ लग जाएं उतना ही अच्छा है, उतना ही जीवन सफल होगा। मुझे कहते हुए गर्व होता है कि मैंने अपने हाथ से तीन पेड़ लगाए हैं, वे काफी पनप गए हैं और वे इस दृष्टि से लगाए हैं ताकि शिक्षा मिले। इसका मतलब यह है कि लोगों में चेतना जगाने की जरूरत है, इस अभियान के प्रति जागृति लाने की जरूरत है। जहां पर संरक्षण की जरूरत है, वहां पर संरक्षण होना चाहिए और वहां लोग पेड़ काटते हैं, तो उनको सख्त से सख्त सजा देकर; इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री वाई० एस० महाजन (जलगांव) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं, क्योंकि इसमें आर्थिक विकास के मार्ग में एक महत्वपूर्ण समस्या को दूर करने की लिए बात कही गई है। जब से हमने वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वनों को संरक्षण प्रदान करना शुरू किया है लोगों ने इस

सदन में शिकायत की है कि यह अधिनियम सड़क निर्माण, पेय जल योजनाओं, टेलीग्राम और टेलीफोन लाइनें बिछाने तथा नदी परियोजनाओं के कार्य में वर्षों से बाधक रहा है। महाराष्ट्र में ऐसी अनेक नदी परियोजनाएं हैं जिन पर 15 अथवा 20 वर्ष पहले कार्य शुरू किया गया था। इन्हें वन अथवा पर्यावरण की दृष्टि से मंजूरी नहीं दी गई है। इसके परिणाम स्वरूप, लाखों लोगों की खुशहाली पर गम्भीर प्रभाव पड़ा है।

आज वनों को नष्ट किया जा रहा है। संरक्षित वनों में कोई पेड़ नहीं है। वनों का विकास अवरुद्ध है। दूसरी ओर, आर्थिक विकास नहीं हो रहा है क्योंकि विकास योजनाओं के कारण छोटे वनों को कहीं न कहीं खतरा पैदा हो गया है इसलिए, पेड़ भी नहीं लगाये जा रहे हैं और न ही आर्थिक विकास हो रहा है। वन संरक्षण अधिनियम, इस देश के आर्थिक विकास में गम्भीर बाधा उत्पन्न कर रहा है। मेरा यह विचार है कि वन क्षेत्र बढ़ाया जाना चाहिए, परन्तु जिस तरह से हम इस अधिनियम को कार्यान्वित कर रहे हैं यह लोगों की खुशहाली के मार्ग में एक बाधा उत्पन्न कर रहा है।

[हिन्दी]

श्री सन्तोष कुमार गंगवार (बरेली) : सभापति महोदय, हमारे माननीय मित्र ने वन संरक्षण के सन्दर्भ में, जो विधयक इस माननीय सदन में प्रस्तुत किया है, वास्तव में इस बात की आवश्यकता है कि इस में परिवर्तन किया जाए। ऐसे बहुत से परपज हैं जिनके लिए इस बात की आवश्यकता है कि वर्तमान विधेयक से उनको छूट दी जाए, लेकिन कुछ विसंगतियां हैं उनकी ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए मैं दो बातें कहना चाहूंगा। आज स्थिति यह है कि शहरी सीमा के अन्दर यदि आप पेड़ काटना चाहें, तो चाहे जितने पेड़ काट सकते हैं, कोई रोक-टोक नहीं है, लेकिन गांवों में एक पेड़ भी नहीं काट सकते हैं। ऐसा क्यों है ? मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें और ऐसी विशेष कार्रवाई करें जिससे शहर और ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर इस विषमता को दूर किया जाए सके। स्थिति यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग अपनी उपयोगिता के लिए भी एक पेड़ नहीं काट सकते हैं, यदि कोई इसकी अनुमति लेना चाहेगा, तो उसे अनुमति नहीं मिलेगी और शहरों के अन्दर मैंने बहुत से प्रकरण स्वयं देखे हैं, दर्जनों पेड़ कट गए, जब अधिकारी के ध्यान में यह बात लाई गई, तो सम्बन्धित अधिकारी का कहना यह था कि हमारे हाथ यहां पर सीमा के अन्दर बंधे हुए हैं। एक विशेष बात इससे जुड़ी हुई है, पूरे विश्व में पर्यावरण की बात हो रही है कि पर्यावरण को किस ढंग से हम ठीक करें और कैसे हम अपने वातावरण को सही करें आजकल यूकेलिप्टस के पौधे सब जगह लगाए जा रहे हैं, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा और अनुरोध करना चाहूंगा कि मंत्री जी इस बारे में ध्यान दें कि क्या यूकेलिप्टस से हमारे देश का पर्यावरण ठीक हो रहा है, क्या उससे जमीन सही हो रही है ? मेरा ऐसा विचार है कि इन पेड़ों के लगाने से हमारी जमीन की उपजाऊ शक्ति में भी कमी आ रही है और पर्यावरण के हिसाब से भी ये पेड़ सही नहीं हैं। इस हिसाब से मंत्री जी विचार करें और देखें कि भविष्य की दृष्टि से इन पेड़ों का लगाना हमारे लिए आवश्यक है या नहीं ?

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी इन्हीं दोनों बातों को कहकर, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

4.00 म.प.

प्रो० महादेव शिवनकर (चिमूर) : अध्यक्ष जी सम्माननीय सदस्य श्री हरिशंकर महाले ने इस बिल को सभागृह में पहले से प्रस्तुत किया हुआ है। दो मिनट का समय अति अल्प होता है, थोड़ा ज्यादा समय दें। वन संरक्षण और पर्यावरण कानून के कारण वास्तविक रूप से ग्रामीण और पिछड़े हुए आदिवासी इलाके जो हैं, उनकी बहुत सारी योजनाएं यहां रुकी पड़ी हैं। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में मैंने एक सवाल ईरीगेशन के सम्बन्ध में पूछा था जिसका लिखित जवाब मुझे 19 मार्च को प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र की सिंचाई की 190 योजनाएं केवल इसीलिए क्लोज कर दी गई क्योंकि उनका जवाब महाराष्ट्र सरकार ने नहीं दिया इस प्रकार से हमें कहा गया। वन विभाग के द्वारा हर रोज नए-नए सर्कुलर निकाले जाते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री शरद-पवार ने तो यहां तक कहा कि वन राज्य मंत्री का हर हफ्ते एक अल्टीमेटम उन्हें जाता है। वे सच बोल रहे हैं या नहीं, मुझे नहीं मालूम। मगर सच्चाई यह है कि इसके कारण सारी योजनाएं रुकी पड़ी है। हमारे यहां जो ग्रामीण पाठशालाएं हैं, उनकी योजनाएं रुकी पड़ी हैं। मैं उदाहरण के साथ आपको बताऊंगा। रूरल हास्पिटल उसके कारण नहीं हो पाए हैं। इतना ही नहीं, इसके कारण भारी परिमाण में सारे विकास की योजनाएं रुकी पड़ी हैं। मैंने एक पत्र माननीय राज्य मंत्री जी को लिखा था विदर्भ जो पहले मध्यप्रदेश शासन में था, राज्य की पुनंरचना के बाद विदर्भ महाराष्ट्र में समाविष्ट हुआ, विदर्भ से झुड़पी जंगल की जो जमीन है वह रिवेन्यू विभाग की भूमि थी। मगर इसे केन्द्र शासन ने, यह वन भूमि है, बताकर वन संरक्षण कानून लगाया और उसके कारण हमारी सारी परियोजनाएं रुकी पड़ी हैं. सुमन का प्रकल्प रुका है, जमींदारी का प्रकल्प रुका है ऐसे सैंकड़ो प्रकल्प के कार्य रुके पड़े हैं। मैं चाहूंगा कि वन संरक्षण कानून से झुड़पी जंगल निकाल दिया जाए और मौरूसी भूमि में रखा जाए। राज्य मंत्री और वन मंत्री भंडारा और चन्द्रपुर जिले में जो हो रहा है. उसके लिए वहां के विधायकों से मिलें। मैं जाहिर रूप से आज इस सभा के माध्यम से उन्हें निमंत्रित करना चाहता हूं कि चन्द्रपुर आकर हमारी समस्याएं समझें. हमारे प्रकल्प को क्लीयर करने की दृष्टि से मदद करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : अपनी बात कहने से पहले मैं श्री महाजन को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लिखे अपने पत्र के बारे में एक बात स्पष्ट करना चाहती हूं। मैं केवल महाराष्ट्र के मुख्यमन्त्री को ही नहीं बल्कि प्रत्येक मुख्यमंत्री को, प्रत्येक अधिकारी को पत्र लिखती हूं क्योंकि भारत के लिए मेरी चिन्ता सिर्फ एक सघ राज्य क्षेत्र या किसी राज्य विशेष तक ही सीमित नहीं है। मैं समझती हूं कि अब समय आ गया है जब राष्ट्र की कृषि तकनीक आदि में प्रगति के लिए हमें मिल कर कार्य करना है। मन्त्री बनने के बाद से मैंने नई नीति सम्बंधी पहल की है और यही कारण है कि मेरे पास काम का बोझ अधिक बढ़ गया है।

मैं श्री हरिभाऊ शंकर महाले द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम में संशोधन हेतु दिए गए विधेयक के प्रति सदस्यों की अभिव्यक्ति को देखकर बहुत खुश हूं, मैं यह मानती हूं कि सदस्य वन संरक्षण और जनजातियों के कल्याण के बारे में वास्तव में चिंता करते हैं। सदस्यों द्वारा पूछी गई बातों का उत्तर देने से पहले मैं देश के वनों से सम्बन्धित कुछ तथ्य और आंकड़े देना चाहूंगी देश के 329 मिलियन हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से वन केवल 75 मिलियन हेक्टेयर में हैं। इसमें भी पेड़ केवल 64 मिलियन हेक्टेयर में हैं जो कि देश के कुछ वन क्षेत्र का 19 प्रतिशत है, यह राष्ट्रीय वन नीति में 33 प्रतिशत वन क्षेत्र के लक्ष्य से बहुत कम है।

राष्ट्रीय वन नीति, जो वर्ष 1988 में बनाई गई थी, का मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता का अनुरक्षण और वातावरण संतुलन सहित पारिस्थितिक संतुलन है जो जीवन के सभी प्रकार के रूपों जैसे मानव, पशु-पक्षी और पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।

वनों के संरक्षण द्वारा ये लक्ष्य प्राप्त किए जाएंगे वर्ष 1980 से पहले वनों के संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था और अच्छी वन भूमि का गैर-वन कार्यों के लिए प्रयोग किया जा रहा था। वन भूमि का गैर-वन कार्यों के लिए प्रयोग करने के निम्नलिखित कारण रहे हैं :

1. बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं का निर्माण
2. उद्योगों की स्थापना
3. कृषि
4. मानव द्वारा रहने के लिए वन साफ करना

यह स्थिति इतनी खराब हो गई कि वर्ष 1952 से 1980 की अवधि के दौरान 4.328 मिलियन हेक्टेयर वन भूमि का गैर-वन कार्यों में प्रयोग किया गया। राज्यों को मार्गनिर्देशों के माध्यम से वन भूमि का ऐसा प्रयोग न करने के लिए कहा गया लेकिन भारत सरकार के निर्देशों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमारे पास इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं रह गया कि हम अपने वनों को बचाने के लिए कानून का सहारा लें, इसके परिणामस्वरूप वन (संरक्षण) अधिनियम को वर्ष 1980 में अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम को पारित करने के फायदे तत्काल मिले, गैर-वन कार्यों के लिए वन भूमि के स्थानांतरण की 15 लाख हेक्टेयर की दर वर्ष 1980 से 1989 की अवधि के बीच घटकर 15400 हेक्टेयर रह गई, इस अधिनियम के बनने के बाद भी राज्यों ने चाय, काफी रबड़ आदि के बागानों के लिए वन भूमि के स्थानांतरण करके इस अधिनियम को इस आधार पर झुठलाने का प्रयास किया कि ये कार्य वन सम्बन्धी कार्य थे। इस प्रयास को रोकने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 में वर्ष 1988 में संशोधन किया गया जिसमें इन कार्यों को गैर-वन कार्य घोषित किया गया।

मैं अब वनों की बात करना चाहूंगी वनों की पारिस्थिति की प्रणाली की जैव विविधता भोजन सामग्री में संभावित संकट के विरुद्ध बीमे का कार्य करती है, जो कुछ चुनी हुई जातियों पर

निर्भर करती है जो रोगों और कीटों के प्रति ग्रहणशील होती हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में वनों की सुरक्षात्मक और उत्पादक भूमिका का सार राष्ट्रीय वन नीति, 1952 में दिया गया है, "राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में वनों की सुरक्षात्मक और उत्पादक भूमिका के कारण वन पर्याप्त भूमि पाने के हकदार हो जाते हैं। इस क्षेत्र में जहां कृषि ही अधिकांश जनसंख्या का मुख्य सहारा है वहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पेड़ वाली भूमि की महत्ता पर ज्यादा जोर नहीं दिया जा सकता है।" इन तथ्यों को देखते हुए इस अधिनियम के संशोधन के रूप में अपनाए गए प्रावधानों को समाप्त करना उचित नहीं होगा जैसाकि श्री माहलेजी ने सुझाव दिया है।

मैं अब श्री माहले जी द्वारा प्रस्तावित संशोधन के समर्थन में सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों के बारे में कहना चाहूंगी, मुख्य बातें जो कही गई हैं वे इस प्रकार है :—

1. भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण के मामलों को निपटाने में देरी।

2. विकासात्मक कार्यों विशेषकर टेलीफोन की तार तथा टेलीग्राफिक लाइनें बिछाने, गांवों में स्कूल तथा पंचायतें आदि बनाने में बाधाएं।

3. यह अधिनियम जनजातियों के हितों के विरुद्ध है,

4. पहाड़ों में रहने वाले लोगों की विशेष समस्याएं

5. वन काटने में अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच सांठ-गांठ।

मैं अब इन मुद्दों को लेना चाहूंगी और तब सदस्यों द्वारा उठाए गए कुछ विशिष्ट मुद्दों के बारे में उल्लेख करूंगी।

1. वन संरक्षण के मामलों को निपटाने के प्रश्न पर कई वर्षों से बहस होती रही है, इस बारे में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के विचारों में भिन्नता है, राज्य सरकार का मत है कि देरी केन्द्रीय सरकार की वजह से हो रही है और केन्द्रीय सरकार अनुभव करती है कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावों को उचित रूप में प्रस्तुत न किये गये जाने और उनके बारे में पूर्ण सूचना न दिये जाने के कारण इस सम्बन्ध में विलम्ब हुआ है।

माननीय सदस्य ने ऐसे एक सौ साठ मामलों का हवाला दिया है जो जानकारी प्रस्तुत न किये जाने के कारण अस्वीकार कर दिये गये थे। मैं आपको बताना चाहती हूं कि हम किस प्रकार की जानकारी मांगते हैं। हम बहुत ही आधारभूत और संगत जानकारी मांगते हैं। यदि हम ऐसी जानकारी न मांगें तो यह हो सकता है कि कई परियोजनाएं अच्छी हो पर इन अच्छी परियोजनाओं में ऐसी परियोजनाएं भी शामिल हो सकती है जो उतनी बेहतर न हों। उदाहरण के लिये कोई अपने लिये पेट्रोल पम्प आवंटित करा लेता है। फिर वह अपने क्षेत्र के बीच में जिसके निकट वन है, इस पेट्रोल पम्प को लगाना चाहता है, ऐसा मामला अभी मेरे पास आया है। पर यह पेट्रोल पम्प

वन क्षेत्र में आता है। अब हमें इस पर निगरानी रखनी पड़ेगी। इसीलिये हम यह जानकारी मांगते है। जानकारी मांगने का आशय यह नहीं कि हम परियोजना को मंजूर करने में विलंब करने का प्रयत्न कर रहे हैं, हम तो यह जानने की कोशिश करते हैं कि परियोजना देश के लिये उत्तम रहेगी अथवा नहीं। राज्य सरकार उत्तर नहीं भेजती। मूल प्रस्ताव सरसरी किस्म का एक पृष्ठ का होता है।

[हिन्दी]

यह हमको दे दीजिये, फिर हम पूछते हैं कि हम आपको क्यों दें, किस लिये दें, किस तरीके से दें, कब दें।

[अनुवाद]

यदि हमें पूरी जानकारी नहीं मिलती है तो हम आवधिक प्रस्ताव पर विचार करते हैं। आप यह स्वीकार करें कि परियोजना की स्वीकृति देने में पहले पूरी जानकारी मांगना ही हम सबके हित में है।

भारत सरकार में लम्बित मामलों की संख्या बहुत कम है।

जहां तक पर्यावरण और वन मंत्रालय का संबंध है स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राप्त होते ही उनकी जांच की जाती है और यदि पूरी जानकारी प्राप्त न हो तो प्रस्ताव भेजने वाली एजेंसियों को आवश्यक जानकारी भेजने के लिये लिखा जाता है। लंबित मामलों की समीक्षा से पता चला है कि अधिकांश मामले पूरी जानकरी न मिलने के कारण लम्बित पड़े हैं। यह महसूस किया गया कि प्रस्ताव भेजने वाली एजेंसियां अपेक्षित जानकारी तभी शीघ्र भेजेंगी जब उन्हें स्पष्ट रूप से यह बता दिया जाए कि निर्धारित तिथि तक उनसे जानकारी प्राप्त न होने की स्थिति उनके मामले रद्द समझे जाएगे। तदनुसार अब यह निश्चित किया गया है कि जिन मामलों में पूरी जानकारी उपलब्ध करायी गई है उन्हें प्राप्ति की तिथि से छह सप्ताह के भीतर निपटा दिया जाएगा। जहां पूरी जानकारी प्रस्तुत नहीं की जाती है, वहां परियोजना के प्रस्तावकों को एक माह के भीतर अपेक्षित जानकारी भेजने की सलाह दी जाती है। यदि निर्धारित तिथि के भीतर जानकारी प्राप्त नहीं होती है तो ये मामले पूरी जानकारी प्राप्त न होने के आधार पर रद्द समझे जाने चाहिए।

अधिनियम के प्रवर्तन के बाद विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से 31 मार्च, 1990 तक वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान करने हेतु 4023 प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनमें से 1967 मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई। 547 मामले गुणावगुणों के आधार पर न कि जानकारी प्राप्त न होने के कारण अस्वीकृत किए गए। राज्य सरकारों ने 107 मामले वापस ले लिये और 1267 मामले सबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपेक्षित जानकारी उपलब्ध न कराये जाने के आधार पर सशर्त अस्वीकृति किए गए। मेरे मंत्रालय में इस समय केवल 134 मामले लंबित पड़े हैं जो कि पिछले एक वर्ष और दो माह के दौरान प्राप्त हुए हैं।

हमने भारत सरकार की कार्यविधि को कारगर बनाया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसमें विलंब न हो। भारत सरकार के अधिकारियों को अनुदेश जारी किये गए हैं कि प्रत्येक मामले को उसकी प्राप्ति की तिथि से छह सप्ताह के भीतर निपटा दिया जाए। कम से कम इतनी अवधि तो आवश्यक है ही क्योंकि इस प्रयोजन के लिए गठित सलाहकार समिति की बैठक माह में एक बार होती है और उसकी सिफारिश के आधार पर ही मामला स्वीकार अथवा अस्वीकार किया जाता है। इस अवधि को घटाकर 15 दिन करना, जैसाकि महाले जी ने सुझाव दिया है, संभव नहीं है। इस संबंध में स्वीकृति शीघ्र प्रदान करने की दृष्टि से एक हैक्टेयर से कम क्षेत्र वाले मामलों में भोपाल, लखनऊ, भुवनेश्वर, बंगलौर, शिलांग और चंडीगढ़ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि उत्तर प्रदेश के सदस्यों ने छोटे क्षेत्र वाले मामलों का हवाला दिया है। उनके मामले में तो लखनऊ स्थित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक सक्षम अधिकारी है और राज्य सरकार के अधिकारियों को उनकी छोटी योजनाओं के सम्बन्ध में उक्त अधिकारी से विचार विमर्श करने और इन योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करवाने में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय ऐसे स्थानों में मौजूद हैं जहां वन क्षेत्र अधिक है और जिन राज्यों से अधिकतम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक को शक्तियां प्रत्यायोजित करने से राज्य सरकारों को अपने मामलों में स्वीकृति प्राप्त करवाने में सुविधा हासिल होगी। 1 से 10 हैक्टेयर क्षेत्र की स्वीकृति की शक्तियां मंत्रालय को सौंपी गई हैं और ऐसे मामले को सलाहकार समिति को नहीं भेजना पड़ता है। ऐसे मामलों में छह सप्ताह से कम अवधि में भी स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

सामान्यत: विलंब राज्य सरकारों के मामले में होता है क्योंकि जब भी स्पष्टीकरण हेतु उनसे पूर्व सन्दर्भ मांगा जाता है तो उसका उत्तर एक वर्ष तक भी प्राप्त नहीं होता है ऐसे मामलों में विलंब के लिए केन्द्रीय सरकार को दोषी ठहराना ठीक नहीं है।

जून, 1989 से हमने निर्माण हेतु वन क्षेत्र के उपयोग के सम्बन्ध में मार्गनिर्देशों में ढील दी है। वन भूमि का सरकारी नियंत्रण में स्कूलों, औषधालयों, अस्पतालों सामुदायिक भवनों, लघु औद्योगिक शेडों के निर्माण हेतु उपयोग जिसमें एक हैक्टेयर से कम वन भूमि अपेक्षित हो, को छूट दी गई है। जैसा कि अपने भाषण के आरम्भ में मैंने कहा था एक हैक्टेयर तक वन भूमि से संबंधित मामलों में निर्णय का अधिकार क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षण को सौंपा गया है, इसी प्रकार 10 हैक्टेयर तक वन भूमि के मामलों का सलाहकार समितियों को नहीं भेजा जाता है और इन पर मंत्रालय सीधे ही निर्णय लेता है।

हमारा प्रयास यही रहता है कि पूर्ण जानकारी प्राप्त होने के पश्चात मामलों को छह सप्ताह की अवधि के भीतर निपटा दिया जाए। राज्य सरकारों को मार्गनिर्देशों के माध्यम से यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि राज्य सरकार के स्तर पर मामलों को अधिकतम दो महीने के भीतर निपटाया जाएं। हमने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है—महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री को भेजे गए निवेदनों में से एक यही है—कि इस अधिनियम के अंतर्गत मामलों को निपटाने के लिये पृथक् कक्ष स्थापित

किये जाएं। पता नहीं मामलों को शीघ्र निपटाने के मेरे प्रयास पर उन्हें आपत्ति क्यों है। उनसे यह अनुरोध किया गया है कि वे इस प्रयोजन के लिये एक पूर्ण कालिक वरिष्ठ अधिकारी को जो कि वन संरक्षक के स्तर का हो कक्ष के प्रमुख के रूप में नियुक्त करें।

कुछ माननीय सदस्यों ने आदिवासियों की समस्या का उल्लेख किया था। मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं कि वन और आदिवासियों के बीच सौहार्द पूर्ण सहअस्तित्व कायम हो। वस्तुत: राष्ट्रीय वन नीति, 1988 आदिवासियों और वनों के बीच प्रतीकात्मक सम्बन्ध की पक्षधर है। ग्रामीण आदिवासियों की ईंधन की लकड़ी, चारे, लघु वनोत्पाद छोटी इमारती लकड़ी की आवश्यकता को इस नीति के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल किया गया है। वनों के निकट रहने वाले आदिवासियों और निर्धनों को प्राप्त अधिकार और रियायतें वन उत्पाद का प्रथम प्रभार माना गया है। इनसे हमारी यह धारणा पुष्ट होती है कि वन संसाधन को, जो कि आदिवासी और समाज के कमजोर वर्ग का जीवनधार है, अयुक्ति संगत तरीके से अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग में न लाया जाना चाहिए। पहले सामूहिक प्रयोजनों हेतु उपयोग की जाने वाली वन और अन्य सार्वजनिक भूमि क्षेत्र असाधारण रूप से घटता जा रहा है। जनसंख्या का लगभग छठा भाग और पशु-धन का पांचवां प्रत्यक्ष रूप से इस भूमि पर निर्भर है। इस भूमि का, विशेष रूप से अच्छे वनों का अन्य प्रयोजन के लिए इस्तेमाल करने से इन निर्धन लोगों की मुसीबतें और बढ़ जाएंगी।

जैसाकि पहले बताया गया है, हमने मार्गनिर्देशों में कुछ छूट दे दी है ताकि स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष रूप से लाभांवित करने वाले विकास कार्यों में विलंब न हो। कुछ सदस्यों ने भी वन गांवों के मामलों का उल्लेख किया था। हमने इस मामले को समझ लिया है। असल में, राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में कहा गया है कि वन-गांवों का राजस्व गांवों की भांति विकास किया जाना चाहिए। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि इस सम्बन्ध में बेहतर परिणाम किस प्रकार हासिल किए जा सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए इन गांवों को राजस्व गांवों में परिवर्तित करने सहित अनेक विकल्पों पर पहले से ही विचार किया जा रहा है। आदिवासियों द्वारा वन भूमि पर कब्जा किए जाने सम्बन्धी मामलों का पता लगाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

मैं कल्याण मंत्री, श्री पासवान जी के साथ एक बैठक कर चुकी हूं और हमने निर्णय किया है कि 1980 से पहले जब वन (संरक्षण) अधिनियम बनाया गया था, के अनधिकृत कब्जों को नियमित करने के लिए कुछ सिद्धान्तों का पालन किया जाएगा। (व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया क्या आप अपने स्थान पर बैठेंगे ? बीच में व्यवधान मत कीजिए। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

श्रीमती मेनका गांधी : कुछ सदस्यों ने, विशेष रूप से श्री रावत और श्री महेन्द्र पाल ने पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याएं सामने रखी हैं। वे मेरी इस बात से सहमत होंगे कि इन क्षेत्रों के लिए

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

वनों का विशेष महत्व है। मैदानी क्षेत्रों में हमारा अधिकांश कृषि उत्पादन पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में घने पेड़-पौधों पर निर्भर करता है। मैदानी क्षेत्रों को गाद जमा होने और बाढ़ से बचाने के लिए इन जल-विज्ञान सम्बन्धी प्रणालियों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि वन नीति में यह विचार किया गया है कि कम से कम दो तिहाई पर्वतीय तथा पहाड़ी क्षेत्रों को वनों और पेड़ों से भरा-पूरा रखा जाना चाहिए ऐसी योजनाओं और परियोजनाओं पर कठोर प्रतिबन्ध होना चाहिए, जिनसे अत्यधिक ढालू क्षेत्रों, नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों, झीलों और जलाशयों, भू-विज्ञान की दृष्टि से असंतुलित क्षेत्रों, और पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों जैसे अन्य क्षेत्रों के वनों से ढके रहने में बाधा उत्पन्न होती हो। इन विचारों के बावजूद, जून, 1989 से हम यह मानकर चल रहे हैं कि पर्वतीय जिलों और अन्य जिलों में विशेष आधार वाले कुल भौगोलिक क्षेत्र की 50 प्रतिशत से अधिक वन भूमि होनी चाहिए। इन क्षेत्रों में गैर वन भूमि में प्रतिपूरक वन रोपण पर जोर नहीं दिया जाता है और इसे निम्नकोटि की वनभूमि के रूप में छोड़ दिया जाता है, इसके दुगुने क्षेत्र का अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है बशर्ते कि इसमें शामिल वनभूमि 5 हेक्टेयर से अधिक न हो और इसके अन्यत्र उपयोग का प्रयोजन सम्पर्क सड़कों, जल सम्बन्धी छोटे निर्माणों, लघु सिंचाई परियोजनाओं, अस्पतालों, सरकार के लघु ग्रामीण औद्योगिक एककों अथवा इस प्रकार की किसी अन्य परियोजना निर्माण करना हो, जिससे संबधित क्षेत्र के लोगों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त होता हो। मुझे विश्वास है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में विकास परियोजनाएं इस श्रेणी के अतर्गत लाई जाएंगी जिसके द्वारा इन परियोजनाओं को स्वीकृति देने में सुविधा हो सकेगी।

श्री वाई०एस० महाजन सहित सभा के अनेक सदस्यों ने उक्त अधिनियम को कठोरता से लागू किए जाने के कारण विकास परियोजनाओं के बारे में अपनी चिन्ता प्रकट की है। इसके विपरीत, कभी-कभी, आर्थिक विकास और निर्धनता निवारण कार्यक्रमों की मूल्य प्रक्रिया सह उत्पादक सिद्ध होती है, जिसके फलस्वरूप गरीब और गरीब हो जाता है तथा पर्यावरणी सन्तुलन बिगड़ने की यह स्थिति, जिसका आज हम सामना कर रहे हैं, गरीबी और कम विकास के कारण तथा कुछ विकास कार्यक्रमों के प्रतिकूल प्रभावों के कारण उत्पन्न हुई है। विकास कार्य के लिए प्राय: जो प्रयास किए जाते हैं उनके प्रतिकूल प्रभाव के बारे में कोई सोच-विचार नहीं किया जाता, जिसके फलस्वरूप बड़े पैमाने पर वनों की कटाई करनी पड़ती है और वन भूमिका अन्य कार्य के लिए उपयोग करना पड़ता है। उक्त प्रयास करने से पहले सामाजिक और पर्यावरण सम्बन्धी समस्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस सम्बन्ध में न केवल राज्य के स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी विचार किया जाना चाहिए।

वृक्षों की कटाई के सम्बन्ध में ठेकेदारों, राजनैतिक व्यक्तियों और वन विभाग के बीच जो साठ-गांठ होती है, उसके बारे में अनेक सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस सम्बन्ध में, मैं बताना चाहूंगी की गत दो दशकों से सरकार की नीति वन क्षेत्र से ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने की रही है। इस प्रयोजन के लिए बहुत बड़ी संख्या में राज्य वन विभाग निगम स्थापित किए गए थे ये निगम वनों के कार्य का संचालन प्रबंध योजनाओं के अनुसार करते हैं। वन श्रमिक सहकारी समितियों

तथा जनजातीय सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया जाता है तथा इन्हें और भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। हम देश में आरा मिलों के कार्यचालन को विनयमित करने के लिए भी कदम उठा रहे हैं ताकि इमारती लकड़ी का अधिक संचय न करना पड़े। मैं वन अधिकारियों के बारे में भी कुछ शब्द कहना चाहूंगा। सम्पूर्ण वन विभाग के कार्य का स्वरूप पुलिस जैसा है और व्यक्ति को अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए दूरदराज के क्षेत्रों में कार्य करना पड़ता है। उसे चिकित्सा सम्बन्धी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, उसे शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और उसे ऐसी कोई सुविधाए उपलब्ध नहीं है जो अन्य सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध होती है। सामान्यत:, उसकी दुर्दशा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और वन कटाई के लिए हमेशा उसे ही दोषी ठहराया जाता है। उसका जांच करने का कार्य लकड़ी की तस्करी करने वाले लोगों द्वारा पसन्द नहीं किया जाता है और इसीलिए अब पहले की अपेक्षा उसकी अधिक निन्दा की जाने लगी है। मैं आपको अपना अनुभव बताना चाहती हूं। हमारे पास कई सौ हेक्टेयर अथवा 20 से 30 किलोमीटर की दूरी तक फैले वन क्षेत्र के लिए एक अधिकारी होता है। उस व्यक्ति के पास एक साइकिल होती है वह एक डंडा रखता है। कुल मिलाकर उसके पास बस यही सामान होता है। जो व्यक्ति सामान की तस्करी करने के लिए वन में आता है। वह लुटेरों का गिरोह लेकर आता है और अकेले वन अधिकारी के समक्ष यह प्रश्न उठ खड़ा होता है कि क्या उसे उनका सामना करते हुए मर जाना चाहिए अथवा उसे यहां से भाग खड़ा होना चाहिए (व्यवधान) अब, हमें बहादुर व्यक्ति मिले हैं। हमें निर्धन लोग मिले हैं जो अपनी जीविका कमाने का प्रयास कर रहे हैं। वे यह कार्य कर सकते है, लेकिन बात यह है कि हमने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी हैं, जिनमें सहयोग जीवन का अंग बन गया है। मैं वन विभाग के लिए बेहतर उपकरण चाहती हूं—मैं यहां कोई नीति संबधी वक्तव्य नहीं दे रही हूं। मैं चाहती हूं कि हमारे पास जीपें हों, मैं चाहती हूं हमारे पास अच्छी बन्दूकें हों। मैं चाहती हूं कि हमारे पास रात्रि में हमें देख सकने योग्य बनाने वाले उपकरण हों। हमारे समक्ष एक ऐसी स्थिति आ गई थी जब हमारे दक्षिण भारत में वीरप्पन नामक एक आदमी को पकड़ा था—"जिसका आपको पता है यह कदम मैंने उठाया है—जो हाथियों को मार कर ले जा रहा था चंदन की लकड़ी की तस्कर करके वृक्षों को तहस नहस करके जा रहा था। केवल इसी के लिए उसने अनेक वन अधिकारियों की हत्या कर दी थी। अत शेष अनेक वन अधिकारियों ने वन छोड़ दिया था। मेरे कहने का यह तात्पर्य नहीं है कि वन अधिकारी निर्दोष होते हैं, मैं केवल कह रही हूं कि यदि आपको किसी विशिष्ट घटना का पता लगे, तो आप इसे मेरी जानकारी में लाइये। मैं वनों और वन अधिकारियों के बारे में और भी अधिक चिंतित हूं। मैं चाहती हूं कि आप विशिष्ट घटनाओं को मेरी जानकारी में लाएं, दोषी व्यक्तियो के विरुद्ध पूरी कार्यवाही की जाएगी।

श्री महाले जी ने बताया था कि आदिवासियों के विकास कार्य के लिए न कोई सड़क है, न कोई स्कूल है, न कोई टेलीफोन लाइनें मंजूर की गई हैं। जैसाकि मैं पहले बता चुकी हूं, वन क्षेत्रों के भीतर निर्माण कार्यों के लिए आदिवासी क्षेत्रों को विशेष रियायतें दी जाती हैं। हमारे लिए यह संभव नहीं है कि हम परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति देने का अधिकार वनों के संरक्षक को दे दें, क्योंकि ऐसा करने से वनों की कटाई के लिए भूमि के चुने जाने पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। यह

प्रस्ताव स्वीकार करना भी सम्भव नहीं है कि जिन मामलों का एक महीने के अन्तर्गत स्वीकृति नहीं दी जाती है उन्हें स्वीकृत मान लिया जाना चाहिए।

जहां तक महाराष्ट्र राज्य में वन भूमि पर अनधिकृत कब्जों को नियमित किए जाने की समस्या का सम्बन्ध है, राज्य सरकार ने वन अधिनियम के अन्तर्गत मंजूरी प्राप्त करने सम्बन्धी सूचना अभी तक प्रस्तुत नहीं की है।.... (व्यवधान)

श्री उत्तम राठौड़ (हिंगोली) : महोदय ये तो पुराने मामले हैं। यह भूमि इस अधिनियम के पारित होने से पहले वर्ष 1978-79 में दी गई थी। 1980 का वर्ष तो बाद में आया। इससे पहले भूमि आवंटित कर दी गई थी। वे सहकारी समिति के सदस्य थे। उन्होंने ऋण लिया है। कम से कम आप तो उन मामलों को नियमित कर दें।

श्रीमती मेनका गांधी : ठीक है। मुझे इस मामले की गहराई से जांच करने दो। मैं समझती हूं कि इस बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। मुझे इसकी पूरी तरह जांच करने दो। मैं इस बारे अभी कोई वादा नहीं कर सकती।

सभापति महोदय : महोदयन, पहले आप अपना भाषण समाप्त कीजिए। उसके बाद आप इन प्रश्नों का जवाब दे सकती हैं।

श्री वाई०एस० महाजन : कुछ नदी बांध योजनाएं हैं, जिन्हें अधिनियम पारित होने से पहले शुरू किया गया था।

श्रीमती मेनका गांधी : सामान्यतया आप इस मामले को यहां लागू नहीं कर सकते। जब एक बांध योजना शुरू की जाती है या कोई अन्य योजना प्रारम्भ की जाती है, तो प्रारम्भ में वे दो या पांच हेक्टेयर जमीन की मांग करते हैं। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता जाता है, वे दस एकड़ जमीन की मांग करते हैं वे पचास हेक्टेयर जमीन की मांग करते हैं, वे सौ हेक्टेयर जमीन की मांग करने लगते हैं, वे हजार हेक्टेयर जमीन की मांग करते हैं। आप कहते हैं कि उक्त योजना अधिनियम पारित होने से पहले मंजूर हो गई थी, लेकिन आप जानते हैं कि इसे उस रूप में तो कार्यान्वित नहीं किया गया।

महोदय, ग्रामीणों को रसोई गैस की एजेन्सी आवंटित करने सम्बन्धी श्री महाले जी के सुझाव पर पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा ही विचार किया जा सकता है। जहां तक हमारे मंत्रालय का सम्बन्ध है, हम आपकी समस्या से गोबर गैस संयन्त्र, सौर ऊर्जा अथवा ग्रामीणों द्वारा अपनाए जाने वाले अन्य स्रोतों जैसे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का प्रोत्साहित करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। हम अपने वनों की रक्षा करेंगे और गांवों का सतत विकास करेंगे। इस सम्बन्ध में हम अन्य मन्त्रालयों से सम्पर्क बनाए हुए हैं।

यह कहना गलत है कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के लागू होने से वन क्षेत्र में वृद्धि नहीं हुई है। सघन क्षेत्र में वृद्धि के सम्बन्ध में उपग्रह अनुमान बताते हैं कि सघन वन क्षेत्र में 16,456 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की वृद्धि हुई है ? इससे पता चलता है कि हमारे वन संरक्षण प्रयासों को कुछ सफलता मिली है।. (व्यवधान)। यह भी ठीक है कि उपग्रह का आकलन किसी पार्टी विशेष से सम्बन्धित नही है....(व्यवधान)।

श्री वाई० एस० महाजन : लेकिन कितना वन क्षेत्र नष्ट हुआ है ?

श्रीमती मेनका गांधी : मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन मेरा तो कहना यह है कि इस अधिनियम के लागू होने से भी वनों का संरक्षण हुआ है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह हमारे शासन काल में लागू हुआ था।

सभापति महोदय : पहले उन्हें अपना भाषण समाप्त करने दें।

श्रीमती मेनका गांधी : चाहे यह अवधि कोई भी हो, वन तो राष्ट्र की सम्पत्ति हैं। ये आपके मेरे अथवा किसी अन्य को नहीं है। मुझे खुशी है कि इसका श्रेय आपको मिला।

महोदय, इसके अतिरिक्त वन (संरक्षण) अधिनियम का उद्देश्य वन भूमि का प्रयोग अन्य गैर-वन प्रयोजनों के लिए रोकना था। यह लक्ष्य पूरी तरह हासिल हुआ है और जैसा कि मैंने पहले बताया, वन भूमि का प्रयोग अन्य गैर-वन प्रयोजनों के लिए किए जाने की वार्षिक दर अब घटकर दस प्रतिशत रह गई है। वनों में आग लगने की घटनाओं के बारे में, जैसा कि आदरणीय सदस्य जानते हैं, उत्तर प्रदेश में एक आधुनिक वन अग्नि नियन्त्रण परियोजना लागू है और यह परियोजना वन की आग को उसी क्षेत्र तक सीमित रखकर उसे बुझाने में सहायक हुई है। यदि सरकार जनता के कुछ भार को स्वयं वहन कर उसकी सहायता करती है, तो मैं समझती हूं कि जनता को भी हमारे प्रयासों के साथ अपना सहयोग देना चाहिए।

श्री रावत चाहते थे कि वन (संरक्षण) अधिनियम को शीघ्र मंजूरी देने हेतु राज्यों को मार्गनिर्देश जारी किए जाएं। यह मार्ग निर्देश पहले ही जून 1988 में जारी कर दिए गए हैं। तथापि राज्य सरकार द्वारा 5 हेक्टेयर क्षेत्र तक वन कटान की अनुमति देकर अधिनियम के उपबन्धों को शिथिल बनाना असम्भव होगा।

जैसाकि मैं पहले कह चुकी हूं पर्वतीय क्षेत्रों के लिए हम 5 हेक्टेयर क्षेत्र की घोषणा कर चुके हैं, बशर्ते इस परियोजना से पर्वतीय लोगों को राहत मिले। इस मामले पर सरकार ने पहले भी विचार किया था और यह महसूस किया गया था कि विस्तृत वन क्षेत्र छोटे-छोटे भागों में बंट जाएंगे और इस प्रकार वन भूमि का अन्यत्र प्रयोग करने पर नियन्त्रण नहीं लग पाएगा।

श्री रावत ने यह भी आरोप लगाया है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय सांसदों की बात नहीं सुनता, केवल पर्यावरण सम्बन्धी ग्रुपों की बात ही सुनता है। यह बिल्कुल गलत आरोप है। मैं नहीं

समझती कि आप एक भी ऐसा मामला बता पाएं, जिसमें मंत्रालय अथवा मैंने सांसदों की बात न सुनी हो। मैं उस हर बात पर ध्यान देती हूं जिसकी भारत को आवश्यकता है। तथापि यदि आप समझते हैं कि मैं केवल एक पक्ष अथवा दूसरे पक्ष की बात ही सुनती हूं, तो मैं समझती हूं कि ऐसी कुछ नहीं है। मैं प्रत्येक पक्ष की बात सुनती हूं कभी सभी सांसदों के ग्रुप होते हैं, कभी ऐसा व्यक्ति होता है जो उक्त विषय का अध्ययन कर रहा हो, जिसे इस विषय की जानकारी हो अथवा जो इस विषय से एकदम अलग हो और निस्सन्देह मैं उक्त विषय से सम्बन्धित आंदोलनकारियों और सरकारी लोगों की बात सुनने का प्रयास भी करती हूं और इस प्रकार जितना हो सके मामले को अच्छी तरह निपटाने का प्रयास करती हूं। मैं नहीं समझती कि अब आगे आप इस प्रकार का आरोप लगा पाओगे। हम सभी पक्षों के दृष्टिकोण पर गौर करने के पश्चात ही निर्णय करते हैं। यह भी टिप्पणी की गई थी कि उत्तर प्रदेश के लगभग 3200 प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत किसी न किसी स्तर पर मंजूरी के लिए लम्बित पड़े हैं। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 31 मार्च, 1990 तक उत्तर प्रदेश से कुल 932 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिनमें से 653 प्रस्तावों पर मंजूरी दे दी गई है, 60 प्रस्तावों पर मंजूरी नहीं दी गई, 184 प्रस्तावों को अपेक्षित सूचना न दिए जाने के कारण अस्वीकार कर दिया गया, 15 प्रस्ताव विचाराधीन हैं और 11 प्रस्ताव राज्य सरकार ने वापस ले लिए। मैं समझती हूं कि 3200 की संख्या गलत जानकारी से प्राप्त हुई है।

श्री मोहिन्द्र पालसिंह ने कहा कि बिड़ला फैक्टरी के लिए सड़कों, टेलीफोन, रेल लाइनों को मंजूरी नहीं दी गई। यदि राज्य सरकार उचित तरीके से ये प्रस्ताव पेश करती तो इन पर विचार किया जा सकता था। रामपुर और न्यू हल्द्वानी के बीच रेल लाइन बिछाने के लिए 122.7 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र की आवश्यकता है। आयुक्त, पर्वतीय मण्डल, ने इसका प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से न भेजकर सीधा भेज दिया था। हमने उनसे कहा कि समुचित तरीके अर्थात राज्य सरकार के भेजेंगे। सदस्य ने यह भी उल्लेख किया कि रेल लाइन बिछाने का एक प्रस्ताव वर्ष 1971 से लम्बित पड़ा हुआ है। उक्त सदस्य से इस मामले पर चर्चा किए बिना मैं यह बताना चाहूंगी कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 से ही लागू हुआ है। मैंने हर प्रकार से इस विषय पर नवीनतम स्थिति को स्पष्ट कर दिया है।

श्री लक्ष्मी नारायण पांडेय ने वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वन्य-ग्राम देने की बात कही। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कई परियोजनाएं पिछले पांच वर्षों से लम्बित पड़ी हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि जिस योजना का जिक्र आदरणीय सदस्य ने किया है वह बस्तर जिले में बोधघाटा बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना है। इसकी स्थिति यह है कि राज्य सरकार ने राज्य स्तर पर्यावरण सम्बन्धी मंजूरी देने पर विचार करने हेतु पांच अध्ययन दलों का गठन किया है। उनकी मंजूरी के बाद ही यह मामला केन्द्र सरकार के पास भेजा जाएगा। इस समय इस मामले के सम्बन्ध में अभी तक राज्य सरकार द्वारा अध्ययन किया जा रहा है। इस परियोजना का प्रस्ताव अभी तक हमारे पास नहीं आया है। जैसे ही यह प्रस्ताव हमारे पास आएगा हम इस पर विचार करेंगे। वन्य ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तन करने के मसले पर सरकार विचार

कर रही है। पांच वर्ष से मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी परियोजनाओं के बारे में मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि मुझे इसका ब्यौरा दें ताकि उनकी जांच की जा सके। आरा-मशीनों के बारे में मैं यह बताना चाहूंगी कि हमने राज्य सरकारों को भविष्य में आरा-मशीनों के लाइसेंसीकरण को विनियमित करने के अनुदेश जारी कर दिए हैं ताकि आरा-मशीनों की अन्धाधुन्ध स्थापना को रोका जा सके।

श्री के० डी० सुल्तानपुरी ने शिमला में राहा होटल के निर्माण का उल्लेख किया इस मामले को राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा और इस बारे में उसके विचार मांगे जाएंगे। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि नई फैक्टरियों की स्थापना कच्चा माल उपलब्ध होने पर ही की जाये। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि वृक्षारोपण विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में हेतु अधिक धनराशि आवंटित की जाये और हम इस वर्ष समग्र वानिकी क्षेत्र हेतु अधिक धनराशि प्राप्त करने में सफल रहे हैं।

महोदय, मैं 'हिमालय ग्रीनिंग फंड' के लिए प्रयास कर रही हूं। यदि इसकी स्थापना हो जाती है तो निश्चित रूप से देश के पर्वतीय क्षेत्रों का काफी विकास हो सकेगा।

श्री राम चन्द्र डोम ने कहा था कि आधुनिक समाज के निर्माण में वनों का उपयोग किया जाना चाहिए और वन भूमि का उपयोग करने से पहले इसका विकल्प ढूंढा जाना चाहिए। वह यह भी चाहते हैं कि वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन करने से पहले सभी अच्छे बुरे पहलुओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। इस अधिनियम का समर्थन करने के लिए मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करती हूं और उन्हें आश्वासन देना चाहूंगी कि जल्दबाजी में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जायेगा जिससे वन संरक्षण अधिनियम के उपबन्ध कमजोर हो जायें।

श्री छेदी पासवान ने कहा था कि गंगा कीचड़ से प्रदूषित हो रही है और बिहार में बाढ़ आ रही है। हर वर्ष इस पर काफी धनराशि व्यय की जाती है। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है कि वनों से बाढ़, सूखा, भू-क्षरण आदि को रोकने में सहायता मिलती है और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर हमें वनों को बचाना चाहिये तथा वर्तमान अधिनियम के उपबन्धों को कमजोर नहीं बनाना चाहिये। आप मुझसे एक ओर तो वनों पर खर्च कम करके धनराशि को विकास कार्यों में लगाने और दूसरी ओर वनों के संरक्षण देने की बात एक साथ नहीं कह सकते।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह ने कहा था कि विकास परियोजनाओं को नहीं रोका जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से इन परियोजनाओं की लागत बढ़ जाती है। मैं यह उल्लेख करना चाहूंगी कि यदि परियोजना को शुरू करने से पहले वन की कटाई के लिये आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करना बेहतर होगा बजाय बाद में बजाय इसके कि यह स्वीकृति बाद में मांगी जाए। उन्होंने यह भी कहा था कि मंत्रियों को एक साथ बैठकर कोई हल ढूंढना चाहिये। इस मामले पर मई, 1989 में वन मंत्रियों की बैठक में पहले ही बातचीत हो चुकी है और उस समय वन नीति और वन संरक्षण अधिनियम को कार्यान्वित करने सम्बन्धी सभी विषयों पर बातचीत करके हल ढूंढ लिया गया था जिस मामले में आठ वर्ष का विलम्ब हुआ है, जैसा कि यहां बताया गया है, कुछ स्पष्ट नहीं है। मैं

माननीय सदस्य से विशिष्ट मामलों के बारे में जानकारी देने का अनुरोध करती हूं ताकि इनकी जांच की जा सके। माननीय सदस्य ने यह भी उल्लेख किया था कि लोगों को उस वन भूमि पर बसने दिया जाये जिसे वन क्षेत्र की श्रेणी से निकाल दिया गया है। वन भूमि पर मानवों के बसने की बात हमारे लिये एक बडी चिन्ता की बात है और मनुष्य का वन भूमि में बसाना ठीक नहीं होगा। यह राष्ट्रीय वन नीति के विरुद्ध है। मैं सिर्फ इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगी कि यदि आप इसी प्रकार से भूमि हथियाते रहे तो हमारे पास संरक्षण हेतु कोई भी क्षेत्र नहीं बचेगा। हम इसलिये इसका संरक्षण नहीं कर रहे हैं कि यह भूमि सुन्दर है बल्कि इसलिये कर रहे हैं कि मनुष्य को यहां बसना है। जब वहां आप किसी को बसा देते हैं तो आप पेड़ नहीं लगा सकते, पानी नहीं दे सकते तो फिर अपने बच्चों को इस प्रकार का भारत देने की क्या औचित्य है? हमने राज्य सरकारों से इस उद्देश्य हेतु पर्याप्त राजस्व भूमि निश्चित करने के लिए कहा है।

श्री पीयूष तीरकी ने कहा था कि किसी क्षेत्र को संरक्षित वन घोषित करते समय तथा वन संरक्षण अधिनियम पारित करते समय आदिवासियों से परामर्श नहीं किया जाता। जैसा कि उन्हें मालूम है कि जब किसी क्षेत्र को संरक्षित वन घोषित किया जाता है तो समुचित सूचना दी जाती है और उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के अधिकारों का निर्धारण लोगों को बसाये जाने की प्रक्रिया का एक अंग है। वन संरक्षण अधिनियम के बारे में मैं यह कहना चाहूंगी कि जब संसद द्वारा इस अधिनियम को पारित किया गया था तो समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधि मौजूद थे। ईंधन के लिये लकड़ी लेने के मामले में आदिवासियों को तंग किये जाने के सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहूंगी कि हमारी नीति भी यही नीति है, पूर्व सरकार की भी यही नीति रही और इस मामले में प्रत्येक सरकार की नीति यही है कि आदिवासियों के परम्परागत अधिकारों का सम्मान किया जाता है और उन्हें इन अधिकारों का लाभ उठाते समय बिल्कुल परेशान नहीं किया जाता।

श्री उत्तम राठौड़ ने उन सहकारी समितियों का उल्लेख किया था जिन्हें सरकार द्वारा भूमि दी गई है परन्तु उनसे वह भूमि छीनी जा रही है। मैं माननीय सदस्य से पुनः निवेदन करती हूं कि वह ऐसा कोई विशिष्ट मामला बतायें क्योंकि हमारे ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं है।

श्री प्रहलाद पटेल ने उल्लेख किया था कि वनरोपण व्यवस्था ठीक नहीं है और सागवान के वृक्ष लगाये जा रहे हैं जो कि पर्यावरण की दृष्टि से ठीक नही हैं। किसी भी प्रकार का 'मोनो-कल्चर' चाहे वह सागवान का हो अथवा कोई अन्य वृक्ष जो आप लगाना चाहें, ठीक नहीं है। 'मोनोकल्चर' के बारे में सोचना ही व्यर्थ है, कोई भी 'मोनोकल्चर' ठीक नही होता। प्राकृतिक रूप से वनों को लगाने में वृक्षों की विभिन्न किस्मों का मिश्रण होना चाहिये।

श्री प्रताप सिंह ने उल्लेख किया था कि केवल वही वृक्ष लगाये जाने चाहिये जो सारे वर्ष मनुष्यों और पशुओं की आवश्यकता को पूरा कर सकें। मैं उनके साथ सहमत हूं और हम ऐसे वृक्ष लगाने पर बल दे रहे हैं, जो उस स्थान के लिये उपयुक्त हैं और लोगों के दिन प्रति दिन के कार्यों में काम आते हैं।

श्री नरसा रेड्डी ने बताया था कि नागार्जुनसागर बांध का बायाँ किनारा, जिसका क्षेत्रफल 150 एकड़ है, वन क्षेत्र के अन्तर्गत है और इसके कारण एक लाख एकड़ से भी अधिक भूमि की सिंचाई नहीं की जा सकती। इस सम्बन्ध में, मैं यह बताना चाहूंगी कि वन क्षेत्रों में नहरों का निर्माण करने सम्बन्धी केवल पांच प्रस्ताव हमें प्राप्त हुये थे जिन्हें अक्तूबर, 1988 में, स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। इस बारे में राज्य सरकार को यदि कि ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तो हमें उसकी जानकारी नहीं है। यदि राज्य सरकार कोई अन्य प्रस्ताव भेजेगी तो हम निश्चित रूप से उन पर विचार करेंगे। श्रीराम सागर परियोजना के सम्बन्ध में तीन प्रस्ताव मिले हैं जिसके अन्दर 171.98 हेक्टेयर वन क्षेत्र आता है। इन प्रस्तावों को राज्य सरकार पर कुछ स्पष्टीकरण देने के लिये भेजा गया है। आदिलाबाद क्षेत्र में, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 को चौड़ा करने के बारे में, राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। जैसे ही प्रस्ताव प्राप्त होगा उस पर विचार किया जायेगा। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि आम के जो पेड़ वन क्षेत्र में लगाये गये वे उन्हें इस आधार पर नहीं काटा जाना चाहिये कि वे अनाधिकृत हैं। वास्तव में मैं यहां कुछ कहना चाहूंगी कल, हम सबने एक साथ बैठकर वन नीति की समीक्षा की थी। इस वर्ष हम उपभोक्ताओं को इनके फलों का लाभ देने की सोच रहे हैं। हम बंजर क्षेत्र में पेड़ नहीं लगा सकते। अतः एन०जी०ओ० भूमि न होने के कारण वृक्ष नहीं लगाते।

श्री के एस. राव (मछलीपटनम) : क्या आप मुफ्त पट्टे देंगे ?

श्रीमती मेनका गांधी : नहीं, ये मुफ्त पट्टे नहीं होंगे। भूमि वन विभाग की ही रहेगी लेकिन यदि आप वृक्ष लगाते हैं तो आपको इसके फल, पत्तियों और हर चीज पर अधिकार होगा। यह नई नीति बनाई गई है।

श्री राघव जी (विदिशा) : जो व्यक्ति वृक्ष लगायेगा उसका केवल फलों पर अधिकार होगा न कि वृक्ष पर।

श्रीमती मेनका गांधी : नहीं, बड़ा होने पर वृक्ष पर भी उसका अधिकार होगा। अन्यथा आपके पास केवल कागजों में ही सफेदे के वृक्ष होंगे। वे वन विभाग द्वारा अनुमोदित पेड़ लगा सकते हैं तथा कृषि वानिकी का कार्य कर सकते हैं।

श्री के. एस. राव : आप इसमें फल वृक्ष भी शामिल कर सकते हैं।

श्रीमती मेनका गांधी : फल वृक्षों पर जोर दिया गया है। पुनानुसार 10-20 वर्षों के बाद जब यह बड़ा हो जायेगा, तो वन विभाग को इमारती लकड़ी पाने का भी अधिकार होगा। किन्तु बीच की अवधि में इसे कोई भी व्यक्ति नहीं काट सकता है।

श्री के. एस. राव : आंध्र प्रदेश में सरकार ने ही 3000 पेड़ काट डाले हैं।

श्रीमती मेनका गांधी : आपकी शिकायत के आधार पर इसकी जांच की जा रही है।

श्री सन्तोष मोहन देवर (त्रिपुरा पश्चिम) : अनन्नास के पेड़ किस श्रेणी में आते हैं ?

श्रीमती मेनका गांधी : मैं समझती हूं कि यह झाड़ी होती है, किन्तु मैं नहीं जानती कि यह किस श्रेणी में आता है। मैं समझता हूं कि यह एक छोटे आकार का पेड़ है।

श्री प्रेम कुमार धूमल ने पंजाब नेशनल फर्टिलाइजर्स और और पंजाब अल्कालिज के कारण प्रदूषण की समस्या का उल्लेख किया है। मैं उन्हें यह बताना चाहूंगी कि सदस्य द्वारा उठाये गये मुद्दों की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है तथा उनके उत्तर की प्रतीक्षा है। हम इस मामले पर उनसे लगातार सम्पर्क बनाए हुये हैं।

श्री नन्द कुमार सहाय ने विस्तार गतिविधियों की फिल्म बनाने के बारे में उल्लेख किया था। मन्त्रालय वनरोपण, वन्य प्राणी, पर्यावरण आदि पर फिल्म निर्माण को बढ़ावा दे रहा है तथा कुछ मामलों में वित्तीय सहायता तक दे रहा है।

श्री तेज नारायण सिंह ने कहा है कि विकास प्रयोजनों के लिये पेड़ काटे जा रहे हैं। मैं पुनः इस बात का उल्लेख करना चाहूंगी कि पेड़ उगाना और उन्हें हरा-भरा बनाये रखना तथा हरियाली का क्षेत्र बनाना भी विकास का एक रूप है। श्री सिंह के सुझाव के अनुसार, वन-भूमि आदिवासियों को हस्तांतरित करना गलत होगा। तथापि, उनके अधिकारों की रक्षा की जायेगी।

श्री रामकृष्ण यादव ने उल्लेख किया है कि त्रुटियां अधिनियम में नहीं हैं बल्कि उसे कार्यान्वित करने वाले तन्त्र में है। अधिनियम का कागजों में पड़े रहने का कारण यह है कि इसे लागू करने के लिये हमारे पास पर्याप्त वन नहीं है। किन्तु, हमने समय-समय पर यह देखने के लिये दिशा निर्देश जारी किये हैं कि यह अधिनियम हमारे देश के लिये अधिक उपयुक्त है। मन्त्रालय द्वारा दिया गया नवीनतम सुझाव यह है कि हम इस अधिनियम को अच्छी तरह कार्यान्वित करने में लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करें। वनरोपण के बारे में श्री टोम्बी सिंह के दृष्टिकोण के बारे में मैं उन्हें यह आश्वासन देना चाहूंगी कि इस मन्त्रालय ने वनरोपण को अति गम्भीरता से लिया है तथा हमने राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड में अनेक कदम उठाये हैं जिसके परिणाम एक-दो वर्ष में देखने को मिलेंगे। मैं अधिक-से-अधिक पेड़ लगाने-सम्बन्धी उनके विचार की बहुत प्रशंसा करती हूं। मैं चाहती हूं कि उन्हीं की तरह और अधिक लोग वनों के महत्व को महसूस करें तथा अपने निर्वाचन क्षेत्र में और अधिक पेड़ लगाने में सक्रिय रूप से हमारी सहायता करें।

मेरे द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुये मैं सदस्यों से अनुरोध करती हूं कि वे प्रस्तावित संशोधन पर जोर न दें तथा श्री महालेजी से अनुरोध है कि वे अपने प्रस्ताव को वापस ले लें। मैं इस सभा को आश्वासन देती हूं कि वन संरक्षण के मामलों तथा अन्य सम्बन्धित मामलों को निपटाने में मन्त्रालय द्वारा तेजी से कार्यवाही की जायेगी। (व्यवधान)

श्री के. एस. राव : भूमि पर अधिकार दिये बिना लोगों को मुफ्त पट्टा देने तथा इसे वन विभाग के लिये छोड़ देने से इसके कार्यान्वयन में समस्या आयेगी। जैसा कि आपने कहा है, क्या

आप इसके कारगर कार्यान्वयन के लिये कदम उठायेंगी ? क्या आप सम्बन्धित विभागों तथा राज्य सरकारों को तत्काल इस नीतिगत निर्णय से अवगत करायेंगी ताकि वे जहां झाड़ियां हैं वहां भू-खंड आवंटित कर सकें।

श्रीमती मेनका गांधी : वस्तुत, यह राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड के अन्तर्गत आता है। कल, हमारी सभी एन०जी०ओ० के साथ बैठक थी। नीति की रूप रेखा तैयार की जा रही है। ज्योंहीं इसे अन्तिम रूप दे दिया जायेगा निश्चित रूप से मैं इसे राज्य सरकारों को भेज दूंगी। वास्तविक कार्यान्वयन तो राज्य स्तर पर होना है। अब जबकि नये नीतिगत दिशा निर्देश जारी किये जा रहे हैं, राज्य सरकारें इन्हें कार्यान्वित कर सकती हैं।

सभापति महोदय : इस विधेयक के लिये दिया गया समय समाप्त हो चुका है। यदि सभा चाहे, तो हम श्री हरिभाऊ महाले का उत्तर पूरा होने तक समय को बढ़ा सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां, महोदय।

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : सभापति महोदय, मन्त्री महोदय का जवाब सुनने के बाद मैं बहुत हैरान हुआ कि यह बुद्धि का छल करते हैं लेकिन यह बुद्धि का छल नहीं, अफसरों का छल है। मैंने पहले बताया कि पर्यावरण-पर्यावरण पर्यावरण। इनको मालूम नहीं कि देश में सिंचाई कितनी होती है और उसकी व्यवस्था कैसी है और उसमें किसानों ने खुद सिंचाई कितनी की ? मैं महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूं। वहां 12 प्रतिशत सिंचाई होती है जिसमें 6 प्रतिशत तो किसान खुद करते हैं और 6 प्रतिशत सरकार की ओर से की जाती है। तो मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि लोगों ने और किसानों ने कितने पेड़ लगाये हैं, हर तरह से उसकी गिनती की गई है या नहीं ? आप जंगलों को मानते हैं लेकिन केवल जंगल-जंगल से काम नहीं चलेगा। महाराष्ट्र में 33 प्रतिशत जगल थे तो केवल एक चीफ था और अब वे सात हो गये हैं और जंगल कितने हैं ? केवल 8 प्रतिशत जंगल रह गए हैं। यह जंगल का कानून किसने बनाया ? ये सब अफसरों का पेट भरने के लिये चाहिये, इसके अलावा बाकी कुछ नहीं था। अफसर लोग घूस खाते हैं जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है।

मैं एक बात और बताना चाहता हूं। भारत के संविधान बनाने वाले का सैन्ट्रल हाल में तस्वीर लगाया गया है और आजकल महाभारत चालू है जिसमें कौरवों ने पांडवों को एक इंच भी जमीन नहीं दी। अब यह जो कानून बनाया गया है वह आदिमजाति के लिये चलेगा ? वे 5 करोड़ लोग हैं, उनकी इतनी समस्यायें हैं कि बार-बार उनमें बाधा पड़ती है। जंगल की जमीन का अलग झगड़ा है। मैं इस सम्बन्ध में पहले ही बोल चुका हूं कि मैं तो वृक्षों का प्रेमी हूं। मैं दूसरों द्वारा वृक्षों की खेती के बारे में नहीं कहूंगा। मैं तो अपने जिले में अपने द्वारा सिंचाई व्यवस्था की अपेक्षा पेड़ों को अधिक महत्व देता हूं क्योंकि आपको एवं हम सब को मालूम है कि पेड़ की आज बहुत जरूरत है लेकिन वन का जो कानून है उससे बाधा आती है। कहीं-कहीं तो एक एकड़ और कहीं ढाई या पांच एकड़ में वन आते हैं तो इसलिये वन की महत्ता को समझना चाहिये।

सन् 1962 में श्री यशवन्त राव चह्वाण ने महाराष्ट्र में जिला परिषद का कानून बनाया तो एक सेक्रेटरी के पास 10-10 गांव थे तो इस प्रकार यह तो लालफीताशाही है। ऐसा हो जाता है। इसीलिये मैं आपसे बार-बार कहता हूं कि जहां 5 एकड़ या 10 एकड़ जमीन के मामले हों, वे डिस्ट्रिक्ट में ही सैटल हो जाएं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही उसका फैसला हो जाये। यदि इससे ज्यादा भूमि का मामला हो, वह आपके पास यहां आ जाये, इतनी ढिलाई आपकी नियमों में जरूर करनी चाहिए। आपको अपने आफिसर्स पर भरोसा है और होना भी चाहिये, मैं इससे इंकार नहीं करता लेकिन व्यावहारिकता से भी हमारा कुछ वास्ता रहना चाहिये। महाराष्ट्र ने तो साफ बोल दिया है और इस प्रश्न को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने आपकी काफी लम्बी-चौड़ी निन्दा की है, जानबूझ कर राजकीय निन्दा की है। उन्होंने तो आपके पास कोई भी प्रकरण नहीं भेजा है। इसलिये मैं आपको बोल रहा हूं कि कानून के मुताबिक जंगलों की रक्षा होनी चाहिये, पर्यावरण की भी रक्षा होनी चाहिए, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं, यह राष्ट्रीय सवाल है और इस मामले में सारा सदन एकमत है, लेकिन जो छोटे स्तर के मामले हैं, उनमें कुछ ढिलाई अवश्य होनी चाहिए, यही मेरी मांग है। दूसरे, आपके पास जितने प्रकरण आयें, उनका फैसला एक टाइम बाउण्ड यानी दो महीने में होना चाहिये, इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिये। मैं जानता हूं कई ऐसे प्रकरण आपके पास पड़े हैं, जिन्हें 10-10 या 12-12 वर्ष हो चुके, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। यदि किसी का उत्तर जाता भी है तो "न" में जाता है, हो नहीं सकता। इसीलिये मैंने जोर दिया। वैसे मैं जनता दल का सदस्य हूं, इसीलिये जहां मेरी सहानुभूति जनता दल की सरकार के प्रति है, उसी के साथ-साथ मेरी सहानुभूति उस 5 करोड़ जनता के प्रति भी है, जिसने मुझे चुनकर यहां भेजा है, उसकी भी कुछ आकांक्षायें हैं। यदि मैं उनकी बात नहीं कहूंगा तो उस जनता का हित नहीं होगा। ऐसी सहानुभूति से काम नहीं चलेगा। इसलिये मैं आपकी मारफत पुनः मन्त्री जी से विनती करूंगा कि अपने फैसले पर आप फिर से विचार कीजिये और सरकार की तरफ से कोई ऐसा बिल लाइये जिससे लोगों को राहत मिले। मैं इसे वापस लेने के लिए तो तैयार हूं परन्तु आप सदन में कुछ आश्वासन अवश्य दें।

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका गांधी : उन्होंने मुझे इसे तीन महीने में स्वीकृति देने के लिये कहा है। मैं कह चुकी हूं कि मैं इसे छः सप्ताह में स्वीकृति दे दूंगी। उन्होंने कहा है कि सरकार को 10 एकड़ जमीन मिली है। वस्तुतः, 10 हेक्टर जमीन हमें मिली है।

श्री उत्तम राठौड़ (हिंगोली) : मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रति हेक्टर कितने पौधे लगाये जाने की आपको उम्मीद है।

श्रीमती मेनका गांधी : मैं इसकी जांच करके फिर आपको बताऊंगी।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य को इस विधेयक को वापस लेने की सभा की अनुमति है?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

श्री हरिभाऊ शंकर महाले : वैसे मैं कुछ पूछना चाहता था, लेकिन विधेयक को वापस लेता हूं।

विधेयक सभा की अनुमति से वापस लिया गया

4.54 म. प.

युवा विधेयक

श्री हन्नान मौल्लाह (उलूबेरिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि देश में युवाओं के विकास के लिये एक व्यापक नीति बनाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय मुझे प्रसन्नता है कि आपने मुझे इस विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी तथा इस विधेयक को सभा में विचारार्थ लिया गया है क्योंकि मैं युवाओं के हित में कार्य कर रहा हूं। हम उन सभी बातों की मांग कर रहे हैं जिन्हें इस विधेयक में हमने समाविष्ट किया है। जैसा कि आपको विदित है, किसी भी देश अथवा राष्ट्र के लिये छात्र तथा युवा वर्ग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी राष्ट्र अथवा राज्य का भविष्य समाज के इस वर्ग के विकास पर निर्भर करता है। मानव संसाधन अन्य सभी संसाधनों से बढ़कर है। यही कारण है कि मानव संसाधन के लिए नियोजित निवेश आवश्यक है क्योंकि यह अन्य संसाधनों का अच्छे तरीके से उपयोग कर सकता है। अत यह किसी भी देश के लिये आवश्यक है कि उस देश के युवाओं एवं छात्रों से संबंधित मसलों के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाये।

महोदय विगत में भूतपूर्व औपनिवेशिक शासकों ने भारतीय युवाओं का या तो फौजी के रूप में अथवा कलम चलाने वाले बाबू के रूप में उपयोग किया। किन्तु, स्वतन्त्रता-संग्राम के दौरान समाज के इस वर्ग ने एक गौरवपूर्ण भूमिका निभाई तथा साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध एक शक्तिशाली आन्दोलन का सृजन किया। इस प्रक्रिया के दौरान उन्होंने अमानवीय दमन यातना का चरम सीमा तक बहादुरी से सामना किया तथा उन्होंने इसके लिये बड़ा-से-बड़ा बलिदान दिया। इसलिये, यह आशा करना स्वाभाविक ही था कि इस समाज के इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्ग का पूरी तरह विकास किया जाये तथा इसकी उपेक्षा, भेद-भाव और विलम्ब किये बिना उपयोग किया जाये. किन्तु, स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय से, छिटपुट और निरर्थक घोषणाओं के अतिरिक्त कोई सुस्पष्ट युवा नीति तैयार नहीं की गई है। हमारे संविधान के नीति निदेशक सिद्धांतों में बेरोजगारी, शिक्षा, सामाजिक न्याय, महिलाओं के लिये समान अधिकार इत्यादि संबंधित प्रश्नों के बारे में कुछ मार्ग निदर्शक दिये गये हैं। किन्तु, इन मार्गनिर्देशों को कार्य-रूप प्रदान करने अथवा इन्हें व्यवहार में लाने

के लिये अब तक कोई विस्तृत युवा नीति नहीं बनाई गई है। एक वक्तव्य देने के लिये भी हमें एक शताब्दी तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जब प्रथम प्रधानमन्त्री की शताब्दी मनाई गई, तब एक नीतिगत वक्तव्य दिया गया हमें वक्तव्य प्राप्त करने के लिये प्रथम प्रधानमन्त्री की जन्म शताब्दी की प्रतीक्षा करनी पड़ी। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। परन्तु 1988 की तथाकथित युवा नीति से कोई उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। केवल एक वक्तव्य दिया गया था। ये तो केवल कुछ बढ़ा-चढ़ाकर कहे गये शब्द ही वक्तव्य के रूप में प्रस्तुत किये गये हैं। इस पर संसद में कभी भी विचार नहीं किया गया और न ही सम्पूर्ण राष्ट्र के लोगों ने इस पर विचार किया है। इसने युवा आन्दोलन तथा इस क्षेत्र में कार्य करने वाले युवाओं की उपेक्षा की है। केवल एक ही वक्तव्य दिया गया था। प्रश्न यह है कि केवल एक वक्तव्य देकर ही हम समस्यायें हल नहीं कर सकते हैं। इससे कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। एक व्यापक अधिनियम बनाया जाना चाहिये। इन नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए कोई भी अधिनियम नहीं है। यह केवल एक वक्तव्य है और वही सब कुछ है। अनेक देशों में युवा अधिनियम लागू हैं। युवा गतिविधियों से सम्बन्धित सभी मुद्दों को मिलाकर एक पृथक अधिनियम बनाया गया है और कानूनी अधिकार सौंप दिये गये हैं जिन्हें सरकार तथा विभिन्न अन्य विभाग कार्यान्वित करते हैं। हमने युवा कार्य विभाग बनाया है। उन्हें अभी इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना है। केवल सरकार के कुछ निर्णयों को ही कार्यान्वित किया जाता है। वे कुछ धनराशि खर्च करते हैं और इसे इधर-उधर वितरित कर देते हैं। परन्तु हमारे देश के युवाओं के कल्याण हेतु कोई भी व्यापक अधिनियम नहीं है।

महोदय, स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् की अवधि में विशाल एकाधिकार पूंजीवाद विकसित हुआ है और हमारी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्र में विदेशी बहुराष्ट्रीय पूंजीवादियों ने बहुत महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। वास्तविक भूमि सुधार कानून को लागू नहीं किया गया था। विचार-विमर्श, वाद-विवादों और घोषणाओं के बावजूद भी इसे लागू नहीं किया गया था क्योंकि लागू करने की कोई राजनैतिक इच्छा नहीं दिखाई गई थी। इसके परिणामस्वरूप गत 43 वर्षों के दौरान जो भी विकास हुआ है उसका लाभ इस देश के केवल एक छोटे वर्ग के लोगों को ही मिल पाया। और······

5.00 म. प.

देश के उन लोगों, जिन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में अपना जीवन बलिदान किया, की आशाएं धूमिल हो गई थीं। आप जानते हैं कि इस समय देश की हालत क्या है। विश्व का प्रत्येक पांचवा बेरोजगार व्यक्ति भारतीय है। विश्व में प्रत्येक दूसरा अशिक्षित व्यक्ति भारतीय ही है। इनमें से अनेक युवा हैं। यह एक सही युवा नीति के न होने का सीधा परिणाम है।

आप जानते हैं कि विश्व स्तर पर खेल के क्षेत्र में हमारी भूमिका बहुत ही नगण्य है। हम गरीबी, निरक्षरता और इन सभी चीजों में बड़े पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु खेल के क्षेत्र में हमारी स्थिति क्या है? खेल के क्षेत्र में हमारी बहुत कम प्रतिशत जनसंख्या ही शामिल है। सूरीनाम भी ओलम्पिक खेलों में एक स्वर्णपदक जीत सकता है जबकि इसकी जनसंख्या दिल्ली की एक पुनर्वास कालोनी की जनसंख्या से भी कम है। परन्तु हम एक स्वर्णपदक जीतने में भी सफल नहीं हो सके हैं।

सांस्कृतिक क्षेत्र में भी सामन्तवादियों, रूढ़िवादियों, पतनकारियों और अपभ्रष्टों का अधिपत्य है। सभी वायदों और बलिदानों के बावजूद भी हमने अपने देश की युवा पीढ़ी को वही दिया है। सामाजिक न्याय, जातिवाद, साम्प्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, अन्ध-देशभक्ति तथा लिंगभेद, जिससे हमारे देश के युवा लोग प्रभावित हैं की बुराइयों से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पिछड़े वर्ग के लोग आर्थिक रूप से अभी भी बहुत पीछे हैं।

5.02 म. प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

कुछ विशेष रियायतों से केवल वर्ग के बहुत ही कम लोगों को लाभ मिलता है। कामगरों, खेतिहरों और अन्य श्रमिक वर्गों के युवाओं को वह सब कुछ उपलब्ध नहीं कराया जाता है जो वे चाहते हैं तथा इससे युवा पीढ़ी में काफी निराशा उत्पन्न हो गई है। विघटनकारी तथा प्रतिक्रियावादी ताकतें इन युवाओं का लाभ उठा रही हैं। और आज यही युवा विचारधारा हमारे देश के शत्रुओं—राष्ट्र-विरोधी, साम्प्रदायिक और जातिवादी ताकतों के रूप में पनप रही है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 43 वर्षों के पश्चात् भी देश का शासन चलाने वाले वर्गों की विघटनकारी और विध्वंसकारी हरकतों से यह गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है।

हमारे देश की लगभग 35 प्रतिशत जनसंख्या को युवा कहा जा सकता है। फिर भी, हमारे मतदाताओं में से 60 प्रतिशत युवा ही हैं। वे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वे अपनी भूमिका निभाते हैं, परन्तु उन्हें गुमराह किया जाता है, बहकाया जाता है तथा उनकी आशाओं को धूमिल किया जाता है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 43 वर्षों के पश्चात् भी यह एक आम बात है।

हमने "कोई विचारधारा नहीं" जैसे कई गलत नारे सुने हैं। परन्तु सही वैचारिक समझबूझ उनकी चेतना, देश भक्ति और मातृभूमि के प्रति प्रेम, साम्राज्यवाद-विरोधी विरासत, शांति तथा देश की एकता और अखंडता की भावना जगा सकती है। ये सभी उच्च विचार उनकी समझ शक्ति में पैदा किये जा सकते हैं। परन्तु, क्योंकि उन्हें गुमराह किया जाता है, वे अधःपतन के शिकार हो जाते हैं। जब हम अपविकास की संस्कृति स्थापित है तो हम साम्प्रदायवाद, जातिवाद तथा भ्रष्टाचार की संस्कृति स्थापित करते हैं। यदि हम युवा पीढ़ी के समक्ष ऐसी संस्कृति स्थापित करते हैं तो हम उनसे इस देश में विकास की आशा नहीं कर सकते हैं। इसलिये ऐसी स्थिति पैदा की गई है और युवा पीढ़ी इसी बुराई की शिकार है।

इस सम्बन्ध में एक प्रभावशाली, संयुक्त सुधार आन्दोलन शुरू करना अति महत्वपूर्ण है। पूरे देश के लिए एक व्यापक युवा नीति बनाने की आवश्यकता है और इसे कार्यान्वित करने के लिए हम सभी के लिये लाभदायक युवा कानून चाहते हैं। प्रारम्भ में हमें उन्हें उपनिवेशी काल की पिछड़ी सामन्तवादी विचारधारा से अलग करने के लिए हमारे युवाओं के विचारों को उपनिवेशी विरासत से मुक्त करना है, हमें धार्मिक रूढ़िवाद, अन्धविश्वास, कट्टरपन, पृथक्वाद तथा गलत विचारधारा से मुकाबला करना है। यह देश में युवा नीति तैयार करने के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धान्त होना चाहिये। कभी-कभी हम इन बातों का कहीं न कहीं उल्लेख तो करते हैं परन्तु इन्हें कार्यरूप नहीं दिया जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीयवाद, स्वतन्त्रता, वैज्ञानिक और तर्कसंगत विचार धर्मनिरपेक्षता की सच्ची भावना देश भक्ति, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद विरोध, श्रमिकों और महिलाओं का आदर, दृढ़ आशावान, नये विचार और नई नैतिक भावना, राष्ट्र की एकता और अखंडता की भावना तथा बुजुर्गों के प्रति आदर की सच्ची भावनाएं ही वास्तविक राष्ट्रीय गर्व है। हमें ऐसी भावनाएं उनके मन में भर देनी चाहियें। परन्तु ऐसा हम कैसे कर सकते हैं ? यदि हम अपनी युवा पीढ़ी के समक्ष ऐसा उदाहरण पेश करते हैं तो वे उसी का अनुसरण करेंगे। परन्तु यदि हम उनके समक्ष भ्रष्टाचार और अपविकास के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तो वे इन्हीं का अनुसरण करेंगे। इसीलिए हमें यह जिम्मेदारी लेनी है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इस प्रणाली और देश को चलाने के लिए जिम्मेदार लोगों तथा सत्ताधारियों ने युवा पीढ़ी के लिए क्या किया है ?

आप शिक्षा का प्रश्न ही ले लीजियें। यह एक अधिकार होना चाहिये न कि इसे विशेषाधिकार। परन्तु हमने क्या किया है कि इसे विशेषाधिकार बना दिया है। हम शिक्षा के व्यापारीकरण के विरुद्ध लड़ने के लिये वाद-विवाद कर रहे हैं परन्तु हमने देखा है कि कैसे तथाकथित नई शिक्षा नीति—जो अनुपयोगी है। जो शिक्षा के विरुद्ध पूरी लड़ाई है, जो जन शिक्षा के दृष्टिकोण को नष्ट करती है, जो उच्च स्तर पर एक विशिष्ट वर्ग निर्धारित करती है और जो ब्रिटेनवासियों की इच्छा के अनुरूप कार्य करती है—के नाम पर जन समूह को शामिल नहीं किया जाता है, इन लोगों का बहुत ही बड़ा वर्ग अशिक्षित है। हमारे संवैधानिक निर्देशों के बावजूद भी इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया है।

अब हम यह कह सकते हैं जब हम मूल अधिकार के रूप में शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं। परन्तु क्यों ? क्योंकि नीति-निर्देशक सिद्धान्त असफल हुए हैं। हमें यह कहने का साहस होना चाहिये कि हमारे महान पूर्वजों द्वारा प्रचारित विचारों के बावजूद भी संविधान का कुछ भाग यह अधिकार देने में असफल हुआ है। उन्होंने सोचा था कि हम उनसे भी बेहतर मानव होंगे, हम उन्हें याद करेंगे तथा उनका मार्गदर्शन अपनाएंगे। परन्तु हम वैसी महान कृतियां नहीं हैं। नीति-निर्देशक सिद्धान्त असफल रहे हैं। हम इस अधिकार को कार्यरूप नहीं दे सके क्योंकि नीतिनिर्देशक सिद्धान्त असफल रहे हैं और इसीलिए हम यह मांग कर रहे हैं कि शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार बनाया जाना चाहिए। नीति-निर्देशक सिद्धान्तों की ओर कोई ध्यान नहीं देता। हमारे राष्ट्रीय चरित्र का इतना पतन हो गया है कि हम अपने संविधान के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। हमें यह स्वीकार करना होगा कि यह हमारे संविधान के एक अध्याय की असफलता है। अब हम इस अध्याय को मूल अधिकार में शामिल करने के लिये संघर्ष कर रहे हैं ताकि हम पीछे न हट सकें और हमें यह करना है। निर्देशों से ही काम नहीं चलेगा क्योंकि ये हमारे अनुरूप तथा कम से कम शासन चलाने वालों के अनुरूप भी नहीं है।

युवा नीति को उत्पादन प्रक्रिया से जुड़ा होना चाहिए। यदि इन नीतियों को उत्पादन प्रक्रिया से जोड़ा जाता है तो ये उस तरह प्रभावी नहीं रह सकती जैसे आज हैं फिर, शहरी और ग्रामीण युवाओं के बीच असमानता है। जब हम युवा नीति तैयार करते हैं तो इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

युवाओं में निराशा है। यदि कहीं बेहतर लाभ उपलब्ध होते हैं, तो वे उसके पीछे भागते हैं। इसे धीरे-धीरे उचित दिशागत-नीति से समाप्त किया जाना चाहिये, जो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण है। हम आरक्षण नीति के समर्थक हैं। किन्तु केवल आरक्षण से ही उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हमारे पास उनके उत्थान की राजनैतिक इच्छा होनी चाहिए। जब समाज के सम्पूर्ण पिछड़े वर्ग का विकास होगा, तभी हम कह सकते हैं कि यह पूर्णरूप से विकसित है। जिन लोगों को हजारों वर्षों से लाभों से वंचित रखा गया है, उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिये। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में कुछ लोगों के केवल एक छोटे वर्ग को ही लाभ प्राप्त हो रहा है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और दलितों में युवाओं के एक बड़े वर्ग तक लाभ नहीं पहुंचता है। हमें युवा नीति तैयार करने में इस बात का भी ध्यान रखना है। वंचित रखे जाने से निराशा होती है। निराशा से जो क्षति हुई है वह हमने देखी है। हम कश्मीर में, पंजाब में, असम में और देश के अन्य भागों में खून से खेल रहे हैं। यह भी उग्रवादी ताकतों में हताशा का कारण है जिसके शिकार लोग हो रहे हैं। कुछ मामलों में युवा वर्ग असामाजिक तत्वों से मिल जाते हैं और वे अपने आप असामाजिक तत्व बन जाते हैं। कुछ अन्य मामलों में वे नशीलों औषधों का अवैध धन्धा शुरू कर रहे हैं। आज, युवाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग नशीली औषधों का सेवन कर रहा है, अपने स्वास्थ्य और भविष्य को नष्ट कर रहा है। हमें इस बात पर ध्यान देना है कि उन्हें ऐसे विनाश से कैसे बचाया जा सकता है, जो स्वतन्त्रता के उपरान्त हमारे देश में सही युवा नीति की दिशाहीनता अथवा अस्तित्वहीनता का सीधा परिणाम है।

इसके अतिरिक्त, अन्य समस्याएं भी हैं। हमारी व्यापक स्वास्थ्य नीति होनी चाहिए। स्वास्थ्य और आवास की समस्याएं हैं, किन्तु हम इन सब पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। जब युवा लोग एक नया परिवार बनाना चाहते हैं, उन्हें वास्तव में यह मालूम नहीं है कि वे कहां रहेंगे। आवास की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसका आज युवा पीढ़ी को सामना करना पड़ रहा है।

देश में उचित खेल कूद और सांस्कृतिक सुविधाओं की कमी है, जिसकी जांच करनी होगी।

तब हमें लोकतान्त्रिक अधिकारों के प्रश्न पर बात करनी चाहिए। उचित लोकतान्त्रिक विचारों के बिना हम युवा पीढ़ी को प्रशिक्षित नहीं कर सकते हैं। हमें युवा पीढ़ी को उचित लोकतान्त्रिक दिशा में उचित रूप से प्रशिक्षित करना है। हमें उनमें सहिष्णुता जागृत करनी है। जब हम स्वयं सहिष्णु नहीं होंगे, युवा पीढ़ी के सहिष्णु बनने की आशा हम कैसे कर सकते हैं? यदि हम लोकतन्त्र की सही भावना से काम करेंगे, तभी हम बेहतर भविष्य की आशा कर सकते हैं।

अब हमें युवा महिलाओं की समस्याओं की ओर ध्यान देना है। स्थिति यह है कि उन्हें जलाया जा सकता है; उन्हें उनके घरों से निकाला जा सकता है और उन्हें मुआवजे के लिए भी नहीं कहना चाहिये। हमें मालूम है कि युवा महिलाएं समाज में कितना कष्ट उठा रही हैं। हमने सती

सम्बन्धी मामला देखा। हमने इस सभा में युवा महिलाओं के कष्टों के बारे में चर्चा की। वे पुरानी, रूढ़िवादी प्रथा के कारण कष्ट झेल रही हैं। उनकी शिक्षा न्यूनतम है। देश में शिक्षा की दर केवल 36 प्रतिशत है। महिलाओं के लिए यह बहुत कम है और कुछ क्षेत्रों में नहीं के बराबर है। यदि ऐसा है, तो हम युवा पीढ़ी के विकास की आशा कैसे कर सकते हैं ? हम इस प्रकार युवा लोगों, महिलाओं के प्रति लापरवाह हैं। वे सभी किस्म की खामियों और कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। युवा महिलाएं सामाजिक असमानता, आर्थिक अन्याय, सेक्स सम्बन्धी उत्पीड़न, दहेज, वधू-जलाने आदि जैसी विशेष समस्याओं का सामना कर रही हैं। इन सब बातों से छुटकारा पाने के लिए, हमारी मुख्य चिन्ता यह है कि देश में सभी युवाओं का शारीरिक और मानसिक रूप से उचित विकास कैसे किया जाय। इसे ध्यान में रखते हुए, मैं इस विधेयक को प्रस्तुत करना चाहता हूं।

हम दशकों से युवाओं के अधिकारों के लिये लड़ रहे हैं। किन्तु कोई सुनने वाला नहीं है। उन्होंने एक नीति सम्बन्धी वक्तव्य तैयार किया था, जिसमें यह कहा गया था : जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी वर्ष में एक राष्ट्रीय युवा नीति तैयार की जा रही है। वे एक समिति गठित करेंगे और राष्ट्र के सभी युवाओं और छात्र संगठनों को आमन्त्रित करेंगे। और हम इस नीति को कार्यान्वित करने में सहायता करेंगे।

हमने इसके बारे में कभी नहीं सुना तत्कालीन सरकार ने इसके बारे में चर्चा करने की चिंता कभी नहीं की और इस नीति के सम्बन्ध में पारस्परिक क्रिया की। हमने देखा कि युवाओं के साथ कैसा बर्ताव किया गया है। हम काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाये जाने के लिये लड़ रहे हैं। युवा पीढ़ी की यह एक सबसे बड़ी मांग है। हमें याद है कि वर्ष 19 । में सबसे बड़ी रैली हुई थी जिसमें लाखों युवकों ने भाग लिया। उन्होंने मांग की थी कि काम के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल किया जाना चाहिये। किन्तु तत्कालीन सरकार ने स्पष्ट कहा कि यह पूर्णतया सम्भव नहीं है किन्तु देश में युवकों और छात्रों के लगातार आन्दोलन से हमने पाया कि अधिकांश राजनैतिक दलों ने इसे अपने चुनाव घोषणा पत्र में शामिल किया। हमें प्रसन्नता है कि केन्द्र में पहली बार राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी है, उन्होंने उसे अपने चुनाव घोषणा पत्र में शामिल किया है। सरकार के गठन के बाद वे इस बात पर पुनः सहमत हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप 20 मिनट तक बोल चुके हैं। क्या आप अन्य सदस्यों को इस विषय पर कुछ नहीं कहने देना चाहते हैं ?

श्री हन्नान मोल्लाह : मैं अनावश्यक रूप से अतिरिक्त समय नहीं लूंगा। हम इस सरकार से काम के अधिकार की मांग कर रहे हैं। उन्होंने इस बारे में वायदा किया है। हमे देखना है कि सरकार इस वायदे से पीछे न हट जाये। किन्तु हम कुछ लोगों के इस मत से सहमत नहीं हैं कि यह सम्भव नहीं है। **(व्यवधान)**

हम मांग करते हैं कि काम का अधिकार मौलिक अधिकार होना चाहिए। जब हम यह मांग उठाते हैं तो हम यह गैर-जिम्मेदाराना ढंग से नहीं उठाते। हम जिम्मेवार लोग हैं। जब युवा पीढ़ी इस मांग को उठाती है तो वे इसे उत्तरदायित्व की भावना से उठाती है और केवल इस मांग को उठाने के लिये ही नहीं उठाती है।

काम के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल करते समय, हमें 'काम' शब्द की परिभाषा स्पष्ट रूप से देनी है। आप लोगों को काम करने के लिये प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा काम ? लिपिक का काम ! यहां पर यह अवधारणा है। हम इस विचार से सहमत नहीं हैं। हम वर्षों से इस मांग के लिए लड़ रहे हैं और इसके लिए बलिदान भी कर रहे हैं हमने जिम्मेवारी की भावना से यह मांग उठायी थी। हम समझते हैं कि काम के अधिकार को उचित रूप से परिभाषित किया जाना चाहिये। यह उल्लेख किया जाना चाहिये कि काम करने का केवल अधिकार ही नहीं है किन्तु यह एक कर्त्तव्य भी है, जिसके बारे में देश में प्रत्येक व्यक्ति भूल जाता है।

इसके साथ ही, श्रम की महत्ता को समझा जाना चाहिये। जो कम कार्य करते हैं उन्हें सम्मान प्राप्त होता है। जो अधिक कार्य करते हैं उन्हें कम सम्मान प्राप्त होता है। इसके कारण हम इस समस्या से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। हमें उचित दृष्टिकोण कायम करना चाहिये न कि औपनिवेशिक दृष्टिकोण। इसमें श्रम की गरिमा और आय का भी समावेश होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप शिक्षा के अधिकार, काम के अधिकार, आवास के अधिकार, स्वास्थ्य के अधिकार और अन्य बातों की विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं ? क्या आप सभी मौलिक अधिकारों को चर्चा में शामिल करना चाहते हैं ?

श्री हन्नान मोल्लाह : जी नहीं, महोदय। मैं केवल काम के अधिकार का उल्लेख कर रहा हूं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यदि ऐसी बात है, तो विस्तार में मत आइये।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, सरकार ने इसके लिए वचन दिया था।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : महोदय, वह विधेयक पर अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले ही सभा का काफी समय ले चुके हैं। कृपया केवल विषय तक ही सीमित रहिए। यदि आप सभी मौलिक अधिकारों की चर्चा करना चाहते हैं, तो इसमें बहुत अधिक समय लगेगा···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : काम का अधिकार अलग चीज है। इसका उल्लेख करने के बाद कृपया शिक्षा के बारे में चर्चा करें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, काम का अधिकार और शिक्षा का अधिकार अभी त : मौलिक अधिकार नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब बहुत हो गया। इसके विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है।

(व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह · गरिमा और आय की समुचित परिभाषा की जानी चाहिए। जब आप 'युवा-नीति' तैयार करें तो 'काम के अधिकार' को समुचित परिभाषा निश्चित करें और साथ ही 'शिक्षा' पर भी विचार करें। खेल-कूद और स्वास्थ्य सम्बन्धी पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। संस्कृति के क्षेत्र में युवा वर्ग का बहुत अधिक योगदान होता है। परन्तु संस्कृति में भी विविधता व्याप्त है। आदिवासियों की अपनी अलग संस्कृति हैं। आपकी नीति अत: जो आप बनाने जा रहे है उसमें सांस्कृतिक पहलुओं की सही झलक मिलनी चाहिये। 'युवा नीति' ऐसी होनी चाहिए जिससे युवाओं को इतिहास की सही जानकरी प्राप्त हो। केवल 'युवा नीति' तैयार करने से प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। हमें उन महान लक्ष्यों को, जिनकी हम चर्चा करते है : प्राप्त करना है। इसके लिए हमें कानून बनाने पड़ेंगे और उन कानूनों का मैंने अपने मशौदे में उल्लेख कर दिया है। मैं समझता हूं कि सरकार इन कानूनों के प्रस्ताव को स्वीकार करेगी। यदि यह विधेयक सरकार द्वारा स्वीकृत कर लिया जाये और पारित कर दिया जाये तो यह हमारे देश के युवाओं के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण दस्तावेज सिद्ध होगा। आजादी के 43 वर्षों के बाद भी भारत में कोई 'युवा नीति' नहीं बनाई गई है। यत्र-तत्र दिया गया वक्तव्य हमें स्वीकार्य नहीं है। हम एक व्यापक 'युवा नीति' अधिनियम चाहते हैं और मैंने इसके लिये कुछ उपबन्ध भी सुझाए हैं, विधेयक में शिक्षा को कानूनी रूप में शामिल किया जाना चाहिए ताकि कोई भी गलती करने के बाद इसकी जिम्मेदारी से बच न पाये हमारे संविधान के निदेशक सिद्धान्तों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। समर्थ सम्बन्धित व्यक्तियों को इन्हें कार्यान्वित किया जाना चाहिये। युवाओं की प्रबन्ध, प्रशासन शैक्षिक सम्बन्धों में भागेदारी के प्रश्न पर भी विचार किया जाना चाहिए · खेल सुविधाओं को भी, जिनका जिक्र मैंने एक लेख में किया है, इसमें शामिल और समुचित ढंग से परिभाषित किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रश्न भी विचारणीय है। स्कूलों में किशोरों के लिए पोषक आहार की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। मैंने इसमें उनके लिए चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता को भी शामिल किया है। व्यावसायिक क्षेत्रों में युवाओं के प्रशिक्षण पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। एक जगह मैंने छात्रों को समुचित प्रशिक्षण देने के सम्बन्ध में भी चर्चा की है। मैं रोजगार की व्यवस्था के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट कर चुका हूं। उन्हें भी उपयुक्त ढंग से शामिल किये जाने की आवश्यकता है।

इसके अलावा युवाओं को रोजगार कार्यालयों में प्रतिनिधित्व देने का प्रश्न है। रोजगार कार्यालयों में जो स्थिति है उससे तो आप अवगत हैं। ये भ्रष्ट लोगों का अड्डा बन चुके हैं। इन्हें पुनर्गठित किए जाने की आवश्यकता है और युवाओं को इनमें प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। युवाओं के लिए काम की शर्तें मानवीय होनी चाहिए और ये सभी प्रावधान समुचित ढंग से किये जाने चाहिए।

कार्यालयों, फैक्ट्रियों, और सभी स्थानों पर युवाओं की सार्थक भागेदारी होनी चाहिए और यह सुनिश्चित भी की जानी चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों में युवा प्रतिभा की खोज के कानून बनाकर अनिवार्य बनाई जानी चाहिए। ताकि हम आरम्भिक अवस्था में ही प्रतिभाओं की पहचान कर सकें, और उनका विकास कर सकें और बाद में वे देश और राष्ट्र को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकें। इसका प्रावधान कानून में किए जाने की आवश्यकता है ताकि ऐसे प्रावधान को सही प्रकार से लागू किया जा सके।

मैंने विधेयक में राष्ट्रीय तथा राज्य एवं जिला स्तरों पर युवाओं के शीर्ष निकाय बनाने का सुझाव भी दिया है, ताकि युवाओं को प्रभावित करने वाला कोई भी निर्णय करते समय उनसे सलाह-मशविरा किया जा सके। वास्तव में, स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमने पहली बार देखा है कि राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने युवा संगठनों को आमन्त्रित किया था। प्रधानमन्त्री ने एक दिन पूरा उनके साथ व्यतीत किया।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : सब संगठनों को नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सभी प्रमुख संगठनों को आमन्त्रित किया गया था।

श्री हन्नान मोल्लाह : सभी युवा संगठनों ने मिलकर एक नीति बनाई है। उन्होंने इस पर कई दिनों तक बहस की तथा एक उचित 'युवा नीति' का मार्गदर्शी प्रारूप तैयार किया जिसे सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा ताकि सरकार इस पर विचार करके एक सही नीति तैयार कर सके और इसका अनुसरण कर सके।

आपके पास जो भी कार्यक्रम हों, आप युवाओं के हितों को देखते हुए उन्हें संशोधित करें। नेहरू युवा केन्द्र और ऐसे ही कुछ अन्य संस्थान विद्यमान हैं, वहां बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होने की शिकायतें हैं। वहां उपयुक्त पुनर्गठन किये जाने की आवश्यकता है। इन युवा संगठनों के प्रबन्ध में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। मैंने विधेयक में इन सब पहलुओं के लिए प्रावधान शामिल किए हैं।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि युवाओं के लिए सही नीति तैयार करने के लिए, सदन को मेरे विधेयक को स्वीकार करके पारित करना चाहिए। इस विधेयक में हमारे देश के युवाओं से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, इस विधेयक के पारित होने पर ही भाईचारे, औचित्य, धर्मनिरपेक्षता के वातावरण में तथा सद्भाव और देशभक्ति के वातावरण में राष्ट्र को विकसित करने और खुशहाल बनाने की हमारी इच्छा को सही तरीके से प्रतिबिंबित होगी। इसी उद्देश्य से मैंने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस विधेयक पर विचार करेगी और इसे स्वीकार करेगी ताकि हम युवाओं के लिए सही नीति तैयार कर सकें और उसको लागू करने के लिए कानूनी शक्ति हमें प्राप्त हो।

मुझे विश्वास है सदन में इस विधेयक पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। तथा कई महत्वपूर्ण सुझाव सामने आएंगे और यह विधेयक पारित कर दिया जाएगा। अतः यह देश में पहली

बार युवा कानून होगा और यह सारे देश के लिए उपयोगी होगा। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि देश में युवाओं के विकास के लिए एक व्यापक नीति बनाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री युवराज (कटिहार) : मैं प्रस्ताव करता हूं—

1. कि विधेयक को 31 जुलाई, 1990 तक उस पर राय जानने के प्रयोजन के लिए परिचालित किया जाये।

2. कि देश में युवाओं के विकास के लिए एक व्यापक नीति का उपबंध करने वाला विधेयक एक प्रवर समिति को सौंपा जाये, जिसमें 7 सदस्य हों, अर्थात्:—

(1) श्री सुखदेव पासवान

(2) श्री तसलीमउद्दीन

(3) श्री हुक्मदेव नारायण यादव

(4) प्रो. एस. पी. यादव

(5) श्री सूर्य नारायण यादव

(6) श्री भक्त चरण दास

(7) श्री युवराज

और उसे आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक अपना प्रतिवेदन देने का अनुदेश दिया जाये।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, मैं इस बिल का हार्दिक समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रावत, दर्शन, नीति तथा मूल विधेयक में अन्तर होता है।

श्री हरीश रावत : महोदय, मैं इस विधेयक का इन तीनों दृष्टि से समर्थन करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप दर्शन नीति, अथवा मूल विधेयक में से किस पर बोलना चाहेंगे ?

श्री हरीश रावत : महोदय, मैं थोड़ा विधेयक के बारे में बोलूंगा, थोड़ा नीति के बारे में और इसके दर्शन के बारे में भी कुछ बताऊंगा।

[हिन्दी]

इस बिल का उद्देश्य अभी तक युवाओं के सम्बन्ध में जितने कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जितने नीतिगत वक्तव्य या नीतिगत निर्णय लिये गये हैं, उनको एक एक्ट के अन्तर्गत लाना है और वह स्वरूप देना है ताकि केन्द्र सरकार और प्रांतीय सरकार उन निर्णयों को लागू करने के लिये बाध्य हो सके। अभी तक जो स्वरूप हम देखते हैं, वास्तव में वह चिंताजनक है। मैं इस बात से सहमत हूं कि इन 40 वर्षों के दौरान टुकड़े-टुकड़े करके कई प्रकार से, जिस तरह की परिभाषा थी, उसके अनुसार नाना प्रकार के कार्यक्रम बनाए गए, मगर उन कार्यक्रमों का जितना असर होना चाहिए था वह असर नहीं हो पाया और यही कारण है कि न राजनीतिक रूप से और न सामाजिक रूप से युवा मूवमेंट व्यापक स्वरूप दिया जा सका।

जिस प्रकार से औद्योगिक नीति है, जिस प्रकार से अन्य मामलों में नीतिगत बातें करते हैं, उसी प्रकार से युवाओं के लिये भी पालिसी होनी चाहिए थी। अभी तक हम यह आईडिएन्टी फाई नहीं कर पाए हैं कि हम यूथ जिसको मानकर चलेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें 45 साल बताया गया है।

श्री हरीश रावत : मैं इस बात को कहने वाला था, अभी तक मैं अपने आपको भूतपूर्व युवा समझ रहा था, लेकिन अब मैं अपने आपको वर्तमान युवा समझने लगा हूं, यही कह कर मैं अपनी बात की शुरूआत करना चाह रहा था कि भूतपूर्व युवा वर्तमान युवाओं की बात का समर्थन करता है, लेकिन जब देखा कि इसमें 45 वर्ष की उम्र के लोगों को युवाओं की परिधि में रखा गया है तो मैंने यह बात नहीं कही।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : 45 वर्ष की उम्र में तो हमारे देश में लोग मर जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : 56 वर्ष है।

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत : जिस प्रकार से कई कम्युनिस्ट मुल्कों में है, सौभाग्य से कुछ कम्युनिस्ट मुल्कों के युवा आंदोलन को नजदीक से देखने का मौका मुझे मिला है, वहां पर एक एक्ट युवाओं के संबंध में पास कर के निर्णय लिया गया है। युवाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, कामकाज, कल्चरल एम्पावरमेंट आदि के बारे में उसमें बताया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से हम अपने यहां आज भी यह निर्णय नहीं ले पाए हैं, युवाओं को राजनीतिक दृष्टिकोण से अलग-अलग बांट दिया गया है। कम्युनिस्ट मुल्कों की राजनीतिक दिशा एक है, सोवियत रूस आदि कम्युनिस्ट मुल्कों का स्वरूप पूरी तरह से अलग है। उन मुल्कों के अन्दर उन लोगों ने राजनीतिक दृष्टिकोण से भी युवकों को एक तरफ बांधने की चेष्टा की है। उसके परिणाम अच्छे भी रहे हैं और कुछ परिणाम बुरे भी हुए हैं। मगर हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, उसमें हम राजनीतिक दृष्टिकोण से युवकों को एक जगह बांध कर

नहीं रख सकते । हमें देखना पड़ेगा कि उनके कौन कौन से कार्यक्रम हो सकते हैं, कौन-कौन से विषय वस्तु हो सकते हैं जिनके विषय में हम युवकों को एक तरफ लाने की चेष्टा करें। मेरे मित्र ने इस संबन्ध में कई बातों को आईडेंटोफाई करने की कोशिश की है । उन्होंने शिक्षा के सम्बन्ध में कहा कि शिक्षा को अनिवार्य किया जाना चाहिए। मगर वे यहां पर इस बात को भूल गये है कि शिक्षा को कहां तक अनिवार्य किया जाना चाहिए। यदि सैकेण्डरी एजूकेशन तक हम शिक्षा को अनिवार्य करेंगे तो उससे काम चलने वाला नहीं हूं । हमको सैकेण्डरी एज्यूकेशन के बाद उसके जीवन की धारा को आगे किस तरफ ले जाना है, क्योंकि उस समय भी वह युवा होगा, स्टैप बाई स्टैप उसको कहां तक ले रहे जा हैं ताकि जिस समय तक वह युवा है उस समय तक रचनात्मक कार्यों में उसे जोड़ सकें, नेशनल बिल्डिंग के कार्य में उसे लगा सके उसकी क्षमता का भरपूर उपयोग कर सकें, हमें इन सारे पहलुओं पर दृष्टिपात करना होगा।

मैं आग्रह करना चाहूंगा कि पहले की सरकार ने इस विषय में एक पोलिसी बनायी थी। उस पॉलिसी पर विस्तार से चर्चा भी हुई । मैं आग्रह करना चाहूंगा कि हो सकता है आप उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करें और समय के साथ यह सम्भव है, हम इसका स्वागत करेंगे। मगर उसे अपने राज-नीतिक दर्शन के दृष्टिकोण से न देखिएगा। मेरे मित्र श्री हनन मोल्लाह ने अपने राजनीतिक दृष्टि-कोण के जरिए देखने की चेष्टा की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने आते ही युवकों को बुलाया। लेकिन उन्होंने सिलैक्टिड युवकों को बुलाया। उनको बुलाया जो किसी न किसी रूप में राजनीतिक तरीके से उनके साथ जुड़े रहे। बहुत अच्छा होता यदि वे अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने वाले युवा प्रतिनिधियों को बुलाते, अलग-अलग राजनीतिक दर्शन के युवा प्रतिनिधियों को बुलाते, विश्वविद्यालय के अन्दर जो निर्वाचित प्रतिनिधिगण हैं उनको बुलाते, ग्रामीण क्षेत्रों के ज्यादातर लोगों को बुलाते, एक राजनीतिक दर्शन विशेष से या दृष्टिकोण विशेष से सोचने वाले को बुलाते। आप ऐसे युवा पॉलिसी फ्रेम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि उसके विषय में हमेशा सन्देह बना रहेगा। मैं समझता हूं कि इससे पहले ज्यादा स्वस्थ तरीक़े से कोशिश की गयी हैं। इस बात की कोशिश की गयी है कि सारे युवकों को एक मंच पर लाकर, क्योंकि उस समय कांग्रेस, नॉन-कांग्रेस के दृष्टिकोण को देख कर नहीं किया गया है, उस समय अलग-अलग प्रकार के संगठनों को, जैसे नेहरू युवा केन्द्र है दूसरे इसी प्रकार के सरकारी और गैर-सरकारी संगठन हैं, खेल संगठन हैं, इन सारे लोगों को इसमें जोड़ने की चेष्टा की गयी।

मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि अच्छा हो अगर हम आईडेंटीफाई कर लें कि इस समय से इस समय तक हम व्यक्ति को युवा समझते हैं जिस समय तक वह अपने परिवार के ऊपर निर्भर है उसकी निर्भरता को परिवार के ऊपर कम करने की या समाप्त करने की चेष्टा करें। राष्ट्र उसके भार को ग्रहण करेगा। हम देखें कि उसकी प्रतिभा किस ओर है। यदि उसकी प्रतिभा खेल की ओर है तो उसको अच्छा खिलाड़ी बनाया जा सकता है। उसके लिए देश को कोशिश करनी चाहिए। इसी सदन में एक से अधिक बार लोगों ने सुझाव दिए हैं कि खेल की दिशा में जिनकी प्रतिभा है उनको बचपन से ही आईडेंटीफाई करना चाहिए और उनको नर्स करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि उसकी प्रतिभा नौकरी की तरफ है तो हम उसे और अधिक पढ़ा कर एक ऐसे व्यक्ति के रूप में ढाल सकते है जो आने वाले दिनों में हमारी सरकारी मशीनरी का अंग बने। यदि

उसकी प्रतिभा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की ओर है तो हम उसे उसी दिशा में जोड़ सकते हैं। यदि वोकेशनल आस्पैक्ट की तरफ अधिक ध्यान देते हैं तो हम उन्हें उसी दिशा में ट्रेनिंग देकर, शिक्षा देकर आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। मगर ये सारी चीजें तब तक सम्भव नहीं हैं जब तक सरकार का सक्रिय सहयोग नहीं होगा।

मैंने शुरू में कहा कि हमने टुकड़े-टुकड़े में इसको लिया है जैसे हमारे सामने बेरोजगारी का सवाल आया तो हमने कहा कि युवाओं के लिए हम अमुक-अमुक कार्यक्रमों को लागू कर रहे हैं। चाहे रोजगार गारण्टी प्रोग्राम के तहत हो या अन्य रोजगार कार्यक्रमों के तहत हो या विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के तहत युवाओं को जोड़ने का काम करने की बात आई हो। लेकिन इन चीजों का समग्र प्रभाव हो सकता था वह उतना नहीं हो पाया। वह तभी हो पायेगा जब इस जिम्मेदारी को उसके परिवार के ऊपर न डालकर हम सरकार के ऊपर डालने की कोशिश करेंगे। हम देख रहे हैं कि अधिकांश युवा प्रतिभाएं इसलिए कुण्ठित हो जाती हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है और उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल पाती है। वह आगे बढ़ना चाहते हैं तो माहौल नहीं मिल पाता है इसलिए वह माहौल बनाने का काम सरकार कर सकती है, समाज कर सकता है। यहां पर कहा गया कि हम काम के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में ला रहे हैं। बहुत अच्छी बात है जब लेकर आयेंगे हम सब लोग उसका समर्थन करेंगे। लेकिन केवल यह कहना कि हम काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बना देंगे इससे काम नहीं चलेगा,, क्योंकि बहुत से मौलिक अधिकार हमें मिले हैं। लेकिन वह केवल संविधान में लिख देने से ही लोगों का भविष्य सुनिश्चित नहीं हो जाता। यदि भविष्य सुनिश्चित करना है तो उसके साथ एक व्यापक कार्यक्रम भी होना चाहिए और तकलीफ की बात यह है कि जितने भी लोग राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार का समर्थन कर रहे हैं वह कोई ऐसा व्यापक कार्यक्रम नहीं जोड़ पाये हैं जिसके जरिये उनको काम मिल जाये या उसके अवसर खुल पायें। इससे और ज्यादा निराशा बढ़ेगी। हो सकता है कुछ ऐसे युवक हों जिनके पास कुछ ताकत हो और वे सुप्रीम कोर्ट को बाध्य कर सकें कि सरकार के द्वारा काम मिलना चाहिए, लेकिन अन्ततोगत्वा जो साधारण व्यक्ति है, गांव का व्यक्ति है उसके हाथ में निराशा ही हाथ आने वाली है। अभी तक जिन्होंने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है उन्होंने यह कह दिया होता कि हम इसके बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था करेंगे जिनको काम नहीं दे पायेंगे तो बात समझ में आती। जिन लोगों को आधा काम मिला हुआ है, कई लोगों को बहुत कम काम मिला हुआ है उनको पूरा काम मिल सके, क्योंकि मैं ऐसे नौजवानों को जानता हूं जो प्राईवेट फर्म में काम कर रहे हैं या जिनके पास रोजगार की पूर्ण व्यवस्था नहीं है और तीन-चार महीने काम करते हैं उसके बाद उनको निकाल दिया जाता है और वे सड़कों पर टहलते रहते हैं और उनका जीवन समाप्त हो जाता है, उसके बारे में भी सोच होनी चाहिए। अगर है तो बहुत अच्छी बात है. यदि नहीं है तो सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए और इसके लिए व्यापक प्रबन्ध करना चाहिए। केवल काम के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल करके प्रोपेगण्डा करके सरकार कुछ नहीं देने वाली है, सिवाय निराशा के। यदि निराशा न देकर वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो उसके साथ व्यापक कार्यक्रम और उसको समर्थन देने के लिए बेरोजगारी भत्ता और जिनको आधा काम मिला है उनके लिए कानून कोई प्रावधान करना चाहिए। मैं एक बात की तरफ और ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। जो लोग कालेज और स्कूल में

पढ़ने वाले हैं उनके लिए एन. सी. सी. को अनिवार्य कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। इससे व्यक्ति मे एक अनुशासित जीवन जीने की भावना पैदा होती है। जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग इसके अन्तर्गत अनुशासित तरीके से काम करने के आदी हो गये। लेकिन यह अनिवार्य नहीं होने के कारण कुछ संस्थाओं में तो लागू है और कुछ में नहीं है। इस पर बहुत ज्यादा खर्च आने की सम्भावना नहीं है इसलिए एन. सी. सी को जूनियर स्तर से ही जिसमें विद्यार्थी छठी कक्षा में आता वहां से लेकर के डिग्री क्लासेज तक अनिवार्य कर देना चाहिये। उसमें हमको कितना ही खर्च करना पड़े उसकी व्यवस्था होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त एन० एस० एस० ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। इसमें बहुत काम भी हुआ है लेकिन विश्वविद्यालयों के पास और डिग्री कालेजों के पास फण्ड की कमी है। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि फण्ड इस दिशा में दिया जाना चाहिये। इसके अलावा जो यूथ एक्सचेंज का कार्यक्रम है, उसमें एक राज्य से दूसरे राज्य में नौजवान भेजे जाते हैं वे एक दूसरे से मिक्सअप होते हैं। इससे नेशनल इन्टीग्रेशन बढ़ती है। एक तरफ से रचनात्मक कार्यक्रम मजबूत होते हैं। तो अच्छा होगा यदि जगह-जगह नेहरू क्लब बनाये जायें। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में इन क्लबों को कार्य करते देखा है। जिसके भी दिमाग की उपज है, उसको मैं बधाई देना चाहता हूं। ऐसे क्लबों को मदद मिलनी चाहिये और उनको स्पोर्ट का सामान दिया जाये। इस तरह से उनकी अच्छी मदद हो जायेगी। साथ ही जवाहर रोजगार योजना या दूसरी इस प्रकार की योजनाओं में युवकों को जोड़ देना चाहिये। युवा केन्द्र के जो संगठन है जिनको पी० आर० डी० कहते हैं, इसके अलग-अलग राज्यों में अलग नाम हो सकते हैं, यदि इनको भी युवकों के साथ जोड़ दिया जाये तो मैं समझता हूं कि सोलिड काम हो सकता है। इससे नौजवानों को खड़ा होने का मौका मिलेगा और अपनी आजीविका भी कमा सकते हैं। मैं इन्ही शब्दों के साथ युवा नीति बनाने और एक्ट के तहत इन सारे कार्यक्रमों को लाने के विषय में मोल्लाह साहब ने जो बिल प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर) : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो बिल चल रहा है, इसके अतिरिक्त हम लोगों के बाकी बिल बचे हैं, बड़ी मेहनत से हम लोगों ने बनाये हैं। मेरी प्रार्थना है कि अगर किसी ढंग से इनको लैप्स न होने दें और अगली बार फिर से इनको रोल अप कर दें तो हम सभी आपके आभारी होंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हम उन पर नियमों के अनुसार ही कार्यवाही करेंगे और देखेंगे कि हम सदस्यों की सदस्यता किस प्रकार कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री युवराज (कटिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, जो युवा विधेयक, 1990 माननीय हन्नान मोहल्लाह ने प्रस्तुत किया है उसके लिए मैंने इस विधेयक को देखकर अपना संशोधन भी दिया है। वह संशोधन इसलिए दिया है कि बिल में कई खण्ड हैं और यह बहुत ही व्यापक है तो इसलिये विधेयक को 31 जुलाई, 1990 तक उस पर राय जानने के लिये परिचालित किया जाये और इसके लिये एक प्रवर समिति बनायी जाये जिसमें सर्व श्री सुखदेव पासवान, तुलसीमुद्दीन साहब, हुक्मदेव

नारायण, प्रो. एस. पी. यादव, शिवनारायण यादव जो अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक अपना प्रतिवेदन दे दें। मैं आपसे यह आग्रह करना चाहूंगा कि इस बिल के सन्दर्भ में जो दुनिया में जितने परिवर्तन हुये, चाहे राजनीतिक परिवर्तन हों, या बहुत बड़ी क्रान्ति हुई हो, इन तमाम परिवर्तनों में जो युवा वर्ग है, उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और उस परिवर्तन के बाद जब कुछ आशातीत फल नहीं मिलता तो एक प्रतिक्रिया होती है, निराशा होती है और फिर वह पलटता रहती है रचनात्मक एक विचार और कार्य के बजाय फिर उसका दिमाग विध्वंस में लग जाता है तो न केवल हम इसके लिये न सत्ता को दोष देना चाहते हैं, चाहे वह सत्तारूढ़ जनता दल का राईट टू वर्क का बिल हो, हम समझते हैं कि अगर ईमानदारी से अगर कानून बनाया गया तो उसको अमली जामा पहनाया जाय तो बहुत से काम इससे हल किये जा सकते हैं।

इतना ही नहीं है कि सरकार केवल इस काम को कर दे लेकिन समाज के ऊपर यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ा दायित्व है। आप जानते हैं कि सारे देश का युवा वर्ग शराबखोरी के कारण बेहद परेशान है। शायद ही कोई प्रान्त आपको मिले, जहां शराबबन्दी की गई हो, जहां पहले थी, वहां भी उठने लगी है। आपको याद होगा, आप भी उस समय इस सदन में थे, जब 1977 में मुरारजी भाई इस देश के प्रधानमन्त्री बने, उस समय उन्होंने पूरे देश में शराबबन्दी करने का निश्चय किया और उसे पूरी तरह एक्जीक्यूट करने का प्रयत्न भी किया। जब हम लोग अपने इलाकों में जाते थे तो देखते थे कि इसकी वजह से युवा वर्ग भारी निराश है, उनमें आक्रोश की भावना है। कहीं किसी के पास काम नहीं था। गरीब आदमी थे, कभी उन्हें मजदूरी मिल जाती थी, कभी नहीं मिलती थी। उन्हें एजूकेशन करने की या साधनों से लेस करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। वे शराब पीते थे और देहातों में ही शराब पीते रहते थे। इसके बाद अपने कामों में लिप्त हो जाते थे। यदि आप देखें तो हमारी अनेक बुराइयों की जड़ यह शराब ही है और मैं इस गवर्नमेंट को भी कहना चाहता हूं कि यह बिल बहुत उपयुक्त समय पर लाया गया है। दूसरी चीज़ों की कीमतें तो अवश्य बढ़ गई हैं लेकिन शराब की कीमत में कहीं कोई वृद्धि नहीं हुई, शराब पर कहीं टैक्सेशन नहीं किया गया। यदि केन्द्र में कोई ऐसी सरकार होती जिसके दिमाग में वाकई गांवों के प्रति लगाव होता तो अहिंसात्मक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन या व्यवस्था में परिवर्तन की कोई कल्पना होती और ऐसे कामों को करने का प्रयास करती। लेकिन इस दिशा से कुछ नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि देश की प्रगति में युवाओं की भागीदारी तभी हो सकती है जब पूरे समाज की व्यवस्था में परिवर्तन लाया जाये और युवा को साथ लेकर चला जाये। शिक्षा से भी युवा का बहुत बड़ा सारोकार है। इसलिये शिक्षा, विकास, खेती, उद्योग और दूसरे तमाम धन्धों या साधनों से हमारा युवा वर्ग जुड़ा हुआ है परन्तु उनका स्वामित्व कितना है इन चीजों पर, इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। आज सत्ता या सम्पत्ति केन्द्रित है, मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सिमट कर रह गई है। आप देखें कि हमारे यहां 12-12 वर्षों से ग्राम पंचायतों के चुनाव नहीं हुए हैं और जो लोग पंचायतों को चलाते हैं, उनके विरुद्ध समाज में विद्रोह की भावना है। आज जनता दल की सरकार यदि सत्ता में आयी है तो उसमें हमारे युवा वर्ग का सबसे बड़ा सहयोग है। उन्हीं लोगों ने विद्रोह करके इधर बैठने वाले लोगों को सत्ता में ला बैठाया। इसलिये माननीय सदस्या श्री मोल्लाह जो बिल लाये हैं, निःसंदेह उसने हमारे लिये आई-ओपनर का काम किया है यह आवश्यक है कि इस विषय पर विचार विमर्श चले। हमें न

केवल राइट टू वर्क को पास करना है बल्कि समाज में जो बुराई है, उन बुराइयों के लिए जो हमारी सामाजिक व्यवस्था जिम्मेवार है, उसे भी बदलना है। यह काम केवल सरकार के भरोसे नहीं बल्कि समाज और सरकार दोनों को मिलकर, सभी राजनैतिक दलों का सहयोग लेकर करना होगा, चाहे हम इधर बैठने वाले हों या उधर बैठने वाले हों। हम लोग कमेटियों में भी बैठते हैं, विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करते हैं। गांवों में भी जाते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि गांवों में जो युवा हैं उन्हें प्रौपरली एजूकेशन मिलनी चाहिए समाज के प्रति, देश के प्रति उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन लायें, उनके लिये संघर्ष करें। उनके लिये कुछ भी करना पड़े तो आगे आकर उनका मार्गदर्शन करना चाहिये। अभी चर्चा हो रही थी, मैं उसमें ज्यादा विस्तार में जाना नहीं चाहता लेकिन हमारे एक माननीय सदस्य श्री हरीश रावत ने उसकी चर्चा की। उन्होंने नेहरू युवा क्लबों का जिक्र किया। हम लोग जब जब भी गांवों में जाते थे, तो हमने कई गांवों में नेहरू युवा क्लबों को देखा। अभी चुनाव के मौके पर भी गये। मुझे अनेक लोगों ने उनकी एक्टिविटीज के बारे में बताया। मैंने उनसे पूछा कि इनमें क्या होता है, लोग क्या काम करते हैं तो मुझे बताया गया कि इनका इस्तेमाल किसी खास व्यक्ति के लिये होता है, क्लब के लिये नहीं, बल्कि खास व्यक्ति के लिये होता है। पूरे क्षेत्र में जहां-जहां ये क्लब बने हैं, उनमें ऑफिसर तो होता ही है, इस्टैब्लिशमेंट पर भी काफी खर्च आता है परन्तु युवाओं के नजरिये में, युवाओं के दृष्टिकोण में, ये क्लब उन्हें शिक्षित करने का काम, युवाओं को समाज में आदमी बनाने का काम कुछ नहीं करते, इस दिशा में कुछ नहीं किया गया। यही किया गया है किसी दल का झण्डा उसके कन्धों पर रखो और प्रचार करो। अगर सत्ता में आ जाए, तो बूथ कैपचरिंग करो। इस तरह से जो युवा का विकास चाहते हैं, वे विकास न कर, इस काम को कर सकें, तो केवल इतने से ही काम नहीं चलेगा। इस पर हम सभी लोगों को विचार करना पड़ेगा। माननीय सदस्य ने अपने बिल में कई खण्ड दिए हैं, और कई खण्डों के बारे में इन्होंने अपने विचार व्यक्त किये हैं। मैं चाहता हूं कि एक प्रवर समिति गठित करके, इस बिल को उसे सोंपा जाए और जन-मत जानने के लिये भी इसे प्रचारित किया जाये।

श्री राधा मोहन सिंह (मोतिहारी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि पिछले 21 जनवरी, 1990 के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी और श्रम मंत्री जी की उपस्थिति में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार में शामिल जो राजनीतिक दल हैं, उनके जितने युवा संगठन हैं, उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठकर एक युवा-सम्मेलन के अंदर जिन भावनाओं का इजहार प्रधानमंत्री जी ने किया था, मैं समझता हूं कि इस विधेयक के अंदर, हमारे मित्र ने उन्हीं भावनाओं को शामिल करने की कोशिश की है। अपने देश के अंदर युवाओं के लिये एक व्यापक नीति की आवश्यकता है। यह इस बात से भी प्रकट होता है कि युवा मंत्रालय तो है, लेकिन युवाओं के लिए कोई कानून नहीं है। पिछले 43 वर्षों के अंदर हिन्दुस्तान के नौजवानों की जो स्थिति रही है, वह हमारे सामने है। हमें वे दिन याद हैं, जब देश गुलाम था, जिस समय इस देश के नौजवान, देश के महापुरुषों के आदर्श

से प्रेरित होकर देश और विदेश में, अपने देश का झण्डा ऊंचा करते थे। उदाहरण के लिए विवेकानन्द ने अमरीका के अंदर देश का मान बढ़ाया, लेकिन आजादी के बाद, उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा, कुछ समय पहले, उत्तरी कोरिया के अंदर, हमारे ही कुछ नौजवानों ने, ऐसा व्यवहार किया, जिससे हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। इसलिए हिन्दुस्तान मे युवाओं के लिए व्यापक नीति की आवश्यकता है। इस कारण मे इस विधेयक का समर्थन करता हूं और युवाओं की जो समस्या है, इसके लिए जो राष्ट्र की व्यवस्था चलाते हैं, युवा उनकी प्रेरणा से ज्यादा प्रेरित होते हैं, तो जो राष्ट्र और राष्ट्र की व्यवस्था को चलाते हैं, जो हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं, वे इसके लिए जिम्मेदार हैं। आज यदि देश के नौजवान गुमराह हैं, तो उसका कारण यही है कि उनके लिए कोई नीति नहीं है, कोई योजना नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी यहां नेहरू युवा केन्द्र की चर्चा आई जिसमें बताया गया कि इन केन्द्रों की स्थापना के समय, राजनैतिक होने की कल्पना भी नहीं की गई होगी, लेकिन हुआ क्या, चुनावों के मौके पर, पिछली बार देखने को मिला कि इनका उपयोग राजनीतिक तौर पर किया गया। जबकि विषय नीति के आधार पर युवा संगठनों की स्थापना की गई थी, लेकिन चुनावों के समय, राजनीतिक दल के लिये चुनाव अभिकर्त्ता के रूप में जगह-जगह इन संगठनों के लोगों ने काम किया और इन केन्द्रों पर आरोप तो यहां तक है कि पिछले लोकसभा के चुनावों में इस संस्था के सबसे बड़े पदाधिकारी ने किसी एक राजनीतिक दल और उसके नेता के लिए चुनाव प्रभारी के रूप में काम किया। इसीलिये मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान के युवाओं के लिये एक नीति, एक कानून की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में इस प्रकार से इन केन्द्रों का दुरुपयोग न हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, सदस्य महोदय ने इस विधेयक के अंदर जो कुछ बातें कही हैं, वे सही हैं। उन्होंने जैसे अनपढ़ की बात कही है। आज हिन्दुस्तान में जितने अनपढ़ हैं, उनमें एक-तिहाई नौजवान हैं। बिलकुल बेरोजगारों का जहां तक सवाल है,...

उपाध्यक्ष महोदय : राधा मोहन जी, जब यह विधेयक दुबारा चर्चा के लिए आएगा, तब आप कांटीन्यू करिए। अब छः बज गये हैं। इसलिये अब आप बैठ जाएं।
5.59-1/2 म. प.

सदस्य द्वारा त्यागपत्र

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को सूचित करना है कि अध्यक्ष महोदय को बिहार के छपरा चुनाव क्षेत्र से निर्वाचित संसद सदस्य, श्री लालू प्रसाद यादव का 26 अप्रैल, 1990 का एक पत्र आज

प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने लोकसभा की अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। अध्यक्ष महोदय ने उनके त्यागपत्र को आज, अर्थात दिनांक 26 अप्रैल, 1990 से स्वीकार कर लिया है।

6.00 म. प.

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 30 अप्रैल, 1990/10 वैशाख, 1912 (शक) के ग्यारह बजे म. प. तक के लिए स्थगित हुई

मुद्रक: सम्राट प्रेस, बी-88, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फैज-II, नई दिल्ली-110020